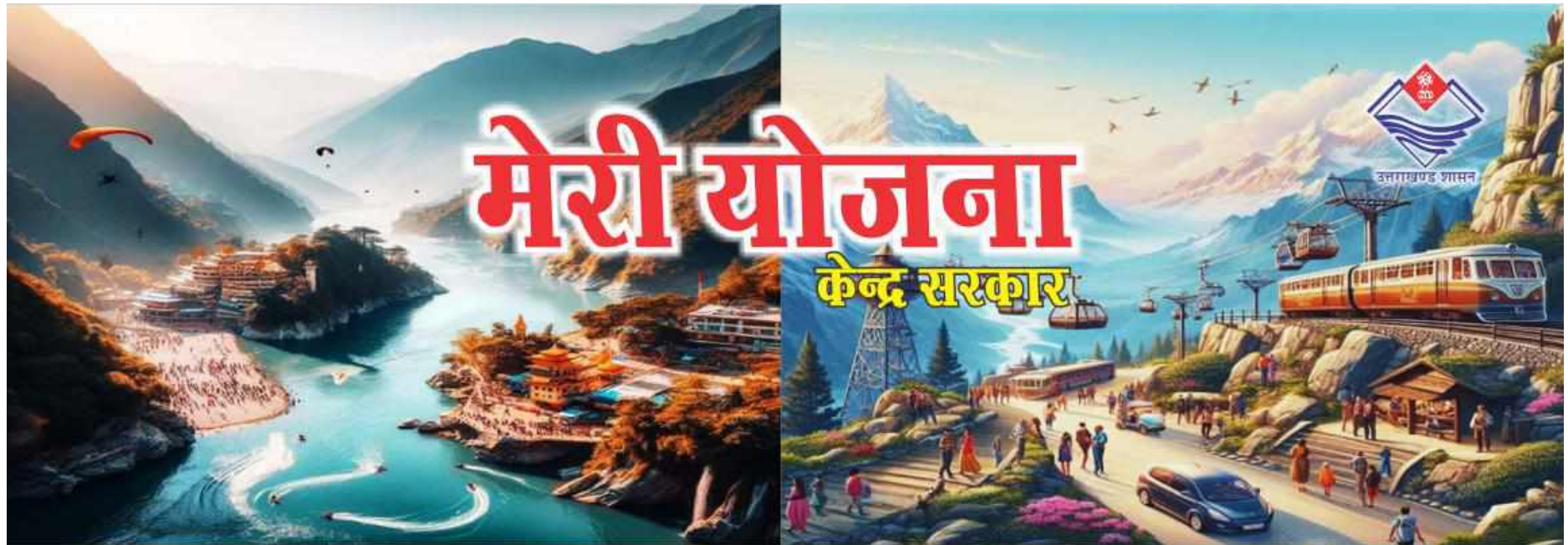




योजनाएं / नीतियां

जनकल्याणकारी

स्वरोजगार/रोजगारपरक

कौशल विकास
प्रशिक्षणपरक

निवेशपरक



लाभ

पात्रता

आवेदन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया

संक्षिप्त विवरण

केन्द्र सरकार

के उत्तराखण्ड में स्थापित प्रतिष्ठानों की सेवाओं/योजनाओं/कार्यों का विवरण
कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन



“मेरी योजना”

‘केन्द्र सरकार’

“इस पुस्तक को प्रकाशित करने का मुख्य उद्देश्य, उत्तराखण्ड/देश की जनता को भारत सरकार के मुख्यतः उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित/कार्यरत विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं उनके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं से जनसामान्य को अवगत कराना है, ताकि संस्थाओं द्वारा दिये जा रहे अमूल्य योगदान से जनता रूबरू हो सके। प्रथम बार, इस प्रकार की पुस्तक बनाने का समग्र प्रयास किया गया है। यह पुस्तक जहां पात्र लाभार्थी को योजनाओं/सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में सहयोग करेगी, वहीं नीति निर्धारणकर्ताओं, शोधकर्ताओं, पाठकों के लिए रूचिकर एवं केन्द्र सरकार के राज्य में स्थापित प्रतिष्ठानों द्वारा किये जा रहे प्रयासों के प्रति सजग बनायेगी। इस पुस्तक में संशोधन/सुधार/सुझाव/आपत्ति, कृपया निम्न पते/ईमेल में प्रेषित करना चाहें ताकि आगामी संस्करण को सुधारों के साथ प्रस्तुत किया जा सके।”



कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय परिसर, सुभाष रोड, देहरादून

ई-मेल: sopi-1@uk.gov.in

संरक्षण एवं निर्देशन

ले.ज. गुरमीत सिंह, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम (से.नि.)
मा. राज्यपाल उत्तराखण्ड
श्री पुष्कर सिंह धामी, मा. मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड
श्रीमती राधा रतूड़ी, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड
श्री दीपक कुमार, सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

सम्पादक

श्री दीपक कुमार, सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

सह-सम्पादक

श्री एन.एस. डुंगरियाल-संयुक्त सचिव, श्री जे.पी. मैखुरी-अनु सचिव, श्री प्रकाश पालीवाल-
अनुभाग अधिकारी, श्रीमती सरिता तोमर-विशेष कार्याधिकारी, श्रीमती रंजना-समीक्षा
अधिकारी, कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

विभागीय समन्वयन एवं सूचनाओं का संकलन तथा मीटिंग/वार्ता गतिविधियां

श्री एन.एस. डुंगरियाल-संयुक्त सचिव, श्री जे.पी. मैखुरी-अनु सचिव, श्रीमती सरिता तोमर,
श्रीमती वन्दना पाटनी, श्री रावेन्द्र चौहान, श्री ललित मोहन आर्य, श्री संजीव कुमार शर्मा-
डॉ. शैलेश कुमार पंत, श्री धर्मेन्द्र पयाल-विशेषकार्याधिकारी, श्री नन्दराम-पूर्व अनुभाग अधिकारी,
श्री प्रकाश पालीवाल-अनुभाग अधिकारी, श्रीमती रंजना-समीक्षा अधिकारी, श्री रमेश
कुमार-समीक्षा अधिकारी।

प्रूफ रीडिंग

श्री एन.एस. डुंगरियाल-संयुक्त सचिव, श्री जे.पी. मैखुरी-अनु सचिव, श्री प्रकाश
पालीवाल-अनुभाग अधिकारी, श्रीमती सरिता तोमर-विशेषकार्याधिकारी, श्रीमती
रंजना-समीक्षा अधिकारी।

कम्प्यूटर कम्पोजिंग, पेज डिजाइन एवं पुस्तक डाटा संरक्षण

श्रीमती रंजना-समीक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, श्री अजय सिंह भण्डारी-कम्प्यूटर
सहायक एवं श्री मुकेश चन्द्र देवरानी-कम्प्यूटर सहायक, श्री अमित वर्मा।

सहयोग

केन्द्र सरकार के राज्य में स्थापित उल्लिखित विभागों/संस्थानों के समस्त विभागीय
अधिकारी/ कार्मिक एवं एनआईसी टीम।

मुद्रण

(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा मुद्रित तथा संबंधित पुस्तक आमजन
हेतु डिजिटल रूप में <https://uk.gov.in> पर उपलब्ध एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन के सर्वाधिकार सुरक्षित)

ले ज गुरमीत सिंह

पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम,
वीएसएम (से नि)

राज्यपाल, उत्तराखण्ड



सत्यमेव जयते

राजभवन उत्तराखण्ड

देहरादून 248 003

दूरभाष: 0135-2757400

0135-2757403

20.11.2024



संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि उत्तराखण्ड शासन के कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा "मेरी योजना" पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। यह संस्करण राज्य में स्थापित केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों, निगमों, प्राधिकरण, आयोगों एवं बैंकों द्वारा संचालित योजनाओं और सेवाओं की सरल और सुलभ जानकारी आमजन तक पहुंचाने का सराहनीय प्रयास है।

मेरी योजना का यह संस्करण विशेष रूप से केन्द्र सरकार से संबंधित विभागों और संस्थानों की जानकारी का पहला समर्पित प्रयास है, जो न केवल अभिनव पहल है, बल्कि राज्य की जनता के लिए उपयोगी भी सिद्ध होगा। अधिकांश लोग राज्य स्तरीय विभागों की योजनाओं से तो परिचित रहते हैं, लेकिन केन्द्र सरकार के विभागों/संस्थानों और उनकी योजनाओं की जानकारी के अभाव में, उनकी सेवाओं और योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। यह पुस्तक इस जानकारी के अभाव को दूर करेगी और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहायक होगी।

मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक के माध्यम से पाठकों को न केवल केन्द्रीय संस्थानों की जानकारी मिलेगी, बल्कि उनकी महत्वपूर्ण सेवाओं और योजनाओं का लाभ उठाने में भी सहायक होगी।

इस प्रयास के लिए मैं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के सचिव और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ साथ ही इस पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

गुरमीत

ले ज गुरमीत सिंह

पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम (से नि)

पुष्कर सिंह धामी



मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सचिवालय
देहरादून-248001

फ़ोन : 0135-2650433

0135-2716262

फैक्स : 0135-2712827

कैम्प कार्यालय

फ़ोन : 0135-2750033

0135-2750344

फैक्स : 0135-2752144

सदेश

मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के विभागों में संचालित योजनाओं के साथ-साथ प्रथम बार उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों/निदेशालयों/पी.एस.यू./निगमों/प्राधिकरणों/आयोगों/बैंकों आदि द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं/सेवाओं/कार्यों की व्यवहारिक भाषा में जानकारी आम जनमानस तक सुगमता से उपलब्ध कराये जाने हेतु "मेरी योजना" पुस्तक के प्रथम संस्करण में प्रकाशित की जा रही है, ताकि प्रदेशवासी इन महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के कार्यों/सेवाओं से भिन्न हो सकें एवं लाभ प्राप्त कर सकें।

मेरी ओर से "मेरी योजना" पुस्तक के प्रथम संस्करण के प्रकाशन पर कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मिकों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।

(पुष्कर सिंह धामी)

राधा रतूड़ी, भा.प्र.से.



उत्तराखण्ड शासन
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन
राज्य सचिवालय, देहरादून
फ़ोन : (का.) 0135-2712100
2712200
फैक्स : 0135-2712500
ई-मेल : cs-uttarakhand@nic.in
chiefsecyuk@gmail.com

दिनांक : 22 नवम्बर 2024

सदेश

मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा गत वर्ष जहाँ राज्य के महत्वपूर्ण विभागों की विभिन्न योजनाओं / सेवाओं का संकलन कर सरल भाषा में "मेरी योजना" पुस्तक प्रकाशित की गयी, वहीं इस वर्ष भारत सरकार के उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित विभिन्न विभागों / संस्थानों / विश्वविद्यालयों / निदेशालयों / पी.एस.यू. / निगमों / प्राधिकरणों / आयोगों / बैंकों आदि द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं / सेवाओं / कार्यों की जानकारी सरल हिन्दी भाषा में लिखकर "मेरी योजना" पुस्तक के प्रथम संस्करण में प्रकाशित की जा रही है, जो राज्य की समस्त जनता के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।

इस पुस्तिका के सफल प्रकाशन हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की पूरी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।


(राधा रतूड़ी)

दीपक कुमार
सचिव



उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन
कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग,
4 सुभाष मार्ग,
देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2664127

संदेश

गतवर्ष, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी, योजनाओं की जानकारी को सरल भाषा में संकलित करते हुए “मेरी योजना” पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया गया। पूर्व पुस्तक की सफलता के उपरान्त तथा इस प्रकार के अभिनव प्रयासों को देखकर मा. राज्यपाल एवं मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा केन्द्र सरकार के उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं/सेवाओं/कार्यों की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके एवज में “मेरी योजना” पुस्तक का केन्द्र सरकार का प्रथम संस्करण तैयार किया गया।

इस पुस्तक में केन्द्र सरकार के लगभग 80 प्रतिष्ठानों की जानकारी सरल हिन्दी भाषा में उल्लिखित की गयी है, जिसमें योजनाओं/सेवाओं का नाम, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया का उल्लेख तथा जिन प्रतिष्ठानों की सूचना इस प्रारूप में नहीं है, का भी संक्षिप्त विवरण एवं उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण उल्लिखित किया गया है, ताकि राज्य के नागरिक, राज्य में स्थापित केन्द्र सरकार के इन महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सेवाओं/कार्यों का लाभ एवं जानकारी प्राप्त कर सकें। राज्य की आमजन मुख्यतः राज्य के विभागों से ही जुड़ी होती है, जिससे केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों की उन्हें कम जानकारी होती है।

इस पुस्तक को कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की पूरी टीम के अपार सहयोग एवं अथक प्रयासों और कड़ी लगन के बिना मूर्त रूप देना असम्भव था, साथ ही केन्द्र सरकार के उपरोक्त प्रतिष्ठानों के प्रमुखों एवं उनके अधीनस्थ अन्य अधिकारीगणों जिनके द्वारा अपने विभागों से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं/योजनाओं/कार्यों का संकलन, संबंधित सूचनायें तथा विवरण उपलब्ध कराये जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, का भी आपार व्यक्त करता हूँ।

अन्त में, विशेष मार्गदर्शक के रूप में प्रेरणास्रोत रहे प्रदेश के मा. राज्यपाल एवं मा. मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव महोदय का “मेरी योजना” पुस्तक के ‘केन्द्र सरकार’ प्रथम संस्करण को मूर्त रूप दिये जाने में अगिप्रेरित/प्रोत्साहित किये जाने हेतु हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

(दीपक कुमार)

अनुक्रमणिका

उत्तराखण्ड में स्थापित केन्द्र सरकार के संस्थान/विश्वविद्यालय/विभाग/संगठनों की सेवाओं/कार्यों का विवरण

क्र. सं.	उत्तराखण्ड में स्थापित केन्द्र सरकार के संस्थान/ विश्वविद्यालय/ विभाग/ संगठनों का नाम	सेवायें/योजनाएं/कार्य/संक्षिप्त विवरण, जो पुस्तक में उल्लिखित है।	पृष्ठ संख्या
1	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर पौड़ी (HNBGU)	- संक्षिप्त परिचय - इनोवेशन सेल - सेंट्रल लाइब्रेरी - डा० अम्बेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंसी - आउटरीच कार्यक्रम	23–25
2	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, देहरादून (IGNOU)	संक्षिप्त परिचय (1). अनुसूचित जाति/जनजातीय उपयोजना (2) अग्निवीरों के लिए 'अग्निपथ योजना' (3) कौशल विकास केन्द्रों पर इग्नू के विस्तारण केन्द्रों की स्थापना (4) नई शिक्षा नीति 2020 के तहत विभिन्न नये कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन (5). आई. टी.आई प्रशिक्षणार्थियों के लिए उच्च शिक्षा उन्नयन के कार्यक्रमों का संचालन	26–29
3	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, देहरादून (NIOS)	- संक्षिप्त परिचय - लक्ष्य समूह - प्रवेश - क्रेडिट स्थानांतरण (TOC) (1) कक्षा 10 (माध्यमिक पाठ्यक्रम) (31 जुलाई को 14 वर्ष आयु पूरे) (2) कक्षा 12 (उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम) (31 जुलाई को 15 वर्ष पूरे) (3). 100 से ज्यादा व्यावसायिक पाठ्यक्रम (4). मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम (ओबीई) (5) एनएचएम के सहयोग से आशा परियोजना	30–33
4	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, देहरादून (CBSE)	(1) द्वितीय शैक्षणिक दस्तावेज प्रणाली (DUPLICATE ACADMIC DOCUMENT SYSTEM) (अंक प्रमाणपत्र, सनद या उत्तीर्णता प्रमाणपत्र व प्रवास प्रमाणपत्र) (2) डिजिलॉकर (3) API SETU (4) बोर्ड के संबद्धता उप-नियम (5). अन्तर विद्यालय (Inter School) कक्षा 10वीं एवं 12वीं में सीधा प्रवेश (6). विषय परिवर्तन (7). कक्षा 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम (8). अंको के मूल्यांकन, मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी एवं उत्तर (रों) का पुनर्मूल्यांकन (9) ई हरकारा e-HARKARA (10) शिकायत एवं सुझाव (11) छात्र/छात्रा के कक्षा 10वीं व 12वीं शैक्षणिक दस्तावेजों में विवरण संशोधन।	34–39
5	भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून (IIRS)	(1) संक्षिप्त विवरण	40–41
6	भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून (IIP)	(1) संक्षिप्त परिचय (2) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (3) विश्लेषणात्मक सीएसआईआर (AnalytiCSIR) पोर्टल (4) अपशिष्ट प्लास्टिक प्रौद्योगिकी (5) बायो- जेट ईंधन प्रौद्योगिकी (6) जनपद चम्पावत में आजीविका सृजन और महिला सशक्तिकरण के लिए 50 किलो/घंटा क्षमता का पिरुल से ब्रिकेट बनाने की इकाई प्रस्तावित।	42–44

7	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की (IIT)	■ संक्षिप्त परिचय (1) पूर्वस्नातक कोर्स (B.Tech/ Bachelor of Science/ B.Arch./ Dual Degree BS-MS/ Integrated M.Tech/ Integrated M.Sc) (2) स्नातकोत्तरकोर्स (M.Tech) M.Arch., MURP) (3). स्नातकोत्तरकोर्स— एम.टेक. बांध सुरक्षा एवं पुनर्वास (M.TECH. DAM SAFETY AND REHABILITATION) (4) स्नातकोत्तरकोर्स— एम.एस.सी. (M.Sc)(बायोटेक्नोलॉजी विषय को छोड़कर) (5) स्नातकोत्तरकोर्स—एम.एस.सी.— बायोटेक्नोलॉजी (M.Sc. - Biotechnology) (6) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (Ph. D) (7) मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) (8) कार्यकारी एम.बी.ए (Executive MBA) (9) इंडस्ट्री प्रोफेशनल के लिए एम.टेक (वी.एल.एस.आई.) M. Tech (VLSI)	45—49
8	केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की (CBRI)	•संक्षिप्त विवरण •दृष्टि (विजन) •उद्देश्य (मिशन) •प्रमुख गतिविधियाँ •प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण •आरएंडडी समूह •अनुसंधान एवं विकास प्रबंधन कार्यालय •अनुसंधान योजना और व्यवसाय विकास •आउटरीच और प्रसार सेवाएं •सीएसआईआर—सीबीआरआई संगठनात्मक आरेख •सीएसआईआर—सीबीआरआई — आउटरीच और प्रसार सेवाएँ •गतिविधियाँ • सीएसआईआर — एकीकृत कौशल पहल • सीएसआईआर समन्वित जिज्ञासा 2.0 •छात्र प्रशिक्षण •प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी प्रक्रिया — उद्योगों, गैर सरकारी संगठनों, जन साधारण के लिए •विभिन्न तकनीकों को वाणिज्यिक और आवास में सीधे कार्यान्वयन (प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से) •विशेष कार्यक्रम/यात्रा •व्याख्यान श्रृंखला •संस्थान प्रकाश •वैज्ञानिक एवं नवीन अनुसंधान अकादमी / Academy of Scientific & Innovative Research (AcSIR)	50—62

9	<u>भारतीय प्रबन्ध संस्थान, काशीपुर ऊधमसिंह नगर (IIM)</u>	• मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) • मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एनालिटिक्स (MBAA) • एकजीक्यूटिव मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (EMBA) • एकजीक्यूटिव मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एनालिटिक्स (EMBA) • एकजीक्यूटिव मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एनालिटिक्स (ईएमबीएए) • कार्यकारी विकास कार्यक्रम – ऑनलाइन प्रमाणपत्र कार्यक्रम • नवाचार-डिजाइन इनोवेशन सेंटर • डिजाइन नवाचार के लिए राष्ट्रीय पहल (NIDI) स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहित करती योजनाएं • फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्यूरशिप डेवलपमेंट (FIED) • आरकेवीवाई रफ्तार एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन प्रोग्राम (RABI)– कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार • स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना – उद्योग और आंतरिक व्यापार विकास विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।	63–70
10	<u>सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, आईटी पार्क देहरादून। (STPI)</u>	• सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का संक्षिप्त परिचय • एसटीपीआई के उद्देश्य/कार्य इस प्रकार हैं : (1) एनजीआईएस चुनौती (NGIS CHUNAUTI) कार्यक्रम (2) ऊष्मायन सुविधाएं (Incubation facilities)	71–74
11	<u>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ऋषिकेश) (AIIMS)</u>	(1). बाह्य रोगी (OPD) सेवा (2). ऑनलाइन नियुक्ति (3) टेलीमेडिसिन सेवाएं (4) हेली आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं (5). एम्स, ऋषिकेश की एम्बुलेंस सेवाएं (6) रोबोटिक सर्जरी स्वास्थ्य सेवा में क्रांति (7) जन औषधि केंद्र स्टोर सेवाएँ (8) एम्स ऋषिकेश में अंग प्रत्यारोपण (9) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (10) आयुष्मान भारत योजना (11) आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (आभा कार्ड) (12) राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (13) राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम-निक्षय पोषण योजना (14) मरीज कल्याण प्रकोष्ठ (Patient Welfare Cell) (15) एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (AIDS control programme) (16) विभिन्न पाठ्यक्रमों का आयोजन ।	75–80
12	<u>राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, देहरादून (NIESBUD)</u>	(1). संक्षिप्त विवरण (2). रोजगार/स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में (3). NIESBUD स्कूल, कॉलेजों और संस्थान के छात्रों को संस्थान दौरे की अनुमति देता है। संस्थान विजिट प्रक्रिया विधि	81–82

13	<u>केंद्रीय पेट्रोसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून (CIPET)</u>	संक्षिप्त परिचय (1). डिप्लोमा कार्यक्रम 3 वर्षीय — प्लास्टिक टेक्नोलॉजी • प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी (2). उत्तराखंड रिकल डेवलपमेंट मिशन उत्तराखंड वर्क फोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (डोमेन एक्सपर्ट योजनान्तर्गत) (3). प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) (4). पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (CSR योजनान्तर्गत) (5). सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय (MSJE), भारत सरकार के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) (PM&DAKSH योजनान्तर्गत) (6). तकनीकी सेवाये, प्लास्टिक उत्पादों को संस्थान में बनाकर, अपने क्षेत्र में बेचने की प्रक्रिया, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में जागरूकता। (7). सिपेट में भ्रमण करने हेतु प्रक्रिया।	83—86
14	<u>नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी (NIM)</u>	नेहरू पर्वतारोहण संस्थान संक्षिप्त परिचय (1). बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स (28 दिन) (2). एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स (28 दिन) (3). सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स (21 दिन) (4). मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स (21 दिन) (5). एडवेंचर कोर्स (14 दिन) (6). बेसिक स्कीइंग कोर्स (14 दिन) (7). इंटरमीडिएट स्कीइंग कोर्स (14 दिन) (8). स्पोर्ट्स क्लाइम्बिंग कोर्स (11 दिन) (9). बेसिक माउंटेन टेरेन बाइक (बीएमटीबी) कोर्स (11 दिन) (10). एडवांस माउंटेन टेरेन बाइक (एएमटीबी) कोर्स (11 दिन) उक्त के अतिरिक्त संस्थान द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के लिए विशेष और अनुकूलित पाठ्यक्रम द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम— (1). स्पेशल बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स (2). स्पेशल एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स (3). स्पेशल खोज एवं बचाव कोर्स (4). माउंटेन गाइड कोर्स (5). लो एल्टीट्यूड गाइड कोर्स (6). हाई एल्टीट्यूड गाइड कोर्स (7). स्पेशल एडवेंचर कोर्स (8). लीडरशिप और टीम बिल्डिंग कोर्स (9). ट्रेन द ट्रेनर (10) स्पेशल स्कीइंग कोर्स	87—97
15	<u>राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून (NIEPVD)</u>	- संक्षिप्त परिचय 1. दिव्यांग छात्रों के लिए कोचिंग योजना 2. क्रॉस डिसेबिलिटी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र (सीडी— ईआईसी) 3. दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (एडिप) 4. दृष्टिबाधित सिपडा (SIPDA) योजना के तहत सुलभ शिक्षण सामग्री के विकास के लिए वित्तीय सहायता पर परियोजना निपवेड द्वारा दी जा रही अन्य सेवाएं:— - मानव संसाधन विकास कार्यक्रम • बाल वाटिका - स्कूली शिक्षा आदर्श विद्यालय (प्री.-स्कूल स्टेज से लेकर सीनियर सेकेंडरी लेवल तक) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध • कौशल विकास एवं आर्थिक सशक्तिकरण • सुगम्यता स्थानन सेवाएं • ब्रेल उपकरणों व्यवस्था • सुगम्य पुस्तकालय • मीडिया उत्पादन इकाई	98—106

16	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, नैनीताल (IVRI)	(1). . अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP) (2). जनजातीय उपयोजना (TSP) (3). पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसीपी) के अंतर्गत बकरी प्लेग (PPR) उन्मूलन कार्यक्रम (4). पशु-चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टरेट (PhD) कार्यक्रम (5). पशु-चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर (M-V-Sc) कार्यक्रम (6). स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम i- विषाणु टीका उत्पादन और गुणवत्ता मूल्यांकन ii- वैज्ञानिक विधि द्वारा शीतोष्ण क्षेत्र में पशु पालन (7). सर्टिफिकेट / व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण	107–112
17	आर्यभट्ट प्रेषण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल (ARIES)	• एरीज का संक्षिप्त परिचय (1). वेधशाला (Observatory) क्या होती है? (ख) संगठन के अनुसंधान क्षेत्र: -खगोलविज्ञान, खगोल भौतिकी, वायुमंडलीय विज्ञान (ग) एरीज में विद्यमान प्रमुख राष्ट्रीय सुविधाएँ एवं उनकी उपयोगिता :- 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप (2). अंतर्राष्ट्रीय तरल दर्पण टेलिस्कोप (आई एल एम टी) (3). समतापमंडल क्षोभमंडल रडार (Stratosphere Troposphere Radar, ST Radar) (4). आदित्य एल 1 विज्ञान सहायता केंद्र – (घ) अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ 1-पब्लिक आउटरीच 2-डॉक्टरेट (PHD) कार्यक्रम 3-पोस्टडॉक्टोरल कार्यक्रम 4-विजिटिंग स्टूडेंट्स कार्यक्रम	113–117
18	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद-वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून (ICFRE-FRI)	(1). भ.वा.अ.शि.प.-वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में लघु अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम- 2024 (2). कम लागत वाले अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमकाष्ठ सेवाओं का वाणिज्यिक संशोधन (3). वन अनुसंधान संस्थान सम विश्वविद्यालय एम.एस. सी. प्रवेश परीक्षा (4). परीक्षण सेवाएँ (5). भौतिक एवं यांत्रिक परीक्षण (6). संरक्षण परीक्षण एवं परिरक्षक उपचार सेवाएँ	118–124
19	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून (WLII)	• संक्षिप्त परिचय • हमारा उद्देश्य • वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण • अनुसंधान कार्य • उत्तराखंड राज्य में भारतीय वन्यजीव संस्थान की मौजूदगी (1). नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत की जा रही गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण (2). नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र (NDBR), संक्रमण क्षेत्र Transition Zone को ध्यान में रखकर एक व्यापक जैव विविधता संरक्षण प्रबंधन योजना विकसित करना (3). केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्रों में पर्यटकों/तीर्थयात्रियों के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन (4). हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन (National mission on Sustaining Himalayan Ecosystem)	125–128
20	विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोडा (VPKAS)	■ मक्का • सोयाबीन • जनजातीय उप योजना • कृषक गोष्ठी और कृषक – वैज्ञानिक संवाद • अनुसूचित जाति उपयोजना परियोजना • अन्य प्रशिक्षण	129–130

21	<u>गोविन्द बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, कोसी अल्मोड़ा (GBPIHD)</u>	(1). राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन (एन.एम.एच.एस.) https://nmhs.org.in/ (2). समन्वित पारिस्थितिकीय विकास अनुसंधान कार्यक्रम (IERP) (3). ग्रामीण तकनीकी परिसर https://gbpihed.gov.in/RTC_hi.php (4). हरित कौशल विकास कार्यक्रम (5). संस्थान द्वारा प्रदूषण नियंत्रण संबंधी किये गये अध्ययन	131—133
22	<u>वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान, देहरादून (WIHG)</u>	(1).एस.पी. नौटियाल संग्रहालय (2). परामर्शी सेवाएं (3). AcSIR के अंतर्गत छात्र कार्यक्रम (4). कौशल विकास (5). आउटरीच कार्यक्रम (6). राष्ट्रीय संगोष्ठियां	134—136
23	<u>राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की (NIH)</u>	● संक्षिप्त परिचय	137
24	<u>निदेशालय कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च, भीमताल नैनीताल (ICAR-DCFR)</u>	● भारत में शीतजल मात्स्यिकी का विकास एवं अनुसंधान एक परिचय ● भारत सरकार की अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन की विधाओं में प्रशिक्षण ● भारत सरकार की अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP) के अन्तर्गत मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन की विधाओं में प्रशिक्षण	138—140
25	<u>सहकारी प्रबन्ध संस्थान—देहरादून (ICM)</u>	(1). मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (रेगुलर) MBA (R) (2). बेचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (रेगुलर) BBA (R) (3). हायर डिप्लोमा इन कॉर्पोरेटिव मैनेजमेंट (रेगुलर) HDCM (R) (4). हायर डिप्लोमाईन कॉर्पोरेटिव मैनेजमेंट (पत्राचार) HDCM(C) (5). डी0जी0आर (DGR) (1) सेल्समैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स (2) रिटेलमैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स (3) इन्डिस्ट्रियल मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स उद्यमिता विकास में सर्टिफिकेट कोर्स (6). अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (Short Term Courses) (7). नाबार्ड द्वारा कृषि एवम् सहकारिता क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रायोजित कार्यक्रम	141—142
26	<u>लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी देहरादून (LBSNA)</u>	● संक्षिप्त परिचय	143
27	<u>केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान, देहरादून। (IISWC)</u>	● संक्षिप्त परिचय ● संस्थान का मुख्य उद्देश्य ● प्रमुख उपलब्धियां – अनुसंधान ● मानव संसाधन विकास/प्रशिक्षण कार्य ● परामर्श क्षेत्र ● नवीनतम अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ	144—145
28	<u>बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एण्ड एडवांस ट्रेनिंग, डोईवाला देहरादून। (BIAAT)</u>	● संक्षिप्त परिचय	146

29	राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय , देहरादून। (NCC)	(अ) मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना (ब) राज्य/मुख्य मंत्री स्वर्ण/रजत पदक प्रोत्साहन पुरस्कार 1. राज्य/मुख्य मंत्री स्वर्ण/रजत पदक प्रोत्साहन पुरस्कार 2. एन०सी०सी० कैडेट बनने से लाभ	147—149
30	भारत तिब्बत सीमा पुलिस मुख्यालय देहरादून (ITBP)	(1). प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (2). भा.ति.सी. पुलिस बल स्पेशल वैल्फेयर फण्ड से सहायता (3). भारत तिब्बत सीमा पुलिस में भर्ती की प्रक्रिया (4). भारत तिब्बत सीमा पुलिस की कैटीन में उत्तराखण्ड के स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किये गये सामान की बिक्री कैसे की जाती है, की प्रक्रिया।	150—152
31	भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून (IMA)	अधिकारियों का चयन • स्थायी कमीशन का अर्थ • भारतीय सैन्य अकादमी • विश्वविद्यालय प्रवेश योजना • आईसी (पुरुष) • अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, गया • शॉर्ट सर्विस कमीशन या लघु सेवा आयोग • पुरुष और महिला, दोनों के लिए मुख्य प्रविष्टि • शॉर्ट सर्विस कमीशन (जे ए जी)	153—156
32	सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय, अल्मोड़ा (SSB)	(1). निःशुल्क मानव चिकित्सा शिविर (2). निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर (3). सीमावर्ती विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु भारत भ्रमण कार्यक्रम (4). केंद्रीय सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को सीमावर्ती ग्रामीणों को बताना तथा उसे प्राप्त करवाने में आवश्यक सहयोग देना। (5).मानव संसाधन कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन (i) सिलाई प्रशिक्षण (ii) ब्यूटीशियन प्रशिक्षण (iii) आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी (iv) आधुनिक कृषि प्रयोगों के बारे में जानकारी (v) उन्नत बीजों का वितरण (vi) बकरी के बच्चे/ मुर्गी के चूजे का वितरण (6). सामुदायिक केन्द्रों की मरम्मत, सोलर लाइट का वितरण, पानी के टैंक का वितरण इत्यादि (7). खेल संसाधनों का विकास (8). छात्र/छात्राओं हेतु कंप्यूटर प्रशिक्षण (9). विद्यालयी छात्र/छात्राओं को सेना केंद्रीय पुलिस बलों में भर्ती हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	157—158
33	प्रादेशिक सेना एवं 127 प्रादेशिक सेना पर्यावरण बल, देहरादून।	• प्रादेशिक सेना का संक्षिप्त परिचय तथा कार्य • 127 प्रादेशिक सेना की स्थापना • यूनिट का कार्य क्षेत्र और उपलब्धियाँ (1). शाहजहांपुर पायलट प्रोजेक्ट (मोहण्ड) (2). क्यारकुली माइक्रो कैचमेंट ईको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (मसूरी) (3). अगलार वाटरसेड ईको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मुख्य क्षेत्र थत्यूड़ टिहरी गढवाल (4). बद्रीवन/माणा/मलारी परियोजना (5). जौनसार/भाबर इको डेवलपमेंट परियोजना (6). देवर खडोरा परियोजना (7).लखवाड परियोजना (8). कुरुड़ परियोजना (9). सहिया परियोजना (10). कुरुड परियोजना	159—163

34	छावनी परिषद, गढ़ी कैंट, देहरादून।	संक्षिप्त विवरण • कर्तव्य (1). पॉलिथीन कचरा बैंक (2). सामान्य खाद/वर्मी कम्पोस्ट खाद (3). जन्म व मृत्यु पंजीकरण व प्रमाणपत्र सेवा (4). ई-छावनी पोर्टल (जल संयोजन) (5). ई-छावनी पोर्टल ओ.बी.पी.एस. माड्यूल (ऑनलाइन बिलडिंग प्लान माड्यूल सिस्टम) (6). ई-छावनी पोर्टल (संपत्ति म्यूटेशन) (7). ई-छावनी पोर्टल (कर, गैर व इत्यादि शुल्क जमा करने हेतु सुविधा) (8). ई-छावनी पोर्टल (जन शिकायत निवारण पोर्टल) (9). ई-छावनी पोर्टल (ट्रेड लाइसेंस) (10). प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (11). 60 वर्ष से ऊपर वरिष्ठ नागरिकों हेतु स्वाभिमान केन्द्र नाम से डे-केयरसेंटर (12). आयुर्वेदिक अस्पताल (पंचकर्मा सेंटर)	164—170
35	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लि०, देहरादून (ONGC)	(1). नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम (2). खेल छात्रवृत्ति योजना ONGC की छात्रवृत्ति:- (1). SC-ST श्रेणी के उत्कृष्ट छात्रों के लिए (2). OBC श्रेणी के उत्कृष्ट छात्रों के लिए (3). सामान्य श्रेणी के उत्कृष्ट छात्रों के लिए	171—172
36	टिहरी जल विकास निगम लि० ऋशिकेश, देहरादून (THDC)	संक्षिप्त विवरण	173—174
37	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड एवं आयुध निर्माणी, रायपुर देहरादून। (IOL)	संक्षिप्त विवरण • ऑप्टेल, देहरादून के मुख्य प्रशिक्षण क्षेत्र 1. योगा केन्द्र, सीनियर क्लब इंडिया ऑप्टेल रायपुर देहरादून 2 लाइफ सेंटर	175—177
38	रक्षा इलेक्ट्रॉनिकी प्रयोगशाला (DEAL) एवं रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (DRDO) देहरादून।	- रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोग प्रयोगशाला (DEAL) • सैटेलाइट—NATSAT के माध्यम से नेविगेशन हिमस्खलन चेतावनी और ट्रेकिंग • मानव संसाधन पहल • प्रयोगशाला का इतिहास - दूर-दर्शिता • उद्देश्य • कार्य-क्षेत्र • अकादमिक अनुसंधान एवं विकास हेतु • अकादमिक-अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना हेतु	178—180
39	उत्तर रेलवे, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद	(1). दिव्यांगजन कार्ड (2). कैंसर व अन्य बड़ी / लाइलाज बीमारियों में रियायत (3). खान पान यूनिट (4). एक स्टेशन एक उत्पाद (5). जन औषधि केंद्र (6). समाजसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित बुकस्टाल	181—186

40	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, देहरादून। (RPO)	1. नए पासपोर्ट जारी करना: ➤ यदि पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आप नए पासपोर्ट(सामान्य/ सरकारी/डिप्लोमेटिक पासपोर्ट) के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2. निम्न कारणों से पासपोर्ट पुनः जारी करना: ➤ वर्तमान व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन। • वैधता 3 वर्ष के भीतर समाप्त हो गई/एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली है। • वैधता 3 वर्ष से अधिक समय पहले समाप्त हो गई। • पासपोर्ट में पन्नें पूरे भर गये हों। • पासपोर्ट क्षतिग्रस्त या पासपोर्ट खो गया। 3. विविध सेवायें : ➤ पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) जारी करना। ➤ ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम (GEP) के लिए पृष्ठभूमि सत्यापन: अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमासुरक्षा ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम (GEP) के साथ नामांकित भारतीय नागरिकों के लिए पृष्ठभूमि सत्यापन करना। समर्पण (सरेंडर) प्रमाणपत्र: भारतीय नागरिकता त्यागने और विदेशी राष्ट्रियता प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों में भारतीय पासपोर्ट धारक को भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करना।	187—188
41	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	(1). प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार (PBSA) (2). प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम (SPDC) (3). भारतीय समुदाय कल्याण कोष (4). प्रस्थान-पूर्व अभिमुखीकरण प्रशिक्षण (PDOT) (5). प्रवासी भारतीय बीमा योजना (PBBY) (6). मदद पोर्टल (7). उत्प्रवास मंजूरी (EC) (8). उत्प्रवास में कल्याणकारी उपाय और ई-गवर्नेंस – ई-माइग्रेट (9). . प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (PBSK) और क्षेत्रीय प्रवासी सहायता केंद्र (KPSK) (10). विदेश में मरने वाले भारतीयों के पार्थिव अवशेषों का परिवहन (11). पासपोर्ट सेवाएँ (12). दस्तावेजों का सत्यापन	189—194
42	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, देहरादून। (CGST)	(1). उपभोक्ता कल्याण कोष (2). जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया (3). . यदि कोई जीएसटी कर चोरी करे, तो संबंधित सूचना कहां दी जा सकती है।	195—196
43	आयकर विभाग, देहरादून।	(1). आयकर सेवा केन्द्र (2). ई-फाइलिंग (3). 80 वर्ष से अधिक करदाता को आनलाईन ई-फाइलिंग में छूट (4). AIS App (5). CPC (6). Grievance Redressal (7). चेहरा रहित योजना	197—198
44	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून (NHAI)	(1). राष्ट्रीय राजमार्ग पर आम जनता के लिए टोल फ्री नंबर “1033” (2). टोल शुल्क में दी गयी छूट प्राप्त फास्टैग (3). देश भर में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रक्रिया	199—202

45	भारतीय विमानपतन प्राधिकरण (AAI), जॉलीग्रंट, देहरादून एवं, पंतनगर, ऊधमसिंह नगर	➤ भारतीय विमानपतन प्राधिकरण (AAI), जॉलीग्रंट, देहरादून (1).एस.एच.जी रिटेल शॉप (2). क्षेत्रीय उड़ान संपर्क योजना (3). सी.एस.आर.स्कीम (4). रिजर्वेशन काउंटर (5). टोलफ्री नंबर के संबंध में ➤ भारतीय विमानपतन प्राधिकरण (AAI), पंतनगर, उधमसिंह नगर (1).एयरपोर्ट विस्तारीकरण (2). क्षेत्रीय उड़ान सम्पर्क योजना (3). सी.एस.आर. स्कीम (4). समर विंटर सारणी	203–204
46	भारत संचार निगम लि0 देहरादून (BSNL)	(1). भारतनेट परियोजना (2). 4G संतृप्ति परियोजना • बीएसएनएल व्यापार मण्डल	205–207
47	दूरसंचार विभाग एवं बेतार अनुश्रवण केन्द्र देहरादून।	(1). तरंग संचार पोर्टल (2).संचार साथी पोर्टल (3). PM-WANI योजना (4).राज्यों को दूरसंचार आधारभूत संरचना हेतु विशेष सहायता योजना (5).मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा बेतार अनुश्रवण केन्द्र – सरल संचार पोर्टल	208–213
48	केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कार्यालय कल्याण आयुक्त, देहरादून।	• संक्षिप्त विवरण	214
49	जनगणना निदेशालय, देहरादून	• संक्षिप्त विवरण • राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) • जन्म–मृत्यु पंजीकरण	215–216
50	खादी और ग्रामोद्योग आयोग, देहरादून (KVIC)	(1). खादी विकास योजना (क) संशोधित विपणन विकास सहायता (एमएमडीए) वित्तीय सहायता (ख) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र योजना (आईसेक) (ग) खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना (घ) मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं के बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण और विपणन बुनियादी ढांचे के लिए सहायता (ङ) बाज़ार संवर्धन (प्रदर्शनी) (ट) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) योजना (2). ग्रामोद्योग विकास योजना (क) हनी मिशन कार्यक्रम (ख) कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम (ग) चर्मशिल्प कार्यक्रम (घ) ग्रामीण इंजीनियरिंग एवम् नवीन प्रौद्योगिकी उद्योग (RENTI) (3). सेवा उद्योग (SI) प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, एसी रिपेयरिंग तथा सिलाई मशीन ऑपरेटर योजना (4). प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (5). परंपरागत उद्योगों के पुर्नसृजन हेतु निधि की योजना (स्फूर्ती) (6). क्षमता निर्माण और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम KVIC	217–231

51	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, देहरादून (NHB)	(1). राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के बारे में (2). राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड योजनाओं के लक्ष्य और उद्देश्य (3). उत्तराखण्ड में बागवानी योजना सं. 1 (क) बागवानी फसलों के उत्पादन और फसलकटाई उपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास, (ख) परियोजना मोड पर खुली क्षेत्र की परिस्थितियों में वाणिज्यिक बागवानी विकास परियोजना मोड पर संरक्षित कवर में वाणिज्यिक बागवानी विकास (ग) समेकित फसल उपरान्त कटाई प्रबंधन परियोजनाएं योजना सं 2 (क) बागवानी उत्पाद के लिए शीत संग्रहगार और संग्रहगारों के निर्माण आधुनिकीकरण/सब्सिडी योजना लिए पूंजी निवेश बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण	232–240
52	केन्द्रीय रेशम बोर्ड प्रेमनगर, देहरादून। (CSB)	1. द्विपज संकर बीज का उत्पादन एवं आपूर्ति	241
53	भारतीय खान ब्यूरो, देहरादून (IBM)	संक्षिप्त परिचय	242
54	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड/जल शक्ति मंत्रालय, देहरादून (CGWB)	(1). GWMR-Monitoring of Ground water level and quality across the State/ जीडब्ल्यूएमआर-राज्य भर में भूजल स्तर और गुणवत्ता की निगरानी। (2). GWMR-Ground water Resource Estimation of Uttarakhand State/ जीडब्ल्यूएमआर-उत्तराखण्ड राज्य का भूजल संसाधन अनुमान (3). GWMR-PMKSY-HKKPGW/डब्ल्यूएमआर-पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-जीडब्ल्यू (4). GWMRIEC activities/ जीडब्ल्यूएमआर आईईसी गतिविधियाँ (5). GWMR Central Ground Water Authority/ जीडब्ल्यूएमआर केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण।	243–245
55	केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून (CWC)	• संक्षिप्त विवरण • उत्तराखण्ड में केन्द्रीय जल आयोग के कार्यों का अवलोकन (1). जल-मौसम संबंधी प्रेषण (2). वास्तविक काल आंकड़ा अधिग्रहण प्रणाली (3). बाढ़ पूर्वानुमान (4). जल गुणवत्ता प्रयोगशाला (5). गंगा नदी पर ई-प्रवाह निगरानी (6). हिमनद झीलों और जलाशय की निगरानी (7). परियोजनाओं का मूल्यांकन और निगरानी (8) बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (DRIP) केन्द्रीय जल आयोग के कार्य में सम्बंधित विभाग • केन्द्रीय जल आयोग के कार्य में सम्बंधित विभाग।	246–248
56	विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय देहरादून।	(1). विपणन सहायता एवं सेवायें क) गांधी शिल्प बाजार ख) अन्य संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में निर्मित स्टॉल को किराए पर लिया जाना। ग) शिल्प प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम (2). डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यक्रम (3). गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (4). टूलकिट वितरण कार्यक्रम (5). कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ क. पेंशन ख. पुरस्कार:-1. शिल्प गुरु पुरस्कार 2. राष्ट्रीय पुरस्कार:-क. शिल्प श्रेणी ख. अभिनव डिजाइन पुरस्कार ग. स्टार्ट-अप उद्यम/उत्पादक कंपनी।	249–252

57	मौसम विज्ञान केन्द्र, देहरादून	संक्षिप्त विवरण (1). मौसम पूर्वानुमान और निगरानी सेवाएँ (2). कृषि मौसम परामर्श सेवा (3). जलवायु विज्ञान और डाटा आपूर्ति सेवाएँ (4). विमानन सेवाएँ।	253–255
58	प्रसार भारती दूरदर्शन केन्द्र, एवं आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून।	(1). प्रसार भारती दूरदर्शन केन्द्र, देहरादून से प्रसारित कार्यक्रमों का विवरण (2). आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित कार्यक्रमों का विवरण।	256–258
59	भारतीय रिजर्व बैंक, वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, देहरादून (RBI)	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं, के विरुद्ध शिकायतों का निवारण रिजर्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS) • अगर आपको शिकायत हो तो क्या करें • RBI लोकपाल से संपर्क कब करें • विनियमित संस्थाओं से 30 दिन के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने पर • विनियमित संस्थाओं से प्राप्त उत्तर असंतोषजनक है • RBI के पास शिकायत कैसे दर्ज करें? • RBI के पास शिकायत दर्ज करने के बारे में अधिक जानकारी कैसे प्राप्त करें।	259–260
60	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, नई दिल्ली (SEBI)	(1). संक्षिप्त परिचय (2). गौरव योजना	261–262
61	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उत्तराखण्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून (NABARD)	(1). MEDP (सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम) (2). LEDP (आजीविका उद्यमिता विकास कार्यक्रम) (3). भौतिक विपणन (4). ई-कामर्स, सोशल मीडिया प्लेटफार्म और ओएनडीसी पर आनलाइन/ डिजिटल मार्केटप्लेस पर उत्पादों के प्रशिक्षण एवं अनुदान योजना। (5). नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फैसिलिटी (AIF) (6). कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम (7). ग्रामीण मार्ट (8). GI टैगिंग	263–267
62	हाऊसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून (HUDCO)	संक्षिप्त परिचय	268
63	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, देहरादून (SIDBI)	(1)एक्प्रेस (2)अराइज (3) स्थापन (4). (4 ई) (5) कार्यशील पूंजी (6). प्रोजेक्ट फंडिंग उत्पाद	269–272

64	चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय देहरादून। (CPMG)	(1)बचत खाता (SB) (2)राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र(NSC) (3)किसान विकास पत्र (KVP) (4)महिला सम्मान बचतपत्र (MSSC) (5)वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) (6)लोक भविष्य निधि (PPF) (7)सुकन्या समृद्धि खाता (SSA) (8)प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) (9).प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना(PMSBY) (10)अटल पेंशन योजना (APY) (11)नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) सिटीजन मंडल (12)डाक जीवन बीमा(PLI) योजनाएं (13)ग्रामीण डाक जीवन बीमा (RPLI) योजनाएं (14)गंगाजल प्रोजेक्ट (15)आधार नामांकन एवं अद्यतन (16)सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (17)माई स्टैम्प (18)ढाई आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता (19)दीनदयाल स्पर्श योजना (20)कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) (21)पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) (22)किसी ग्राम पंचायत में मिनी डाकघर खोलने की प्रक्रिया (23) डाकमित्र बनने की प्रक्रिया	273–278
65	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, देहरादून (SLBC)	• संक्षिप्त परिचय • उत्तराखण्ड में लीड बैंकों का विवरण	279–280
66	भारतीय खाद्य निगम, देहरादून (FCI)	• संक्षिप्त परिचय	281
67	भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ, मर्यादित , देहरादून (NCCF)	1. मूल्य समर्थन योजना–रबी खरीद 2. मूल्य समर्थन योजना–खरीफ खरीद	282
68	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित , ऊधमसिंह नगर (NAFED)	• संक्षिप्त परिचय (1). मूल्य समर्थन योजना–रबी खरीद (2). . मूल्य समर्थन योजना–खरीफ खरीद (3). . किसान उत्पादक संगठनों (FPO) का गठन और संवर्धन (4). किसान उत्पाद संगठन बनाने की प्रक्रिया एवं लाभ (5). भारत ब्रांड योजना (6). पीएसएफ के अंतर्गत खरीदे गए प्याज का रियाती दरों पर खुदरा बिक्री।	283–285
69	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, देहरादून (GSI)	• संक्षिप्त परिचय • भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की विभिन्न मिशनों के तहत मुख्य गतिविधियाँ। • राज्य में आने वाली आपदाओं के समाधानों में जीएसआई का योगदान। • उत्तराखण्ड राज्य के विकास में जीएसआई का योगदान।	286–288
70	भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून (SOI)	(1). सर्वेक्षण एवं मानचित्रण (2). राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति (2022) (3). सी.ओ.आर.एस. (CORS) कन्टीन्युस ओपरेटिंग रिफरेंस स्टेशन (4). . एनएचपी (NHP): नेशनल हाईड्रोग्राफी प्रोजेक्ट (5). एनएमसीजी (NMCG) नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा (6). . स्वामित्व	289–291
71	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, देहरादून (ASI)	• संक्षिप्त परिचय • विज्ञान शाखा • विज्ञान शाखा प्रयोगशालाएँ • किसी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किये जाने की प्रक्रिया एवं विश्व विरासत सूची में किसी स्मारक/स्थल/सांस्कृतिक धरोहर को सूचीबद्ध करने की सूचना	292–293

72	भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग , देहरादून (BSI)	• संक्षिप्त परिचय (1). पादपालय, म्यूजियम उद्यान (2). इन हाउस प्रोजेक्ट झिलमिल कन्जर्वेशन रिजर्व एवं देहरादून की वनस्पति की पिक्टोरियल गाईड बुक (3). . स्कालर अण्डर फलोरा ऑफ इण्डिया	294—295
73	भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग , देहरादून (AnSI)	(1). क्षेत्रीय मानव विज्ञान संग्रहालय (2). अधिसदस्यता (वरिष्ठ अनुसंधान अधिसदस्य / कनिष्ठ अनुसंधान अधिसदस्य) (3). इन्टर्नशिप/ प्रशिक्षण (4). मानव जनसंख्या तथा अनुवांशिकी के अध्ययन तथा विशेष पुस्तकालय	296—297
74	भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (ज्यूलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया) , देहरादून (ZSI)	• संस्थान का संक्षिप्त परिचय (1). प्राणि संग्रहालय एवं शोध-प्रयोगशाला (2). इन हाउस प्रोजेक्ट केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य तथा गंगोत्री नेशनल पार्क, उत्तराखण्ड (3). स्कालरो/ शोधकर्ताओं को फोना आफ इण्डिया कार्यक्रम के अर्न्तगत चयन करना। (4). संस्थान का उत्तराखण्ड में योगदान	298—299
75	राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, देहरादून (NHO)	• संक्षिप्त विवरण	300—301
76	भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून (FSI)	• संक्षिप्त विवरण • प्रशिक्षण • भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के उद्देश्य:	302—303
77	प्रवर्तन निदेशालय, देहरादून (ED)	• संक्षिप्त इतिहास • प्रवर्तन निदेशालय का दायरा • अपराध दर्ज करने के लिए ईडी से संपर्क करने के लिए कुछ सामान्य मार्गदर्शन	304—305
78	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, देहरादून (CBI)	• संक्षिप्त परिचय	306
79	भारतीय मानक ब्यूरो शाखा, देहरादून (BIS)	• संक्षिप्त परिचय एवं कार्य विवरण।	307—309
80	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB)	• संक्षिप्त परिचय एवं कार्य विवरण।	310—311
81	नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जोनल यूनिट देहरादून (NCB)	• संक्षिप्त परिचय एवं कार्य विवरण।	312—313
82	आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, किचनर लाइन्स, लैंसडाउन, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड	• अग्निवीर भर्ती के संबंध में।	314—315
आभार			316
उत्तराखण्ड में स्थापित केन्द्रीय संस्थान/विश्वविद्यालय/विभाग/संगठनों की सूची एवं पूरा पता, वैबसाइट एवं ईमेल आईडी			317—326

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर पौडी (HNBGU)



संक्षिप्त परिचय:— हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, वर्ष 1973 में एक राज्य विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था तथा वर्ष 2009 से केंद्रीय विश्वविद्यालय बन चुका है। यह विश्वविद्यालय विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्नातक/परास्नातक/पीएचडी, तकनीकी पाठ्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा अनुसंधान एजेंडा और अन्य आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इस विश्वविद्यालय से कई कॉलेज भी सम्बद्ध हैं। विश्वविद्यालय वर्तमान में नई शिक्षा नीति की तर्ज पर कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय न्यूनतम शुल्क पर शिक्षा प्रदान कर रहा है तथा विश्वविद्यालय में कई प्रकार की सुविधाएं यथा पुस्तकालय, हॉस्टल, लैब आदि विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध है।

इनोवेशन सेल— विश्वविद्यालय में इनोवेशन सेल की स्थापना शिक्षा मंत्रालय की पहल पर की गयी है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य युवा छात्रों को नए विचारों और प्रक्रियाओं से अवगत कराकर प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना और पोषण करना है, जिसके परिणामस्वरूप एचआईएलएस में इनोवेशन क्लबों के नेटवर्क के माध्यम से उनके प्रारंभिक वर्षों में नवीन गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।

सेंट्रल लाइब्रेरी – सत्र 2022-23 में विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय ने पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं (छात्रों, शोधकर्ताओं और संकाय सदस्यों) के लिए ई-संसाधन और मुद्रित पुस्तकें खरीदी हैं। वर्तमान में, पुस्तकालय के अनुसंधान अनुभाग में पांच लाख से अधिक मुद्रित पुस्तकें, 400+ई-जर्नल, 100+प्रिंट जर्नल, 15000+ई-पुस्तकें, 20+समाचार पत्र और 3500 से अधिक शोधपत्र उपलब्ध हैं और 800 + पूर्ण पाठ शोधपत्र शोधगंगा (भारतीय शोधपत्र का भंडार) में उपलब्ध हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी ने तीन डेटाबेस यानी स्कोप की भी सदस्यता ली है। इन ई-संसाधनों को चौबीसों घंटे और दुनिया भर में मोबाइल ऐप (एम लाइब्रेरी) के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है। सेंट्रल लाइब्रेरी ने साहित्यिक चोरी विरोधी सॉफ्टवेयर यानी आईथेनटिकेट (टर्निटिन) और सीएफपी (चेक फॉर प्लेग) भी खरीदे हैं, जिनका उपयोग साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, केंद्रीय पुस्तकालय हर साल पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन करता है।

डॉ. अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस – डॉ. अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना एक नई पहल है। यह केंद्र, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना के तहत स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करना है।

आउटरीच कार्यक्रम – आउटरीच कार्यक्रम और स्थानीय समाज में अन्य योगदान – विश्वविद्यालय के समस्त विभागों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लैब टू लैंड कार्यक्रम, रक्तदान शिविर का आयोजन, विभिन्न रैलियों, वृक्षारोपण कार्यक्रमों, स्वच्छता अभियान, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं, पोस्टर प्रस्तुतियों और विस्तार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्नत भारत अभियान के तहत पौड़ी जिले में 05 ग्राम पंचायतों के समूह के अंतर्गत गांवों को गोद लिया गया और विभिन्न गतिविधियां संचालित की गई।

एचएनबीजीयू ने विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, विस्तार संगठनों, एनजीओ के बीच मजबूत संबंध शुरू किए हैं और सरकार ने विस्तार गतिविधि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभाग डीबीटी-प्रायोजित परियोजना, खेती, कटाई के बाद के प्रसंस्करण के मानकीकरण का काम कर रहा है। डीबीटी-एचबीएम प्रायोजित परियोजना के तहत नीती घाटी के 12 गांवों में पारंपरिक रूप से मसालों के रूप में उपयोग की जाने वाली चयनित प्रजातियों की सूखी जड़/पत्तियां/बीज की खेती की जाती है। बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने रागी के साथ मूंगफली की अंतरफल खेती शुरू की है। जंतु विज्ञान विभाग, का इरादा हैचरी में स्थानीय मछली महाशीर का बीज विकसित करना और छात्रों को यह कौशल प्रदान करना है ताकि वे मत्स्य पालन में उद्यम कर सकें और इसे अपने जीवन में एक व्यवसाय बना सकें। ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग ने आत्मनिर्भर, कौशल-उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए ग्रामीण समुदाय के उद्यमियों की स्थायी आजीविका और विकास और वृद्धि की दिशा में काम करने वाली आउटरीच गतिविधियां शुरू कीं। उनका मुख्य लक्ष्य छात्रों और किसानों को मशरूम पालन, मधुमक्खी पालन और वर्मीकल्चर पर कौशल प्रदान करने पर है। इसके साथ-साथ विश्वविद्यालय में एक मशरूम स्पॉन लैब स्थापित की गई है। लोक कला एवं संस्कृति निष्पादन केन्द्र में मध्य हिमालय के लोक नृत्यों, लोक गीतों और लोक वाद्य संगीत पर 13 पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटक गाइडों के कौशल विकास हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की पहल से हिमालयन हैरिटेज वॉक का संचालन भी किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर, शोध छात्र के अतिरिक्त संकाय सदस्यों एवं स्थानीय लोगों को भी क्षेत्रीय विरासत का भ्रमण कराया जाता है।

विश्वविद्यालय द्वारा समस्त डिग्री, डिप्लोमा जांच कराये जाने हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 'Digilocker' पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। जिसमें वर्ष 2016 से वर्ष-2023 तक का डाटा अपडेट है।

यदि किसी विद्यार्थी की स्नातक / स्नातकोत्तर, डिग्री/अंकतालिका खो जाती है तो वह पुलिस प्राथमिक सूचना रिपोर्ट, शपथ-पत्र, विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbgu.ac.in में उपलब्ध फॉर्म में उल्लिखित निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त उपाधि/परीक्षा अनुभाग से प्राप्त कर सकता है।

डिग्री/अंकतालिका में नाम, माता-पिता का नाम संशोधन हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट में उपलब्ध फॉर्म में उल्लिखित निर्धारित शुल्क जमा करने एवं पूर्व निर्गत मूल डिग्री/अंकतालिका जमा करने के उपरान्त संशोधित उत्तीर्ण डिग्री/अंकतालिका की द्वितीय प्रति उपरोक्त अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है।

स्नातक/ स्नातकोत्तर करने के उपरान्त परीक्षा परिणाम/अंक आदि डिजिटल रूप में प्राप्त किये जा सकते हैं। मूल अंकतालिका सम्बन्धित कॉलेजों / संस्थानों / महाविद्यालयों से सम्बन्धित छात्र उन्हें प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सहभागिता करने के साथ-साथ मंत्रालयों हेतु विभिन्न शोध परियोजनाओं को भी संचालित करता है, जिसके फलस्वरूप नीतिगत दस्तावेज (Policy Document) भी तैयार करता है। इसका नवीन उदाहरण हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रयासों से 2020 में स्थापित IHCUC के अन्तर्गत भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित 14 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संयुक्त प्रयास से 5 विभिन्न विषयों पर विस्तारित शोध कार्य किया गया, जिसकी आख्या नीति आयोग भारत सरकार को प्रेषित की गयी है। इसके अतिरिक्त भारतीय हिमालय क्षेत्र पर केन्द्रित एक महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज भी नीति आयोग भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

2015 में स्थापित विश्वविद्यालय का संकाय विकास केन्द्र (FDC), भारत सरकार के पं० मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन योजना के तहत नियमित रूप से संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जो उच्च शिक्षा में अकादमिक उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। केन्द्र बहु विषयक संगोष्ठीयों, लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अभिविन्यास और पुनश्चर्य पाठ्यक्रमों के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देश भर के संकाय सदस्यों को निरन्तर प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU),
क्षेत्रीय केन्द्र ननूरखेडा, तपोवन रायपुर रोड देहरादून 248008



संक्षिप्त परिचय :- 1985 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने समावेशी शिक्षा के माध्यम से एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए लगातार प्रयास किया है। इसने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) मोड के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण की पेशकश करके सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को बढ़ाने की कोशिश की है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और उपस्थिति के साथ मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र, नवीन प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों का उपयोग करके सभी को टिकाऊ और शिक्षार्थी-केंद्रित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण तक निर्बाध पहुंच प्रदान करता है तथा मानव संसाधन विकास के लिए मौजूदा प्रणालियों का अभिसरण करता है। विश्वविद्यालय अपने द्वारा प्रदान किए जा रहे शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित सार्वजनिक संस्थानों और निजी उद्यमों के साथ नेटवर्किंग कर रहा है। अब इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया और ऑनलाइन शिक्षण विकसित करने और एकीकृत दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षण के ढांचे के भीतर आधुनिक प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षा के साथ पारंपरिक दूरस्थ शिक्षा वितरण मोड में मूल्य जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। इग्नू द्वारा देश भर के सभी जेल कैदियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। साथ ही देश के सशस्त्र और सुरक्षा बलों में काम करने वाले व्यक्तियों तक पहुंचने का भी प्रयास किया गया है।

इग्नू द्वारा संचालित किसी भी कोर्स/पाठ्यक्रम में प्रवेश करने हेतु अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है, परंतु कुछ कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष अनिवार्य है। इग्नू द्वारा प्रौढ शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु, प्रौढ शिक्षा में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (MAAE) संचालित है। उत्तराखण्ड में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से समावेशी शिक्षा के विकास के लिए, उत्तराखण्ड में कुल 19 केन्द्र हैं, इन केन्द्रों की जानकारी <https://rcdehradun.ignou.ac.in/> इस वैबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं तथा संबंधित केन्द्रों में जाकर, इग्नू के समस्त पाठ्यक्रमों के संबंध में पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। कतिपय योजनाओं/सेवाओं का विवरण निम्नवत है :-

क्रसं	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	अनुसूचित जाति/जनजातीय उपयोजना	संबंधित पाठ्यक्रमों में यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का अभ्यर्थी आवेदन करना चाहता है तो मात्र रु. 300 पंजीकरण शुल्क एवं रु. 200 विकास शुल्क के साथ प्रवेश की सुविधा। 3. यदि कोई आवेदक अज्ञानतावशकार्यक्रम शुल्क का भुगतान कर देता है तो वह राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन करके भी छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकता है।	1. संबंधित विषयों के साथ 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 2. आवेदक के माता-पिता/अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रु. 2.5 लाख से अधिक न हो। 3. अन्य स्रोतों से छात्रवृत्ति न मिलती हो। 4. किसी राजकीय सेवा में कार्यरत न हो।	1. आवेदक इग्नू की वेबसाइट www.ignou.ac.in से जनवरी एवं जुलाई दोनों सत्रों में आवेदन कर सकते हैं। 2. अनिवार्य शुल्क का भुगतान आवेदन के दौरान विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। 3. प्रवेश फार्म में आवेदक द्वारा अपलोड किये गये अनिवार्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के निरीक्षणोंपरांत उक्त कार्यक्रम के लिए नामांकन जारी किया जाता है।
2	अग्निवीरों के लिए 'अग्निपथ योजना'	सशस्त्र बलों द्वारा पेश किए जाने वाले कौशल पाठ्यक्रमों को कौशल शिक्षा के लिए नियामक संस्था, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.वी.ई.टी.) द्वारा अनुमोदित किया जाता है। कौशल शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश के साथ, इस पहल से अग्निवीरों को सेवा के दौरान स्नातक की डिग्री प्राप्त करने में मदद मिलेगी, और सेवा के बाद उनकी रोजगार क्षमता में सुधार होगा।	1. बी.ए.ए.एस.—बैचलर ऑफ आर्ट्स (एप्लाइड स्किल्स) 2. बी.ए.ए.एस.टी.एम.— बैचलर ऑफ आर्ट्स (एप्लाइड स्किल्स) पर्यटन प्रबंधन 3. बी.ए.ए.एस.एम.एस.एम.ई.—बैचलर ऑफ आर्ट्स (एप्लाइड स्किल्स) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम 4. बी.कॉम.ए.एस.—बैचलर ऑफ कॉमर्स (एप्लाइड स्किल्स) 5. बी.एस.सी.ए.एस.— बैचलर ऑफ साइंस (एप्लाइड स्किल्स) *बिन्दु 1 से 4 के लिए पात्रता 10+2 या समकक्ष एवं 5 के लिए 10+2 विज्ञान विषय के साथ।	आवेदक निम्नलिखित लिंक https:// ignou-defence. samarth. edu.in/ से जनवरी एवं जुलाई दोनों सत्रों में आवेदन कर सकते हैं। 2. अनिवार्य शुल्क का भुगतान आवेदन के दौरान विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। 3. प्रवेश फार्म में आवेदक द्वारा अपलोड किये गये अनिवार्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के निरीक्षणोंपरांत उक्त कार्यक्रम के लिए नामांकन जारी किया जाता है। 4. शिक्षार्थियों को भारत भर में चयनित क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से आवश्यक सहायता सेवाएं (जैसे परामर्श सत्र का आयोजन और असाइनमेंट जमा करने की सुविधा आदि) प्रदान की जाती हैं। वर्तमान में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र देहरादून को BAAS कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र बनाया गया है।
3	कौशल विकास	1. प्रशिक्षणार्थियों में व्यावसायिक	कौशल विकास केन्द्रों के नियमित	1. आवेदक इग्नू की वेबसाइट www.ignou.ac.in

	केन्द्रों पर इग्नू के विस्तारण केन्द्रों की स्थापना	और तकनीकी प्रशिक्षण ढांचे को और मजबूत करना। 2. राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एन.एस.टी.आई.), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.), प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (पी.एम.के.के.) और जन शिक्षण संस्थानों (जे.एस.एस.) से जुड़े प्रशिक्षणार्थियों, को इस कार्यक्रम से लाभ होगा।	प्रशिक्षणार्थी इन विस्तारण केन्द्रों पर इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं।	ignou.ac.in से जनवरी एवं जुलाई दोनों सत्रों में आवेदन कर सकते हैं। 2. अनिवार्य शुल्क का भुगतान आवेदन के दौरान विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। 3. प्रवेश फार्म में आवेदक द्वारा अपलोड किये गये अनिवार्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के निरीक्षणोंपरांत उक्त कार्यक्रम के लिए नामांकन जारी किया जाता है।
4	नई शिक्षा नीति 2020 के तहत विभिन्न नये कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन	कौशल विकास आधारित कार्यक्रम प्रशिक्षणार्थियों में कौशल का विकास करके उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में उपयोगी साबित होगा।	1. सी.ओ.एफ— 10+2 या समकक्ष 2. डी.डी.टी.— 10+2 या समकक्ष 3. सी.पी.एफ— 8वीं पास 4. सी.आई.एस.—10वीं पास या जिनके पास रेशम उत्पादन के क्षेत्र में दो साल का अनुभव हो। अनुभव प्रमाण पत्र रेशम उत्पादन/ कृषि/विस्तार/मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों/उद्योग विभाग के विस्तार अधिकारियों द्वारा जारी होना चाहिए। 5. सी.आई.बी.— 8वीं पास या पेशेवर मधुमक्खी पालक 6. सी.बी.एस.— 10+2 या समकक्ष 7. सी.सी.आई.टी.एस.के.—अंग्रेजी विषय के साथ 10+2 8. सी.आई.टी.— 10वीं पास या माइक्रोसॉफ्ट से डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रम 9. सी.पी.एल.टी.— विज्ञान विषयों के साथ 10+2 या समकक्ष और	1. आवेदक इग्नू की वेबसाइट www.ignou.ac.in से जनवरी एवं जुलाई दोनों सत्रों में आवेदन कर सकते हैं। 2. अनिवार्य शुल्क का भुगतान आवेदन के दौरान विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। 3. प्रवेश फार्म में आवेदक द्वारा अपलोड किये गये अनिवार्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के निरीक्षणोंपरांत उक्त कार्यक्रम के लिए नामांकन जारी किया जाता है।

			स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय विज्ञानप्रयोगशाला में काम करने का एक वर्ष का अनुभव या विज्ञान विषयों के साथ 10वीं पास या समकक्ष और स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय विज्ञान प्रयोगशाला में काम करने का दो साल का अनुभव 10. सी.एफ.ई.-10+2 या समकक्ष 11. सी.टी.ई.- स्नातक या 3 साल का B.EL.ED या 2 साल का P.T.T., E.T.T. या 10+2 के साथ 2 साल का शिक्षण अनुभव	
5	आई.टी.आई प्रशिक्षणार्थियों के लिए उच्च शिक्षा उन्नयन के कार्यक्रमों का संचालन	1. बी.ए.वी.टी.एम.- यह कार्यक्रम यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में एक समर्पित और कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए है। 2. बी.ए.वी.एम.एस.एम.ई.- यह कार्यक्रम उभरते उद्यमियों की वर्तमान जरूरतों को पूरा करता है और व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के लिए ज्ञान और कौशल विकसित करने में सहायता करता है।	1. बी.ए.वी.टी.एम.-10+2 या समकक्ष (शुल्क-15500/-) 2. बी.ए.वी.एम.एस.एम.ई.- 10+2 या समकक्ष (शुल्क-15500/-)	1. आवेदक इग्नू की वेबसाइट www.ignou.ac.in से जनवरी एवं जुलाई दोनों सत्रों में आवेदन कर सकते हैं। 2. अनिवार्य शुल्क का भुगतान आवेदन के दौरान विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। 3. प्रवेश फार्म में आवेदक द्वारा अपलोड किये गये अनिवार्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के निरीक्षणोंपरांत उक्त कार्यक्रम के लिए नामांकन जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) क्षेत्रीय केन्द्र, देहरादून।



संक्षिप्त परिचय :- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) पहले राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (रा.मु.वि.) के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना सन् 1979 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), नई दिल्ली की एक परियोजना के रूप में हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई-1986) के प्रावधानों के अनुपालन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 23 नवंबर, 1989 को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (रा.मु.वि.) को एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया। दिनांक 14 सितंबर, 1990 को भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा इस संस्थान को पूर्व-स्नातक पाठ्यक्रमों में पंजीकृत शिक्षार्थियों की परीक्षा लेने और उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान करने का अधिकार दिया गया, जो 20 अक्तूबर, 1990 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य “शिक्षा वंचितों तक शिक्षा पहुंचाना” था। इसके दायरे और कार्यों को बढ़ाते हुए जुलाई, 2002 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (रा.मु.वि.) का पुनः नामकरण राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के रूप में किया गया।

लक्ष्य समूह

एनआईओएस विश्व की सबसे बड़ी मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली है, जो सामान्य शिक्षार्थियों के साथ-साथ, अपने प्राथमिकता प्राप्त लक्ष्य समूहों को भी शिक्षित करता है, जिनके अंतर्गत 6-14 वर्ष की आयु समूह के बच्चे तथा 14 वर्ष या उससे अधिक आयु के किशोर/प्रौढ़, बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले तथा दरकिनार किए गए ऐसे लोग शामिल हैं जैसे-गाँव के युवा, शहरी निर्धन, बालिकाएँ तथा महिलाएँ, कार्यरत पुरुष एवं महिलाएँ अनुसूचित जाति

और अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक एवं समाज के कमजोर वर्ग। इस समय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में दादर एवं नागर हवेली को छोड़कर भारत के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों और विदेशों से लगभग 4.13 मिलियन शिक्षार्थियों सहित जिसमें डी.एल.एड. के उम्मीदवारों ने भी नामांकन कराया है— जो यह दर्शाता है कि मुक्त विद्यालयी शिक्षा समाज के एक बड़े वर्ग तक पहुँचने का अथक प्रयास कर रही है।

प्रवेश

विभिन्न समूहों के शिक्षार्थियों को शिक्षित करने के लिए एनआईओएस 10वीं (हाईस्कूल) एवं 12वीं (इंटर) के शैक्षिक पाठ्यक्रमों अर्थात् माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक में प्रवेश के लिए चार निम्न स्ट्रीम हैं।

(i) स्ट्रीम 1 में प्रवेश सभी शिक्षार्थियों के लिए ऑन लाइन (24x7) वर्ष भर खुला है।

प्रथम ब्लॉक : 16 मार्च से 15 सितंबर

द्वितीय ब्लॉक : 16 सितंबर से 15 मार्च

प्रथम ब्लॉक के शिक्षार्थी प्रवेश के अगले वर्ष की अप्रैल परीक्षा में तथा द्वितीय ब्लॉक के शिक्षार्थी अगले वर्ष की सितंबर परीक्षा में बैठ सकते हैं।

(ii) स्ट्रीम 2 में प्रवेश उन सभी शिक्षार्थियों के लिए वर्ष भर खुला है जो किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड की माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर की सार्वजनिक परीक्षा में बैठे तो थे, परन्तु परीक्षा पास नहीं कर पाये अथवा ऐसे उत्तीर्ण शिक्षार्थी जो माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए एक अथवा चार विषयों में आंशिक प्रवेश लेना चाहते हैं। प्रवेश मई से जून तक खुला रहता है, प्रवेश लिए हुए योग्य शिक्षार्थी उसी वर्ष की अक्तूबर-नवंबर परीक्षा में बैठ सकते हैं।

(iii) स्ट्रीम-3 में प्रवेश उन शिक्षार्थियों के लिए वर्ष भर खुला है जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक स्तर की सार्वजनिक परीक्षा में बैठे तो थे परन्तु पास नहीं कर पाए या उन शिक्षार्थियों के लिए है जो अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए एक अथवा चार विषयों में आंशिक प्रवेश लेना चाहते हैं और एनआईओएस की 'जब चाहो तब परीक्षा' (ओड्स) प्रणाली द्वारा केवल माध्यमिक स्तर के लिए परीक्षा देना चाहते हैं।

(iv) स्ट्रीम 4 में प्रवेश उन शिक्षार्थियों के लिए वर्ष भर खुला है जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक स्तर की सार्वजनिक परीक्षा में बैठे तो थे परन्तु पास नहीं कर पाए या उन शिक्षार्थियों के लिए है जो अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए एक अथवा चार विषयों में आंशिक प्रवेश लेना चाहते हैं और एनआईओएस को 'जब चाहो तब परीक्षा' प्रणाली द्वारा केवल उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए परीक्षा देना चाहते हैं।

क्रेडिट स्थानांतरण (टीओसीओ) : एनआईओएस में किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड से अनुत्तीर्ण विद्यार्थी अधिकतम किन्हीं दो पास विषयों में ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट (Transfer of Credit) ले सकते हैं, एवं एनआईओएस से कम से कम तीन विषय प्रमाण पत्र के लिए पास करने अनिवार्य हैं। अन्य सेवाओं/योजनाओं का विवरण निम्नवत है :-

क्र. सं.	सेवा/योजना	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	कक्षा 10 (माध्यमिक पाठ्यक्रम) (31 जुलाई को 14 वर्ष की आयु पूर्ण हो)	कक्षा 10 साक्षर होना	1. जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति उन सभी के लिए जिनका जन्म 26-01-1989 को अथवा उसके बाद हुआ हो । अथवा 2. भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट की सत्यापित प्रति । अथवा 3. पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का पत्र/स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जिसमें आवेदक की जन्म-तिथि लिखी हो । सरकारी विद्यालय के मामले में स्थानांतरण प्रमाण-पत्र/विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र पर प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर होने चाहिए जबकि प्राइवेट विद्यालय होने पर उसे राज्य के सक्षम शिक्षा प्राधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए । अथवा 4. भारत सरकार की संबन्धित एजेंसी द्वारा जारी आधार कार्ड की सत्यापित प्रति ।	एनआईओएस की वेबसाइट https://sdmis.nios.ac.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें । संबंधित पाठ्यक्रम हेतु फीस विषयों के चयन तथा सामान्य वर्ग/ छूट प्राप्त वर्ग पर आधारित होती है । कक्षा 10 एवं 12 हेतु आवेदन पूरे वर्ष भर कभी भी ऑनलाइन किए जा सकते हैं । यदि किसी भी अभ्यर्थी को एनआईओएस परीक्षा के संबंध में जानकारी लेनी हो तो, हर जिले में बहुत सारे मान्यता प्राप्त/प्रत्यायित स्कूल हैं जिनसे समस्त जानकारी ली जा सकती है । प्रत्यायित स्कूलों की सूची आप एनआईओएस की वेबसाइट https://sdmis.nios.ac.in/ पर जाकर पूरे उत्तराखंड में स्थित स्कूल देख सकते हैं । परीक्षा सामान्यतः वर्ष में 02 बार—अप्रैल/मई तथा अक्टूबर व नवम्बर में होती है ।
2.	कक्षा 12 (उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम) (31 जुलाई को 15 वर्ष की आयु पूर्ण हो)	कक्षा 12 साक्षर होना	किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक/हाईस्कूल परीक्षा के प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति जिसमें जन्मतिथि अंकित हो । (उच्चतर माध्यमिक प्रवेश हेतु आयु का कोई भी अन्य प्रमाण मान्य नहीं होगा ।)	

3.	100 से ज्यादा व्यावसायिक पाठ्यक्रम	व्यावसायिक दक्षता	जन्म तिथि का वैध प्रमाण (जैसे आधार कार्ड पर जन्म तिथि। दिन, माह, वर्ष के प्रारूप में मुद्रित, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, चालन लाइसेंस तथा जन्म प्रमाणपत्र इत्यादि।	एनआईओएस की व्यावसायिक पाठ्यक्रम की वेबसाइट https://voc.nios.ac.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। संबंधित पाठ्यक्रम के चयन पर, फीस एवं पाठ्यक्रम की अवधि आधारित होती है। किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। इन पाठ्यक्रमों की न्यूनतम अवधि 6 महीने तथा अधिकतम अवधि 2 साल की है।
4.	मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम (ओबीई)	मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम (ओबीई) स्तर A – कक्षा 3 के स्तर B – कक्षा 5 के समकक्ष स्तर C – कक्षा 8 के समकक्ष का प्रमाण पत्र मिलता है।	1. जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति उन सभी के लिए जिनका जन्म 26-01-1989 को अथवा उसके बाद हुआ हो। अथवा 2. भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट की सत्यापित प्रति। अथवा 3. पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का पत्र/स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जिसमें आवेदक की जन्म-तिथि लिखी हो। सरकारी विद्यालय के मामले में स्थानांतरण प्रमाण-पत्र/विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र पर प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर होने चाहिए जबकि प्राइवेट विद्यालय होने पर उसे राज्य के सक्षम शिक्षा प्राधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए। अथवा 4. भारत सरकार की संबन्धित एजेंसी द्वारा जारी आधार कार्ड की सत्यापित प्रति।	एनआईओएस की वेबसाइट https://sdmis.nios.ac.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम (ओबीई) की न्यूनतम फीस रुपये 300/- तथा अधिकतम फीस रुपये 800/- है। इन कक्षाओं में प्रतिभाग करने हेतु न्यूनतम आयु स्तर कक्षा A के लिए 6 वर्ष, स्तर B के लिए 6-14 वर्ष तथा स्तर C के लिए 14 वर्ष है। अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है।
5	एनएचएम के सहयोग से आशा परियोजना	एनएचएम के सहयोग से आशा परियोजना	8वीं पास तथा आभा कार्ड एवं आधार कार्ड	एनआईओएस की वेबसाइट https://voc.nios.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)
क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून, उत्तराखण्ड



क्र. स	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	द्वितीय शैक्षणिक दस्तावेज प्रणाली (DUPLICATE ACADMIC DOCUMENT SYSTEM)	DADS से छात्र/छात्राएं कक्षा 10वीं एवं 12वीं की (द्वितीय) शैक्षणिक प्रमाणपत्र अपना पूरा विवरण यथा-क्रमांक, वर्ष, फीस (डाक शुल्क सहित), पूरा पता आदि भरकर अपने घर बैठे ही अपने वांछित दस्तावेजों को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रणाली से छात्र/छात्राओं का शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की द्वितीय प्रति प्राप्त करना काफी सुगम हो गया है।	विश्वभर में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कक्षा 10वीं व 12वीं उत्तीर्ण सभी छात्र।	आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन है, जो कि निम्न लिंक के द्वारा किया जा सकता है – https://cbseit.in/cbse/web/dads/home.aspx प्रमाणपत्र का शुल्क ऑनलाईन जमा कराना होता है। वर्षवार प्रमाणपत्र के लिए शुल्क का ब्यौरा इस प्रकार है:- (क) उत्तीर्ण होने के वर्ष से 5 वर्ष तक शुल्क रु 250/- मात्र। (ख) उत्तीर्ण होने के वर्ष से 5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक शुल्क रु 500/-। (ग) उत्तीर्ण होने के 10 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष तक शुल्क रु 1000/- (घ) उत्तीर्ण होने के वर्ष से 20 वर्ष से अधिक तक शुल्क रु 2000/- 2. माइग्रेशन प्रमाणपत्र रु 250/- 3. द्वितीय शैक्षणिक दस्तावेज के लिए शुल्क के अतिरिक्त अत्यावश्यक/तत्काल शुल्क रु 500/- 4. डाक शुल्क अतिरिक्त। (अंक प्रमाणपत्र, सनद या उत्तीर्णता प्रमाणपत्र व प्रवास प्रमाणपत्र) मुख्य बेवसाइट https://cbseit.in/cbse/web/dads/home.aspx
2.	डिजिलॉकर	छात्र/छात्रों के बोर्ड से निर्गत शैक्षणिक दस्तावेजों (अंक प्रमाणपत्र व प्रवास प्रमाणपत्र) की डिजिटल प्रतियां संग्रहित हैं जिसे छात्र लॉगिन कर निशुल्क	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कक्षा 10वीं व 12वीं उत्तीर्ण सभी छात्र/छात्राएं।	https://www.digilocker.gov.in/cbse पर छात्र पंजीकृत कर आधार नम्बर से लिंक करके 10वीं व 12वीं के अंक प्रमाणपत्र व प्रवास प्रमाणपत्र की डिजिटल प्रति डाउनलोड कर सकते हैं।

		डाउनलोड कर सकता है।		
3.	API SETU	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं के परीक्षार्थियों के अंकतालिका का सत्यापन विभिन्न विभागों (सरकारी व निजी संस्थान) द्वारा इस प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।	देश के सभी सरकारी व निजी संस्थान जोकि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं व 12वीं उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें के शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हों।	विभाग/संस्था (सरकारी व निजी संस्थान) को सबसे पहले पोर्टल https://apisetu.gov.in/ पर पंजीकृत करना होगा और निर्धारित शुल्क ऑनलाईन जमा कराना होगा। एक बार विभाग द्वारा अपने को इस प्रणाली/पोर्टल में पंजीकृत करने के उपरान्त वह केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं व 12वीं उत्तीर्ण सभी छात्रों के शैक्षणिक दस्तावेजों का ऑनलाईन सत्यापन अपने स्तर पर कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये बोर्ड द्वारा परिपत्र https://www.cbse.gov.in/cbsenew/documents//Verification Educational documents CBSE 13012023.pdf दिनांक 13.01.2023 जारी किया गया है।
4.	बोर्ड के संबद्धता उप-नियम	संबद्धता प्राप्त करना एवं नए विद्यालयों को संबद्धता उप-नियम की जानकारी उपलब्ध कराना।	राज्य सरकार के विद्यालयों एवं अन्य बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों का Switch Over श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करना।	राज्य सरकार के अंतर्गत सभी विद्यालय एवं अन्य बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने हेतु https://saras.cbse.gov.in/SARAS/Home/landingnew# पर लॉगिन कर सशुल्क आवेदन कर सकते हैं। संबद्धता उप-नियम की जानकारी https://saras.cbse.gov.in/cbse_aff/attachment/onlineservices/affiliation-Bye-Laws.pdf पर उपलब्ध है। कोई विद्यालय सी0बी0एस0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं, इसकी जांच कोई अभिभावक/आमजन/विद्यार्थी द्वारा निम्न लिंक https://saras.cbse.gov.in/SARAS/AffiliatedList/ListOfSchdirReport से की जा सकती है।

5.	अर्न्तविद्यालय (Inter School) कक्षा 10वीं एवं 12वीं में सीधा प्रवेश	कक्षा 10वीं/12वीं में सीधे प्रवेश की प्रोसेसिंग शुल्क रु. 5,000/- का छूट का प्रावधान।	राज्य सरकार, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा संचालित विद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थी।	बोर्ड मुख्यालय के पत्र No. COORD/LOC/2020 दिनांक 09.10.2020 के अनुसार राज्य सरकार, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा संचालित विद्यालय को कक्षा 10वीं/12वीं में केवल सीधे प्रवेश की प्रोसेसिंग शुल्क रु.5,000/-में छूट का प्रावधान है।
6	विषय परिवर्तन	कक्षा 9वीं/11वीं में विद्यार्थी को कक्षा 10वीं/12वीं में विषय परिवर्तन।	बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी।	परीक्षा उप-नियम के संख्या 26 के अनुसार किसी भी परीक्षार्थी को कक्षा 09वीं अथवा कक्षा 11वीं, जैसा भी मामला हो, उत्तीर्ण करने के बाद अध्ययन के विषय में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाती परंतु फिर भी अभ्यर्थी को व्यर्थ कठिनाई से बचाने के लिए एवं उसके हित को देखते हुए कक्षा 10वीं / कक्षा 12वीं में विषय परिवर्तन की अनुमति प्रोसेसिंग शुल्क रु. 1,000/- लेते हुए प्रदान कर दी जाती है
7	कक्षा 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम	कक्षा 10वीं एवं 12वीं के वर्तमान व पूर्व वर्षों का परीक्षा परिणाम।	सभी विद्यालय/ विश्वविद्यालय/ विद्यार्थी/सरकारी-गैर सरकारी संस्थान।	कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं के वर्तमान एवं पूर्व वर्ष का परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट https://results.cbse.nic.in/ पर उपलब्ध है।
8	अंको के मूल्यांकन, मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी एवं उत्तर (रों) का पुनर्मूल्यांकन	कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंको से असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए पुनर्मूल्यांकन की सुविधा।	बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी।	यदि 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणाम के अंको से छात्र/ छात्रायें संतुष्ट नहीं हैं तो प्रत्येक वर्ष परीक्षा परिणाम जारी होने के पश्चात बोर्ड द्वारा प्रत्येक छात्र/छात्रा को अंको से संबंधित संशय को स्पष्ट करने के लिए एक निश्चित अवधि में अंको के सत्यापन, उत्तर पुस्तिका की प्रतिलिपि प्राप्त करने एवं प्रश्नगत उत्तरों को पुनर्मूल्यांकन करवाने का अवसर दिया जाता है। इसके लिए छात्र/छात्रा को उक्त निश्चित अवधि में CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने अनुक्रमांक के द्वारा आवेदन करना होता है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम

				घोषित होने के उपरान्त उनके अंको के मूल्यांकन, मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी एवं उत्तर (रों) के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा प्रदान की जाती है जिसका नोटिफिकेशन प्रत्येक वर्ष मुख्य व पूरकपरीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है जोकि बोर्ड के वेबसाइट www.cbse.gov.in पर भी देखी जा सकती है।
9	ई हरकारा e-HARKARA	प्रकरणों का त्वरित प्रेषण व बोर्ड द्वारा निष्पादन।	बोर्ड से संबद्धता प्राप्त समस्त विद्यालय।	बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त सभी विद्यालय अपने विभिन्न प्रकरणों को बोर्ड को त्वरित निष्पादन हेतु इलेक्ट्रॉनिक मोड https:// cbseit.in/cbse/web/Nirakaran/Split /Split (e-HARKARA) के माध्यम से अपने अनुरोध भेजना, विद्यालयों के लिए रेपिड कम्युनिकेशन सिस्टम है (इस माध्यम से पेपरलेस काम काज को सक्षम करने के लिए, फाईल के निर्माण, संदर्भ, पत्राचार संलग्नक, अनुमोदन और अंत में फाइलों के साथ – साथ रसीदों की आवाजाही और ट्रेकिंग के साथ पत्राचार को करना, दर्ज करना और रूट करना आदि इसमें शामिल है।)
10	शिकायत एवं सुझाव	शिकायत/सुझाव हेतु हेल्पलाइन	सभी विद्यालय/विद्यार्थी/सरकारी – गैर सरकारी संस्थान/आम नागरिक।	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के अंतर्गत आने वाले किसी भी संबद्धता प्राप्त विद्यालय से संबंधित शिकायत/सुझाव हेतु आवेदक/शिकायतकर्ता हेल्पलाइन 0135-2757744, 0135-2557766 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड की वेबसाइट https://www.cbse.gov.in/cbsenew/contact-us.html#_reg पर उपलब्ध सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के दूरभाष नंबर या ई-मेल आई.डी. पर भी संपर्क किया जा सकता है।
11	छात्र/छात्रा के कक्षा 10वीं व 12वीं शैक्षणिक दस्तावेजों में विवरण संशोधन।	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं में छात्र/छात्रा के विवरण जैसे कि छात्र/छात्रा के नाम, माता का नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि में संशोधन करवाने का प्रावधान	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कक्षा 10वीं व 12वीं उत्तीर्ण सभी छात्र।	यदि किसी छात्र/छात्रा को 10वीं, 12वीं परीक्षा के अंकपत्रों एवं प्रमाण पत्रों में उल्लिखित विवरण में संशोधन करना हो तो, छात्र/छात्रा की कक्षा 10वीं व 12वीं में छात्र के नाम व माता-पिता के नाम में संशोधन हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित परीक्षा उप-नियम 69.1 के अनुसार परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद निश्चित समय अवधि 10 वर्ष व छात्र की जन्मतिथि में संशोधन हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित परीक्षा उपनियम 69.2 के अनुसार निश्चित समय अवधि 5 वर्ष के भीतर ही विचार किया जाता है और संशोधन हेतु सभी दस्तावेज विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं, जिनकी सूची परीक्षा उप-नियम 69.1 और 69.2 में दी गई है।

		है।	विद्यालय द्वारा संशोधन हेतु आवेदन करने के लिए कोई समय अवधि नहीं है। और बोर्ड द्वारा कोई भी फीस निर्धारित नहीं है। फिर भी यहां यह बताना उचित होगा कि सुधार हेतु अनुमति मिलने के उपरांत बोर्ड द्वारा विद्यालय से रु 1000/- संशोधन शुल्क व रु 250/- प्रति दस्तावेज़ (कक्षा 10वीं व संबंधित आवेदन हेतु कोई 12वीं का अलग-अलग) लिया जाता है (पोस्ट शुल्क रु 50/- अलग से)। छात्र संशोधन हेतु अनुरोध संबद्ध विद्यालय के द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों सहित, बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं। बोर्ड के परीक्षा उप नियम मुख्य बेवसाइट https:// www.cbse.gov.in/cbsenew/examinationbyelaws.html में उल्लिखित है।
--	--	-----	--

भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, (IIRS) कालिदास रोड, देहरादून



संक्षिप्त परिचय :- भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आईआईआरएस) – भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार की एक घटक इकाई है। आईआईआरएस दक्षिण पूर्व एशिया में प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोगों में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाता है। संस्थान के प्रशिक्षण, शिक्षा और क्षमता निर्माण कार्यक्रम कामकाजी स्तर के पेशेवरों, नए स्नातकों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और निर्णय निर्माताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। आईआईआरएस पृथ्वी अवलोकन (ईओ) डेटा के प्रभावी उपयोग के लिए केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों और हितधारक विभागों के अधिकारियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए पाठ्यक्रम संचालित करने वाले सबसे अधिक मांग वाले संस्थानों में से एक है। आईआईआरएस को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत भी सूचीबद्ध किया गया है, जो 2001 से आईटीईसी सदस्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को अल्पकालिक नियमित और विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करता है। अपनी पहुंच को व्यापक बनाने के लिए, आईआईआरएस ने 2007 से लाइव और इंटरैक्टिव डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम (डीएलपी) शुरू किया है। आईआईआरएस ने अगस्त, 2014 से रिमोट सेंसिंग और भू-सूचना

विज्ञान पर ई-लर्निंग पाठ्यक्रम भी शुरू किया है। विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी (पात्रता/ आवेदन प्रक्रिया इत्यादि), संस्थान की वेबसाइट (www.iirs.gov.in; hindi.iirs.gov.in; <https://admissions.iirs.gov.in/coursecalender>) पर उपलब्ध है।

संस्थान द्वारा पी.जी डिप्लोमा कोर्सों का भी आयोजन किया जाता है। पी.जी. डिप्लोमा कोर्स में उत्तराखंड के साथ-साथ अन्य राज्य के विद्यार्थी भी भाग लेते हैं। प्रत्येक वर्ष संस्थान अपना कोर्स कैलेंडर अपनी वेबसाइट पर अपडेट करता है। जिसके माध्यम से सभी उत्तराखंड तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थी प्रवेश <https://admissions.iirs.gov.in/coursecalender> लेते हैं। विभिन्न ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी (पाठ्यक्रम शुल्क/धनराशि /पात्रता/आवेदन प्रक्रिया इत्यादि), हमारे संस्थान की वेबसाइट (<https://elearning.iirs.gov.in>, <https://www.iirs.gov.in/EDUSAT-News>) पर उपलब्ध है एवं समय समय पर अपडेट की जाती है। इन सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों में पुरुष एवं महिलाएँ पात्रता के आधार पर भाग ले सकती हैं।

राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए, आपदा प्रबंधन विज्ञान विभाग लघु पाठ्यक्रम और एनडीएमए द्वारा प्रायोजित पाठ्यक्रम में प्रतिभागी प्रदान करता है, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए खुले होते हैं। एनडीएमए द्वारा प्रायोजित पाठ्यक्रम में प्रतिभागी एनडीएमए द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त इनपुट के आधार पर नामित किए जाते हैं, जबकि आईआईआरएस द्वारा सीधे प्रदान किए गए आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम उन सभी प्रतिभागियों के लिए खुले होते हैं जिनके पास न्यूनतम आवश्यक योग्यता होती है। यदि राज्य सरकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी द्वारा आपदा प्रबंधन के किसी विशेष क्षेत्र में अपने कर्मचारियों की क्षमता निर्माण करना चाहता है, तो आईआईआरएस राज्य के कर्मचारियों के लिए एक कस्टम पाठ्यक्रम आयोजित कर सकता है। इस मामले में, पाठ्यक्रम का खर्च राज्य सरकार को वहन करना होगा, जो प्रति प्रतिभागी लगभग INR 16,000/- है, और इसमें न्यूनतम 20 प्रतिभागियों की आवश्यकता होती है।

यदि राज्य सरकार का कोई विभाग राष्ट्रीय हित के लिए मानचित्र/डेटाबेस तैयार करवाना चाहता हो तो, संस्थान मानचित्र तथा डेटाबेस तैयार कर सकता है, परंतु इस हेतु संबंधित विभाग, निदेशक, भा.सु.सं.सं. को पत्र/ईमेल भेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में हो रहे अवैध निर्माण को रोकने, नियोजन करने हेतु आईआईआरएस का शहरी अध्ययन विभाग (यूआरएसडी) शहरी अध्ययनों में रिमोट सेंसिंग डेटा के अनुप्रयोगों पर कोर्स आयोजित करता है। किसी भी विशेष कोर्स के लिए संबंधित विभाग द्वारा आईआईआरएस के निदेशक को अनुरोध भेजा जा सकता है।

यदि संस्थान में स्कूली छात्र-छात्राओं का भ्रमण कराना हो तो, स्कूल/कॉलेज/यूनिवर्सिटी के छात्र/छात्राएं शैक्षणिक भ्रमण के लिए हमारे संस्थान में आ सकते हैं। इसके लिए स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय के प्रमुख/ प्रिंसिपल/डीन/निदेशक द्वारा शैक्षणिक भ्रमण के निवेदन एवं इच्छुक छात्रों और शिक्षकों की सूची को समूहाध्यक्ष, का.नि.मू.स. की ईमेल आईडी: ppeg@iirs.gov.in पर भेजा जा सकता है। भ्रमण की तारीख और समय को आईआईआरएस द्वारा उपलब्धता के आधार पर अनुमोदित किया जाता है। भ्रमण के समय आगंतुकों को भारत सरकार द्वारा जारी एक वैध फोटो पहचान पत्र एवं स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र अपने साथ लाना अनिवार्य होता है।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, (IIP) देहरादून



भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की छत्रछाया में घटक प्रयोगशालाओं में से एक, 14 अप्रैल, 1960 को स्थापित किया गया था। संस्थान हाइड्रोकार्बन और संबंधित उद्योगों के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के बहु-विषयक क्षेत्रों के लिए समर्पित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के पास प्रक्रिया और उत्पाद विकास (प्रयोगशाला/बेंच/पायलट स्केल) में अनुभव और विशेषज्ञता है। संस्थान तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन, प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, ऊर्जा ऑडिट और रासायनिक संयंत्रों में संरक्षण, वाहन प्रदूषण उन्मूलन, आईसी इंजनों में वैकल्पिक ईंधन के उपयोग और उत्पाद लक्षण वर्णन में भी शामिल है। संस्थान ने बड़ी संख्या में प्रक्रियाएं और प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं और उनमें से कई को उद्योग में स्थानांतरित कर दिया गया है। देश की लगभग हर रिफाइनरी के पास संस्थान द्वारा लाइसेंस प्राप्त उत्पाद/प्रौद्योगिकी है। बीआईएस विनिर्देशों के साथ पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यांकन के लिए परीक्षण तकनीकें भी विकसित की गई हैं। संस्थान ने अनुबंध अनुसंधान और तकनीकी सेवाओं के लिए वैश्विक गठजोड़ भी स्थापित किया है और भारत और विदेशों में पेटेंट दायर/अनुदान किया है।

सीएसआईआर-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी (एसीआईआर) के तत्वावधान में रासायनिक, जैविक, भौतिक और इंजीनियरिंग विज्ञान में पीएचडी कार्यक्रम संचालन करता है। पीएचडी प्रवेश वर्ष में दो बार जनवरी और अगस्त सत्र के लिए आयोजित किया जाता है। इसके लिए आवेदन निम्नलिखित वेबसाइटों पर आमंत्रण किया जाता है। www.iip.res.in or www.acsir.res.in

संस्थान में स्कूली बच्चों का भ्रमण जिज्ञासा कार्यक्रम के अन्तर्गत कराया जाता है इसके लिये निदेशक भारतीय पेट्रोलियम संस्थान या डॉ० आरती प्रधान वैज्ञानिक, जोकि जिज्ञासा की समन्वयक है उनको ईमेल के माध्यम से सम्पर्क किया जा सकता है। director@iip.res.in, aarti@iip.res.in

संस्थान द्वारा किये जा रहे अन्य कार्य निम्नवत हैं :-

क्र सं	योजना / सेवा का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयनप्रक्रिया
1	कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।	ये उच्च स्तरीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम स्नातकोत्तर छात्रों/संकायों के लिए वैज्ञानिक क्षेत्र में उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी हैं।	प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अपनी अलग पात्रता होती है जो आमतौर पर कार्यक्रम के अनुसार विज्ञान के क्षेत्र में स्नातक/ स्नातकोत्तर होती है।	प्रशिक्षण का कार्यक्रम समय- समय पर जारी किया जाता है। कोई भी व्यक्ति आईआईपी वेबसाइट www.iip.res.in से आवेदन पत्र डाउनलोड कर आवेदन कर सकता है। आवेदक को बाद में इस पर और मार्गदर्शन दिया जाता है। कार्यक्रम की विषय-वस्तु के आधार पर अलग-अलग कार्यक्रमों की अवधि और शुल्क अलग-अलग होते हैं। वर्तमान में मौजूदा कार्यक्रमों की अवधि 2 से 8 सप्ताह तक है। इस प्रशिक्षण के लिए धनराशि का भुगतान - छात्रों / बेरोजगार युवाओं के लिए के यह 1000/- प्रति सप्ताह है और नियोजित/ प्रायोजित/ छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए यह 2500/- प्रति सप्ताह है।
2	विश्लेषणात्मक सीएसआईआर (AnalytiCSIR) पोर्टल	प्राप्त नमूनों को विश्लेषणात्मक/ लक्षणीकरण सहायता प्रदान करना। हमारी विशेषज्ञता हाइड्रोकार्बन विश्लेषण समरूप और विषम नमूनों के भौतिक गुणों के साथ-साथ तत्व विश्लेषण के लिए है।	शैक्षणिक संस्थानों/ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए	सीएसआईआर (AnalytiCSIR) पोर्टल www.analyticsir.in के माध्यम से प्राप्त नमूनों का परीक्षण करना।
3	अपशिष्ट प्लास्टिक प्रौद्योगिकी	सीएसआईआर-आईआईपी द्वारा विकसित अपशिष्ट प्लास्टिक प्रौद्योगिकी से विभिन्न उत्पादों में से किसी एक का विशिष्ट उत्पादन जैसे कि एलपीजी के साथ-साथ गैसोलीन या डीजल या एरोमेटिक्स प्राप्त होता है। शोध कार्य के लिए अपशिष्ट	अपशिष्ट प्लास्टिक	शोध कार्य हेतु जो संस्थान, उद्योग अपशिष्ट प्लास्टिक उपलब्ध करा सके। संबंधित कार्य हेतु प्लास्टिक नगर निगमों से प्राप्त किया जा सकता है। केवल

		प्लास्टिक देहरादून में एनजीओ के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।		पॉलीथीलीन और पॉलीप्रोपाइलीन, प्रकार के अपशिष्ट प्लास्टिक की आवश्यकता होती है। सीएसआईआर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान इस इकाई के लिए अपशिष्ट प्लास्टिक प्राप्त करने के लिए कोई धनराशि भुगतान नहीं करता है। वर्तमान में एक गैर सरकारी संगठन अपशिष्ट प्लास्टिक की मुफ्त आपूर्ति कर रहा है।
4	बायो- जेट ईंधन प्रौद्योगिकी	सीएसआईआर-आईआईपी द्वारा विकसित बायो-जेट ईंधन प्रौद्योगिकी द्वारा अखाद्य तेल से जैव- ईंधन का उत्पादन होता है।	अखाद्य तेल	शोध कार्य हेतु जो संस्थान अखाद्य तेल उपलब्ध करा सकें।
5	आजीविका सृजन और महिला सशक्तिकरण के लिए 50 किलो/ घंटा क्षमता का पिरुल से ब्रिकेट बनाने की इकाई की चंपावत में स्थापना।	आदर्श चम्पावत परियोजना के तहत भारतीय पेट्रोलियम संस्थान एवं यूकास्ट, चंपावत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित दो प्रमुख तकनीकों को जमीनी स्तर पर लागू करेगा जिसमें पिरुल आधारित 50 किलो प्रति घंटा की क्षमता वाली एक ब्रिकेटिंग यूनिट की स्थापना की जायेगी और इससे चलाने वाले 500 उन्नत चूल्हों का ग्रामीण घरों में ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण की दृष्टि से एक नवीन प्रयोग किया जायेगा। इस ब्रिकेटिंग यूनिट को महिला सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत चंपावत में बनने वाले एनर्जी पार्क में स्थापित किया जायेगा और इससे बनने वाले ब्रिकेट का इस्तेमाल ईंधन के रूप में घरों में तथा स्थानीय उद्योगों में किया जायेगा।	उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त महिला समूह	यूकॉस्ट एवम भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार। यह इकाई व्यावसायिक रूप से शुरू हो जाएगी। इस प्रकार की यह पहली इकाई है, भविष्य में ऐसी अन्य इकाई उत्तराखण्ड राज्य में अन्य स्थानों पर भी लगाई जाएगी। इस यूनिट को पिरुल स्थानीय ग्रामीण जन उपलब्ध कराएंगे। लोग यूनिट पर आकर पिरुल बेचेंगे। यूनिट पर स्थानीय पिरुल का ही उपयोग किया जाएगा।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रूड़की



संक्षिप्त परिचय :- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की उच्च तकनीकी शिक्षा और इंजीनियरिंग, बुनियादी और व्यावहारिक अनुसंधान में राष्ट्रीय महत्व के अग्रणी संस्थानों में से एक है। अपनी स्थापना के बाद से, संस्थान ने देश को तकनीकी जनशक्ति और जानकारी प्रदान करने और अनुसंधान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संस्थान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तकनीकी संस्थानों में शुमार है और इसने तकनीकी विकास के सभी क्षेत्रों में योगदान दिया है। इसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में एक ट्रेड-सेंटर भी माना गया है। संस्थान इंजीनियरिंग और वास्तुकला के 10 विषयों में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम और इंजीनियरिंग, एप्लाइड साइंस, वास्तुकला और योजना के 55 विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करता है। संस्थान के सभी विभागों और अनुसंधान केंद्रों में डॉक्टरेट कार्य की सुविधा है। संस्थान में प्रवेश करने हेतु आईआईटी जेईई एवं गेट की परीक्षाएं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष किसी एक आईआईटी द्वारा आयोजित करायी जाती है। परीक्षाओं की जानकारी वैबसाइट में भी दी जाती है। वर्तमान में ए.आई. की बढ़ती डिमांड के अनुसार, संस्थान के अनवरत शिक्षा केन्द्र द्वारा विभिन्न सरकारी/अर्धसरकारी संगठनों/सार्वजनिक और निजी उपक्रमों और उद्योगों में सेवारत और पेशेवर व्यक्तियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम जिसमें विभिन्न एजेंसियों व संगठनों द्वारा प्रायोजित कोर्स भी आयोजित किये जाते हैं। विगत तीन वर्षों में लगभग 50 ओपन कोर्स, 70 लघु अवधि के पाठ्यक्रम इस केन्द्र द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा विज्ञान एवं मशीन लर्निंग, डेटा विज्ञान एवं प्रबंधको के लिए AI इत्यादि विषयों पर अनुकूलित पाठ्यक्रम तैयार कर, संबंधित फैकल्टी की उपलब्धतानुसार कराये गए हैं।

1. संस्थान के नियमित स्नातक/स्नातकोत्तर/डॉक्टर ऑफ फिलोसफी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	पूर्वस्नातक कोर्स (B.Tech/ Bachelor of Science/ B.Arch./ Dual Degree BS-MS/ Integrated M.Tech/ Integrated M.Sc)*	छात्रों को उनकी वैश्विक आकांक्षाओं के साथ भविष्य के लिए तैयार करना।	- उम्मीदवार को अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) परीक्षा में उपस्थित/उत्तीर्ण होना चाहिए। - उम्मीदवारों को जेईई (मेन) के बी.ई./बी.टेक पेपर में शीर्ष 2,50,000 सफल उम्मीदवारों (सभी श्रेणियों सहित) में से एक होना चाहिए। - कक्षा XII (या समकक्ष) बोर्ड परीक्षा में कम से कम 75% कुल अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कम से कम 65% कुल अंक। या कक्षा 12वीं (या समकक्ष) बोर्ड परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की श्रेणीवार शीर्ष 20 प्रतिशतता में शामिल होना चाहिए।	प्रत्येक वर्ष मार्च-अप्रैल माह में जेईई एडवान्सड का विज्ञापन पूर्व में एन0टी0ए0 द्वारा आयोजित जेईई मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के पश्चात्, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु विज्ञापित होता है। JEE Advanced द्वारा चयनित एवं B. Arch के लिए अतिरिक्त परीक्षा आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट (AAT) उत्तीर्ण उम्मीदवारों को संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (Joint Seat Allocation Authority or JoSAA) द्वारा।

*सिविल इंजीनियरिंग, रासायनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, धातुकर्म और सामग्री इंजीनियरिंग, वास्तुकला, डेटा विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भौतिकी, रसायनिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूवैज्ञानिक प्रौद्योगिकी इत्यादि।

2	स्नातकोत्तरकोर्स (M.Tech) M.Arch., MURP)**	एम.टेक कार्यक्रम प्रासंगिक क्षेत्रों में इंजीनियरिंग के उन्नत अध्ययन के पश्चात् उद्योग एवं रिसर्च के लिये तैयार करना।	- स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण उम्मीदवार - गेट (GATE) योग्य उम्मीदवार सामान्य, ई0डब्ल्यू0एस0 एवं ओ0बी0सी0 श्रेणी के उम्मीदवारों को योग्यता डिग्री स्तर पर 10 अंक के पैमाने पर कम से कम 60% अंक या 6.00 का सीजीपीए प्राप्त किया होना चाहिए, तथा एस.सी0/एस0टी0/पी0डी0 श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए, यह प्रतिशत 10 अंक के पैमाने पर 55% या 5.50 सीजीपीए है। - आई0आई0टी0 स्नातकों को गेट परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना सीधे प्रवेश हेतु 10 अंको के पैमाने पर न्यूनतम 8.00 सीजीपीए होना चाहिए।	सामूहिक प्रस्ताव स्वीकृति पोर्टल (Common Offer Acceptance Portal or COAP) द्वारा
---	--	---	--	--

3	स्नातकोत्तरकोर्स – एम.टेक. बांध सुरक्षा एवं पुनर्वास (M.TECH. DAM SAFETY AND REHABILITATION)	विश्लेषणात्मक, परिचालनात्मक और क्षेत्रीय समझ विकसित करने के लिए एम.टेक. छात्रों को बांध सुरक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों से अवगत कराकर उचित समाधान खोजने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान पद्धति, नीतिगत पहलुओं और कौशल प्रदान करना।	1. गेट (GATE) योग्य उम्मीदवारों को सिविल इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक डिग्री/समकक्ष, मान्य गेट स्कोर के साथ योग्य उम्मीदवार। 2. प्रायोजित उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग पात्रता मानदंड।	GATE उत्तीर्ण उम्मीदवार आई0आई0टी0रूड़की के PG पोर्टल के निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध information brochure https://iitr.ac.in/Academics/Admission.html से विस्तृत जानकारी ले सकते हैं।
4	स्नातकोत्तरकोर्स – एम.एस.सी. (M.Sc) # (बायोटेक्नोलॉजी विषय को छोड़कर)	बुनियादी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतःविषय क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए।	स्नातक डिग्री उत्तीर्ण उम्मीदवार या वर्तमान में स्नातक कार्यक्रम के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत उम्मीदवार।	मास्टर्स के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (Joint Admission Test for Masters or JAM)

** रासायनिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, भूकंप इंजीनियरिंग, विद्युत अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, यांत्रिक और औद्योगिक इंजीनियरिंग, जल विज्ञान, वास्तुकला, धातुकर्म और सामग्री इंजीनियरिंग, शहरी और ग्रामीण नियोजन में स्नातकोत्तर (M.U.R.P.) इत्यादि।

रसायन, अर्थशास्त्र, गणित, अनुप्रयुक्त भूविज्ञान।

5	स्नातकोत्तरकोर्स – एम.एस.सी. – बायोटेक्नोलॉजी (M.Sc. Biotechnology)	एम.एस.सी. बायोटेक्नोलॉजी कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षण और अभ्यास की अंतःविषय प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान लाभ, रचनात्मकता और बायोटेक कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक आकर्षक वातावरण प्रदान करना है।	जीवविज्ञान/जैवप्रौद्योगिकी/कृषि, संबद्ध के किसी भी प्रासंगिक क्षेत्र में स्नातक की डिग्री (3/4/5 वर्ष)	आई0आई0टी0रूड़की प्रवेश पोर्टल पर प्रत्येक वर्ष प्रवेश सूचना जारी होने के पश्चात विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाती है।
6	डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (Ph. D)	अध्ययन के चुने हुए क्षेत्र में, रचनात्मकता, नवाचार और ज्ञान की सीमाओं के बीच तालमेल	संस्थान के पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र होने के लिए आवेदक के पास उपयुक्त क्षेत्र में विभागवार कोई एक	आई0आई0टी0रूड़की प्रवेश पोर्टल पर प्रत्येक वर्ष प्रवेश सूचना जारी होने के पश्चात विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी

		विकसित करना।	निम्नलिखित योग्यताओं में से एक शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी। 1. मास्टर डिग्री व सामान्य, ई0डब्ल्यू0एस0 और ओ0बी0सी0 श्रेणी आवेदकों के लिए सीजीपीए 6.0 या 60% अंक व एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी श्रेणी हेतु न्यूनतम 5.50 या 55% अंक। - राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा जैसे—GATE/CEED/JEST/UGC-NET/CSIR-NET उत्तीर्ण जिसमें लेक्चरशिप (सहायक प्रोफेसरशिप) या समकक्ष या राष्ट्रीय स्तर की कोई फेलोशिप धारक। 1. स्नातक की डिग्री (4 साल) व सभी श्रेणियों के आवेदकों के लिए सीजीपीए 7.50 या 75% अंक। 2. सभी श्रेणियों के आवेदक जिनके पास आई0आई0टी0 से स्नातक या मास्टर डिग्री हो व सीजीपीए 8.0 या उससे अधिक हो। 3. एम.बी.बी.एस./बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस/बी.डी.एस. डिग्री धारकों के लिए सीजीपीए 6 या 60% अंक। 4. मास्टर ऑफ सर्जरी (एम.एस.) /डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एम.डी.) डिग्री वाले आवेदकों को न्यूनतम सीजीपीए से छूट दी गई है।	जाती है। सामान्य न्यूनतम पात्रता मानदंड के लिए नीचे दिए लिंक का प्रयोग करें : https://iitr.ac.in/Academics/static/Admission/PhD/Rolling/2024/Ph.D_Rolling_IB_A_2024.pdf
7	मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA)	पाठ्यक्रम संरचना को मुख्य प्रबंधन अवधारणाओं का ज्ञान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।	1. CAT स्कोर के साथ स्नातक 2. आई.आई.टी.स्नातक, दस अंक पैमाने पर सीजीपीए 7 या उससे अधिक के साथ (IIT-JEE के माध्यम से प्रवेशित) को कैट स्कोर की आवश्यकता से छूट दी गई है।	आई.आई.टी. रुड़की प्रवेश पोर्टल पर प्रत्येक वर्ष जनवरी— फरवरी माह में प्रवेश सूचना जारी होने के पश्चात् विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। छात्रों का चयन कैट स्कोर साक्षात्कार इत्यादि आधारित होता है।

8	कार्यकारी एम.बी.ए (Executive MBA)	उद्योगों के साथ विभाग का मजबूत संबंध प्रदान करना। पाठ्यक्रम को "डिग्री" के रूप में पेश करना ताकि इसका उपयोग प्रतिभागियों द्वारा भविष्य की पढ़ाई के लिए किया जा सके।	उम्मीदवार के पास 65% अंको या समकक्ष ग्रेड अंको (एस.सी./एस.टी. के लिए 60% अंको या समकक्ष ग्रेड अंको) के साथ स्नातक की डिग्री एवं स्नातक के बाद चार साल का प्रासंगिक कार्य अनुभव होना चाहिए। प्रवेश की विस्तृत जानकारी एवं योग्यता संस्थान के प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहती हैं।	छात्रों का चयन व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर।
9	इंडस्ट्री प्रोफेशनल के लिए एम.टेक (वी.एल.एस.आई.) M. Tech (VLSI)	प्रारंभिक/मध्य कैरियर प्रोफेशनल के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए संरचना विकसित करना।	1. बी.टेक. (ई.सी.ई./ई.ई./ई. आई.) या समकक्ष, एम.एस.सी. (भौतिकी /इलेक्ट्रॉनिक्स) 2. 10 पॉइंट स्केल पर कम से कम 6.00 का सीजीपीए या 60% अंक।	प्रवेश परीक्षा एवं ऑनलाइन साक्षात्कार।

आई0 आई0 टी0 रुड़की में रुचि रखने वाले सभी जनमानस को यह भी सूचनाय है कि इस संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के विकास के लिए उपरोक्त सेवाओं के अतिरिक्त, समय-समय पर विभिन्न परियोजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है।

वर्तमान में कुछ मुख्य योजनाएँ निम्न प्रकार हैं:-

1. उत्तराखण्ड की वनस्पतियों से प्राप्त बायोमास का जैव ईंधन जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पादों में रूपांतरण।
2. उत्तराखण्ड के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करते हुए स्वच्छ खाना पकाने की ईंधन ऊर्जा।
3. उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्र में, यूएवी और उपग्रह डेटा का उपयोग करके, मिलेट (ज्वार, बाजरा आदि) की वृद्धि की निगरानी और भविष्यवाणी।
4. भौगोलिक संकेतों के माध्यम से कारीगरों और ग्रामीण समुदाय का सामाजिक सशक्तिकरण।
5. डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो-एनर्जी रिसर्च (डी आई बी ई आर), डी.आर.डी.ओ., हल्द्वानी, उत्तराखण्ड द्वारा वित्त पोषित, बायोगैस को बायो सीएनजी में अपग्रेड करने के लिए असेंबली का डिजाइन और विकास।
6. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित, उत्तराखण्ड में महत्वपूर्ण जल स्रोतों का पारिस्थितिक स्वास्थ्य संकेतक मूल्यांकन।



सी.एस.आई.आर. - केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की (उत्तराखंड) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार

CSIR – Central Building Research Institute, Roorkee(Uttarakhand)
Ministry of Science and Technology, Government of India



संक्षिप्त विवरण— सीएसआईआर—केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की, को भारत की सेवा में भवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सृजन और संवर्धन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1947 में अपनी स्थापना के बाद से, संस्थान भवन निर्माण और निर्माण सामग्री उद्योगों को निर्माण सामग्री, स्वास्थ्य निगरानी और संरचनाओं के पुनर्वास, आपदा न्यूनीकरण, अग्नि सुरक्षा और ऊर्जा, कुशल ग्रामीण और शहरी आवास की समस्याओं के लिए समय पर, उचित और किफायती समाधान खोजने में सहायता कर रहा है। संस्थान विकास प्रक्रिया में अनुसंधान और विकास के माध्यम से लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है और अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क बनाए रखता है। सभी विस्तृत जानकारी सीएसआईआर—सीबीआरआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

दृष्टि (विजन)

सीएसआईआर-सीबीआरआई भवन निर्माण/आवास योजना और निर्माण के रूप में काम करना, जिसमें भवन निर्माण सामग्री, प्रौद्योगिकी, अग्नि इंजीनियरिंग और आपदा न्यूनीकरण शामिल है।

उद्देश्य (मिशन)

भवन और आवास के सभी पहलुओं पर अनुसंधान और विकास करना और सभी प्रकार की इमारतों में आपदा न्यूनीकरण सहित नियोजन, डिजाइनिंग, निर्माण, सामग्री और निर्माण की समस्याओं को हल करने में भवन उद्योग की सहायता करना।

प्रमुख गतिविधियाँ

- भवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं पर बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास का अनुसरण
- अनुबंध अनुसंधान एवं विकास
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की एजेंसियों से प्रायोजित अनुसंधान
- परामर्श सेवाएँ

प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

- ज्ञान/सूचना का प्रसार
- कोड और शिक्षण मैनुअल
- प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशाला

आरएंडडी (R&D) समूह

1. वास्तुकला और योजना एवं ऊर्जा दक्षता (एपीईई)
1. भू-तकनीकी इंजीनियरिंग और भू-खतरे (जीईजीएच)
2. संरचनात्मक इंजीनियरिंग (एसई)
3. भवन सामग्री और पर्यावरण स्थिरता (बीएमईएस)
4. उन्नत कंक्रीट, स्टील और कम्पोजिट (एसीएससी)
5. निर्माण स्वचालन और रोबोटिक्स (सीएएंडआर)
6. अग्नि सुरक्षा इंजीनियरिंग (एफएसई)



7. विरासत और विशेष संरचनाएं (एचएसएस)
8. सीबीआरआई दिल्ली केंद्र (सीडीसी)

अनुसंधान एवं विकास प्रबंधन कार्यालय अनुसंधान योजना और व्यवसाय विकास

- परियोजना निगरानी और मूल्यांकन
- परियोजनाएं और तकनीकी सेवाएं
- बौद्धिक संपदा
- अनुसंधान परिषद की गतिविधियां
- व्यवसाय विकास समूह
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
- एमओयू/एमओए, सहयोग और सह-नवाचार
- संस्थान डेटा प्रबंधन

आउटरीच और प्रसार सेवाएं

- छात्र प्रशिक्षण प्रकोष्ठ
- कौशल विकास प्रकोष्ठ
- कार्यक्रम और व्याख्यान प्रकोष्ठ
- प्रकाशन, मीडिया और पीआर प्रकोष्ठ

निदेशक का अनुसंधान प्रकोष्ठ

- आरएंडडी विंग
- डेटा और एडमिन विंग

प्रशासनिक कार्यालय

प्रशासन

वित्त एवं लेखा

भंडार एवं क्रय

ज्ञान संसाधन केंद्र

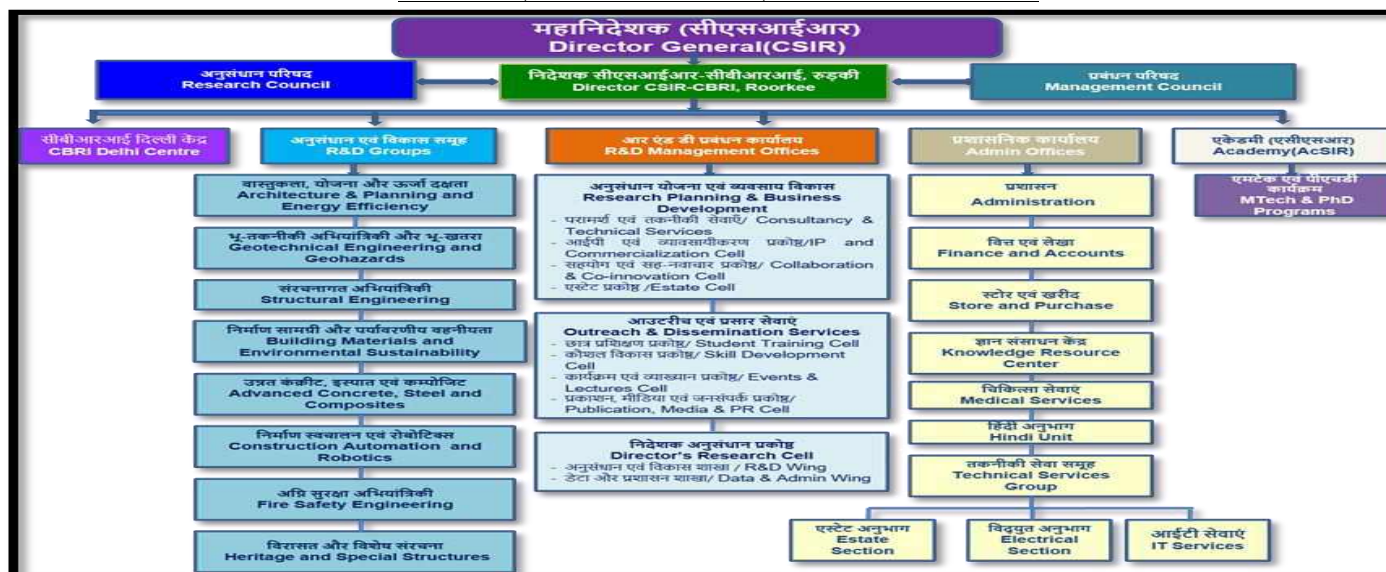
चिकित्सा सेवाएं

इकाई तकनीकी सेवा समूह (एस्टेट, विद्युत)

अकादमी (एसीएसआईआर) – एमटेक एवं पीएचडी कार्यक्रम



सीएसआईआर-सीबीआरआई संगठनात्मक आरेख



सीएसआईआर-सीबीआरआई – आउटरीच और प्रसार सेवाएँ

छात्र प्रशिक्षण सत्र, प्रदर्शनियाँ, विशेषज्ञ व्याख्यान और विशेष आयोजनों सहित कौशल वृद्धि और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है। संस्थान संस्थागत प्रकाशनों का प्रबंधन भी करता है और निर्माण क्षेत्र में नवीनतम ज्ञान, सूचना और व्यावहारिक कौशल का प्रसार करने के लिए मीडिया कवरेज सुनिश्चित करता है। इन प्रयासों का उद्देश्य संस्थान की वैज्ञानिक और सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करना, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना और पूरे देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, जिससे निर्माण उद्योग की समग्र उन्नति में योगदान मिलता है।



गतिविधियाँ

सीएसआईआर — एकीकृत कौशल पहल	उन्नत भवन निर्माण प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के क्षेत्र में कौशल को बढ़ाकर और उन्नत करके विभिन्न व्यावसायिक स्तरों पर उच्च गुणवत्ता वाले मानव संसाधन पूल का निर्माण करना। इस पहल का उद्देश्य आधुनिक निर्माण प्रथाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक नवीनतम ज्ञान, उपकरण और कार्यप्रणाली से व्यक्तियों को लैस करना है, जिससे भवन उद्योग में नवाचार और दक्षता को बढ़ावा मिले। उद्देश्य एवं लक्ष्य: - कार्यान्वयन एजेंसियों की नवीनतम भवन प्रणालियों एवं प्रौद्योगिकियों पर ज्ञान का उन्नयन। - भवन निर्माण उद्योगों के लिए कुशल मानव संसाधन का एक समूह तैयार करना। - सीएसआईआर-सीबीआरआई के मुख्य योग्यता क्षेत्रों में रोजगारोन्मुखी कौशल कार्यक्रम विकसित करना। - राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सीएसआईआर एकीकृत कौशल पहल, राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद और क्षेत्रीय परिषदों के साथ कौशल कार्यक्रमों को संरेखित करना। - व्यावहारिक शिक्षा पर जोर देते हुए बाजार/उद्योग संचालित पाठ्यक्रम विकसित करना। सीएसआईआर-सीबीआरआई निम्नलिखित विषयों पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है: - बहु-खतरा प्रतिरोधी निर्माण प्रणालियाँ - इमारतों का पुनर्वास/रेट्रोफिटिंग - विरासत भवन - इमारतों के लिए अग्नि सुरक्षा और निकासी डिज़ाइन - इमारतों में जलरोधक उपचार - निर्माण सामग्री के रूप में बांस का उपयोग - आंशिक रूप से पूर्वनिर्मित भवन निर्माण - सुधारित ग्रामीण आवास और स्वच्छता - आपदा सुरक्षित भवन निर्माण अभ्यास - कम लागत वाली आवास और स्वच्छता प्रणाली - पूर्वनिर्मित और पूर्वनिर्मित भवन घटक - पर्यावरण अनुकूल नई निर्माण सामग्री का उत्पादन और उपयोग - भूस्खलन नियंत्रण उपाय - संरचनात्मक कीट प्रबंधन
---	---

	● व्यावसायिक प्रशिक्षण पात्रता / लाभार्थी संस्थान नियमित रूप से आवास, ग्री फ़ैब निर्माण, आपदा प्रतिरोधी और ऊर्जा कुशल इमारतों, और विभिन्न हित धारकों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के निर्माण के क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिससे समाज और पूरे देश को लाभ मिल रहा है। उल्लेखनीय योगदान देने वालों में इंजीनियर, ठेकेदार, ग्रामीण, छात्र, कुशल और अर्ध-कुशल जनशक्ति आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत इंजीनियरों, ठेकेदारों और निर्माण पेशेवरों के माध्यम से गुणवत्ता, सुरक्षा, स्थायित्व, आपदा प्रतिरोधी और तकनीकी रूप से उन्नत आवास स्टॉक के साथ लागत प्रभावी आवास योजनाओं के निर्माण के लिए कुशल जनशक्ति विकसित करना। आवेदन एवं चयन प्रक्रिया ● प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरणिका संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है जिसकी सहायता से इच्छुक प्रतिभागी आवेदन करते हैं। ● प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुल्क ऑनलाइन माध्यम से लिया जाता है। ● प्रशिक्षण कार्यक्रम कोई अवधि निर्धारित नहीं है, कुछ एक दिवसीय एवं कुछ बहुदिवसीय। ● प्रतिभाग करने के लिए सर्वप्रथम गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन मांगे जाते हैं। ऑफलाइन माध्यम में आयोजित कार्यक्रमों में आयोजन स्थल के आसपास के कॉलेजों के छात्र तथा आमजन कार्यक्रम में प्रतिभाग ले सकते हैं। नोडल अधिकारी: इंजी. आशीष पिप्पल, वरिष्ठ वैज्ञानिक, ईमेल: ashish [at] cbri-res-in] फ़ोन: 01332–283219 सह-नोडल अधिकारी: डॉ. ताबिश आलम, वरिष्ठ वैज्ञानिक, ईमेल: tabishalam [at] cbri-res-in] फ़ोन: 01332–283226
सीएसआईआर समन्वित जिज्ञासा 2.0	सीएसआईआर-सीबीआरआई राज्य सरकार के स्कूलों के सहयोग से और वर्चुअल लैब के एकीकरण के साथ जिज्ञासा 2.0 पहल के तहत सक्रिय रूप से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए, प्रगतिशील भारत के निर्माण के दृष्टिकोण और "वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व (एसएसआर)" की अवधारणा से प्रेरित हैं। इस पहल का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा जगाना और समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इन प्रयासों के माध्यम से, कार्यक्रम का उद्देश्य विज्ञान की गहरी समझ और प्रशंसा विकसित करना है, छात्रों को रोजमर्रा की जिंदगी और भविष्य की प्रगति पर इसके प्रभाव का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। जिज्ञासा का उद्देश्य ● केवीएस, एनवीएस, राज्य सरकार और अन्य स्कूलों को सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं से जोड़ना। ● छात्रों को सीएसआईआर प्रयोगशालाओं में जाकर विज्ञान में सिखाई गई सैद्धांतिक अवधारणाओं को व्यावहारिक रूप से जीने में सक्षम बनाना। ● विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्कूली छात्रों में जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच की संस्कृति को विकसित करना।

- शिक्षा में प्रयोग और नवीनता को प्रोत्साहित करना
- प्रारंभिक स्तर पर छात्रों की छिपी हुई संभावित प्रतिभा को पोषित करके विज्ञान को बढ़ावा देना।
- उभरते वैश्विक/राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- वंचित समुदायों में वैज्ञानिक सोच पैदा करना

जिज्ञासा सहभागिता के मॉडल

- सीएसआईआर स्थापना दिवस और प्रयोगशाला स्थापना दिवस समारोह
- महत्वपूर्ण जागरूकता दिवस
- शिक्षक के रूप में वैज्ञानिक
- प्रयोगशाला विशिष्ट गतिविधियाँ /ऑनसाइट प्रयोग
- वैज्ञानिकों का स्कूलों में दौरा /आउटरीच कार्यक्रम
- स्कूलों में लोकप्रिय व्याख्यान श्रृंखला/प्रदर्शन कार्यक्रम
- विज्ञान प्रदर्शनी
- छात्र आवासीय कार्यक्रम
- शिक्षक को सलाह देना और मार्गदर्शन करना
- छात्रों और शिक्षकों में वैज्ञानिक सोच पैदा करना।

पात्रता /लाभार्थी

कक्षा 12 तक के स्कूली छात्र (लड़के और लड़कियाँ)।

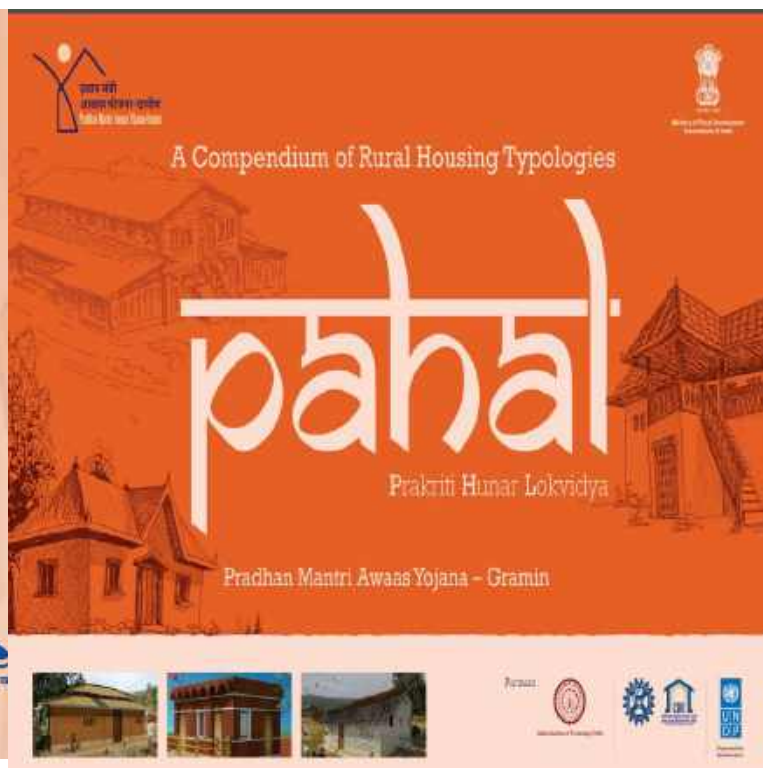
आवेदन एवं चयन प्रक्रिया

सीएसआईआर-सीबीआरआई जिज्ञासा छात्र-वैज्ञानिक संपर्क कार्यक्रम के नोडल अधिकारी:
 श्री नदीम अहमद, मुख्य वैज्ञानिक, ओडीएस कार्यालय, सीएसआईआर-सीबीआरआई, रुड़की
 ईमेल: nasrrlj @ cbri.res.in फोन: 1332-283241, मोबाइल नंबर 98973 14949

छात्र प्रशिक्षण	तीन वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम, तीसरे और चौथे वर्ष के बी.टेक., बी.ई., और बी.आर्क. डिग्री, साथ ही एम.एससी., एम.टेक., एम.ई., एम.आर्क. और एमयूआरपी पाठ्यक्रमों में नामांकित स्नातकोत्तर छात्रों सहित विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के लिए अल्पकालिक इंटरनशिप/प्रशिक्षण, शोध कार्य के अवसर और शोध प्रबंध/परियोजना कार्य को डिजाइन और कार्यान्वित करना। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना, तकनीकी कौशल को बढ़ाना और उनके शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास में योगदान देना है। पात्रता/लाभार्थी इंटरनशिप की अवधि: डिप्लोमा: न्यूनतम 2 महीने से अधिकतम 6 महीने बी.ई./बी.टेक/बी.आर्क— न्यूनतम 2 महीने से अधिकतम 6 महीने एम.ई./एम.टेक/एम.आर्क/एमयूआरपी : न्यूनतम 3 महीने से अधिकतम 1 वर्ष एम.एससी./एमसीए— न्यूनतम 3 महीने से अधिकतम 6 महीने सीएसआईआर—सीबीआरआई सीमित संख्या में प्रशिक्षुओं को स्वीकार करता है। प्रशिक्षण के लिए अनुरोध ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से किया जा सकता है। शुल्क संरचना स्तर के अनुसार उम्मीदवार द्वारा एक बार भुगतान किया जाने वाला शुल्क: तीन वर्षीय डिप्लोमा छात्र : रु. 500/— बी.टेक./बी.ई./बी.आर्क./एम.एससी./एमसीए/एम.टेक/एम.ई. / एम.आर्क./एमयूआरपी छात्र: रु. 1,000/— आवेदन एवं चयन प्रक्रिया इच्छुक छात्र निम्नलिखित वेबसाइट पर जाकर अपने रुचि के क्षेत्र का उल्लेख करते हुए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं: https://cbri.res.in चयनित उम्मीदवारों को अलग से ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें सीएसआईआर—सीबीआरआई में पंजीकरण के समय प्रशिक्षण शुल्क जमा करना होगा। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने संस्थान से प्राप्त पाठ्यक्रम कार्य की मांग को प्रमाणित करने वाले पत्र की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करें। सीटों की उपलब्धता और आपके अनुरोध के आधार पर, संस्थान उम्मीदवार को प्रतिक्रिया देगा। उम्मीदवार द्वारा भेजा गया आवेदन उसके अनुरोध की पुष्टि के रूप में माना जाएगा। प्रशिक्षु का चयन उम्मीदवार की उपयुक्तता और संस्थान में आवश्यकताओं/प्रयोगशाला स्थान पर निर्भर करेगा समन्वयक छात्र प्रशिक्षण अधिक विशिष्ट प्रश्न – कृपया saturn.cell@cbri.res.in पर ईमेल भेजें।
-----------------	---

प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी प्रक्रिया – उद्योगों, गैर सरकारी संगठनों, जन साधारण के लिए

सीएसआईआर-सीबीआरआई व्यावसायिक गतिविधियों का समन्वय कर के संस्थान के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए सेवाएँ भी प्रदान करता है। संस्थान सिद्ध प्रौद्योगिकियों के मौजूदा क्षेत्रों में सहायता करके और तकनीकी विकास की ओर नई कंपनियों को आकर्षित कर के संस्थान और बाहरी एजेंसियों के बीच एक पुल का काम करता है। संस्थान सार्वजनिक क्षेत्र और निजी उद्यमियों के लिए प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण के लिए योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से व्यवसाय के नए क्षेत्रों की पहचान और विश्लेषण करता है। संस्थान उद्योगों, गैरसरकारी संगठनों, एमएसएमई, जन/समाज को प्रौद्योगिकी, जानकारी और तकनीक भी प्रदान करता है।



विभिन्न तकनीकों को वाणिज्यिक और आवास में सीधे कार्यान्वयन (प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से)	सीएसआईआर-सीबीआरआई, रुड़की में प्रसार के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकियाँ उपलब्ध हैं: • भूमिगत क्षैतिज बोरिंग मशीन • स्वायत्त चढ़ाई रोबोट • सी-ब्रिकमशीन (अपग्रेडेड वर्जन) • कोटास्टोन वेस्ट से बिल्डिंग उत्पाद • ज़िग-ज़ैगसेटिंग के साथ हाईड्राफ्ट ईट भट्टों का डिज़ाइन • सीमेंट आधारित वर्मी क्यू लाइट टाइलें • कंक्रीट ब्लॉक बनाने की मशीन • पत्थरों की चुपचाप दरार के लिए विशाल मोर्टार का विकास • अग्नि रोधी जल विकर्षक कैनवास • जिप्सम-वर्मी क्यूलाइट-पलाई ऐश हल्के वजन का प्लास्टर • आरसी बीम-कॉलम जोड़ों में यांत्रिक एंकरेज सिस्टम के रूप में हेडेड बार • ईंटों को जलाने के लिए हाईड्राफ्ट भट्टी • हाईवॉल्यूम पलाईऐश-जिप्सम कम्पोजिट प्लास्टर • हाइ ब्रिडरी बार कपलर • आरसी संरचनाओं की सुरक्षा के लिए आईपीएन कोटिंग • अल्ट्रा सोनिक पल्स वेलो सिटी का उपयोग करके कंक्रीट और पत्थर की चिनाई संरचनाओं में छिपी विसंगतियों की इमेजिंग • अस्पतालों, आवास और अन्य उद्देश्यों के लिए अस्थायी इमारतें। • पेवर ब्लॉक और अन्य बिल्डिंग घटकों का निर्माण, सी एंड डी कचरे से टाइलें/ईंटें • नैनो लाइम का निर्माण • सिलिका नैनोकणों का निर्माण • आंतरिक ईंधन आधारित पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल जली हुई मिट्टी की ईंटों का निर्माण • मिनी क्लाइम्बिंग क्रेन • एक्स टूडे डक्ले उत्पादों के लिए अर्ध-स्वचालित कटिंग टेबल • स्थिर कंक्रीट ब्लॉक निर्माता, और अन्य इन तकनीकों का उपयोग कर के भवन निर्माण की गुणवत्ता और स्थायित्व में सुधार किया जा सकता है। पात्रता/लाभार्थी
--	---

	इस योजना के लिए पात्रता में भारतीय नागरिक, भवन निर्माण और संबंधित क्षेत्रों में रुचि रखने वाले उद्योग और व्यक्ति, और वे व्यक्ति शामिल हैं जो तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान रखते हैं और जो निर्माण और आवास से संबंधित अनुसंधान और विकास में योगदान देना चाहते हैं। आवेदन एवं चयन प्रक्रिया आप संपर्क कर सकते हैं: प्रमुख योजना और व्यवसाय विकास फ़ोन: +91.1332.283287 फ़ैक्स: +91.1332.272272 ईमेल: dpkanungo @ cbri.res.in
विशेष कार्यक्रम/यात्रा	प्रतिनिधियों, छात्रों और अन्य विशिष्ट अतिथियों के लिए विशेष कार्यक्रमों और यात्राओं के आयोजन में समन्वय और सुविधा प्रदान करना, साथ ही प्रभावी जनसंपर्क प्रबंधन सुनिश्चित करना। इसके अतिरिक्त, इन गतिविधियों की दृश्यता और संचार को बढ़ाने के लिए प्रेस और मीडिया कवरेज की देखरेख करना।
व्याख्यान श्रृंखला	भवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख विशेषज्ञों की विशेष व्याख्यान श्रृंखला आयोजित करना, जिसका लक्ष्य ज्ञान के आदान-प्रदान, नवाचार और अनुशासन में प्रगति को बढ़ावा देना है।
संस्थान प्रकाशन	संस्थान के प्रकाशन, जिनमें वार्षिक रिपोर्ट, भावना और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल हैं जो संस्थान की उपलब्धियों और पहलों पर प्रकाश डालते हैं।

वैज्ञानिक एवं नवीन अनुसंधान अकादमी / Academy of Scientific & Innovative Research (AcSIR)

भारत सरकार द्वारा ढांचागत सुविधाओं के निर्माण की पहल के साथ निर्माण क्षेत्र में बड़ी राशि का निवेश किया जा रहा है। सभी आर्थिक क्षेत्रों में आवास की भारी कमी और देश में आवास क्षेत्र के विकास और वृद्धि को दिए जाने वाले महत्व के साथ यह उम्मीद की जाती है कि देश निकट भविष्य में आवास उद्योग में एक नया क्षितिज देखेगा। मेक इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट विलेज, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा और किफायती आवास की अवधारणाएँ देश में तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं।

देश के विकास के लिए आवश्यक प्रमुख अवसरचनाओं में से एक, आवास के महत्व को पहचानते हुए, CSIR – केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की (CBRI), CSIR की प्रमुख प्रयोगशालाओं में से एक, “बिल्डिंग इंजीनियरिंग और आपदा न्यूनीकरण (BEDM)” में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (MTech) और इंजीनियरिंग और विज्ञान में PhD की ओर ले जाने वाला एक एकीकृत कार्यक्रम पेश कर रहा है। एकीकृत कार्यक्रम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है

कि सफल उम्मीदवार को कार्यक्रम पूरा होने पर एमटेक और पीएचडी दोनों डिग्री प्राप्त होंगी, जबकि उन उम्मीदवारों के लिए अवसर मौजूद है जो दो साल के सफल समापन के बाद कार्यक्रम छोड़ना चाहते हैं और बीईडीएम में एमटेक की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं।

आपदा न्यूनीकरण का विषय भूकंप, भूस्खलन और आग के जोखिम को कम करने की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से पूरा करता है जो अक्सर बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देते हैं और तबाही मचाते हैं। देश ने अतीत में ऐसी कई आपदाएँ देखी हैं। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक बहु-विषयक विशेषज्ञता संस्थान में उपलब्ध है और पाठ्यक्रम इन विषयों पर छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रकार पाठ्यक्रम सिद्धांत और व्यवहार दोनों का एक आदर्श मिश्रण है। इस प्रयोगशाला में काम करने वाले वैज्ञानिकों के समृद्ध अनुभव से आकर्षित होकर, पाठ्यक्रम प्रतिभागियों को ठोस सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक साइट अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऐसा अनूठा अवसर देश में कहीं और उपलब्ध नहीं है। साथ ही यह कार्यक्रम अपने आप में अनूठा है।

कार्यक्रम में सीटों की संख्या

एकीकृत कार्यक्रम के लिए उपलब्ध सीटों की कुल संख्या 10 (दस) है।

प्रवेश प्रक्रिया और प्रवेश के लिए पात्रता

इंजीनियरिंग स्नातक जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग/निर्माण इंजीनियरिंग/भवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बी.टेक/बी.ई /बी.एससी (इंजीनियरिंग) पूरा कर लिया है, वे कार्यक्रम के लिए पात्र हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया सीएसआईआर की वेबसाइट <https://acsir.res.in/> देखें।

फेलोशिप कृपया वेबसाइट <http://www.acsir.res.in/> देखें।

वैज्ञानिक एवं नवीन अनुसंधान अकादमी (पीएचडी कार्यक्रम)

भारत सरकार की उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की पहल के साथ, निर्माण उद्योग में उछाल इस देश में आया है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने सड़क क्षेत्र में स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण और आवास क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास देखा है। सड़क क्षेत्र में पूर्व-पश्चिम गलियारा देश के एक छोर से दूसरे छोर तक यातायात और माल की आवाजाही को और सुविधाजनक बना रहा है। सभी आर्थिक क्षेत्रों में आवास की भारी कमी और देश में आवास क्षेत्र के विकास और वृद्धि को दिए जाने वाले महत्व के साथ यह उम्मीद की जाती है कि देश निकट भविष्य में आवास उद्योग में एक नया क्षितिज देखने जा रहा है। किफायती आवास की अवधारणा देश में तेजी से लोकप्रिय हो रही है।

आवास और सड़क दोनों के महत्व को पहचानते हुए, सीएसआईआर की प्रमुख प्रयोगशालाओं में से एक केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की (सीबीआरआई) संरचनात्मक इंजीनियरिंग, भू-तकनीकी इंजीनियरिंग, रासायनिक विज्ञान और पर्यावरण इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में इंजीनियरिंग विज्ञान में पीएचडी कार्यक्रम की पेशकश कर रहा है। प्रयोगशाला में काम करने वाले वैज्ञानिकों के समृद्ध अनुभव से आकर्षित होकर, पाठ्यक्रम कार्य को शोध विद्वानों को ठोस सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक साइट अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऐसा अनूठा अवसर देश में शायद ही कभी उपलब्ध हो। परिसर में लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए पर्याप्त छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है।

कार्यक्रम में सीटों की संख्या

उपलब्ध सीटों की कुल संख्या 5 (पांच) है।

प्रवेश के लिए पात्रता

पीएचडी (विज्ञान): पृथ्वी विज्ञान (भूविज्ञान/भूभौतिकी) या रसायन विज्ञान (अकार्बनिक/कार्बनिक/बहुलक) में मास्टर डिग्री या संक्षारण विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ सामग्री विज्ञान में मास्टर डिग्री, एक वैध राष्ट्रीय स्तर की फ़ैलोशिप (विभिन्न वित्त पोषण एजेंसियों, जैसे सीएसआईआर, यूजीसी, डीबीटी, डीएसटी आदि के जेआरएफ/एसआरएफ), इंस्पायर या अन्य समकक्ष फ़ैलोशिप।

पीएचडी (इंजीनियरिंग): इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी (सिविल-स्ट्रक्चरल, जियोटेक्निकल) में मास्टर डिग्री या इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी (केमिकल/मेटलर्जिकल) में बैचलर डिग्री के साथ कोरोजन साइंस/इंजीनियरिंग में एम.टेक. वैध गेट स्कोर या यूजीसी/सीएसआईआर नेट/एनबीएचएम या वैध सीएसआईआर-एसआरएफ या समकक्ष फ़ैलोशिप।

सेमेस्टर के दौरान अंकों का वेटेज : एक मिड-सेमेस्टर और एक एंड सेमेस्टर परीक्षा होगी। मिड-सेमेस्टर परीक्षा से पहले और बाद में दो क्लास टेस्ट होंगे। एंड सेमेस्टर परीक्षा का वेटेज 40% होगा। मिड सेमेस्टर परीक्षा का वेटेज 30% होगा और दोनों क्लास टेस्ट का वेटेज 10% होगा। शेष 10% वेटेज संबंधित विषयों में सेमिनार, ट्यूटोरियल, सामान्य अनुशासन आदि को दिया जाएगा।

क्रेडिट की आवश्यकता: पीएचडी के लिए न्यूनतम क्रेडिट की आवश्यकता 16 है। कोर्स वर्क के माध्यम से 12 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। कम से कम एक कोर्स 700 लेवल का होना चाहिए। कोर्स वर्क के अलावा, उम्मीदवार को सीएसआईआर 800 परियोजना योजना के दर्शन के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में छह से आठ सप्ताह की अवधि की परियोजना पूरी करनी होगी। परियोजना में 2 क्रेडिट होंगे। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार को दो परियोजना प्रस्ताव लिखने होंगे।

भारतीय प्रबंध संस्थान, काशीपुर, (IIM) ऊधमसिंहनगर



संक्षिप्त परिचय :- भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में स्थापित किया गया है। यह संस्थान नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को बढ़ावा देने और स्थायी नेतृत्व का अभ्यास करके प्रबंधन शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। संस्थान द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है –

- मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए)

पाठ्यक्रम का नाम	मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए)
नियामक परिषद	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर उत्तराखण्ड
पाठ्यक्रम अवधि	द्विवर्षीय
चयन मापदंड	कृपया क्लिक करें —> https://www.iimkashipur.ac.in/academics/mba/mba-admission
शैक्षिक योग्यता/अर्हता	कृपया क्लिक करें —> https://www.iimkashipur.ac.in/academics/mba/mba-admission

वर्तमान में संचालित संस्थान	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, काशीपुर उत्तराखण्ड
शिक्षण शुल्क	कृपया क्लिक करें —> https://www.iimkashipur.ac.in/academics/mba/mba-admission
सम्बद्ध संस्थान का पता ई-मेल आई.डी.	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कुण्डेश्वरी काशीपुर उत्तराखण्ड-244713, Email:- info@iimkashipur.ac.in , Website:- www.iimkashipur.ac.in

● मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एनालिटिक्स (एमबीएए)

पाठ्यक्रम का नाम	मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एनालिटिक्स (एमबीएए)
नियामक परिषद	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, काशीपुर उत्तराखण्ड
पाठ्यक्रम अवधि	द्विवर्षीय
चयन मापदंड	कृपया क्लिक करें —> https://iimkashipur.ac.in/academics/mba-analytics/mba-analytics-admission
शैक्षिक योग्यता/अर्हता	कृपया क्लिक करें —> https://iimkashipur.ac.in/academics/mba-analytics/mba-analytics-admission
वर्तमान में संचालित संस्थान	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, काशीपुर उत्तराखण्ड
शिक्षण शुल्क	कृपया क्लिक करें —> https://iimkashipur.ac.in/academics/mba-analytics/mba-analytics-admission
सम्बद्ध संस्थान का पता ई-मेल आई.डी.	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कुण्डेश्वरी काशीपुर उत्तराखण्ड-244713, info@iimkashipur.ac.in , www.iimkashipur.ac.in Email:- Website:-

● एकजीक्यूटिव मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (ईएमबीए)

पाठ्यक्रम का नाम	एकजीक्यूटिव मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (ईएमबीए)
नियामक परिषद	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, काशीपुर उत्तराखण्ड
पाठ्यक्रम अवधि	द्विवर्षीय
चयन मापदंड	कृपया क्लिक करें —> https://iimkashipur.ac.in/academics/executive-mba/eligibility
शैक्षिक योग्यता/अर्हता	कृपया क्लिक करें —> https://iimkashipur.ac.in/academics/executive-mba/eligibility
वर्तमान में संचालित संस्थान	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, काशीपुर उत्तराखण्ड, देहरादून परिसर।
शिक्षण शुल्क	कृपया क्लिक करें —> https://iimkashipur.ac.in/academics/executive-mba/fee-structure
सम्बद्ध संस्थान का पता ई-मेल आई.डी.	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कुण्डेश्वरी काशीपुर उत्तराखण्ड-244713, info@iimkashipur.ac.in , Email:- Website:-

• एकजीक्यूटिव मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एनालिटिक्स (ईएमबीएए)

पाठ्यक्रम का नाम	एकजीक्यूटिव मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एनालिटिक्स (ईएमबीएए)
नियामक परिषद	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, काशीपुर उत्तराखण्ड
पाठ्यक्रम अवधि	द्विवर्षीय
चयन मापदंड	कृपया क्लिक करें —> https://iimkashipur.ac.in/academics/executive-mba-analytics
शैक्षिक योग्यता/अर्हता	कृपया क्लिक करें —> https://iimkashipur.ac.in/academics/executive-mba-analytics
वर्तमान में संचालित संस्थान	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, काशीपुर उत्तराखण्ड
शिक्षण शुल्क	कृपया क्लिक करें —> https://iimkashipur.ac.in/academics/executive-mba-analytics
सम्बद्ध संस्थान का पता ई-मेल आई.डी.	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कुण्डेश्वरी काशीपुर उत्तराखण्ड-244713, Email:- info@iimkashipur.ac.in , Website:- www.iimkashipur.ac.in

• डॉक्टरेट कार्यक्रम (पीएचडी)

पाठ्यक्रम का नाम	डॉक्टरेट कार्यक्रम (पीएचडी)
नियामक परिषद	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, काशीपुर उत्तराखण्ड
पाठ्यक्रम अवधि	चतुर्थ वर्षीय
चयन मापदंड	कृपया क्लिक करें —> https://iimkashipur.ac.in/academics/doctoral-programme/admission-procedure
शैक्षिक योग्यता/अर्हता	कृपया क्लिक करें —> https://iimkashipur.ac.in/academics/doctoral-programme/admission-procedure
वर्तमान में संचालित संस्थान	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, काशीपुर उत्तराखण्ड
शिक्षण शुल्क	कृपया क्लिक करें —> https://iimkashipur.ac.in/academics/doctoral-programme/admission-procedure
सम्बद्ध संस्थान का पता ई-मेल आई.डी.	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कुण्डेश्वरी काशीपुर उत्तराखण्ड-244713, Email:- info@iimkashipur.ac.in , Website:- www.iimkashipur.ac.in

• कार्यकारी विकास कार्यक्रम – ऑनलाइन प्रमाणपत्र कार्यक्रम

उक्त पाठ्यक्रमों के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट में उपलब्ध है।

<https://iimkashipur.ac.in/executive-education/management-development-programmes/about-management-development-programmes>

<https://iimkashipur.ac.in/executive-education/online-certificate-programme>

एमबीए और एमबीए (एनालिटिक्स) संस्थान के पूर्णकालिक दो वर्षीय आवासीय प्रमुख कार्यक्रम हैं। आईआईएम काशीपुर द्वारा कार्यकारी शिक्षा भी प्रदान की जाती है। कार्यकारी शिक्षा के अंतर्गत एमबीए फॉर वर्किंग एक्जीक्यूटिव्स (ईएमबीए) एक विशेष दो-वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम है जो आईआईएम काशीपुर, देहरादून परिसर में सप्ताहांत के दौरान आयोजित किया जाता है, जो विशेष रूप से मध्यम और वरिष्ठ स्तर के पेशेवरों के लिए डिज़ाइन बनाया गया है। संस्थान द्वारा प्रस्तुत एमबीए कार्यक्रम में प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर सामान्य प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा (CAT) के माध्यम से होता है और पात्रता मानदंड CAT के लिए समान हैं।

संस्थान विशेष अल्पकालिक प्रबंधन विकास कार्यक्रम भी प्रदान करता है। संस्थान ने विभिन्न महत्वपूर्ण संगठनों के साथ साझेदारी भी की है। भारत का ए आई और मशीन लर्निंग में इसका स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र कार्यक्रम और विभिन्न कार्यकारी विकास कार्यक्रम जैसे एप्लाइड वित्तीय जोखिम प्रबंधन, वित्तीय डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग और एनालिटिक्स, उत्पादों और ब्रांडिंग का प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन एनालिटिक्स, रणनीतिक प्रबंधन और रणनीति और नेतृत्व, प्रबंधकों को चुस्त बनने और प्रासंगिक बने रहने के लिए आवश्यक कौशल से परिपूर्ण है।

प्रबंधन में डॉक्टरेट कार्यक्रम एक पूर्णकालिक आवासीय कार्यक्रम है जिसे अनुसंधान, शिक्षण और शैक्षणिक करियर के लिए पेशेवरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन तैयार किया गया है। संस्थान ने क्षमता निर्माण के उद्देश्य से कई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए, जिससे कर्मचारियों को अपने ज्ञान में सुधार करने और संस्थान के भीतर बढ़ने के अवसर प्रदान किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए : जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरपर्सनल रिलेशन्स/कौशल विकास इत्यादि । आईआईएम काशीपुर, द्वारा नवाचारों को गांव तक पहुंचाने का कार्य नवाचार द्वारा किया जाता है । हालांकि इस हेतु केन्द्र सरकार के योजनाओं के समर्थन की आवश्यकता है। संस्थान ने उत्कृष्टता के तीन केंद्र स्थापित किए हैं, उत्कृष्टता के ये केंद्र अंतःविषय कार्यक्रमों और अनुसंधान की सुविधा प्रदान करते हैं। वर्तमान में, उत्कृष्टता के तीन केंद्र हैं : सार्वजनिक नीति और सरकार पर उत्कृष्टता केंद्र (सीओईपीपीजी), डिजाइन इनोवेशन सेंटर (डीआईसी), फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट (एफआईडी)।

नवाशय-डिजाइन इनोवेशन सेंटर <http://www.navaashay.in/>

भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर का डिजाइन इनोवेशन सेंटर नवाशय, हिमालयन एजुकेशन लर्निंग प्रोग्राम (HELP) के माध्यम से स्कूली छात्रों और शिक्षकों के लिए दौरे आयोजित करता है। इस पहल का उद्देश्य भविष्य के इंजीनियरों, डिजाइनरों, प्रबंधकों और उद्यमियों को व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से उनकी डिजाइन सोच और नवाचार ज्ञान को बढ़ाने के अवसर प्रदान करके प्रेरित करना है। संस्थान छात्रों, शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रबंधकों और सरकारी अधिकारियों को इंजीनियरिंग, कृषि, प्रबंधन, सार्वजनिक नीति और अर्थशास्त्र में आवश्यक प्रबंधकीय कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए कार्यशालाएं, अतिथि वक्ता और कैंपस दौरे हेतु आमंत्रित किया जाता है। अपनी स्थापना के आठ वर्ष बाद 2019 से केन्द्र ने डिजाइन थिंकिंग इनोवेशन पर विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया है जिसमें कुल 2616 प्रशिक्षण घंटों के साथ 654 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया है। इन कार्यशालाओं में 10 से अधिक स्कूलों ने भाग लिया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के तीन शहरों के आठ स्कूल और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के दो शहरों के दो स्कूल उपरोक्त कार्यशालाओं से लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्र ने इस पहल को आगे समर्थन देने के लिए एक स्कूल में अटल टिकरिंग लैब के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह केंद्र उत्तराखंड के स्कूलों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए भी सुसज्जित है। ये कार्यक्रम डिजाइन सोच और नवाचार में शिक्षकों के कौशल को बढ़ाएंगे, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेंगे

और छात्रों के बीच रचनात्मकता और समस्या समाधान की संस्कृति को बढ़ावा देंगे। यदि कोई भी अपने संस्थान को शामिल करने में रुचि रखते हैं, तो कृपया आईआईएम काशीपुर से dic@iimkashipur.ac.in पर संपर्क किया जा सकता है। अनुरोध प्राप्त होने पर, संस्थान अपने संसाधन व्यक्तियों की उपलब्धता के आधार पर कार्यशालाओं और परिसर के दौरे का कार्यक्रम तय करेंगे। विवरण निम्नवत है :-

क्र. सं.	योजना/ सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1-	डिजाइन नवाचार के लिए राष्ट्रीय पहल (एनआईडी आई)	- डिजाइन-संबंधित क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। - नवप्रवर्तकों को वित्तीय सहायता, बुनियादी ढाँचा समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करता है। - शिक्षा जगत, उद्योग और सरकारी निकायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। - सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने वाले नवीन उत्पादों और समाधानों के विकास की सुविधा प्रदान करता है। - देश में डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देता है।	- शैक्षणिक संस्थान और अनुसंधान संगठन आवेदन करने के पात्र हैं। - आवेदकों को डिजाइन से संबंधित क्षेत्रों जैसे उत्पाद डिजाइन, औद्योगिक डिजाइन, फैशन डिजाइन आदि में नवीन विचारों या परियोजनाओं का प्रदर्शन करना चाहिए। - कई हितधारकों (शिक्षा, उद्योग, सरकार) से जुड़े सहयोगात्मक प्रस्तावों को प्रोत्साहित किया जाता है।	- इच्छुक आवेदक योजना के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए ऑनलाइन पोर्टल या निर्दिष्ट आवेदन पत्र के माध्यम से अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। - आवेदन में प्रस्तावित परियोजना, उसके उद्देश्यों, कार्यप्रणाली, अपेक्षित परिणामों, बजट आवश्यकताओं आदि के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल होनी चाहिए। - विशेषज्ञों का एक दल, जिसमें डिजाइन, नवाचार, उद्यमिता और प्रौद्योगिकी जैसे प्रासंगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं, पूर्वनिर्धारित मानदंडों के आधार पर प्रस्तावों का मूल्यांकन करेंगे। - शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को आगे के मूल्यांकन के लिए चयन समिति के सामने अपने प्रस्ताव पेश करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। - अंतिम चयन प्रस्ताव की योग्यता, संभावित प्रभाव, व्यवहार्यता और एनआईडीआई योजना के उद्देश्यों के साथ संरेखण पर आधारित होगा। - चयनित आवेदकों को योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता, सुविधाओं तक पहुंच और अन्य संसाधन प्राप्त होंगे।

स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहित करती योजनाएं

फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्यूरशिप डेवलपमेंट (एफआईडीआई) <https://fied.in/>

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर के इन्क्यूबेशन सेंटर एफआईडीआई का उद्देश्य भारत के उद्यमिता पारिस्थितिकी को मजबूत करना है। एफआईडीआई भारत के कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला, हरित ऊर्जा, कचरा प्रबंधन, पर्यटन और आतिथ्य, सामाजिक उद्यमिता और संवेदनशील विकास लक्ष्यों आदि क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेशन सुविधा प्रदान करता है। यह व्यापार आईडिया को अधिक बेहतर बनाने, मिनिमम न्यूनतम खरीद योग्य उत्पाद विकसित करने, लंबे और छोटे समय के व्यापार की योजना बनाने, उत्पाद/सेवाओं को बाजार से

जोड़ने, सीड कैपिटल के लिए एंजेल निवेशकों/ वेंचर कैपिटल कंपनियों से जुड़ने, एवं सीड स्तर से सीरीज स्तर तक की वित्तीय व्यवस्था करने में सहयोग करता है।

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन एवं चयन प्रक्रिया
1.	आरकेवीवाई रफ्तार एग्री बिजनेस इनक्यूबेशन प्रोग्राम (RABI)— कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	- चयनित सीड स्टेज/प्री सीड स्टेज स्टार्टअप के लिए कृषि उद्यमिता पर ओरिएंटेशन। - चयनित सीड स्टेज स्टार्टअप को अधिकतम रु. 25 लाख की अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। - चयनित प्री सीड/ आइडिया स्टेज स्टार्टअप को योजना के तहत रु. 5 लाख की अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। - आर के वी वाई रफ्तार योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को अपने नवीन उत्पादों अथवा अभिनव प्रयासों के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा चुने गए इन्क्यूबेशन सेंटरों के माध्यम से रु. 5 लाख से रु. 25 लाख तक अनुदान सहायता प्रदान किया जाता है। इस सहायता के लिए स्टार्टअप को कहीं से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर उद्यमी अपना पूंजी लगाना चाहे तो भी वह	- कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे स्टार्टअप जिन्होंने प्रोडक्ट, प्रोसेस या बिजनेस मॉडल में नवीनता का प्रदर्शन किया हो - स्टार्टअप को डीपीआईआईटी द्वारा परिभाषित स्टार्टअप के मानदंडों को पूरा करना चाहिए - प्री सीड स्टेज स्टार्टअप को उत्पाद या सेवा को विकसित करने के लिए एक बिजनेस आईडिया होना चाहिए जिसमें मार्केट फिट/प्रूफ ऑफ कांसेप्ट/प्रोटोटाइप मौजूद हो। - प्राप्तकर्ता को समय-समय पर डीपीआईआईटी की अधिसूचना के अनुसार एक भारतीय स्टार्टअप होना चाहिए। यह समर्थन एमएनसी / विदेशी कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियों के लिए नहीं है। - स्टार्टअप के पास मार्केट फिट, व्यावसायिकीकरण, आगे बढ़ने के अवसर के साथ मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट/सर्विस की मौजूदगी हो। - स्टार्टअप को अपने मूल प्रोडक्ट या सर्विसेज या बिजनेस मॉडल में नवीनता/स्थानीय पहुँच का उपयोग करना चाहिए।	- स्टार्टअप्स के चयन हेतु आईआईएम काशीपुर FIED द्वारा आवेदन मंगाई जाएँगी जिसका प्रचार-प्रसार उनकी वेबसाइट्स और अन्य चैनलों के माध्यम से किया जाएगा। - इस कार्यक्रम के लिए सभी आवेदक निर्धारित प्रारूप के अनुसार आवेदन करेंगे। - आवेदक अपने स्टार्टअप के पात्रता मानदंड के आधार पर एक समय में प्री-सीड अथवा सीड फंडिंग दोनों में से किसी एक के लिए आवेदन कर सकता है। - आईआईएम काशीपुर FIED स्टार्टअप्स को रीजनल इन्क्यूबेशन समिति को प्रस्तुत करने से पहले अपने स्तर पर प्रारंभिक स्क्रीनिंग कर सकता है। कृषि में नवाचार करने वाले स्टार्टअप्स जिनकी किसानों और मौजूदा कृषि प्रणाली में बेहतर पहुँच और प्रभाव हो को प्राथमिकता दी जाएगी। - सेंट्रल इन्क्यूबेशन समिति (सीआईसी) जो की नॉलेज पार्टनर के स्तर पर गठित की जाती है रीजनल इन्क्यूबेशन समिति (आरआईसी) की

		इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले अनुदान का लाभ ले सकता है।		सिफारिश पर स्टार्टअप का मूल्यांकन करते हुए अनुदान की मात्रा और माइलस्टोन को लेकर फैसला करेगी।
2.	स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना – उद्योग और आंतरिक व्यापार विकास विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।	- स्टार्टअप के प्रूफ ऑफ कांसेप्ट वेलिडेशन, प्रोटोटाइप विकास, या उत्पाद परीक्षण के लिए अधिकतम रुपये 20 लाख के रूप में अनुदान। यह अनुदान माइलस्टोन आधारित किस्तों में वितरित किया जाएगा। इन माइलस्टोन्स का सम्बन्ध उत्पाद प्रोटोटाइप, उत्पाद परीक्षण, मार्केट लॉन्च के लिए तैयार उत्पाद का निर्माण, आदि से हो सकता है। - स्टार्टअप को मार्केट एंट्री, व्यवसायीकरण अथवा स्केलिंग के लिए 50 लाख रुपये कनवर्टिबल डिबेंचर, डेब्ट अथवा डेब्ट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट के रूप में मिल सकता है। - एक स्टार्टअप आवेदक योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार एक बार ग्रांट और डेब्ट/कनवर्टिबल डिबेंचर्स के रूप में सीड फंडिंग का लाभ उठा सकता है।	- ऐसे स्टार्टअप, जिसे डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त हो, आवेदन के समय दो वर्ष से पुराना न हो। - स्टार्टअप के पास उत्पाद या सेवा विकसित करने का एक बिजनेस आईडिया होना चाहिए जो मार्केट फिट, व्यावसायीकरण एवं स्केलिंग के आधार पर अनुकूल हो। - स्टार्टअप को लक्षित समस्या को हल करने के लिए अपने मुख्य उत्पाद या सेवा, या व्यवसाय मॉडल, या वितरण मॉडल, या कार्यप्रणाली में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए। - सोशल इम्पैक्ट, कचरा प्रबंधन, जल प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवाएं, ऊर्जा, गति, रक्षा, अंतरिक्ष, रेलवे, तेल और गैस, वस्त्रोद्योग, आदि जैसे क्षेत्रों में नवाचारी हल बनाने वाले स्टार्टअप्स को अधिकतम प्राथमिकता दी जाएगी। - कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के अनुसार, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के लिए इनक्यूबेटर में आवेदन	- स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर निरंतर आधार पर स्टार्टअप्स को आवेदनों के लिए ऑनलाइन कॉल की जाती है। डीपीआईआईटी- मान्यता प्राप्त स्टार्टअप योजना के लिए आवेदन करने के लिए स्टार्टअप मान्यता प्रक्रिया के दौरान उपयोग किए गए क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। आवेदन जमा करना पूरी तरह से ऑनलाइन है, और दस्तावेजों को भौतिक रूप से जमा करने की आवश्यकता नहीं है। - प्रत्येक स्टार्टअप के आवेदन की समीक्षा स्टार्टअप द्वारा आवेदन किए गए चुने गए इनक्यूबेटर्स द्वारा गठित एक इनक्यूबेटर सीड प्रबंधन समिति (आईएसएमसी) द्वारा की जाएगी। समिति भविष्य में स्टार्टअप के प्रदर्शन के मूल्यांकन और आगे की किस्तों के वितरण के लिए भी जिम्मेदार होगी। - स्टार्टअप के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित पैरामीटर शामिल हैं :व्यवहार्यता, संभावित प्रभाव, नयापन, स्टार्टअप की टीम, फंड

		• किसी भी नवाचारी स्टार्टअप में कार्य कर रहे महिला अथवा पुरुष उद्यमी को प्रोत्साहन अथवा इन्क्यूबेशन सहायता के लिए आई आई एम काशीपुर स्थित इन्क्यूबेशन सेंटर फीड द्वारा किसी भी प्रकार का कोई शुल्क अथवा न्यूनतम धनराशि नहीं लिया जाता है।	• के समय स्टार्टअप में भारतीय प्रमोटरों की हिस्सेदारी कम से कम 51% होनी चाहिए। • एक स्टार्टअप आवेदक स्टार्टअप इंडिया सीड फण्ड योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रांट और डेब्ट/कनवर्टिबल डिबेंचर के रूप में एक बार ही सहायता प्राप्त कर सकता है।	यूटिलाइजेशन प्लान, प्रेजेंटेशन कोई अतिरिक्त पैरामीटर।
--	--	--	---	---

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI)—देहरादून।



संक्षिप्त परिचय :- सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक प्रमुख साइंस एवं टेक्नोलॉजी संगठन है, 1991 में अपनी स्थापना के बाद से एसटीपीआई राष्ट्रीय स्तर पर समान और समावेशी आईटी विकास की दिशा में काम कर रहा है जिससे सॉफ्टवेयर निर्यात, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) और सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास को बढ़ावा देने में मदद की है। 11 क्षेत्राधिकार निदेशालयों और 65 केंद्रों के साथ, एसटीपीआई ने आईटी/आईटीईएस उद्योग का समर्थन करने के लिए अपनी सेवाओं का पूरे देश में विस्तार किया है।

एसटीपीआई के उद्देश्य/कार्य इस प्रकार हैं :

- क) सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) समर्थित सेवाएं जैव-आई टी सहित सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर सेवाओं के विकास और निर्यात को बढ़ावा देना।
- ख) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी)/इलेक्ट्रॉनिकी और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) योजनाओं तथा इनके जैसी अन्य योजनाओं, जोकि सरकार द्वारा समय-समय पर निरूपित करके सौंपी जाती हैं, को कार्यान्वित करके निर्यातकों को संवैधानिक तथा संवर्धन सेवाएं उपलब्ध कराना।
- ग) आईटी/आईटी समर्थित सेवाओं (आईटीईएस) सम्बद्ध उद्योगों को मूल्य संवर्धित सेवाओं सहित डेटा संचार सेवाएं उपलब्ध करना।
- घ) आईटी/आईटीईएस के क्षेत्र में उद्यमशीलता के लिए सहायक वातावरण सृजित करके छोटे, लघु व मझोले उद्यमियों को बढ़ावा देना।

उपरोक्त उद्देश्यों के अलावा एसटीपीआई, इन्टरनेट ऑफ चिप्स (IoT), ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), कंप्यूटर विज्ञान, रोबोटिक्स, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन (RPA), ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट, गेमिंग के लिए विभिन्न डोमेन के लिए डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, फिनटेक, एग्रीटेक, मेडटेक, ऑटोनॉमस कनेक्टेड इलेक्ट्रिक एंड शेयर्ड मोबिलिटी (एसीईएस), ईएसडीएम, साइबर सिक्योरिटी, इंडस्ट्री 4.0, ड्रोन, एफिशिएंसी ऑगमेंटेशन आदि जैसे उभरती हुई तकनीकी के क्षेत्र में IT/ITES उद्योग, नवाचार, रिसर्च एवं डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स, उत्पाद आईपी निर्माण को बढ़ावा देने में लगा हुआ है।

उपरोक्त प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारत के नेतृत्व स्थापित करने के लिए एसटीपीआई सहयोगात्मक तरीके से देश भर में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप/टेक्नोलॉजी (CoE/Technology) इन्क्यूबेटर्स की स्थापना कर रहा है। अब तक, एसटीपीआई ने 24 सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (CoE) लॉन्च किए हैं।

एसटीपीआई ने अगली पीढ़ी की उष्मायन योजना (एनजीआईएस) शुरू की है, जो स्टार्टअप्स को व्यापक समर्थन और सेवाओं की पेशकश करने के लिए एक फ्यूचरिस्टिक इन्क्यूबेशन योजना है और राष्ट्रीय स्तर पर एसटीपीआई इस योजना के अंतर्गत 12 स्थानों (देहरादून सहित) से स्टार्टअप शुरू करने के लिए सीड फंडिंग एवं स्टार्टअप की भी सहायता दी जा रही है।

क्र० स०	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	एनजीआईएस चुनौती (NGIS CHUNAUTI) कार्यक्रम	1. स्टार्टअप सीड फंडिंग राशि रु 25.00 लाख रुपये तक। 2. स्टार्टअप राशि रु 10,000/ प्रति इर्न (अधिकतम 03 के लिए)/ प्रति स्टार्टअप (अधिकतम 06 माह तक) 3. बुनियादी ढांचा सुविधा तत्काल जैसे कार्यशील प्लग एंड प्ले स्थान, उच्च गति इन्टरनेट सुविधा। 4. मेंटरशिप 5. सॉफ्टवेयर उत्पाद सुरक्षा परीक्षण के लिए पूर्ण विकसित सुरक्षा और भेद्यता परीक्षण सुविधा	1-यह चुनौती भारतीय स्टार्ट-अप्स से प्रस्ताव/ आवेदन आमंत्रित करती है जो सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास से संबंधित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 2- स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम के तहत DPIIT के साथ पंजीकृत स्टार्ट-अप्स को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 3-व्यक्तिगत शिक्षाविद, शोधकर्ता, शिक्षक, उद्यमी, साझेदारी फर्म,	चुनौती (CHUNAUTI) कार्यक्रम में, एक व्यक्ति या एक स्टार्टअप सीड फंड प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है, जिसकी राशि 25.00 लाख रुपये तक हो सकती है। इस कार्यक्रम में, स्टार्टअप लगातार आवेदन कर सकता है। उन्हें टीम, विचार, एमवीपी, राजस्व विवरण आदि के बारे में विवरण भरना होगा। एक बार आवेदन पूरा होता है, तो यह तीन चरणों के चयन प्रक्रिया से गुजरता है। Stage 1: पूर्व छानबीन समिति (PSC) संभावित स्टार्टअप को शॉर्टलिस्ट करती है। पीएससी में कम से कम 5 सदस्य होते हैं। प्रत्येक पीएससी में कम से कम एक एनजीआईएस संस्थान से एसटीपीआई अधिकारी और दो मेंटर/बाहरी सदस्य (उस स्थान के एनजीआईएस मेंटर पूल/केपीसे) होते हैं। Stage 2: एक बार, पीएससी की सिफारिश के बाद, शॉर्ट लिस्टेड स्टार्टअप को पूर्ण-प्रस्तावना अवसर

			LLP भी भाग ले सकते हैं, हालांकि, यदि उन्हें चुना जाता है तो उन्हें एक निर्धारित समय (अधिमानत: 3 महीने के भीतर) में निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकरण करना होगा।	प्रदान किया जाता है जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधन समिति (RMC) की उपस्थिति होती है। RMC प्रस्तुती की गुणवत्ता के आधार पर सीड या स्टार्टअप या छूट के लिए सिफारिश कर सकती है। स्टार्टअप के लिए, आरएमसी तीन महीने बाद प्रगति का अवलोकन करती है और प्रगति के आधार पर सीड के लिए सिफारिश कर सकती है। Stage 3: एक बार, स्टार्टअप को सीड के लिए सिफारिश की जाती है, तो निवेश प्रबंधक द्वारा विस्तार से विजिलेंस की जाती है। यदि यह मानदंड रखता है और निवेश समिति को विचार या कंपनी में मान्यता मिलती है, तो वह इक्विटी वित्तीय के तौर पर रुपये 25.00 लाख तक की राशि जारी कर सकती है। एनजीआईएस योजना के तहत चुनौती (CHUNAUTI) कार्यक्रम में आवेदन एसटीपीआई के स्टार्टअप कम्युनिटी नेटवर्क पोर्टल https://sayuj.stpi.in/ के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। एनजीआईएस योजना के अलावा एसटीपीआई के देश में स्थित अन्य उद्यमशीलता केन्द्रों (COE) के माध्यम से समय-समय पर संचालित ओपन चैलेंज प्रोग्राम में भी उक्त पोर्टल से आवेदन किया जा सकता है।
2	ऊष्मायन सुविधाएं (Incubation facilities)	i) उत्पाद विकास या अनुसंधान एवं विकास में लगी कंपनियों को किराये में 40% तक की छूट मिलती है। ii) जो कंपनियां उत्पाद विकास या अनुसंधान एवं विकास में शामिल नहीं हैं, उन्हें किराये में 20% तक की छूट	आईटी/आईटीईएस एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के उद्यमी	आवेदन प्रक्रिया: 1. चेकलिस्ट के आधार पर इन्क्यूबेटी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन का लिंक इस प्रकार है: https://stpiworkspace.stpi.in/

		मिलती है। iii) उत्पाद विकास या अनुसंधान एवं विकास में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नेतृत्व वाली कंपनियों को किराये में 50% तक की छूट मिलती है। iv) उत्पाद विकास या अनुसंधान एवं विकास में शामिल न होने वाली एससी/एसटी नेतृत्व वाली कंपनियों को किराये में 40% तक की छूट मिलती है। v) महिला नेतृत्व वाले उद्यमियों को अतिरिक्त 5% की छूट मिलती है। vi) दिव्यांगजन उद्यमियों को अतिरिक्त 5% की छूट मिलती है। 2. रियायती कीमतों पर विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की जाती है। 3. उपयोग के आधार पर संबंधित सुविधाएं जैसे रिसेप्शन, कॉन्फ्रेंस / मीटिंग रूम, पर्याप्त पार्किंग स्थान, 24X7 इन्क्यूबेशन सेवा समर्थन और एनओसी (नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर) और 24X7 पावर बैकअप (DG & UPS) की सुविधा प्रदान की जाती है।		चयन प्रक्रिया: इनक्यूबेशन स्थान का विज्ञापन वेब-साइटों और अन्य विपणन चैनलों के माध्यम से किया जाएगा। संभावित इनक्यूबेटर्स के प्रस्तावों का विश्लेषण संबंधित केंद्र द्वारा विभिन्न मापदंडों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है। 2. विश्लेषित प्रस्ताव सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा, जो उसके बाद कंपनी/व्यक्ति आदि को स्थान देने का निर्णय लेगा। 3. सलाहकार बोर्ड विभिन्न मापदंडों जैसे कर्मचारियों की संख्या, प्रस्ताव की कुल लागत, अनुसंधान एवं विकास घटक का प्रतिशत आदि के आधार पर प्रस्ताव की जांच करेगा।
--	--	---	--	--

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ऋषिकेश देहरादून



क्र.सं.	सेवा/कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया/चयन प्रक्रिया
1	बाह्य रोगी (ओपीडी) सेवा	रोग का निदान	समस्त रोगी	सर्वप्रथम गेट नंबर 03 से मरीज का प्रवेश (सुरक्षा कर्मी मरीज को सेवावीर से आभा टोकन लेने के लिए मार्गदर्शन करते हैं यानी ओपीडी पंजीकरण के बाहर सेवावीर काउंटर से। मरीज के परिचारक को सेवावीर टीम द्वारा आभा टोकन जारी किया जाता है। रजिस्ट्रेशन स्टाफ मरीज से उसकी बीमारी/समस्या के बारे में पूछता है। मरीज ओ.पी.डी पर्ची लेता है और संबंधित विभाग में जाता है और अपने इलाज करने वाले डॉक्टर से परामर्श करते हैं। यदि डॉक्टर ने किसी जांच/भर्ती का सुझाव दिया है तो मरीज पंजीकरण क्षेत्र में वापस आ जाते हैं। बिलिंग काउंटर से बिल लेने के बाद मरीज जांच/वार्ड के लिए वापस जाते हैं। रोगी संबंधी सभी पूछताछ के लिए संपर्क नंबर— 8475000144, 24 घंटे उपलब्ध है।
2	ऑनलाइन नियुक्ति/अपॉइंटमेंट	स्वास्थ्य सेवाओं तक मरीजों की पहुंच हेतु ऑनलाइन अपॉइंटमेंट प्रणाली है।	समस्त रोगी	एम्स ऋषिकेश की वेबसाइट www.aiimsrishikesh.edu.in पर जाएं। रोगी देखभाल, टैब पर क्लिक करें और ओपीडी सेवाएं चुनें। ओपीडी सेवा अनुभाग के तहत, आप उस विभाग का चयन कर सकते हैं जिसके लिए आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। फिर आपको

				एक नए पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा जहां आप अपनी नियुक्ति के लिए तारीख और समय का चयन कर सकते हैं। अपनी सुविधा और उपलब्धता के अनुसार पसंदीदा स्लॉट चुनें। एक बार जब आप स्लॉट चुन लेते हैं, तो आपको कुछ बुनियादी विवरण भरने होंगे जैसे कि आपका नाम, पता, संपर्क नंबर और ईमेल पता। यदि लागू हो तो आपको अपने डॉक्टर के नुस्खे या रेफरल पत्र की स्कैन की हुई प्रति भी अपलोड करनी होगी। सभी आवश्यक विवरण भरने के बाद, अपनी नियुक्ति बुक करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपकी अपॉइंटमेंट की सफल बुकिंग के बाद आपको एक पुष्टिकरण संदेश और एक अपॉइंटमेंट आईडी प्राप्त होगी।
3	टेलीमेडिसिन सेवाएं	मरीज निम्नलिखित तरीकों से एम्स ऋषिकेश में टेलीमेडिसिन सेवाओं तक पहुंच सकते हैं : 1. हब और स्पोक मॉडल के माध्यम से टेलीपरामर्श (ई-संजीवनी) 2. फोन कॉल के माध्यम से टेली फॉलो – अप (7302895044) टेलीपरामर्श सेवा	समस्त रोगी	टेलीपरामर्श सेवा का उपयोग करने के लिए, मरीज निकटतम स्पोक केंटर में जाता है और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की सहायता से ई-संजीवनी पोर्टल पर पंजीकरण कराता है। • पंजीकरण और परामर्श: पंजीकरण के बाद, स्पोक केंटर एम्स ऋषिकेश में हब कंप्यूटर से संपर्क करता है। इसके बाद मरीज इस प्रणाली के माध्यम से एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त कर सकता है। यह प्रक्रिया ई-संजीवनी के हब और स्पोक मॉडल का उपयोग करके मरीजों को दूर से ही विशेषज्ञ चिकित्सा सलाह प्राप्त करना सुनिश्चित करती है। टेली फॉलो-अप सेवा टेली फॉलो-अप के लिए, एम्स ऋषिकेश निम्नलिखित प्रदान करता है:- • पात्रता : केवल वे मरीज जो पहले एम्स ऋषिकेश में इलाज करा चुके हैं और एम्स ओपीडी नेटवर्क पर पंजीकृत हैं, इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। • अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग :- मरीजों को उनके फॉलो-अप कॉल के लिए एक तारीख और समय आवंटित किया जाता है, जिसे संबंधित विभाग के संकाय को सूचित किया जाता है। • फॉलो-अप कॉल विभाग मरीजों की निरंतर देखभाल और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए फॉलो-अप परामर्श आयोजित करने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करता है।

4	हेली आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं	गंभीर रूप से बीमार या घायल रोगियों को त्वरित चिकित्सा सहायता और परिवहन प्रदान करने के लिए हेली आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। हेली सेवाएं चिकित्सा उपकरणों तथा प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवरों से सुसज्जित है।	गंभीर रूप से बीमार या घायल रोगी। विशेष रूप से दूरदराज या दुर्गम क्षेत्रों में लोगों के लिए।	सर्वप्रथम टोल-फ्री नंबर : 18001804278 पर अथवा ईमेल: heli@aiimsrishikesh.edu.in पर अवगत कराया जा सकता है तथा चिकित्सा प्रयोजनों के लिए, रोगी को एम्स ऋषिकेश में स्थानांतरित करने के लिए निकटतम पीएचसी/सीएचसी के सीएमओ से संपर्क किया जाना चाहिए। सीएमओ द्वारा आगे अनुरोध किया जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए, आप ट्रॉमा टेलीमेडिसिन टीम से traumatelemedicine@aiimsrishikesh.edu.in पर संपर्क कर सकते हैं।
5	एम्स, ऋषिकेश की एम्बुलेंस सेवाएं	एम्स ऋषिकेश मरीजों को अस्पताल लाने-ले जाने के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान करता है।	समस्त मरीज जो आपातकाल में अस्पताल में आना चाहते हैं या अस्पताल से जाना चाहते हैं।	एम्स ऋषिकेश में कुल पांच एम्बुलेंस हैं :- ● 2 बेसिक लाइफ सपोर्ट (बी.एल.एस) एम्बुलेंस ● 2 उन्नत कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट (एसीएलएस) एम्बुलेंस ● 1 बेसिक एम्बुलेंस (केवल रोगी परिवहन के लिए) एम्बुलेंस सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया – एम्स से भर्ती मरीजों या परिवहन के लिए 1. एम्बुलेंस सेवाओं की आवश्यकता वाले मरीजों को आपातकालीन चिकित्सा विभाग में ट्राइएज काउंटर से संपर्क करना चाहिए। ट्राइएज अधिकारी एक मूल फॉर्म भरने के बाद मरीज की स्थिति और आवश्यकताओं के आधार पर एम्बुलेंस सेवा प्रदान करेगा। 2. शुल्क एक राउंड ट्रिप के लिए दर ₹14 प्रति किमी है, जिससे 70 किमी तक की दूरी तय की जा सकती है। ● 70 किमी से अधिक दूरी के लिए चिकित्सा अधीक्षक से अनुमति आवश्यक है। एम्बुलेंस सेवा के लिए संपर्क जानकारी— ● ट्राइएज अधिकारी— 7060005868, एम्बुलेंस चालक— 8126787624
6	रोबोटिक सर्जरी स्वास्थ्य सेवा में क्रांति	एम्स ऋषिकेश रोबोट— असिस्टेड सर्जरी करता है। मरीज को तत्काल	समस्त मरीज	2018 में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के बाद से एम्स ऋषिकेश ने लगातार यूरोलॉजी, स्त्री रोग, बाल चिकित्सा सर्जरी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और सामान्य सर्जरी जैसे विभागों में उन्नत रोबोट-सहायक प्रक्रियाएं प्रदान की हैं, और 1500 से अधिक

		राहत दिलाने में सहायक।		सर्जरी सफलतापूर्वक की हैं।
7	जन औषधि केंद्र स्टोर सेवाएँ,	ओपीडी और आईपीडी रोगियों के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं और सर्जिकल आइटम उपलब्ध कराना और रोगियों की जेब से होने वाले खर्च को कम करना।	समस्त मरीज	अस्पताल के परिसर में जन औषधि केंद्र है। डॉक्टर द्वारा लिखी गयी दवाईयां/ सर्जिकल आइटम यहां से खरीदे जा सकते हैं।
8	एम्स ऋषिकेश में अंग प्रत्यारोपण	एम्स ऋषिकेश में अंग प्रत्यारोपण सेवाएं उपलब्ध हैं।	संबंधित मरीज	नेत्र व किडनी ट्रांसप्लांट वर्तमान में चल रहे हैं। लिवर प्रत्यारोपण, ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन और कैडवेरिक ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन की अनुमति राज्य सरकार से प्राप्त हो गयी है यह सुविधा भी भविष्य में प्रारम्भ हो जाएगी।
9	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	मानसिक रोग का उपचार,	आंतरिक रोगी सुविधा सहित सभी मानसिक रोगी	एम्स ऋषिकेश में पंजीकरण के उपरांत डॉक्टरों द्वारा परामर्श एवं काउंसलिंग की जाती है।
10	आयुष्मान भारत योजना	आयुष्मान भारत योजना में पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज किया जाता है।	आयुष्मान कार्ड धारक मरीज।	आयुष्मान कार्ड धारक मरीज यदि चिकित्सालय में भर्ती होता है तो उसका 05 लाख तक का निशुल्क इलाज कराया जाता है। यदि आयुष्मान कार्ड न बना हो तो उसके लिए राशन कार्ड एवं आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, जो अस्पताल में भी बनाया जा सकता है।
11	आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (आभा कार्ड)	आभा कार्ड बनाने से मरीज के सारे इलाज के डाक्यूमेंट्स इसमें सुरक्षित हो जाते हैं और मरीज को अस्पताल में रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता क्यू आर स्कैन	समस्त नागरिक/ मरीज	आभा कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो उसकी आवश्यकता होती है। अस्पताल में मरीज के ओपीडी पंजीकरण या आईपीडी पंजीकरण दोनों में आभा कार्ड का लाभ ले सकते हैं। आभा में पंजीकरण कोई भी नागरिक स्वयं भी कर सकता है।

		करके टोकन जेनरेट हो जाता है।		
12	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	उत्तराखण्ड राज्य के 0 से 18 साल तक के बच्चे का MoU के अनुसार आर.बी.एस.के अंतर्गत आने वाली विभिन्न सर्जरी का निशुल्क इलाज किया जाता है।	उत्तराखण्ड के डी.ई. आई.सी (District Early Intervention Centre) से सन्दर्भित किये गए 0 से 18 साल तक के बच्चे। अथवा एम्स ऋषिकेश में सीधे पहुँचने वाले रोगी।	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में दी गयी दिशा-निर्देश के अनुसार विभिन्न सर्जरी का निशुल्क इलाज (Neural tube Defects] Cleft lip and Cleft Palate] Talipes (club foot), Developmental Dysplasia of the Hip (DDH), Congenital Heart Disease (CHD), Retinopathy of Prematurity] Otitis Media] Rheumatic Heart Disease] Dental Caries] Vision Impairment (न्यूरल ट्यूब दोष, कटे होंठ और कटे तालु, टैलिप्स (क्लब फुट), कूल्हे का विकासत्मक डिसप्लेसिया (डीडीएच), जन्मजात हृदय रोग (सीएचडी), प्रीमैच्योरिटी की रेटिनोपैथी, ओटिटिस मीडिया, आमवाती हृदय रोग, दंत क्षय, दृष्टि हानि) आदि।
13	राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम- निक्षय पोषण योजना	रु. 500 प्रति माह, टी. बी. का उपचार चलने तक की अवधि तक (राज्य द्वारा)	टी. बी. के सभी नये मरीजों के लिए	जहाँ से मरीज अपना उपचार ले रहा है जैसे कि –जिला टीबी केंद्र (डीटीसी), क्षय रोग इकाई (टीयू) स्तर, PHI (पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूट) से संपर्क करें। एम्स में भी उपचार करा सकते हैं।
14	मरीज कल्याण प्रकोष्ठ (Patient Welfare Cell)	विभिन्न निकायों और स्रोतों से मरीजों को निःशुल्क उपचार है। इस योजना से 03 हजार के करीब लोगों को फायदा हुआ है	ऐसे गरीब मरीज, जो इलाज का पूर्ण खर्च नहीं उठा पाते हैं।	इसके तहत चार स्तर से राहत प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री राहत कोष (केंद्रीय स्तर), मुख्यमंत्री राहत कोष (राज्य स्तर), ग्राम्य विकास अभिकरण (जिला स्तर), स्वैच्छिक गैर सरकारी संगठन, अन्य निकायों से मरीजों को निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम मरीज इलाज के लिए डॉक्टर से संपर्क करता है। निदान और उपचार योजना के बाद, यदि मरीज गरीब है, तो डॉक्टर मरीज को कल्याणकारी योजनाओं के बारे में मार्गदर्शन करते हैं। डॉक्टर उपचार अनुमान फॉर्म भरते हैं और चिकित्सा अधीक्षक (MS) से अनुमोदन प्राप्त करते हैं। अनुमोदित अनुमान फॉर्म संबंधित कल्याणकारी निकायों को अग्रसारित किया जाता है और राशि AIIMS मरीज कल्याण खाते में प्राप्त होती है। विभिन्न उद्देश्यों (दवाइयाँ/इम्प्लांट/आदि) के लिए राशि वितरित की जाती है और अंतिम निपटान फॉर्म मरीज को दिया जाता है। मरीज स्वीकृत विक्रेताओं से आवश्यक वस्तुएं अंतिम निपटान फॉर्म का उपयोग करके खरीदता है। मरीज/विक्रेता सत्यापित बिल को मरीज

				कल्याण डेस्क पर जमा करता है और राशि का श्रेय दिया जाता है। अतिरिक्त राशि को निधि एजेंसी को वापस कर दिया जाता है।
15	एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (AIDS control programme)	एचआईवी पॉजिटिव मरीज को मुफ्त इलाज और जांच की सुविधा उपलब्ध है	एचआईवी पॉजिटिव रोगी।	उन सभी रोगियों को जिनकी एचआईवी पॉजिटिव रिपोर्ट ICTCC (एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केंद्र) द्वारा अनुमोदित है। उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में रोगी का पंजीकरण कराना होगा।
16	विभिन्न पाठ्यक्रमों का आयोजन।	न्यूनतम शुल्क में संबंधित कोर्सों की शिक्षा प्रदान की जाती है।	विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से।	एम्स ऋषिकेश द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों का आयोजन कराया जाता है सीटों की संख्या निम्न है: 1- एम.बी.बी.एस- 125 प्रति वर्ष 2- एम.डी/एम.एस-388 प्रति वर्ष 3- डी.एम/एम.सी.एच-260 प्रति वर्ष 4- बी.एस.सी नर्सिंग -100 प्रति वर्ष 5- एम.एस.सी नर्सिंग -25 प्रति वर्ष 6- ऐलाइड हेल्थ सर्विसिज़-50 प्रति वर्ष उक्त से संबंधित समस्त सूचनाओं का विवरण एम्स ऋषिकेश की वैबसाइट www.aiimsrishikesh.edu.in पर उपलब्ध है। पाठ्यक्रमानुसार नीट/अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा/एम्स द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के आधार पर चयन होता है।

राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय संस्थान (NIESBUD)
क्षेत्रीय कार्यालय: एनएसटीआई परिसर, ग्रीनपार्क कॉलोनी, माजरा, निरंजनपुर,
देहरादून, उत्तराखंड।



संक्षिप्त परिचय :- राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (भारत सरकार) प्रशिक्षणार्थियों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, उद्यमशील माहौल बनाने, मौजूदा आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने और मौजूदा उद्यमों को समर्थन देने हेतु कौशल विकास संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों का आयोजन, सलाहकार की भूमिका एवं शोध संबंधी कार्य पूरे देश में कर रहा है। इसकी एक शाखा वर्ष 2005 से जनपद देहरादून में भी है। यह संस्थान परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के साथ ही उद्यमिता क्षेत्र में मार्गदर्शन का कार्य भी करता है। अद्यतन देहरादून की शाखा द्वारा 93800 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है तथा 152 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

उत्तराखण्ड सरकार के विभिन्न विभाग, जो अपने लाभार्थियों को उद्यमिता विकास से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना चाहते हैं, इस संस्थान से समन्वय स्थापित कर, प्रशिक्षणों का आयोजन कर सकते हैं। संस्थान क्लस्टर आधार पर भी उद्यमिता को बढ़ावा देता है तथा प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण करने, जैम पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं के विपणन करने, विभिन्न मंत्रालयों के साथ ट्रेड फेयर में प्रतिभाग करने, हेतु प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करता है। संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के माध्यम से कॉटन बैग, जूट बैग, फोल्डर तैयार करवाकर, विभागों का ऑर्डर पूरा किया गया। जिससे एक ओर प्रशिक्षणार्थियों को सीखने का मौका मिला वहीं दूसरी ओर विभाग को न्यूनतम दरों में उक्त सामान तैयार हो गया। इस तरह संस्थान उद्यमिता गतिविधियों को पूरे राज्य के समस्त जनपदों में आगे बढ़ाने हेतु प्रयासरत है।

रोजगार/स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में – पंजीकरण प्रक्रिया (भुगतान/अवैतनिक प्रशिक्षण)

राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, उत्तराखंड ने छात्रों, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, एसएचजी और डिफेंसपर्सनल और ऑनलाइन टीओटी के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी), उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और उद्यमिता-सह-कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) जैसी प्रशिक्षण गतिविधियों का भी आयोजन किया। एमएसवाई और आईआईबीएफ बीसी प्रशिक्षण आदि के तहत ईडीपी

प्रशिक्षण। इसके अलावा, संस्थान आईटीआई प्रशिक्षकों, एनएसडीसी प्रशिक्षण भागीदारों और विश्वविद्यालय / संस्थानों के संकायों आदि के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) और प्रबंधन विकास कार्यक्रम आदि का आयोजन करता है।

पंजीकरण प्रक्रिया— प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने से पहले संस्थान हमेशा समाचार पत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम का विज्ञापन देता था। प्रशिक्षु प्रशिक्षण स्थल या संस्थान में जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। प्रशिक्षु पंजीकरण के लिए या कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए कार्यक्रम के पाठ्यक्रम निदेशक/समन्वयक को कॉल या संपर्क भी कर सकते हैं।

- संस्थानों के प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑनलाइन और ऑफलाइन) अखिल भारतीय स्तर पर प्रशिक्षुओं के लिए निःशुल्क हैं।
- संस्थान ऑनलाइन और ऑफलाइन कुछ सशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

संस्थान केवल प्रशिक्षण प्रदान करता है या मार्केटिंग/मेंटरिंग और हैंडहोल्डिंग सहायता भी प्रदान करता है :-

संस्थान की मुख्य गतिविधियाँ प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है, इसके अलावा संस्थान उभरते और मौजूदा उद्यमियों को सलाह और सहायता भी प्रदान करता है।

- NIESBUD प्रतिभागियों के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में प्रशिक्षुओं की मदद करता है।
- प्रशिक्षित प्रतिभागियों को विभिन्न वित्तीय सहायता से जोड़ा जाता है। एमएसवाई नैनो, एमएसवाई, एमएसएसवाई, पीएमईजीपी, मुद्रा योजना और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना आदि जैसी योजनाएं
- ऋण के लिए बैंकों के साथ गठजोड़
- संस्थान प्रशिक्षुओं को स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में स्थान प्रदान करके उनके उत्पादों के विपणन में भी मदद करता है।
- NIESBUD ने NIESBUD प्रशिक्षुओं के लिए उद्यमकार्ट को एक विपणन मंच बनाया है। जहां प्रशिक्षु अपने उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री कर सकते हैं। संस्थान प्रशिक्षुओं को सिखाता है कि प्रतिभागी उन्हें ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल में कैसे पंजीकृत कर सकते हैं।
- प्रशिक्षु सलाह और सहायता के लिए NIESBUD वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत कर सकते हैं।

NIESBUD स्कूल, कॉलेजों और संस्थान के छात्रों को संस्थान दौरे की अनुमति देता है।

संस्थान विजिट प्रक्रिया विधि:-

1. NIESBUD का दौरा करने के लिए स्कूल, कॉलेज और संस्थान को NIESBUD का दौरा करने से पहले संस्थान को मेल या पत्र द्वारा सूचित करना होगा। आने वाले संस्थान को उद्देश्य, उद्देश्य और यात्रा कार्यक्रम सहित संस्थान, छात्रों का विवरण देना होगा।
2. NIESBUD क्षेत्रीय कार्यालय प्रधान कार्यालय, नोएडा से अनुमोदन और मंजूरी लेगा।
3. NIESBUD प्रधान कार्यालय की मंजूरी के बाद, संस्थान NIESBUD का दौरा कर सकता है।

केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (CIPET) डोईवाला, देहरादून

संक्षिप्त परिचय :- केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) (पहले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) के नाम से जाना जाता था) की स्थापना 1968 में चेन्नई में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की सहायता से भारत सरकार द्वारा की गई थी। इस विशिष्ट संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों में जनशक्ति विकसित करना था क्योंकि देश में ऐसा कोई संस्थान अस्तित्व में नहीं था। आज CIPET भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है जो डिजाइन, कैड/कैम/सीआई, टूलींग और मोल्ड विनिर्माण, उत्पादन इंजीनियरिंग, परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन जैसे प्लास्टिक्स के सभी पहलुओं में भारत के प्लास्टिक के सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से समर्पित हैं। पॉलिमर और संबद्ध उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सिपेट देश भर में फैले विभिन्न स्थानों से संचालित होता है।

प्लास्टिक और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के निरंतर प्रयास को उद्योग द्वारा बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है। सिपेट विशेष रूप से बेरोजगार और अल्प-रोजगार वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमियों को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्य पाठ्यक्रमों / तकनीकी सेवाओं का विवरण निम्नवत है :-



क्र.सं.	योजना /सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1-	3 वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम - प्लास्टिक टेक्नोलोजी - प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलोजी	डिप्लोमा उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार प्रदान कराया जाता है तथा प्रशिक्षणार्थी किसी अन्य कम्पनी/उद्यम में जाकर भी कार्य कर सकते हैं ।	1 10वीं पास 2 द्वितीय वर्ष में सीधा प्रवेश AICTE, भौतिकी/ गणित/ रसायन विज्ञान/ कंप्यूटरविज्ञान/ इलेक्ट्रॉनिक्स /सूचनाप्रौद्योगिकी/ जीवविज्ञान/सूचना विज्ञान अभ्यास/जैव प्रौद्योगिकी/ तकनीकी व्यावसायिक विषय/ कृषि/ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स/व्यावसायिक अध्ययन/उद्यमिता के साथ 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण या 10वीं तथा 2 वर्षीय आईटीआई इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में द्वितीय वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र।	1. अखिल भारतीय बेसिस पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट। आवेदन हेतु वेबसाइट www.cipet.gov.in पर उपलब्ध लिंक को खोलें। 2. केंद्र लेटरल एंट्री से पात्र उम्मीदवारों के प्रवेश को तीन सदस्यीय आंतरिक समिति का गठन करके साक्षात्कार या प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकता है।
2	उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन। उत्तराखंड वर्क फोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट	NSQF लेवल – 4 (960 घंटे) के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत निम्न कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाता है – 1. मशीन ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर – CNC	उत्तराखंड राज्य के बेरोजगार 10वीं/12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण युवा (उम्र सीमा- 18 वर्ष से 35 वर्ष)	अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए स्किल इंडिया पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है। तदपश्चात पाठ्यक्रम में नामांकन के

	(डोमेन एक्सपर्ट योजनान्तर्गत)	लेथ (MO&P & CNC-L) 2. मशीन ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर – CNC मिलिंग (MO&P & CNC&M) 2. मशीन ऑपरेटर –प्लास्टिक प्रोसेसिंग (MO&PP) 4. मशीन ऑपरेटर –इंजेक्शन मोल्डिंग (MO&IM) प्रशिक्षण के दौरान छात्रावास, पाठ्यक्रम सामग्री तथा ट्रेस आदि निःशुल्क प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात् रोजगार देने में सहायता प्रदान की जाती है।		लिए पंजीयन होता है।
3	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)	मशीन ऑपरेटर – इंजेक्शन मोल्डिंग प्लास्टिक (MO&IMP) तथा NSQF लेवल – 4 (510 घंटे) तथा मशीन ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर – CNC लेथ तथा मिलिंग (MO_&_CNC&L&M) NSQF लेवल – 4 (540घंटे) के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। छात्रावास ,पाठ्यक्रम सामग्री तथा ट्रेस आदि निःशुल्क प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात् रोजगार देनेमें सहायता प्रदान की जाती है।	10वीं /12वीं/ आईटीआई उत्तीर्ण युवा (उम्र सीमा- 18 वर्ष से 45 वर्ष)	अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए स्किल इंडिया पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है। तदपश्चात पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए पंजीयन होता है।
4	पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (CSR योजनान्तर्गत)	मशीन ऑपरेटर –प्लास्टिक प्रोसेसिंग तथा इंजेक्शन मोल्डिंग (MO-PP & MO-IM) NSQF लेवल –4 (960 घंटे) के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। छात्रावास, पाठ्यक्रम सामग्री	10वीं /12वीं / आईटीआई उत्तीर्ण युवा (उम्र सीमा – 18 वर्ष से 28 वर्ष, उम्र सीमा में नियमानुसार छूट)	पहले आओ – पहले पाओ कि तर्ज पर सिपेट में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंजीयन किया जाता है। साक्षात्कार समिति द्वारा चयन

		तथा ड्रेस आदि निःशुल्क प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात् रोजगार देने में सहायता प्रदान की जाती है।		प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है, जिसमें साक्षात्कार समिति द्वारा चयनित करने के बाद नामांकन किया जाता है।
5	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय (MSJE), भारत सरकार के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) (PM&DAKSH योजनान्तर्गत)	मशीन ऑपरेटर –प्लास्टिक प्रोसेसिंग (MO-PP), NSQF लेवल – 4 (960 घंटे) के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। छात्रावास, पाठ्यक्रम सामग्री तथा ड्रेस आदि निःशुल्क प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात् रोजगार देने में सहायता प्रदान की जाती है।	10वीं/12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण अनुसूचित युवा (उम्र सीमा– 18 वर्ष से 45 वर्ष)	अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए PM & DAKSH पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट देना होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट उत्तीर्ण होने के बाद साक्षात्कार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है। साक्षात्कार समिति द्वारा चयनित होने के बाद नामांकन किया जाता है।

नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, (NIM) उत्तरकाशी



संक्षिप्त परिचय :- उत्तराखंड, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साहसिक गतिविधियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राज्य में एडवेंचर पर्यटन का क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और यह 12वीं पास छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संस्थान जो कि पर्वतारोहण और साहसिक गतिविधियों के प्रशिक्षण के लिए भारत का प्रमुख संस्थान है, 12वीं पास छात्रों के लिए विभिन्न एडवेंचर पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्र न केवल साहसिक खेलों में पारंगत हो सकते हैं, बल्कि उन्हें पेशेवर करियर के रूप में भी अपना सकते हैं। संस्थान के द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों में बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, खोज एवं बचाव कोर्स, मेथड ऑफ इन्सट्रक्शन कोर्स, एडवेंचर कोर्स, स्कीइंग कोर्स, स्पोर्ट क्लाइम्बिंग कोर्स, माउंटेन टर्रेन बाइकिंग कोर्स, माउंटेन योग कोर्स और रॉक क्लाइम्बिंग कोर्स आदि पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। उत्तराखंड के एडवेंचर टूरिज्म में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। संस्थान से प्रशिक्षण के पश्चात, वे गाइड, ट्रेनर या यहां तक कि साहसिक पर्यटन उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। राज्य सरकार और संस्थान का प्रयास है कि अधिक से अधिक युवाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएं। इस प्रकार 12वीं पास छात्रों के लिए संस्थान का प्रशिक्षण न केवल उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से विकसित करता है, बल्कि उन्हें उत्तराखंड के एडवेंचर पर्यटन उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में भी मदद करता है।

संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद तथा विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय, शिक्षण संस्थानों व कॉर्पोरेट ग्रुप के लिए भी विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है, जिसमें उक्त संस्थानों से चयनित अभ्यर्थी प्रतिभाग करते हैं। संस्थान द्वारा विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय, शिक्षण संस्थानों व कॉर्पोरेट ग्रुप के अनुरोध पर स्पेशल बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, लीडरशिप एण्ड टीम बिल्डिंग कोर्स, स्पेशल सर्व एण्ड रेस्क्यू कोर्स तथा स्पेशल एडवेंचर कैम्पों का भी संचालन किया जाता है। संस्थान विशेषकर महिलाओं के लिए वर्ष भर में एक बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स तथा एक एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स का संचालन भी करता है। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा संचालित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिला प्रशिक्षणार्थी प्रतिभाग करती है। समस्त कोर्सों का विवरण निम्नवत है :-

क्र. सं०	योजना/सेवा का नाम	योग्यता	लाभ	पाठ्यक्रम शुल्क	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
01	बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स (28 दिन)	16 से 40 वर्ष के योग्य रिक्त आवंटित कोर्स सीट के उम्मीदवार। - मानसिक व शारीरिक रूप से सक्षम।	यह कोर्स शारीरिक स्वास्थ्य और आत्म-विश्वास को बढ़ाता है। यह नेतृत्व कौशल, साहस और प्राकृतिक वातावरण के साथ संवाद क्षमताओं को भी विकसित करता है।	- वर्ष 2024 के लिए रु0 22,550 प्रति व्यक्ति प्रति कोर्स फीस है। - प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि। <u>आवश्यक अभिलेख</u> - आवेदन पत्र - मेडिकल फॉर्म - क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) - आधार कार्ड - जन्म तिथि प्रमाण पत्र	रिक्त आवंटित कोर्स सीट के सापेक्ष ऑफलाइन व ऑनलाइन माध्यम से 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर किया जाता है। आवेदित कोर्स में सीट उपलब्ध न होने की स्थिति में अगले उपलब्ध कोर्स में आवंटन किया जाता है। इच्छुक प्रशिक्षणार्थी वर्ष भर आवेदन कर सकते हैं।
02	एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स (28 दिन)	18 से 42 वर्ष के योग्य उम्मीदवार। - एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स केवल NIM उत्तरकाशी, दार्जिलिंग, पहलगाम (J&K), गुलमर्ग (J&K), AMI,	यह कोर्स पर्वतारोहण के क्षेत्र में निपुण अभ्यर्थियों की तकनीकी क्षमताओं में वृद्धि करता है, जिससे व्यक्ति पर्वतारोहण में पूर्णतः सक्षम हो जाता है।	- वर्ष 2024 के लिए रु0 22,550 प्रति व्यक्ति प्रति कोर्स फीस है। - प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि।	

		सियाचिन (J&K) ITBP ट्रेनिंग सेंटर औली, जोशीमठ(चमोली). ए०बी०वी०आई० एम० और ए०एस०. मनाली, एस०जी०एम०आई० गंगटोक और निमास, दिरांग से बेसिक माउंटैनियरिंग कोर्स में 'ए' ग्रेड प्राप्त प्रशिक्षुओं के लिए है।		आवश्यक अभिलेख • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र • BMC Report	
03	सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स (21 दिन)	• 19 से 45 वर्ष के योग्य उम्मीदवार। • अभ्यर्थी जिन्होंने एडवांस माउंटैनियरिंग कोर्स में 'ए' ग्रेड प्राप्त किया हो।	यह पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों को आपात स्थितियों में स्थानीय लोगों की मदद करने के लिए सक्षम बनाता है और सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाता है। संस्थान द्वारा एस०डी०आर०एफ० और एन०डी०आर०एफ० को भी सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है।	• वर्ष 2024 के लिए रु0 22,550 प्रति व्यक्ति प्रति कोर्स फीस है। • प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि। आवश्यक अभिलेख • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र • AMC Report	रिक्त आवंटित कोर्स सीट के सापेक्ष ऑफलाइन व ऑनलाइन माध्यम से 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर किया जाता है। आवेदित कोर्स में सीट उपलब्ध न होने की स्थिति में अगले उपलब्ध कोर्स में आवंटन किया जाता है। इच्छुक प्रशिक्षणार्थी वर्ष भर आवेदन कर सकते हैं।
04	मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स (21 दिन)	• 19 से 45 वर्ष के योग्य उम्मीदवार। • अभ्यर्थी जिन्होंने एडवांस माउंटैनियरिंग कोर्स में 'ए' ग्रेड से किया हो।	यह कोर्स माउंटैनियरिंग क्षेत्र में शिक्षण कौशल को विकसित करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति पर्वतारोहण में संचार और शिक्षण कौशल	• वर्ष 2024 के लिए रु0 22,550 प्रति व्यक्ति प्रति कोर्स फीस है। • प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि।	

			को समझते हैं, जो अभ्यर्थियों को अन्य लोगों को सिखाने और प्रशिक्षित करने में सक्षम बनाता है।	आवश्यक अभिलेख • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र • AMC Report	
05	एडवेंचर कोर्स (14 दिन)	• 14 से 20 वर्ष के योग्य उम्मीदवार। • 20 से 50 वर्ष के योग्य उम्मीदवार।	एडवेंचर कोर्स एक रोमांचक अनुभव और सीखने का उत्कृष्ट माध्यम है।	• वर्ष 2024 के लिए ₹0 12,080 प्रति व्यक्ति प्रति कोर्स। • प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि। आवश्यक अभिलेख • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र	रिक्त आवंटित कोर्स सीट के सापेक्ष ऑफलाइन व ऑनलाइन माध्यम से 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर किया जाता है। आवेदित कोर्स में सीट उपलब्ध न होने की स्थिति में अगले उपलब्ध कोर्स में आवंटन किया जाता है। इच्छुक प्रशिक्षणार्थी वर्ष भर आवेदन कर सकते हैं।
06	बेसिक स्कीइंग कोर्स (14 दिन)	16 से 40 वर्ष के योग्य उम्मीदवार।	बेसिक स्कीइंग कोर्स एक रोमांचक अनुभव प्रदान करता है। इसके माध्यम से अभ्यर्थी न केवल स्कीइंग की तकनीकी कौशल सीखते हैं, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है।	• वर्ष 2024 के लिए ₹0 22,550 प्रति व्यक्ति प्रति कोर्स फीस है। • प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि। आवश्यक अभिलेख • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र	

07	इंटरमीडिएट स्कीइंग कोर्स (14 दिन)	16 से 40 वर्ष के योग्य उम्मीदवार। - अभ्यर्थी जिन्होंने बेसिक स्कीइंग कोर्स में 'ए' ग्रेड प्राप्त किया हो।	इंटरमीडिएट स्कीइंग कोर्स अभ्यर्थियों के स्कीइंग कौशल को सुधारने और उन्नत बनाने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। यह कोर्स अभ्यर्थियों को नई तकनीकों को सीखने का अवसर प्रदान करता है और उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाता है।	- वर्ष 2024 के लिए रू0 22,550 प्रति व्यक्ति प्रति कोर्स फीस है। - प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि।	रिक्त आवंटित कोर्स सीट के सापेक्ष ऑफलाइन व ऑनलाइन माध्यम से 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर किया जाता है। आवेदित कोर्स में सीट उपलब्ध न होने की स्थिति में अगले उपलब्ध कोर्स में आवंटन किया जाता है। इच्छुक प्रशिक्षणार्थी वर्ष भर आवेदन कर सकते हैं।
08	स्पोर्ट्स क्लाइम्बिंग कोर्स (11 दिन)	कोर्स 16 से 40 वर्ष के योग्य प्रदान उम्मीदवार।	स्पोर्ट्स क्लाइम्बिंग कोर्स एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है जो अभ्यर्थियों को पर्वतारोहण तथा शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है।	- वर्ष 2024 के लिए रू0 21,780 प्रति व्यक्ति प्रति कोर्स। - प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि।	
				आवश्यक अभिलेख - आवेदन पत्र - मेडिकल फॉर्म - क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) - आधार कार्ड - जन्म तिथि प्रमाण पत्र	
09	बेसिक माउंटेन टेरेन बाइक (बीएमटीबी) कोर्स (11 दिन)	16 से 45 वर्ष के योग्य उम्मीदवार।	इस कोर्स के माध्यम से अभ्यर्थियों को प्राकृतिक वातावरण में बाइकिंग कौशलों को सीखने का अवसर प्रदान करता है।	- वर्ष 2024 के लिए रू0 21,780 प्रति व्यक्ति प्रति कोर्स। - प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि।	रिक्त आवंटित कोर्स सीट के सापेक्ष ऑफलाइन व ऑनलाइन माध्यम से 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर किया जाता है। आवेदित कोर्स में

				आवश्यक अभिलेख - आवेदन पत्र - मेडिकल फॉर्म - क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) - आधार कार्ड - जन्म तिथि प्रमाण पत्र	सीट उपलब्ध न होने की स्थिति में अगले उपलब्ध कोर्स में आवंटन किया जाता है। इच्छुक प्रशिक्षणार्थी वर्ष भर आवेदन कर सकते हैं।
10	एडवांस माउंटेन टेरेन बाइक (एएमटीबी) कोर्स (11 दिन)	16 से 45 वर्ष के योग्य उम्मीदवार। - अभ्यर्थी जिन्होंने बेसिक माउंटेन टेरेन बाइक (बीएमटीबी) कोर्स में 'ए' ग्रेड प्राप्त किया हो।	यह कोर्स अभ्यर्थियों को प्रोफेशनल रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में बाइकिंग के कौशलों को सीखने का अवसर देता है। इसके माध्यम से, अभ्यर्थी अधिक चुनौतीपूर्ण टेरेन में बाइकिंग करने में समर्थ होते हैं और अधिक उन्नत तकनीकों को सीखते हैं।	- वर्ष 2024 के लिए ₹0 26,620 प्रति व्यक्ति प्रति कोर्स। - प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि। आवश्यक अभिलेख - आवेदन पत्र - मेडिकल फॉर्म - क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) - आधार कार्ड - जन्म तिथि प्रमाण पत्र - बेसिक माउंटेन टेरेन बाइक रिपोर्ट	

उक्त के अतिरिक्त संस्थान विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के लिए विशेष और अनुकूलित पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है, ताकि चयनित युवाओं को पर्वतारोहण (mountaineering), जीवित रहने की कला (survival skills), खोज एवं बचाव (search & rescue), पर्वत मार्गदर्शक (mountain guides), उच्च ऊंचाई मार्गदर्शक (high altitude guide), नेतृत्व और टीम निर्माण (leadership and team building) कौशल में सशक्त बनाया जा सके। कुछ ऐसे पाठ्यक्रम जो आयोजित किए जा रहे हैं, निम्नलिखित हैं:-

क्र. सं०	योजना/सेवा का नाम	संगठन/संस्थान	पाठ्यक्रम अवधि	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया	लाभ
01	स्पेशल बेसिक माउंटेनियरिंग	राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद (UTDB), राज्य	28 दिन	संगठन/संस्थान से चयनित अभ्यर्थी। लो एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ₹0 2396.00 तथा हाई	यह कोर्स शारीरिक स्वास्थ्य और आत्म-विश्वास को बढ़ाता है। यह नेतृत्व कौशल, साहस और प्राकृ

	कोर्स	आपदा मोचन बल (SDRF), गार्जियन गिरिप्रेमी पर्वतारोहण संस्थान (GGIM), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)		एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 3194.00 शुल्क। आवश्यक अभिलेख • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र	तिक वातावरण के साथ संवाद क्षमताओं को भी विकसित करता है।
02	स्पेशल एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स	राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB), राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), गार्जियन गिरिप्रेमी पर्वतारोहण संस्थान (GGIM), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)	28 दिन	संगठन/संस्थान से चयनित अभ्यर्थी। लो एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 2396.00 तथा हाई एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 3194.00 शुल्क। आवश्यक अभिलेख • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र • Special BMC Report	यह कोर्स पर्वतारोहण के क्षेत्र में निपुण अभ्यर्थियों की तकनीकी क्षमताओं में वृद्धि करता है, जिससे व्यक्ति पर्वतारोहण में पूर्णतः सक्षम हो जाता है।
03	स्पेशल खोज एवं बचाव कोर्स	उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), वन विभाग (Forest Department) व अन्य विभाग	21 दिन	उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), वन विभाग (Forest Department) व अन्य विभाग से चयनित अभ्यर्थी। लो एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 2396.00 तथा हाई एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 3194.00 शुल्क।	यह विशेष कोर्स उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), वन विभाग (Forest Department) व अन्य विभाग के सौजन्य से संचालित किया जाता है। जिसमें प्रदेश तथा देश के युवक तथा युवतियों को प्रोफेशनल

				आवश्यक अभिलेख • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र	रूप में कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करता है।
04	माउंटेन गाइड कोर्स	उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB)	21 दिन	उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB) से चयनित अभ्यर्थी। लो एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 2396.00 शुल्क। आवश्यक अभिलेख • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र	यह विशेष कोर्स उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सौजन्य से संचालित किया जाता है। जिसमें उत्तराखण्ड के युवक तथा युवतियों को प्रोफेशनल रूप में कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करता है।
05	लो एल्टीट्यूड गाइड कोर्स	उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB)	07 दिन	उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB) से चयनित अभ्यर्थी। लो एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 2396.00 शुल्क। आवश्यक अभिलेख • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र	यह विशेष कोर्स उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सौजन्य से संचालित किया जाता है। जिसमें उत्तराखण्ड के युवक तथा युवतियों को प्रोफेशनल रूप में कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करता है।

06	हाई एल्टीट्यूड गाइड कोर्स	उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB)	20 से 28 दिन	उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB) से चयनित अभ्यर्थी। लो एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 2396.00 तथा हाई एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 3194.00 शुल्क।	यह विशेष कोर्स उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सौजन्य से संचालित किया जाता है। जिसमें उत्तराखण्ड के युवक तथा युवतियों को प्रोफेशनल रूप में कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करता है।
				<u>आवश्यक अभिलेख</u> • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र	
07	स्पेशल एडवेंचर कोर्स	वेलहम स्कूल, सिंधिया स्कूल, यूनिसन स्कूल, राष्ट्रीय इण्डियन मिलिट्री व अन्य शैक्षणिक संस्थान	07 से 10 दिन	उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB) से चयनित अभ्यर्थी। लो एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 2396.00 शुल्क।	एडवेंचर कोर्स एक रोमांचक अनुभव और सीखने का उत्कृष्ट माध्यम है।
				<u>आवश्यक अभिलेख</u> • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र	

08	लीडरशिप और टीम बिल्डिंग कोर्स	राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान (NTIPRIT), राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (NSSTA), तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC), राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (NADT), भारतीय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India), वन विभाग (Forest Department), भारतीय सैन्य अकादमी (Indian Military Academy) व अन्य संस्थान	07 से 12 दिन	राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान (NTIPRIT), राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (NSSTA), तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC), राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (NADT), भारतीय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India), वन विभाग (Forest Department), भारतीय सैन्य अकादमी (Indian Military Academy) व अन्य संस्थान से चयनित अभ्यर्थी। लो एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 2396.00 तथा हाई एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 3194.00 शुल्क। आवश्यक अभिलेख • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र	निर्णय लेने, संवाद और सहयोग कौशल को मजबूत करता है, जिससे व्यक्तियों को प्रभावी नेतृत्व और एकजुट टीम बनाने की क्षमता मिलती है।
09	ट्रेन द ट्रेनर	उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB)	12 दिन	उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB) से चयनित अभ्यर्थी। लो एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 2396.00 शुल्क। आवश्यक अभिलेख • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र	यह विशेष कोर्स उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सौजन्य से संचालित किया जाता है। जिसमें उत्तराखण्ड के युवक तथा युवतियों को प्रोफेशनल रूप में कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करता है।

10	स्पेशल स्कीइंग कोर्स	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद (UTDB)		उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद (UTDB) से चयनित अभ्यर्थी। लो एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 2396.00 तथा हाई एल्टीट्यूड के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रु0 3194.00 शुल्क। आवश्यक अभिलेख • आवेदन पत्र • मेडिकल फॉर्म • क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) • आधार कार्ड • जन्म तिथि प्रमाण पत्र	यह विशेष कोर्स उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के सौजन्य से संचालित किया जाता है। जिसमें उत्तराखण्ड के युवक तथा युवतियों को प्रोफेशनल रूप में कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करता है।
----	----------------------	--------------------------------------	--	---	---

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (NIEPVD)
116 राजपुर रोड, देहरादून



संक्षिप्त परिचय :- राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (निपवेड), 116 राजपुर रोड, देहरादून, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत नौ राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध में दृष्टिहीन हुए सैनिकों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए सेंट डंस्टन हॉस्टल के रूप में की गई थी। वर्ष 1950 में भारत सरकार ने सेंट डंस्टन छात्रावास को अपने नियंत्रण में लिया और दृष्टिहीन व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु व्यापक स्तर पर सेवाएं विकसित करने का उत्तरदायित्व शिक्षा मंत्रालय को सौंपा। तदन्तर दृष्टिहीनों हेतु सेवाओं का उल्लेखनीय विस्तार हुआ। इसी वर्ष सरकार ने कार्य के क्षेत्र में दृष्टिहीन सैनिकों एवं अन्य व्यक्तियों के एकीकरण के लिए प्रौढ़ान्ध प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की। सरकार ने 1951 में दृष्टिहीन व्यक्तियों हेतु सेंट्रल ब्रेल प्रेस (सीबीपी), 1952 में ब्रेल उपकरणों के निर्माण के लिए कार्यशाला (एमबीए), 1957 में वयस्क दृष्टिहीन महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र (टीसीएबी), 1959 में दृष्टिबाधितार्थ आदर्श विद्यालय और 1963 में राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ पुस्तकालय की स्थापना की गई। वर्ष 1967 में सभी इकाईयों के एकीकरण के पश्चात् सरकार ने राष्ट्रीय दृष्टिहीनार्थ केन्द्र (एनसीबी) की स्थापना की। इस केन्द्र को वर्ष 1979 में राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान के रूप में पुनः समुन्नत किया गया और अन्ततः वर्ष 1982 में इसका संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकरण कराया गया और इसे स्वायत्त निकाय का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में अपने मन की बात कार्यक्रम में विकलांगजन के स्थान पर **दिव्यांगजन**

शब्द का उपयोग करने का सुझाव दिया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजन शब्द को अपने मूल में शामिल किया। तदनुसार इसके अंतर्गत कार्यरत सभी राष्ट्रीय संस्थानों के नामकरण में परिवर्तन किया गया और उनके वास्तविक नामों के साथ दिव्यांगजन शब्द जोड़ा गया। तदनुसार 2016 में संस्थान का नाम भी राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान (एनआईवीएच) से बदलकर **राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (निपवेड)** कर दिया गया। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान वर्ष 1943 से दृष्टि दिव्यांगजनों की शिक्षा, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास सेवाओं के लिए कार्यरत है।

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (निपवेड), देहरादून द्वारा चलाई जा रही भारत सरकार की योजनाएँ एवं सेवाएँ निम्न प्रकार हैं।

क्र स	योजना/ सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन/चयन प्रक्रिया
	भारत सरकार की योजनाएँ (निपवेड द्वारा संचालित)			
1	दिव्यांग छात्रों के लिए कोचिंग योजना	-निपवेड, देहरादून द्वारा इस योजना के तहत दिव्यांग छात्रों को सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे – एसएससी/आरआरबी, बैंकिंग/ बीमा/ पीएसयू द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सक्षम बनाने हेतु निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। -सरकार द्वारा अभ्यर्थियों को कोचिंग शुल्क, वजीफ़ा/भरण-पोषण भत्ता, दिव्यांगता भत्ता, पुस्तक भत्ता आदि सुविधाएं उपलब्ध निःशुल्क करवाई जाती है।	- आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता यानी 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले छात्र और जिनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता का वैध प्रमाण पत्र है। - आधार संख्या या आधार नामांकन संख्या अनिवार्य है। - दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ विशिष्ट दिव्यांगता पहचान संख्या (यूडीआईडी) - परिवार की कुल आय प्रति वर्ष 8 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र— स्व-नियोजित (self employed) माता-पिता/ अभिभावकों के लिए ✓ राजस्व अधिकारी (तहसीलदार/ नायब तहसीलदार रैंक से नीचे न हो) द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र नौकरी पेशा (employed) माता-पिता/अभिभावकों के लिए . ✓ नियोक्ता (Employer) से आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद	उम्मीदवार निम्नलिखित लिंक पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKNwhS-U9zGHNRRzwpW8XUmjD3MgUUEq1faabeEi3Hwv5Hw/viewform वेबसाइट: niepvd.nic.in टेलीफोन नंबर - 0135-2736651, 2734016 tcab-niepvd@nivh.gov.in

			राजस्व अधिकारी द्वारा समेकित आय प्रमाण पत्र। • इस आशय की घोषणा कि उम्मीदवार केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य कोचिंग योजना के तहत लाभ नहीं उठा रहा है। • एक ही माता-पिता के दो से अधिक दिव्यांग बच्चों योजना का लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे। • यदि दूसरा बच्चा जुड़वा है तो योजनाओं के तहत लाभ जुड़वा होने पर भी स्वीकार्य होगा। • (योजनाओं के तहत लाभ एक से अधिक बार नहीं लिया जा सकता है।)	
2	क्रॉस डिसेबिलिटी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र (सीडी-ईआईसी)	इस योजना के तहत निपवेड देहरादून में क्रॉस डिसेबिलिटी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र (सीडी-ईआईसी) के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के लिए विभिन्न चिकित्सा सेवाएँ निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं में शारीरिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, विकासात्मक चिकित्सा, पोषण संबंधी सेवाएँ और पारिवारिक परामर्श शामिल हैं। इन सेवाओं का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनकी दिव्यांगता के प्रारंभिक स्तर पर सहायता प्रदान करना है। ताकि उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास समग्र रूप से हो सके।	पंजीकरण के समय बच्चे का दिव्यांगता प्रमाणपत्र, UDID/ आधार कार्ड, चिकित्सा प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र और अभिभावक का आधार कार्ड आदि दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है।	आप राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के क्रॉस डिसेबिलिटी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं— • फोन नंबर— 9412056597 (सीडी-ईआईसी स्वागत कक्ष) • टेलीफोन नंबर - 0135-2744491 • अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे संस्थान की वेबसाइट— niepvd.nic.in पर जाएँ।
3	दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों	NIEPVD देहरादून द्वारा एडिप-(Assistance to Disabled Persons for Purchase/ Fitting of Aids and Appliances) योजना के	-लाभार्थी का आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, यूडीआईडी प्रमाण पत्र एवं अभिभावक का आय प्रमाण पत्र एवं किस कक्षा में पढ़	राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में एडिप अनुभाग पर जाएँ। niepvd.nic.in

	की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (एडिप)	अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। इन उपकरणों की विस्तृत सूची निम्नलिखित है: दृष्टि दिव्यांगता: • ब्रेल किट (Braille Kit) • डेजी प्लेयर (Daisy Player) • अपवर्तक चश्मा (Refractive Mirror) • गतिशीलता केन (Mobility Cane) • स्मार्ट फोन (Smart Phone) श्रवण दिव्यांगता : • श्रवण यंत्र (Hearing Aid) शारीरिक (locomotor) दिव्यांगता • व्हीलचेयर (Wheel Chair) • ट्राइसाइकिल (Tricycle) • वॉकिंग स्टिक (Walking Sticks) • कैलिपर (Calipers) और बैसाखी (Crutches) मानसिक दिव्यांगता के लिए: • एमआर किट (MR Kit)	रहा है उसका प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। -एडिप योजना के तहत दिव्यांग व्यक्ति के अभिभावक की आय अगर रु. 22,500/- तक है तो दिव्यांग व्यक्ति को उपकरण निःशुल्क दिया जाता है और यदि आय रु. 22,501/- से रु. 30,000/- तक है तो उन्हें उपकरण हेतु 50% का खर्च स्वयं करना होगा। -12 वर्ष तक के दृष्टि दिव्यांग बच्चे एडिप योजना के तहत, ब्रेल किट के लिये निःशुल्क हर वर्ष आवेदन कर सकते हैं। -स्मार्ट फोन को छोड़ कर दृष्टि दिव्यांग बच्चे एडिप योजना के तहत, अन्य उपकरण एक बार मिलने बाद दुबारा प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम 03 वर्ष के अन्तराल में बाद ही आवेदन कर सकते हैं। -स्मार्ट फोन एक बार मिलने के बाद दुबारा 05 वर्ष के बाद ही आवेदन कर सकते हैं।	दिव्यांगजनों के आवेदन करने के पश्चात विभाग द्वारा दिव्यांगता परिक्षण एवं डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन (Disability & Assessment Verification) औपचारिकता के तुरंत बाद ही दिव्यांगजनों को उपकरण प्रदान किये जाते हैं।
4	दृष्टिबाधित सिपडा (SIPDA) योजना के तहत सुलभ शिक्षण सामग्री के विकास के लिए वित्तीय सहायता पर	• योजना के तहत, दृष्टिबाधित स्कूल जाने वाले बच्चों और उच्च शिक्षा प्राप्त लेने वाले दृष्टिबाधित छात्रों को निःशुल्क सुलभ शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अनुमोदित और कार्यात्मक कार्यान्वयन एजेंसियों को आवर्ती अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है निम्नलिखित की स्थापना के लिए गैर. आवर्ती अनुदान सहायता :	व्यक्तिगत/ संस्थागत लाभार्थी -लाभार्थी का विशिष्ट दिव्यांगता पहचान संख्या (यूडीआईडी) -अभिभावक का टेलीफोन नंबर - जन्म तिथि -स्कूल की विवरण	वे संगठन (कार्यान्वयन एजेंसियां) जो परियोजना के तहत सुलभ शिक्षण सामग्री के विकास और उत्पादन में सीधे तौर पर शामिल हैं और आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय के लिए जीआईए प्राप्त करते हैं। कार्यान्वयन एजेंसियों के पते आप संस्थान की वेबसाइट में जा कर देख सकते हैं : वेबसाइट- niepvd.nic.in टेलीफोन नंबर -7579278149

	परियोजना	● नई ब्रेल प्रेस, मौजूदा ब्रेल प्रेस की क्षमता वृद्धि, और आधुनिकीकरण हेतु ● मौजूदा टॉकिंग बुक स्टूडियो की क्षमता वृद्धि और आधुनिकीकरण। ● नया डिजिटल पुस्तक उत्पादन केंद्र, मौजूदा डिजिटल पुस्तक उत्पादन केंद्र की क्षमता वृद्धि और आधुनिकीकरण हेतु ● नए लार्ज प्रिंट उत्पादन केन्द्र की स्थापना, मौजूदा लार्ज प्रिंट की क्षमता वृद्धि और आधुनिकीकरण हेतु		
2	निपेड द्वारा दी जा रही अन्य सेवाएं			
1	मानव संसाधन विकास कार्यक्रम	संस्थान भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है :- एम.एड विशेष शिक्षा (दृ.बा.); बी.एड विशेष शिक्षा (दृ.बा.), (एमडी) और (डीबी); डी.एड विशेष शिक्षा (दृ.बा.), (डीबी) और (आईडीडी)। इसके अलावा, संस्थान मनोविज्ञान पाठ्यक्रम जैसे एम. फिल (पुनर्वास मनोविज्ञान); एम. फिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी; एमएससी इंटीग्रेटेड एप्लाइड साइकोलॉजी और पुनर्वास मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। (उपरोक्त सभी पाठ्यक्रम दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क है।)	आवेदन के समय बच्चे का दिव्यांगता प्रमाणपत्र, UDID कार्ड, शैक्षिक प्रमाण-पत्र, अंक तालिका, चिकित्सा प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म-प्रमाणपत्र, दिव्यांग बच्चे एवं अभिभावक का आधार कार्ड एवं आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है।	संस्थान में प्रवेश सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे संस्थान की वेबसाइट: niepvd.nic.in पर जाएं। टेलीफोन नंबर- 0135-2744491
2	बाल वाटिका	बाल वाटिका कक्षा बचपन की एक अनूठी प्रारंभिक शिक्षा पहल है जो भारत में नई शिक्षा नीति, 2020 के साथ जुड़ी हुई है। इन कक्षाओं को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बाल वाटिका सुनिश्चित करती है कि बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश करने तक औपचारिक स्कूल के माहौल के लिए तैयार हों। प्रारंभिक भाषा कौशल संख्या बोध और समस्या-समाधान प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं क्योंकि ये मूलभूत कौशल अकादमिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं।	आवेदन के समय छात्रों का दिव्यांगता प्रमाणपत्र, UDID कार्ड, चिकित्सा प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म-प्रमाणपत्र, दिव्यांग छात्रों एवं अभिभावक का आधार कार्ड एवं आय प्रमाण	स्कूल में प्रवेश के आवेदन के लिए संस्थान की वेबसाइट niepvd.nic.in में जा कर पूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर — 0135.2738060 —

			पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है।	0135.2744491 मोबाइल – 9045453985
3	स्कूली शिक्षा आदर्श विद्यालय (प्री.-स्कूल स्टेज से लेकर सीनियर सेकेंडरी लेवल तक) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध	जो छात्र स्कूल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें संस्थान द्वारा निशुल्क भोजन और आवास, वर्दी, पुस्तकालय सुविधाएँ, चिकित्सा सुविधाएँ, सुलभ शिक्षण सामग्री, सहायक उपकरण और परीक्षाओं के लिए लिखने हेतु लेखक की सुविधा प्रदान की जाती है। साथ ही सीनियर स्टूडेंट्स को स्मार्ट फोन (smart phone) और लैपटॉप्स (laptops) आदि की सुविधा प्रदान की जाती है जिससे वो अपने पढ़ाई को आधुनिक और सुगम्यता के साथ कर सकें।	दृष्टि दिव्यांग बच्चों के नये प्रवेश के आवेदन के समय बच्चे का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, UDID कार्ड शैक्षिक प्रमाण पत्र, अंक तालिका, चिकित्सा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, दिव्यांग बच्चे एवं अभिभावक का आधार कार्ड एवं आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है।	दृष्टि दिव्यांग बच्चों के नये प्रवेश के आवेदन के लिए आदर्श विद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष की फरवरी के द्वितीय सप्ताह आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नियमानुसार रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से भर्ती प्रक्रिया पूर्ण किया जाता है। स्कूल में प्रवेश के आवेदन के लिए संस्थान की वेबसाइट niepvd.nic.in में जा कर पूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर - 0135. 2738060 मोबाइल- 9045453985
4	कौशल विकास एवं आर्थिक सशक्तिकरण	कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण विभाग विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर रहा है। जैसे-कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक, स्टेनोग्राफर और सचिवीय सहायक, मशरूम उत्पादक, रेडियो जॉकी, संगीत, सहायक तकनीक का उपयोग, डेटा एंट्री ऑपरेटर, रिफ्लेक्सोलॉजी और गार्डनर आदि। व्यावसायिक विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के अलावा, उम्मीदवारों को ब्रेल अभिविन्यास और गतिशीलता, कंप्यूटर टाइपिंग, हिंदी और अंग्रेजी और गृह प्रबंधन कौशल का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों जो विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें संस्थान द्वारा निशुल्क भोजन और आवास, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आने-जाने का भत्ता, वर्दी, पुस्तकालय सुविधाएँ, चिकित्सा सुविधाएँ, सुलभ शिक्षण सामग्री, सहायक उपकरण	आवेदन के समय बच्चे का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, UDID कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, अंक तालिका, चिकित्सा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, दिव्यांग बच्चे एवं अभिभावक का आधार कार्ड एवं आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है।	संस्थान में प्रशिक्षण प्रवेश सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे संस्थान की वेबसाइट: niepvd.nic.in पर जाएँ। टेलीफोन नंबर - 0135. 2744491

		और परीक्षाओं के लिए लिखने हेतु लेखक(writer) की सुविधा प्रदान की जाती है। साथ ही सीनियर स्टूडेंट्स को स्मार्ट स्मार्ट फोन एवं लैपटॉप्स आदि की सुविधा प्रदान की जाती है जिससे वो अपने पढ़ाई को आधुनिक और सुगम्यता के साथ कर सकें।		
5	सुगम्यता स्थानन सेवाएं	स्थानन अनुभाग द्वारा बेरोजगार दृष्टि दिव्यांग तथा अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों को पंजीकृत कर उपयुक्त रोजगार अवसर प्रदान करता है और साथ ही दृष्टि दिव्यांग उम्मीदवारों को सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी एजेंसियों के विभिन्न रिक्तियों हेतु रोजगार दिलाने में मदद करता है।	पंजीकरण के समय दृष्टि दिव्यांगजनों का दिव्यांगता प्रमाणपत्र, UDID कार्ड/ आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, व्यावसायिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाणपत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है।	अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे संस्थान की वेबसाइट: niepvd.nic.in पर जाएँ। टेलीफोन नंबर - 0135-2736712
6	ब्रेल उपकरणों की व्यवस्था	संस्थान द्वारा दृष्टि दिव्यांगजनों को लिखने, कंप्यूटिंग, अभिविन्यास और गतिशीलता, मनोरंजन और उनके दैनिक जीवन की नियमित गतिविधियों को पूरा करने के लिए ब्रेल उपकरणों के निर्माण एवं ब्रेल उपकरण प्रदान करने के लिए कार्यशाला (एमबीए) की स्थापना की गई थी। यह प्रोटोटाइप डिजाइन और बड़े पैमाने पर ब्रेल उपकरणों के उत्पादन कर दिव्यांगजनों एवं विशेष स्कूलों और संस्थाओं को सब्सिडी दरों पर उपलब्ध करता है।	ब्रेल उपकरणों को विक्रय करने हेतु दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाणपत्र, UDID कार्ड/आधार कार्ड आदि दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है।	अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे संस्थान की वेबसाइट: niepvd.nic.in पर जाएँ। टेलीफोन नंबर- 0135-2742145, 2744491

7	सुगम्य पुस्तकालय	राष्ट्रीय सुगम्य पुस्तकालय संस्थान का राष्ट्रीय सुगम्य पुस्तकालय देश में अपनी तरह का एकमात्र पुस्तकालय है, जो दृष्टि दिव्यांगजनों और अल्पदृष्टिवान व्यक्तियों को पठन सामग्री सुगम्य रूपों में उपलब्ध कराता है। यह पुस्तकालय ब्रेल पुस्तकें, श्रव्य ऑडियो पुस्तकें, लार्ज प्रिंट पुस्तकें, ऑडियो मैगजीन और मुद्रित पुस्तकें प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, पुस्तकालय ऑडियो पुस्तकें, डिजिटल और e-books भी उपलब्ध कराता है, ताकि दृष्टि दिव्यांगजनों और अल्पदृष्टि वाले व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रारूपों में सामग्री का लाभ उठा सकें। यह पुस्तकालय दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए	राष्ट्रीय सुगम्य पुस्तकालय की सदस्यता दो प्रकार से ली जा सकती है जो इस प्रकार है: 1. व्यक्तिगत सदस्यता: यह दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए आजीवन निःशुल्क है। व्यक्तिगत सदस्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:	अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे संस्थान की वेबसाइट: https://niepvd.nic.in/national-accessible-library/ पर जाएँ। सुगम्य राष्ट्रीय सुगम्य पुस्तकालय
---	-------------------------	--	---	---

		शैक्षणिक, साहित्य और अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री को सुलभ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करता है। Home Sugamya Pustakalaya ब्रेल पुस्तकालय-सुगम्य पुस्तकालय संस्थान एक ब्रेल पुस्तकालय.सुगम्य पुस्तकालय भी संचालित कर रहा है जिसका उद्देश्य दृष्टिबाधित और अल्पदृष्टिवान व्यक्तियों को सुगम पठन सामग्री उपलब्ध कराना है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उपयोगकर्ता ब्रेल पुस्तकें, ऑडियो पुस्तकें, और डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध अन्य साहित्य को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यह पहल दृष्टिबाधित व्यक्तियों को शिक्षा और ज्ञान के संसाधनों तक सुलभता से पहुंच प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनने में मदद करता है	● दिव्यांगता प्रमाणपत्र ● UDID कार्ड ● आधार कार्ड आदि 2. संस्थागत सदस्यता: इस सदस्यता के लिए संस्थान को एकमुश्त पंजीकरण जो की 3 वर्षों के लिए सदस्यता शुल्क भी होगा रुपये 5000/- भुगतान करना होगा, जिससे पुस्तकालय की सुविधाएं प्राप्त की जा सकेंगी। सदस्यता को जारी रखने के लिए वार्षिक 2000/- रुपये का शुल्क जमा करना होगा। संस्थागत सदस्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है: ● सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्थागत लेटरहेड पर पुस्तकालय सदस्यता के लिए आवेदन ● पंजीकृत सोसायटी अधिनियम के तहत संस्थान का प्रमाण पत्र	टेलीफोन नंबर - 9027429610
8	मीडिया उत्पादन इकाई	एफ.एम सामुदायिक रेडियो स्टेशन (NIVH Hello Doon 91.2) एफ.एम सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) से प्रतिदिन प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक और पुनः सायं 5:00 बजे से रात 8:00 बजे तक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। इस रेडियो स्टेशन द्वारा प्रसारित		अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे संस्थान की वेबसाइट: niepvd.nic.in पर

	कार्यक्रमों की विषय-वस्तु को शिक्षा, मनोरंजन, और सशक्तिकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, सीआरएस समय-समय पर भारत सरकार की विभिन्न परियोजनाओं और नीतियों के प्रचार के लिए जिंगल्स और अन्य जागरूकता कार्यक्रमों का भी प्रसारण करता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य श्रोताओं को जागरूक करना और उन्हें जानकारी प्रदान करना है जिससे वे विभिन्न सरकारी योजनाओं और नीतियों का लाभ उठा सकें। टॉकिंग बुक लाइब्रेरी संस्थान के देहरादून स्थित मुख्यालय में टॉकिंग बुक लाइब्रेरी वर्ष 1984 से दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए पठन सामग्री ध्वन्यांकित कर उसे ऑडियो प्रारूप में उपलब्ध कराता है। इस स्टूडियो में दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए पाठ्य सामग्री को डेजी (DAISY) डिजिटल एक्सेसेबल इनफॉर्मेशन सिस्टम) प्रारूप में रिकॉर्ड किया जाता है। डेजी प्रारूप दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए एक उपयोगी तकनीक है, जिससे वे सुगम्यता और सुलभता के साथ अध्ययन कर सकते हैं।		जाएँ। टेलीफोन नंबर – 0135-2744491
--	---	--	---

भाकृअनुप- भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, (IVRI)
मुक्तेश्वर, नैनीताल



क्र सं	सेवा/योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया/चयन प्रक्रिया
1	अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP)	गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों/परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित करना। अनुसूचित जाति की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले गांवों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए कृषि और पशुपालन से संबंधित क्षेत्र उन्मुख योजनाओं का कार्यान्वयन करना। अनुसूचित जाति के बीपीएल व्यक्तियों के लिए वैतनिक-रोजगार या स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली आय सृजन योजनाओं को लागू करना तथा कौशल-विकास हेतु प्रशिक्षण, विधि-प्रदर्शन तथा कार्यशालाओं का आयोजन करना। अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत संस्थान द्वारा कृषि एवम पशुपालन सम्बंधित सामग्री वितरण जैसे कि खनिज मिश्रण, पशुओं तथा मुर्गियों का दाना, फीड सप्लीमेंट, फलों एवम सब्जियों के उच्च नस्ल के पौधे एवम बीज, कृषि एवम पशुपालन सम्बंधित उपकरण इत्यादि वितरित किए जाते हैं, साथ ही समय-समय पर पशुचिकित्सा	अनुसूचित जाति के परिवार, जो कि गरीबी रेखा से नीचे (BPL) हो।	एससीएसपी के लिए विकास कार्य योजना के तहत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए आईसीएआर द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों का पालन करते हुए जिन गाँवों में अनुसूचित जाति की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी है, उन्हें भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर परिसर द्वारा अंगीकृत (गोद लेना) किया जाता है तथा उन गाँवों में अनुसूचित जाति के बीपीएल किसानों/पशुपालकों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए कृषि और पशुपालन से संबंधित क्षेत्र उन्मुख योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है।

		शिविरों का आयोजन कर पशुओं की होने वाली विभिन्न संक्रामक एवम असंक्रामक बीमारियों का निदान किया जाता है। पशु पशुपालन हेतु अभी तक इस योजना के अंतर्गत कुक्कुट वितरित किए गए हैं।		
2	जनजातीय उपयोगना (TSP)	गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनजाति/आदिवासी के व्यक्तियों/परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित करना जनजाति/आदिवासी की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले गांवों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए कृषि और पशुपालन से संबंधित क्षेत्र उन्मुख योजनाओं का कार्यान्वयन करना। जनजाति/ आदिवासी के बीपीएल व्यक्तियों के लिए वैतनिक-रोजगार या स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली आय सृजन योजनाओं को लागू करना तथा कौशल-विकास हेतु प्रशिक्षण, विधि-प्रदर्शन तथा कार्यशालाओं का आयोजन करना।	आदिवासी/जनजाति के परिवार, जो कि गरीबी रेखा से नीचे (BPL) हो।	टीएसपी के लिए विकास कार्य योजना के तहत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए आईसीएआर द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों का पालन करते हुए जिन गाँवों में आदिवासी/जनजाति की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी है, उन्हें भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर परिसर द्वारा अंगीकृत (गोद लेना) किया जाता है तथा उन गाँवों में आदिवासी/जनजाति के बीपीएल किसानों/पशुपालकों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए कृषि और पशुपालन से संबंधित क्षेत्र उन्मुख योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। गाँवों को सीधे आर्थिक लाभ उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से अनुसूचित जनजाति उपयोगना में अभी तक कुल चार गाँव (सरोंजा, कौंदाखेड़ा, झनकट, एवं सुनखरीकला) गोद लिए गये हैं। गोद लेने के उपरांत इन गाँवों में पशुपालकों की आमदनी पशुधन उत्पादन के क्षेत्र में लगभग दुगना हो गयी है।
3	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसीपी) के अंतर्गत बकरी प्लेग (PPR)	पीपीआर रोग के टीकाकरण की तकनीक (PPR Sungri/96) का सरकारी/निजी जैविक उत्पादन इकाइयों को हस्तांतरण पीपीआर रोग के विभिन्न राज्य/निजी जैविक उत्पादन	पशु-पालन से संबंधित विभिन्न हित-धारक (पशु-पालक/कि सान, पशु पालन	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसीपी) योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो पशु रोगों के नियंत्रण और निवारण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके पशुपालन के विकास में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरित करती है। यह 10 वीं पंचवर्षीय योजनावधि से जारी है। इस कार्यक्रम

	उन्मूलन कार्यक्रम	इकाइयों द्वारा निर्मित टीकों की गुणवत्ता की जाँच पीपीआर रोग की निगरानी हेतु सभी जैविक उत्पादों का उत्पादन एवं प्रेषण विभिन्न हितधारकों के कौशल-विकास हेतु प्रशिक्षण।	एवं डेरी विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत विभिन्न संस्थान, राज्य/निजी जैविक उत्पादन इकाइयों)	को वर्तमान में सभी अतिसंवेदनशील भेड़ और बकरियों का टीकाकरण करके पूरे देश में लागू किया गया है, जिसके लिए टीकाकरण (तकनीक हस्तांतरित) और निगरानी हेतु सभी जैविक उत्पाद भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर परिसर द्वारा प्रेषित किए जाते हैं। पीपीआर रोग के विभिन्न राज्य/निजी जैविक उत्पादन इकाइयों द्वारा निर्मित टीकों की गुणवत्ता की जाँच भी भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर द्वारा की जाती है।
4	पशु-चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टरेट (PhD) कार्यक्रम	पशु-चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विषय-विशेष अति-कुशल मानव संसाधन का निर्माण	पशु-चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर (M-V-Sc) उपाधि प्राप्त छात्र/छात्रायें	डॉक्टरेट (पीएचडी) कार्यक्रम के लिए प्रवेश दो माध्यमों से मिलता है। i- राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, नई दिल्ली के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए प्रायोजित (सेवारत) सहित सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। ii- छात्रों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित आईसीएआर जेआरएफ/एसआरएफ (पीएचडी) के प्रवेश और पुरस्कार के लिए संयुक्त परीक्षा के आधार पर भी प्रवेश दिया जाता है। योग्यता के आधार पर और काउंसलिंग के बाद, आईसीएआर 17 विषयों में आईसीएआर-आईवीआरआई सम- विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट कार्यक्रम (पीएचडी) के लिए छात्रों का चयन करता है।
5	पशु-चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर (M-V-Sc) कार्यक्रम	पशु-चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विषय-विशेष कुशल मानव संसाधन का निर्माण	पशु-चिकित्सा विज्ञान में स्नातक (B-V-Sc) उपाधि प्राप्त	पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर (M-V-Sc) में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, नई दिल्ली के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए प्रायोजित (सेवारत) सहित सभी उम्मीदवारों को

			छात्र/छात्रायें	लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। स्नातकोत्तर कार्यक्रम में छात्रों का चयन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित आईसीएआर पीजी छात्रवृत्ति के प्रवेश/पुरस्कार हेतु संयुक्त परीक्षा के आधार पर किया जाता है। योग्यता के आधार पर और ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद, आईसीएआर 19 विषयों में आईसीएआर-आईवीआरआई डीम्ड यूनिवर्सिटी में पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम (एमवीएससी) के लिए छात्र/छात्राओं का चयन करता है।
6	स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम i- विषाणु टीका उत्पादन और गुणवत्ता मूल्यांकन ii-वैज्ञानिक विधि द्वारा शीतोष्ण क्षेत्र में पशु पालन	पशु-चिकित्सा एवं पशुपालन विज्ञान के क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन का निर्माण	पशु-चिकित्सा विज्ञान में स्नातक (B-V-Sc) उपाधि प्राप्त छात्र/छात्रायें	पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर (M-V-Sc) में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, नई दिल्ली के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए प्रायोजित (सेवारत) सहित सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। स्नातकोत्तर कार्यक्रम में छात्रों का चयन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित आईसीएआर पीजी छात्रवृत्ति के प्रवेश/पुरस्कार हेतु संयुक्त परीक्षा के आधार पर किया जाता है। योग्यता के आधार पर और ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद, आईसीएआर 19 विषयों में आईसीएआर-आईवीआरआई डीम्ड यूनिवर्सिटी में पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम (एमवीएससी) के लिए छात्र/छात्राओं का चयन करता है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन करने के लिए संस्थान की वेबसाइट में समय समय पर सूचना दी जाती है। उत्तराखंड राज्य हेतु विशेष आरक्षण नहीं दिया जाता है। देश के विभिन्न राज्यों से इच्छुक प्रतिभागी आवेदन कर सकते हैं।

7	सर्टिफिकेट / व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण	पशुपालन विज्ञान के क्षेत्र में रोजगार-परक पाठ्यक्रमों द्वारा विभिन्न हित-धारक का कौशल-विकास	पशु-चिकित्सक/ पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक (B-V-Sc) उपाधि प्राप्त छात्र/ छात्रायें/ पशु-पालक (पाठ्यक्रम के अनुसार)	विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे छोटे और बड़े जुगाली करने वाले पशुओं में बेहतर प्रजनन प्रबंधन के लिए प्रजनन अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रशिक्षण, पशु कोशिका समवर्धन तकनीक का प्रशिक्षण, विषाणु जनित रोगों के निदान का प्रशिक्षण, शीतोष्ण क्षेत्र में पशु पालन/ चारा प्रबंधन इत्यादि पाठ्यक्रम हेतु इच्छुक लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं। इस हेतु प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए निदेशक, भाकृअनुप-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान directorivri@gmail.com अथवा संयुक्त निदेशक (विस्तार शिक्षा) jdeeivri@gmail.com अथवा संयुक्त निदेशक, मुक्तेश्वर परिसर jointdirectorivrim1 @ gmail .com से संपर्क किया जा सकता है। यदि राज्य सरकार, राज्य की महिला पशुपालकों हेतु कौशल विकास सम्बन्धी प्रशिक्षणों का आयोजन करवाना चाहती है तो प्रशिक्षणों के आयोजन, माँग होने पर कराया जा सकता है। उत्तराखंड में अधिक दूध देने वाली देशी नस्लों को बढ़ावा देने हेतु आई0वी0आर0आई0, इज्जतनगर द्वारा एच0 एफ0, ज़र्सी, हरियाणा तथा ब्राउन स्विस गायों के संकर से वृंदावनी नामक एक सिन्थेटिक क्रॉस ब्रीड विकसित की गयी है। वृंदावनी गाय को ही आई0वी0आर0आई0, मुक्तेश्वर संस्थान के शीतोष्ण वातावरण में पाला जा रहा है। साथ ही वर्तमान में उत्तराखंड की बद्री नस्ल की गौ प्रजाति का भी संरक्षण संस्थान द्वारा किया जा रहा है।
---	---	---	---	--

आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (ARIES) नैनीताल

एरीज का संक्षिप्त परिचय :- आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, एरीज ,खगोल विज्ञान (एस्ट्रोनॉमी), खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्रों में भारत का एक अग्रणी शोध संस्थान है, जो उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में भारत वर्ष के सबसे बड़े 3.6 मीटर दूरबीन सहित कई ऑप्टिकल टेलीस्कोप संचालित करता है। एरीज के वैज्ञानिक, अभियंता और शोधार्थी खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्रों में सतत अनुसंधान और विकास के कार्यों में लगे हुए हैं। एरीज, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। 2004 में एरीज के गठन से पूर्व इस संस्थान को राजकीय वैधशाला (Observatory) नाम से जाना जाता था।

वर्तमान में एरीज के दो परिसर हैं, पहला नैनीताल मुख्यालय से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मनोरा पीक पर अवस्थित है तथा दूसरा परिसर नैनीताल जिले में देवस्थल नामक स्थान पर समुद्र सतह से लगभग 2500 मीटर ऊँचाई पर स्थित है।

एरीज मनोरापीक परिसर, नैनीताल।





एरीज, देवस्थल परिसर में स्थापित 03 दूरबीनों का समग्र चित्र।

(क) वेधशाला (Observatory) क्या होती है?

वेधशाला उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर तारों व नक्षत्रों को देखने तथा उनकी दूरी जानने के यंत्र हों। खगोलीय वेधशाला का मुख्य कार्य ब्रह्माण्ड का अवलोकन करना और आकाश से आने वाले डेटा को इकट्ठा करना और उनका विश्लेषण करना है। हमारे पूर्वजों ने जब आकाश की ओर देखा होगा, तो वह ब्रह्माण्ड के रहस्यों के बारे में जानने को उत्सुक हुए होंगे। यह सदैव एक प्रश्न रहा है? ब्रह्माण्ड किससे बना है ? तारे, आकाशगंगाएँ और अन्य सभी खगोलीय वस्तुएँ कितनी दूर तक मौजूद हैं? हम अपने निकट के ग्रहों तक कैसे पहुँच सकते हैं ? हम सबसे दूर जिस बिंदु तक पहुँच सकते हैं, वहाँ जाने में कितना समय लगता है? क्या आकाश में गहराई तक यात्रा करना संभव है? अंतरिक्ष क्या है? ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई ? क्या ब्लैकहोल मौजूद हैं ? सितारे कैसे पैदा होते हैं और उनकी आयु कितनी होती है, क्या तारे मरते हैं? सूर्य कितने समय तक चमक सकता है? तारे, ग्रह और धूमकेतु किससे बने होते हैं? और ऐसे अनगिनत, अनसुलझे सवाल आज भी हमारे सामने हैं..... ?? इन सवालों का जवाब देने के लिए, हमारे पूर्वजों ने आकाश को देखने, खगोलीय पिंडों को खोजने के लिए उपकरणों, दूरबीनों और खगोलीय सुविधाओं का आविष्कार और निर्माण किया। जनता के लिए अंतरिक्ष के सुरम्य दृश्यों को देखने और आनंद लेने के लिए तथा कलाकारों और लेखकों को प्रेरित करने के लिए, तस्वीरें सुंदर वीडियो बनाए जाते हैं। वेधशाला के शैक्षिक और प्रशिक्षण पहलू, विशाल और दिलचस्प हैं और निश्चित रूप से ऐसे संस्थानों और केंद्रों को अपनी उपलब्धियों के प्रबंधन और सुधार के लिए विशेषज्ञ व्यक्तियों और टीमों की आवश्यकता होती है, इसलिए कई योजनाएं, वैज्ञानिकों और शैक्षणिक संस्थानों के शोधकर्ताओं, छात्रों और संकायों के लिए उपलब्ध हैं।

(ख) संगठन के अनुसंधान क्षेत्र: खगोलविज्ञान, खगोल भौतिकी, वायुमंडलीय विज्ञान

- 1—**सौर भौतिकी**: सौर प्लेयर्स, जेट्स, स्पिक्यूल्स, कोरोनल मास इजेक्शन और अन्य सौर विस्फोटक घटनाओं जैसे क्षणिक घटनाओं का अवलोकन और मॉडलिंग सौर वायुमंडल में मैग्नेटो-हाइड्रोडायनामिक तरंगें, अंतरिक्ष मौसम की घटनाएं और अंतरग्रहीय अंतरिक्ष पर सौर क्षणिक प्रभाव।
- 2—**गैलेक्टिक खगोल विज्ञान** : बाह्य-ग्रहीय प्रणालियों का अध्ययन, तारों और तारा समूहों का निर्माण और विकास, तारकीय स्पंदन और परिवर्तनशीलता, अंतरतारकीय पदार्थ और आणविक बादलों का लक्षण वर्णन, तारों से एक्स-रे उत्सर्जन, एक्स-रे बायनेरिज।

3—**एक्स्ट्रागैलेक्टिक खगोल विज्ञान:** निकटवर्ती आकाशगंगाएँ, वुल्फ—रेयेट आकाशगंगाएँ, सक्रिय आकाशगंगाएँ, बड़ी रेडियो आकाशगंगाएँ, गामा—किरण विस्फोटों का ऑप्टिकल अनुवर्ती, सुपरनोवा और सक्रिय गैलेक्टिक नाभिकीय क्वासर चमक परिवर्तनशीलताय रेडियो खगोल विज्ञान।

4—**वायुमंडलीय विज्ञान:** वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान, ट्रेस गैसों का अवलोकन, एरोसोल का लक्षण—वर्णन, मौसम विज्ञान / गतिशीलता की भूमिका, बायोमास जलने और लंबी दूरी के परिवहन, विकिरण बजट, उपग्रह डेटा विश्लेषण और हिमालयी क्षेत्र और सिन्धु—गंगा के मैदानों पर विशेष जोर के साथ निचले क्षोभमंडल घटना का मॉडलिंग।

5—**उपकरण और प्रमुख सुविधाएं विकसित करना:** खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्रों में अग्रणी अनुसंधान करने के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाओं का निर्माण और संचालन करना हमारा लक्ष्य है। ऑप्टिकल और निकट—अवरक्त खगोल विज्ञान में देवस्थल, नैनीताल में राष्ट्रीय अवलोकन सुविधा का विकास और संचालन, गतिशीलता, एरोसोल अध्ययन, स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोस्फीयर, एसटी रडार, लिडार सुविधाएं और सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष और जमीन—आधारित मिशनों के लिए कार्य करना।

(ग) **एरीज में विद्यमान प्रमुख राष्ट्रीय सुविधाएँ एवं उनकी उपयोगिता :-** 104 सेमी डॉ.संपूर्णानंद दूरबीन—वेधशाला ने 1972 में मनोरा पीक पर 104 सेमी ऑप्टिकल दूरबीन की स्थापना की। अतीत में, वैज्ञानिकों द्वारा फोटोग्राफिक फिल्म का उपयोग कर प्रेक्षण किये जाते थे। 1990 के बाद, प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील उपकरण, जिसे चार्ज कपल्ड डिवाइस (सीसीडी) कहा जाता है, से प्रेक्षण किए जा रहे हैं। इस उपकरण से वैज्ञानिकों को सुदूर उपस्थित तारों, आकाश गंगाओं इत्यादि का अध्ययन करने में सहायता मिली।

यह दूरबीन अत्यंत मंद आकाशीय पिंडों का पता लगा सकती है। यह इतनी सक्षम है कि आकाश में दूर एक उस पिंड का पता लगा सकती है जो रात में हमारी आंखों की तुलना में लगभग 40 मिलियन/4 करोड़ गुणा अधिक धुंधला है। इस दूरबीन ने यूरेनस और शनि के चारों ओर छल्ले खोजने में भी मदद की। इस दूरबीन का उपयोग करके हैली धूमकेतु का भी प्रेक्षण किया गया। पूर्व में, दूरबीन का उपयोग धूमकेतु, ग्रहों और आसपास के चमकीले तारों का अध्ययन करने के लिए किया जाता रहा है। 2000 के बाद से, इस दूरबीन ने अत्यधिक ऊर्जावान आकाशीय विस्फोटों के प्रेक्षण में बहुत योगदान दिया है, जिन्हें गामा रे विस्फोट के रूप में जाना जाता है।

ब्लैक होल भौतिकी को समझने में इस दूरबीन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान में दूरबीन का उपयोग सुपरनोवा, गामा—रे विस्फोट, सक्रिय तारों, ब्लैक होल, स्टार क्लस्टर और आकाशगंगाओं के अध्ययन में किया जाता है। इस दूरबीन का उपयोग करके नवोदित सितारों, आकाशगंगाओं और अन्य वस्तुओं के सुंदर चित्र लिए गए हैं। पिछले पचास स्वर्णिम वर्षों की सफल विज्ञान यात्रा में 104 सेमी दूरबीन से किए गए प्रेक्षणों के परिणाम स्वरूप 63 पीएचडी थीसिस और लगभग 400 शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं।

(दाई ओरगुम्बद वाली इमारत के अंदर 104 सेंटीमीटर टेलीस्कोप है।)

3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप

यह भारत का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, जिसे देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप (डॉट) कहा जाता है। एरीज, एक राष्ट्रीय सुविधा के रूप में भारत की सबसे बड़ी 3.6 मीटर व्यास की ऑप्टिकल



दूरबीन का संचालन करता है। भारत ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जांच करने, तारों के जीवन चक्र को समझने और ब्लैक होल की रहस्यमयी घटनाओं का अध्ययन करने के उद्देश्य से उत्तराखंड में देवस्थल (ऊँचाई 2450 मीटर) पर एक विश्व स्तरीय 3.6 मीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित किया है। इस दूरबीन में एक्टिव ऑप्टिक्स प्रौद्योगिकी के साथ 3.6 मीटर व्यास वाला हाइपरबोलॉइड प्राथमिक दर्पण, कई सारे जटिल उपकरण, दर्पण कोटिंग संयंत्र और एक कंट्रोल रूम शामिल है। दूरबीन पर लगे उपकरण ऑप्टिकल और निकट-अवरक्त तरंग दैर्घ्य पर खगोलीय अवलोकन प्रदान कर सकते हैं, जो सौर मंडल की वस्तुओं, एक्सो-ग्रहों, सितारों, तारा-समूहों, आकाशगंगाओं और एक्स्ट्रा-गैलेक्टिक स्रोतों से संबंधित खगोलीय विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय तरल दर्पण टेलिस्कोप (आई एल एम टी)

भारतीय हिमालय में एरीज, देवस्थल में स्थित अनोखे अंतर्राष्ट्रीय तरल दर्पण टेलिस्कोप (आई एल एम टी) के शुरु होने के साथ भारत, बेल्जियम और कनाडा में खगोलविदों के पास अब एक नया उपकरण है, जिससे ब्रह्मांड का प्रेक्षण किया जा सकता है। यह नवीन उपकरण तरल पारे की पतली परत से बने 4-मीटर-व्यास वाले एक घूमते हुए दर्पण का इस्तेमाल करके प्रकाश को इकट्ठा और केंद्रित करता है। टेलिस्कोप को हर रात इसके ऊपर से गुजरने वाले आकाश की पट्टी का सर्वेक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह क्षणिक या परिवर्तनशील स्रोतों जैसे सुपरनोवा, गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्षी मलबे, क्षुद्रग्रह आदि की पहचान कर सकता है।

तरल-दर्पण टेलिस्कोप इस तथ्य का लाभ उठाते हैं कि घूमते तरल की सतह, स्वाभाविक रूप से एक परवलयिक (Parabolic) आकार लेती है, जो प्रकाश को केंद्रित करने के लिए आदर्श है।

समतापमंडल क्षोभमंडल रडार (Stratosphere Troposphere Radar] ST Radar)

एरीज, नैनीताल में एसटी रडार सिस्टम (206.5 मेगाहर्ट्ज) को अत्याधुनिक सॉलिड स्टेट टीआर मॉड्यूल और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीकों का उपयोग करके एक सक्रिय एपर्चर वितरित चरणबद्ध ऐरे के रूप में कॉन्फिगर किया गया है। इस प्रणाली में एक समबाहु त्रिकोणीय ग्रिड व्यवस्था पर एक गोलाकार छिद्र में 3 तत्वों की 588 यागियों की एक श्रृंखला है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण प्रणाली भारत के भीतर विकसित की गई है और पहली बार किसी छत पर एंटीना ऐरे स्थापित किया गया है। हाल ही में, एरीज ने 12 क्लस्टरों को सफलतापूर्वक संचालित किया है और 20 किमी की ऊँचाई तक अवलोकन प्राप्त किए गए हैं। रडार को 72 घंटे से अधिक समय तक लगातार संचालित किया गया है और संचालन की इस अवधि के दौरान, पवन उत्पादों की तुलना करने के लिए जीपीएस रेडियोसॉन्डे भी लॉन्च किए गए थे। एसटी रडार और जीपीएस रेडियोसॉन्डे के बीच हवाओं पर यथोचित सुसंगत परिणाम प्राप्त होते हैं।

आदित्य एल 1 विज्ञान सहायता केंद्र –

इसरो की सहायता से नैनीताल स्थित एरीज में आदित्य-एल1 सपोर्ट सेल (AL1SC) स्थापित की गई है, यह सपोर्ट सेल भारत भर में कई स्थानों पर कार्यशालाएँ आयोजित करता है। इनमें स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों का सौर भौतिकी की विभिन्न अवधारणाओं से परिचय कराया जाता है और आदित्य-एल 1 से मिलने वाले डाटा के इस्तेमाल और विश्लेषण का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(घ) अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

1— **पब्लिक आउटरीच** : खगोल विज्ञान (एस्ट्रोनॉमी) एक बहुत छोटे समुदाय तक ही सीमित है, जो खगोल विज्ञान को अपने करियर के रूप में अपनाते हैं। एरीज ने खगोल विज्ञान समुदाय (भारत और दुनिया भर के) द्वारा उपलब्ध ज्ञान को आम जनता तक फैलाने के लिए मनोरा पीक परिसर में एक विज्ञान केंद्र स्थापित किया है। स्कूल एवं कालेज के विद्यार्थियों के कई समूह साल भर एरीज का शैक्षणिक भ्रमण करते हैं | दूरबीनों से स्टार गेजिंग के

अतिरिक्त, एरीज में एक छोटा तारामंडल भी है, जिसके माध्यम से आगंतुकों को ब्रह्माण्ड के बारे में फिल्म के माध्यम से जानकारी दी जाती है | एरीज के देवस्थल परिसर में भी विज्ञान केंद्र की स्थापना कर दी गई है | एरीज के वेबसाइट www.aries.res.in पर जाकर आप एरीज भ्रमण के लिए अपना स्लॉट आरक्षित कर सकते हैं | हर साल विख्यात गणमान्य व्यक्ति, शिक्षाविद, शिक्षक, छात्र और आम जनता दूरबीन और दूरबीन के माध्यम से ब्रह्माण्ड देखने आते हैं। यह सुविधाएं सभी के लिए निशुल्क हैं। एरीज भ्रमण से पूर्व आप दूरभाष सं०— 05942270700 पर सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एरीज की दूरबीनों ने इस भौगोलिक क्षेत्र में खगोल पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है। एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एरीज और कुमाऊँ मंडल विकास निगम द्वारा एक पहल की गई है, जिसके माध्यम से कुमाऊँ मंडल विकास निगम अपने पर्यटकों को एरीज के भ्रमण कराएगा |

2—डॉक्टरेट (पी एच डी) कार्यक्रम : एरीज खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान में पीएचडी और एकीकृत एमटेक—पीएचडी करने के लिए फेलोशिप प्रदान करता है। छात्रों को गेट, जेस्ट या नेट परीक्षाओं या इंस्पायर फेलोशिप के बाद साक्षात्कार के माध्यम से शोधार्थी के रूप में चुना जाता है।

3—पोस्टडॉक्टोरल कार्यक्रम : एरीज खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान की किसी भी शाखा में पोस्टडॉक्टोरल फेलोशिप प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग और उपकरणों, या सॉफ्टवेयर के विकास में काम करने के लिए विजिटिंग पदों को भी प्रदान करता है।

4—विजिटिंग स्टूडेंट्स कार्यक्रम : एरीज के वैज्ञानिकों और अभियंताओं के मार्गदर्शन में स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए विभिन्न अल्पकालिक परियोजनाओं पर निशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE-FRI)
(वन अनुसंधान संस्थान (डीमड विश्वविद्यालय) देहरादून)



(अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम-2024)

क्र.सं.	योजना / सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	भ.वा.अ.शि.प.-वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में लघु अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम- 2024	वन संसाधन मूल्यांकन में रिमोट सेंसिंग, जी.आई.एस और जी.पी.एस का अनुप्रयोग (पाठ्यक्रम निदेशक: डॉ. नीलेश यादव, वैज्ञानिक-ई एवं प्रभारी: जी.आई.एस केंद्र, आई.टी. शाखा, फोन नंबर: 0135-2224233 मोबाइल: 9411385495 ई-मेल: neeleashy@gmail.com)	वन विभाग के अग्रिम	पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन पत्र संबंधित प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम निदेशक को प्रेषित किया जा सकता है तथा एक प्रति प्रमुख, विस्तार प्रभाग, भ.वा.अ. शि.प.-वन अनुसंधान संस्थान को भेजी जाएगी। पी.ओ. न्यू फॉरेस्ट, देहरादून-248006 (उत्तराखंड) फोन- 0135-2758606, फैक्स: 01352756865
		काष्ठ का वर्गीकरण एवं ग्रेडिंग (पाठ्यक्रम निदेशक: श्री राजेश भंडारी,		

	वैज्ञानिक-एफ, टिंबर मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग शाखा, वनोपज प्रभाग फोन नंबर: 01352224395 ई-मेल: bhandarir@icfre.org) आजीविका के स्रोत के रूप में तितली अनुश्रवण और तितली समावेशी पर्यटन (पाठ्यक्रम निदेशक: डॉ. अरुण प्रताप सिंह वैज्ञानिक-जी एवं प्रमुख, वन संरक्षण प्रभाग, फोन नंबर: 9068049888 ई-मेल: singhap@icfre.org पैरा टैक्सोनॉमी में कौशल विकास (पाठ्यक्रम निदेशक: डॉ. रंजना नेगी, वैज्ञानिक-ई एवं प्रमुख, वन वनस्पति प्रभाग फोन नंबर: 01352224385 ईमेल: negirk@icfre.org काष्ठ संरचना एवं डिजाइन (पाठ्यक्रम निदेशक: श्री अश्वथ हेगड़े, वैज्ञानिक-बी, टिम्बर मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग शाखा, वनोपज प्रभाग फोन नंबर: 6362850398 ई-मेल: ashwathh@icfre.org छिद्र विधि द्वारा फॉर्मेलिडहाइड उत्सर्जन (आई.एस.:13745) पाठ्यक्रम निदेशक: डॉ. रंजना यादव, वैज्ञानिक-ई, वनोपज प्रभाग फोन नंबर: 0135-2224445 ई-मेल: ryadav@icfre.org	पंक्ति के कर्मचारी राज्य वन विभाग, निजी एजेंसियां, छात्र, उद्यमियों एवं अन्य हितधारक	ऑफ़लाइन मोड पाठ्यक्रम शुल्क (भोजन और आवास शुल्क सहित) भारतीय नागरिकों हेतु प्रति प्रतिभागी रु. 11000/- ऑनलाइन मोड भारतीय नागरिकों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क प्रति प्रतिभागी रु. 6000/- न्यूनतम प्रतिभागी: 20 संस्थागत शुल्क प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। अपेक्षित पाठ्यक्रम शुल्क (निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के पक्ष में और "देहरादून" में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से) संबंधित पाठ्यक्रम शुरू होने से कम से कम 30 दिन पूर्व उपरोक्त पते पर पहुंच जाना चाहिए।
--	---	---	---

		बांस एवं काष्ठ संशोधन एवं संरक्षण (पाठ्यक्रम निदेशक: शैलेन्द कुमार, वैज्ञानिक-डी, काष्ठ संशोधन विभाग, वन उत्पाद प्रभाग, भ.वा.अ.शि.प.- एफ.आर. आई फोन नंबर: 0135-2224423, 9837086111 ईमेल: kumarsro@icfre.org		
		प्लाईवुड निर्माण (पाठ्यक्रम निदेशक: डॉ. डी.पी. खली, वैज्ञानिक-जी, वनोपज प्रभाग फोन नंबर: 0135-2224451 ई-मेल: kalidp@icffe.org		
कम लागत वाले अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम				
2	कम लागत वाले अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	नगरीय वृक्ष जोखिम प्रबंधन/ संकट ग्रस्त एवं नव वृक्ष (पाठ्यक्रम निदेशक: डॉ. शैलेश पांडे, वैज्ञानिक-ई, वन रोग विज्ञान विभाग, वन सुरक्षा प्रभाग, फोन नंबर: 0135-2224226 वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा (वी.ए. एम.) का व्यापक उत्पादन (पाठ्यक्रम निदेशक: डॉ. विपिन प्रकाश, वैज्ञानिक-एफ, वनव्याधि शाखा फोन नंबर: 0135-2224313 खाद्य/औषधीय मशरूम की खेती (पाठ्यक्रम निदेशक: डॉ. शैलेश पांडे, वैज्ञानिक-ई, वन संरक्षण प्रभाग फोन नंबर: 0135-2224313 बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा का बृहद् पैमाने पर बहुगुणन (पाठ्यक्रम निदेशक: डॉ.	फील्ड स्टाफ, किसानों और कारीगरों हेतु	पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन पत्र संबंधित प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम निदेशक को प्रेषित करना होगा और एक प्रति प्रमुख, विस्तार प्रभाग, भ.वा.अ.शि.प.-वन अनुसंधान संस्थान को भेजनी होगी। पी.ओ. न्यू फॉरेस्ट, देहरादून-248006 (उत्तराखंड) फोन 0135-2758606 फैक्स: 0135-2756865 ऑफलाइन मोड पाठ्यक्रम शुल्क (भोजन और आवास शुल्क सहित) प्रति प्रतिभागी रु. 5500/- न्यूनतम प्रतिभागी: 20 ऑनलाइन मोड पाठ्यक्रम शुल्क प्रति प्रतिभागी रु. 5000/-प्रति कोर्स संस्थागत शुल्क प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।

		शैलेश पांडे, वैज्ञानिक-ई, भा.वा.अ.शि.प. —वन अनुसंधान संस्थान, वन व्याधि शाखा, वन संरक्षण प्रभाग, संपर्क: : 0135-2224313 आजीविका सृजन हेतु प्रकृति का सतत दोहन, सगंध तेलों और प्राकृतिक रंगों का उपयोग (पाठ्यक्रम निदेशक: डॉ. वी.के. वाष्णीय प्रमुख, रसायन विज्ञान एवं जैव-पूर्वक्षण प्रभाग, भा.वा.अ.शि.प-वन अनुसंधान संस्थान, फोन नंबर: 0135-2224313 कृषि वानिकी एवं बाजारीकरण व्यवस्था (पाठ्यक्रम निदेशक: डॉ. चरण सिंह, वैज्ञानिक-ई, विस्तार प्रभाग, भा.वा.अ.शि.प. वन अनुसंधान संस्थान फोन नंबर: 0135-2224355		अपेक्षित पाठ्यक्रम शुल्क (निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के पक्ष में और "देहरादून" में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से) संबंधित पाठ्यक्रम शुरू होने से कम से कम 30 दिन पूर्व उपरोक्त पते पर पहुंच जाना चाहिए।
वन अनुसंधान संस्थान सम विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम (एम.एस.सी.)				
3	वन अनुसंधान संस्थान सम विश्वविद्यालय एम. एस.सी. प्रवेश परीक्षा	एम.एस.सी. (वानिकी) एम.एस.सी. (काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)	वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूविज्ञान, गणित, भौतिकी और प्राणी शास्त्र में से किसी एक विषय के साथ विज्ञान में स्नातक डिग्री या कृषि या वानिकी में स्नातक डिग्री भौतिकी, गणित और रसायन विज्ञान में स्नातक डिग्री या वानिकी में बी. एस. सी. डिग्री	अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखते रहें। आवेदन पत्र www.fridu.edu.in में दिए गए लिंक के माध्यम से भरना होगा और विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा तथा 1500/- रुपये के डिमांड ड्राफ्ट (कुल सचिव, वन अनुसंधान संस्थान सम विश्वविद्यालय को देय) के साथ कुलसचिव, वन अनुसंधान संस्थान सम विश्वविद्यालय, पी.ओ. कौलागढ़ रोड, देहरादून को भेजना होगा। चयन प्रक्रिया: अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से।

		एम.एस.सी. (पर्यावरण प्रबंधन)	बुनियादी या व्यावहारिक विज्ञान की किसी भी शाखा में तीन वर्षीय स्नातक डिग्री या वानिकी या कृषि में स्नातक या पर्यावरण विज्ञान में बी.ई.।	
		एम.एस.सी. (सेलूलोज़ एवं कागज़ प्रौद्योगिकी)	एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान सहित विज्ञान में तीन वर्षीय स्नातक डिग्री, बी.ई./बी.टेक (केमिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग)।	
काष्ठ सेवाओं का वाणिज्यिक संशोधन				
4	परीक्षण सेवाएँ	काष्ठ सेवाओं का वाणिज्यिक संशोधन, साल, आसना, जामुन, सिल्वर ओक, अखरोट, कुसुम, ओक, यूकेलिप्टस, सिस्सू, सागौन, हल्दू, देवदार, बर्च, तून, कीकर, सिरिस, चंपक, बोटलब्रश, होलॉक, आम कांजू, कुड़हान, चीड़, पापलर, सेमुल, फर, स्पूस	दरें: नमी की मात्रा और लकड़ी मोटाई पर आधारित हैं	परीक्षण शुल्क "निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान" के पक्ष देहरादून में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भेजा जाएगा। परीक्षण के लिए नमूने (उपर्युक्त पहचान संख्या के साथ) और डी.डी. प्रमुख वनोपज प्रभाग, पी.ओ. न्यूफॉरेस्ट, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून 248006, उत्तराखंड राज्य को भेजना होगा। सभी सामान्य जानकारी के लिए head_fp@icfre.org पर पत्राचार किया जा सकता है। संशोधन सेवाओं पर अतिरिक्त जानकारी हेतु, कृपया संपर्क करें: upretink@icfre.org ; kumarsro@icfre.org

भौतिक एवं यांत्रिक परीक्षण सेवाएँ				
5	भौतिक एवं यांत्रिक परीक्षण	काष्ठ एवं काष्ठ उत्पादों का भौतिक परीक्षण जैसे आद्रता सामग्री, विशिष्ट घनत्व, भार, जल अवशोषण, शोध आदि।	रु. 2,200 /—प्रति नमूना / परीक्षण	परीक्षण शुल्क "निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान" के पक्ष देहरादून में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भेजा जा सकता है। परीक्षण के लिए नमूने (उपर्युक्त पहचान संख्या के साथ) और डी.डी. प्रमुख वनोत्पाद प्रभाग, पी.ओ. न्यूफॉरेस्ट, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून 248006, उत्तराखंड राज्य को भेजना होगा। उपर्युक्त शुल्क पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी अतिरिक्त लगेगा सभी सामान्य जानकारी के लिए head_fp@icfre.org पर पत्राचार किया जा सकता है। मैकेनिकल एवं भौतिक परीक्षण पर किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें: dubeyym@icfre.org
		यांत्रिक परीक्षण जैसे बंकन संपीड़न, तनाव, कठोरता, कतरनी, कील प्रतिरोधक क्षमता, काष्ठ एवं काष्ठ उत्पादों का पेंच निकासी प्रतिरोधकता आदि।	रु. 2,750 /— प्रति नमूना / परीक्षण	
		IS: 1003 और TADS के अनुसार: (पहचान, रासायनिक उपचार, नमी की मात्रा आदि की जांच को छोड़कर) पैनल दरवाजा शटर / खिड़की और वेंटिलेटर शटर	रु. 22000 /—प्रति दरवाजा शटर	
		पलशडोर शटर IS: 2202 और IS:2191 के अनुसार	रु. 22000 /—प्रति दरवाजा शटर	
		IS: 4020 (Pt-1से 16) के अनुसार: दरवाजा शटर परीक्षण के तरीके	रु. 22000 /—प्रति दरवाजा शटर	
		TADS: 15 के अनुसार LVL दरवाजा शटर का परीक्षण (पहचान /नमी सामग्री को छोड़कर)	रु. 33000 /—प्रति दरवाजा शटर	
		काष्ठ के भौतिक और यांत्रिक गुणों, उपयुक्तता सूचकांकों, सुरक्षित कार्य तनाव या शक्ति गुणांक पर डेटा की आपूर्ति	रु.10000 /—प्रति काष्ठ प्रजाति	
		एकल भौतिक या यांत्रिक गुणधर्म डेटा की आपूर्ति यानी विशिष्ट घनत्व, टूटने का मापांक आदि	रु.1000 /—प्रतिगुण धर्म प्रति प्रजाति	
संरक्षण परीक्षण एवं परिरक्षक उपचार सेवाएँ				
6	संरक्षण परीक्षण	उपचारित काष्ठ में परिरक्षक का अंतर्वेधन	रु.11,000 /—प्रति नमूना	परीक्षण शुल्क "निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान"

एवं परिरक्षक उपचार सेवाएँ	एवं प्रतिधारण का निर्धारण		के पक्ष में "देहरादून" में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भेजा जा सकता है परीक्षण के लिए नमूने (उपर्युक्त पहचान संख्या के साथ) और डी.डी. प्रमुख वनोपज प्रभाग, पी.ओ. न्यू फॉरेस्ट, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून 248006, उत्तराखण्ड राज्य को भेजे जा सकते हैं। उपर्युक्त शुल्क पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी अतिरिक्त लगेगा। सभी सामान्य जानकारी के लिए head_fp@icfre.org पर पत्राचार किया जा सकता है। मैकेनिकल एवं भौतिक परीक्षण पर किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिए, कृपया संपर्क करें :dubeyym@icfre.org
	प्लाईवुड/अग्नि रोधी में परिरक्षक का परीक्षण	रु.13200/-प्रति नमूना/ परीक्षण	
	आग र विधि द्वारा विषाक्तता / प्रदर्शन स्क्रीनिंग परीक्षण	रु. 11,000 /काष्ठ /कवक	
	फंगस ओतल ब्लॉक बायोएसेज के विरुद्ध प्रयोगशाला परीक्षण	रु. 22,000 /काष्ठ /कवक	
	परिरक्षक उपचार	रु.70/-प्रति सी.एफ.टी + रासायनिक द्रव्यों का शुल्क	

उक्त कार्यों के अतिरिक्त भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद-वन अनुसंधान संस्थान, उत्तराखण्ड में वनाग्नि की समस्या के समाधान हेतु संस्थान द्वारा वन अग्नि पर ICFRE-FRI, Dehradun द्वारा FSI देहरादून, WII देहरादून, NIH रुड़की और GBPNIHE, अल्मोड़ा के सहयोग से उत्तराखण्ड और मध्य प्रदेश में वन अग्नि के कारण प्रति हेक्टेयर वास्तविक तौर पर आर्थिक नुकसान का आंकलन किया गया है। परियोजना पूर्ण हो गई है। वन अग्नि पर चल रही परियोजनाएँ : ICFRE-FRI ने अग्निशमन उपकरण, सुरक्षा गियर आदि के डिजाइन और विकास के लिए UPES देहरादून, IIT रुड़की और CFEES, DRDO, नई दिल्ली जैसे विशेषज्ञ संस्थानों के साथ सहयोग किया है।

FSI देहरादून और DFE, देहरादून के सहयोग से ICFRE-FRI National Collaborative Scheme on Forest Fire Management भी निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ कार्यान्वित की जा रही है :- डेटाबेस प्रबंधन और ज्ञान प्रसार के लिए राष्ट्रीय वेब पोर्टल का विकास। राष्ट्रीय वन अग्नि ज्ञान नेटवर्क का विकास। मानक संचालन प्रक्रियाओं (एस.ओ.पी.) का विकास। भविष्य में जलवायु परिवर्तन परिदृश्य का वन अग्नि की संवेदनशीलता पर प्रभाव पर अध्ययन। अग्नि शमन उपकरणों और तकनीकों द्वारा एस.एफ.डी को मजबूत करना। वन अग्नि के कारण होने वाले नुकसान और आर्थिक नुकसान का आंकलन। अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में अग्नि के बाद बहाली और पुनर्वास रणनीति। समुदाय आधारित वन अग्नि प्रबंधन।

भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) देहरादून



संक्षिप्त परिचय — भारतीय वन्यजीव संस्थान का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण प्रबंधन और वैज्ञानिक अध्ययन करना और स्थानीय समुदायों के हितों को ध्यान में रखते हुए समग्र दृष्टिकोण अपनाना है। संस्थान की स्थापना सन् 1982 में देहरादून में की गई थी। भारतीय वन्यजीव संस्थान को अप्रैल 1986 में स्वायत्तता मिली, जिसने इसकी विकास गति को बढ़ावा दिया। भारतीय वन्यजीव संस्थान पहले से ही वन्यजीव प्रबंधन और संरक्षण में प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देश नियमित रूप से अपने विभिन्न स्तरों के वन अधिकारियों को इसके प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वन्यजीव संरक्षण के लिए उत्कृष्टता का केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है।

हमारा उद्देश्य

- वन्यजीव संसाधनों पर वैज्ञानिक ज्ञान का निर्माण करना।
- वन्यजीवों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए विभिन्न स्तरों पर वन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।
- प्रबंधन से संबंधित अनुसंधान परियोजनाएं चलाना, अनुसंधान करना, जिसमें भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त तकनीकों का विकास शामिल है।
- विशिष्ट वन्यजीव प्रबंधन समस्याओं पर जानकारी और सलाह प्रदान करना।
- वन्यजीव अनुसंधान, प्रबंधन और प्रशिक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना, ताकि वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों और दृष्टिकोणों को अपनाया जा सके।
- वन्यजीव प्रबंधन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित होना।

वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण

- उन्नत वन्यजीव प्रबंधन में 10—महीने का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम
- वन्यजीव प्रबंधन में 3—महीने का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम
- अनुकूलित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला : कस्टम, वन्यजीव संरक्षण, चिड़ियाघर प्रबंधन, वनीकरण और सैन्य संवेदनशीलता के क्षेत्र में विभिन्न पेशेवरों, जिसमें भारतीय वन सेवा के अधिकारी और अंतराष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधक शामिल हैं, के ज्ञान को बढ़ाने के लिए
- वन्यजीव विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (Post-graduation in Wildlife Science)
- ताजे पानी की पारिस्थितिकी और संरक्षण में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (Post-graduation in Fresh water Ecology and Conservation)

अनुसंधान कार्य

भारतीय वन्यजीव संस्थान की शोध कार्यसूची, अनुसंधान सलाहकार समिति (TRAC) द्वारा निर्धारित और मार्गदर्शित किया जाता है, जिसमें प्रमुख संरक्षणकर्ता, अकादमिक और वैज्ञानिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। जो सुनिश्चित करते हैं कि अनुसंधान राष्ट्रीय संरक्षण प्राथमिकताओं के अनुरूप हो, और भविष्य की कार्यक्रमों के लिए दिशा तय की जा सके। भारतीय वन्यजीव संस्थान की अनुसंधान परियोजनाएँ जो देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही हैं, संरक्षण में सहायता के लिए वैज्ञानिक जानकारी के मुख्य स्रोत हैं।

उत्तराखंड राज्य में भारतीय वन्यजीव संस्थान की मौजूदगी

भारतीय वन्यजीव संस्थान इस समय उत्तराखंड राज्य में मुख्य रूप से चार परियोजनाओं में शोध कार्य कर रहा है, जो निम्नलिखित हैं:

1. नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत की जा रही गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण

भारत सरकार द्वारा गंगा नदी की स्वच्छता एवं संरक्षण हेतु चलाये जा रहे नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जलीय जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गंगा नदी की विभिन्न प्रजातियाँ जो वर्तमान में संकटग्रस्त हैं या निकट भविष्य में जिनके लुप्त होने की संभावना है, इन प्रजातियों की विविधता के लिये उत्पन्न होने वाले खतरे में कमी आये। परियोजना के प्रथम चरण में गंगा नदी की मुख्यधारा में कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। परियोजना के द्वितीय चरण में कार्यक्रम का क्रियान्वयन गंगा की सहायक नदियों में किया जा रहा है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा जलीय जीव संरक्षण एवं अनुश्रवण केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी के जलीय जीवों के पुनरुद्धार हेतु योजना का निर्माण, वन विभाग एवं अन्य हितधारकों का क्षमता विकास, जलीय प्रजातियों हेतु बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी की प्रजातियों के पुनर्वास हेतु समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम एवं गंगा नदी की जैवविविधता के संरक्षण हेतु व्याख्या केन्द्रों का निर्माण आदि कार्यक्रम प्रमुख हैं। साथ ही एक प्रशिक्षित और प्रेरित गंगा प्रहरी संवर्ग की स्थापना की गई है। जिसमें कोई भी स्वप्रेरित व संरक्षण में रुचि रखने वाला व्यक्ति अपना नामांकन करा

सकता है। अभी तक कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 5569 गंगा प्रहरियों का नामांकन किया गया है। बच्चों को संवेदित करने के लिये विद्यालयों में बाल गंगा प्रहरी कार्नर और जलमाला संवाद की स्थापना की जा रही है।

उत्तराखंड राज्य में कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा व उसकी सहायक नदियों भागीरथी, अलकनंदा, यमुना, रामगंगा, सुसवा, चंद्रभागा में जैवविविधता और जल गुणवत्ता का सर्वेक्षण कराया गया है। इसके साथ ही आसन, झिलमिल तथा बानगंगा आदि आर्द्रभूमियों में पक्षियों का सर्वेक्षण हुआ है। इसके साथ ही समुदाय को जैवविविधता के महत्व के प्रति जागरूक करने और संरक्षण में उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिये 8 जनपदों उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, चम्पावत तथा ऊधमसिंहनगर के विभिन्न गांवों में गतिविधियां की जा रही हैं जिनमें मुख्य रूप से जागरूकता बैठकें, कार्यशालायें, रैली, स्वच्छता गतिविधियां, वृक्षारोपण, आजीविका संवर्धन कार्यक्रम, सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, जैविक कृषि के संबंध में जागरूकता आदि गतिविधियां की जा रही हैं। समुदाय की आजीविका के संवर्धन के लिये कौशल विकास गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। अभी तक कुल 25 कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा चुका है। गंगा प्रहरियों द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार प्रदान करने के लिये जलज केंद्रों की स्थापना की गई है। राज्य में 10 जलज केंद्रों की स्थापना की गई है जिसमें मुख्य रूप से होम स्टे और बिक्री केन्द्र शामिल हैं। प्रशिक्षित लोगों/समूहों द्वारा बनाये गये उत्पादों को विपणन विभिन्न जलज केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। इसके साथ ही भारत सरकार के मिलेट मिशन के अनुरूप व प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के उत्तराखंड में विभिन्न गांवों में कृषि संबंधी और उत्पाद मूल्य संवर्धन (Value addition through product making) प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया है। इस तरह प्रशिक्षित गंगा प्रहरियों के माध्यम से समुदाय व राज्य के विभिन्न भागों में जैवविविधता एवं नदी संरक्षण के प्रति जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है।

2. नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र (NDBR), संक्रमण क्षेत्र Transition Zone को ध्यान में रखकर एक व्यापक जैव विविधता संरक्षण प्रबंधन योजना विकसित करना

नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र (NDBR) उत्तराखंड में स्थित है, जिसमें दो मुख्य क्षेत्र शामिल हैं —1. नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान (625 वर्ग किलोमीटर) और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान (87.5 वर्ग किलोमीटर)। इसे 1992 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई और 2004 में इसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया। नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी और पारिस्थितिकी पर्यटन और शिक्षा को बढ़ाना है। यह आरक्षित क्षेत्र में मुख्यतः भोटिया और इंडो-आर्यन समुदायों, जो गर्मी और सर्दी के गांवों के बीच प्रवास करते हैं ताकि चरागाह और कृषि का अधिकतम उपयोग कर सकें, निवास करते हैं। अब तक वैज्ञानिक अध्ययन मुख्यतः नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के पश्चिमी भाग में ही हुए हैं, जबकि संक्रमण क्षेत्र (Transition Zone, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों) में जानकारी का अभाव है। इसलिए पारंपरिक चरवाहों के प्रवासी मार्गों का अध्ययन, जैव विविधता के संरक्षण के लिए नियंत्रित चराई प्रथाओं का विकास, आक्रामक प्रजातियों (Invasive species) और हानिकारक भूमि उपयोग प्रथाओं का समाधान, उच्च संरक्षण मूल्य वाले औषधीय पौधों के क्षेत्रों की पहचान, कटाई और कृषि सुनिश्चित करना, लोक ज्ञान और अधिकारों का दस्तावेजीकरण करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की निगरानी इत्यादि इसके मुख्य उद्देश्य हैं। आवासों का बेहतर प्रबंधन और वन्य जीवों का संरक्षण, स्थानीय समुदायों के लिए विविधीकरण और बेहतर जीविका विकल्प, वन्यजीव अपराध को कम

करने के लिए निगरानी और स्थायी प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रणाली स्थापित करना, जिससे दीर्घकालिक पारिस्थिकी स्थिरता और समुदाय की भलाई सुनिश्चित हो सके, जो एक व्यापक जैव विविधता संरक्षण प्रबंधन योजना का विकसित करने में मदद करेगा।

3. केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्रों में पर्यटकों/तीर्थयात्रियों के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन

अभी हाल में केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, गंगोत्री और यमुनोत्री पैदल मार्ग, जो क्रमशः 19, 23, 22 और 5 किमी लंबाई वाले हैं, जिसके परिदृश्य में सुंदर हिमालय, गांव, जंगल, झरने, नदियां और हेमकुंड झील स्थित हैं। संस्थान द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ यह परियोजना शुरू की है जिसमें बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और पारिस्थितिकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संबंधित क्षेत्रों में पर्यटकों/तीर्थयात्रियों के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन, उपलब्ध प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के संदर्भ में वाहनों की संख्या और प्रकार को सीमित करना, विशेष रूप से पीक सीजन के दौरान पर्यटकों, तीर्थयात्रियों की संख्या को सीमित करना, घोड़ों की संख्या जो अनुमति दी जा सकती है और उनकी निगरानी तंत्र, घोड़ों के संचालन का तंत्र और गोबर तथा मृत खच्चरों के निपटान की प्रक्रिया, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, संबंधित क्षेत्रों की वनस्पति और जीव-जंतु के संरक्षण के लिए उपाय, उन निषिद्ध नियंत्रित गतिविधियों की पहचान करना जो संबंधित क्षेत्रों के लिए पर्यावरण के साथ असंगत हैं, सुरक्षा उपाय और रोकथाम के उपाय, पर्यावरणीय अधिनियमों नियमों का अनुपालन, पर्यावरणीय जागरूकता एवं निगरानी तंत्र का अध्ययन शामिल है। यह अध्ययन पर्यावरण के सतत प्रबंधन और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक योजनात्मक ढांचे को बनाने में मददगार होगा।

4. हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Sustaining Himalayan Ecosystem)

अप्रैल 2022 में NMSHE का दूसरा चरण शुरू किया गया, इसका उद्देश्य हिमालय के वन्यजीवों पर जलवायु के प्रभावों की जानकारी को मजबूत करने के लिए क्रियान्वयन-उन्मुख अनुसंधान करना है। इस परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझना और संबंधित प्रजातियों के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाना है। जो इन निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होगा:

- चयनित उच्च ऊँचाई वाले नदी बेसिनों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर दीर्घकालिक निगरानी।
- जलीय और स्थलीय प्रजातियों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक डेटा पर आधारित पूर्वानुमानात्मक मॉडल विकसित करना।
- तीन नदी बेसिनों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आधार डेटा और पद्धति स्थापित की गई।
- कुछ प्रमुख प्रजातियों के लिए विकसित मॉडल की जांच और मान्यता आवश्यक है।
- वन्यजीवों और जलवायु अनुकूलन पर जागरूकता बढ़ाने के लिए बुकलेट्स और नागरिक विज्ञान पहलों का उपयोग।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोगों के माध्यम से शोध क्षमताओं में सुधार।

भाकृअनुप-विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा



संक्षिप्त परिचय— भाकृअनुप-विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा एक प्रमुख संस्थान है जो मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्र के उत्तर-पश्चिमी हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) और केंद्रशासित प्रदेश (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) के लिए कृषि अनुसंधान कार्य का संचालन करता है। यह देश के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों (उत्तर पूर्वी राज्यों) में अपने तकनीकी समर्थन को बढ़ाता है। एक बहु-फसल एवं बहु-विधा वाला अनुसंधान संस्थान होने के कारण, शोधकार्य चार प्रभागों / अनुभागों नामतः फसल सुधार, फसल उत्पादन, फसल सुरक्षा और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड में निम्न कार्य किये हैं :-

मक्का

बागेश्वर जिले के 3 गांवों (शामा, लीती और बस्ती) के 32 किसानों के खेतों के 10.0 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वीएलक्यूपीएमएच 45, वीएलक्यूपीएमएच 59 और सीएमवीएल स्वीट कॉर्न हाइब्रिड का अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन किया गया। उन्नत वीएल हाइब्रिड (41.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर) की औसत उपज स्थानीय किस्मों (28.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर) की तुलना में 46.31 प्रतिशत अधिक गयी।

सोयाबीन

अल्मोड़ा जिले के भटगांव और कोट्युरा गांवों में एवं बागेश्वर जिले के तुपेड़, पातल, खुलदौरी और भटनीकोट गांवों में 43 लाभार्थियों (13 पुरुषों और 30 महिलायें) के खेतों अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन सह किसान सहभागिता बीज उत्पादन के लिए कुल 2.36 क्विंटल बीज (लगभग 4.0 हेक्टेयर) वितरित किया गया। उन्नत किस्मों जैसे वीएल भट 201, वीएल भट 202, वीएल सोया 99 और वीएल सोया 89 ने किसानों की पद्धति की तुलना में क्रमशः 29.23 प्रतिशत, 30.64 प्रतिशत, 16.55 प्रतिशत एवं 21.99 प्रतिशत उपज पायी गयी। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा कृषकों को विभिन्न कृषि यन्त्र, विकसित प्रजातियों के बीज, तकनीकी सहायता, इत्यादि प्रदान की जाती हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत संस्थान ने वर्ष 2023 में निम्न कार्य किए—

जनजातीय उप योजना

- आय वृद्धि के लिए पॉलीहाउस का निर्माण
- चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक के परसारी और मेरग गांवों में किसानों के खेत में 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के कुल 16 प्राकृतिक रूप से हवादार पॉलीहाउस बनाए गए।

कृषक गोष्ठी और कृषक – वैज्ञानिक संवाद

चमोली जिले की नीती घाटी के गमशाली, कैलाशपुर, मलारी, जेलम और परसारी गांवों में कृषक-वैज्ञानिक संवाद आयोजित किया गया और खरीफ 2023 के दौरान दिए गए विभिन्न हस्तक्षेपों पर किसानों की प्रतिक्रिया एकत्र की गई। किसानों को पोषक तत्व प्रबंधन, नर्सरी उत्पादन, शीतोष्ण फलों के बारे में जागरूक किया गया और टपक सिंचाई विधि के माध्यम से पानी का प्रभावी उपयोग और पहाड़ी क्षेत्र में वसंत/वर्षा जल संचयन आदि की जानकारी दी गई।

अनुसूचित जाति उपयोजना परियोजना

- पॉलीहाउस सौंपना
- उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में अनुसूचित जाति (एससी) के किसानों के लिए 20 वीएल पोर्टेबल पॉलीहाउस का निर्माण पूरा हुआ। यह एक छोटे आकार (62.4 वर्ग मीटर सतह क्षेत्र, 12.0 मीटर लंबाई x 5.2 मीटर चौड़ाई x 2.6 मीटर ऊंचाई) की कम लागत वाली पोर्टेबल पॉलीहाउस संरचना है, जिसे आवश्यकता के अनुसार आसानी से एक खेत से दूसरे खेत, पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
- कृषि निवेश वितरण
- एससी किसानों को उन्नत किस्मों के बीज (अनाज के 1,274.00 किलोग्राम और सब्जियों के 599.60 किलोग्राम), वीएल लघु यंत्र (60), वीएल पॉलीटनल (77), बैटरी से चलने वाला नैपसेक स्प्रेयर (14), वीएल मंडुआ थ्रेशर (10) और पावर टिलर (02) जैसे कई इनपुट वितरित किए गए।
- पॉलीटनल वितरण और व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
- उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के उडेरखानी और लोब गांवों के गरीबी रेखा से नीचे के एससी किसानों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अठारह एससी किसानों को पॉलीटनल किट दी गई। साथ ही, किसानों को पॉली-टनल तकनीक से परिचित कराने के लिए कई व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

अन्य प्रशिक्षण :- संस्थान द्वारा नव अनुसन्धान के प्रचार प्रसार के लिए समय-समय पर विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत संस्थान अथवा संस्थान से बाहर प्रशिक्षण कराया जाता है जिसमें किसानों का चयन अंगीकृत गाँवों से उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके अतिरिक्त संस्थान राज्य सरकार, केंद्र सरकार, गैर सरकारी संगठन आदि द्वारा वित्त पोषित/ प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाता है जिसके लिए चयन प्रायोजक द्वारा किया जाता है। खरीफ तथा रबी की फसलों की उन्नत खेती विषय पर भी संस्थान वर्चुअल प्रशिक्षण आयोजित करता है जो निःशुल्क है। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा समय समय पर मिलेट्स और सोयाबीन के विभिन्न उत्पादों के बनावे जाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता रहा है।

गोविन्द बल्लभ पन्त राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (GBPIHED)
कोसी-कटारमल, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।



क्र. सं.	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन (एन.एम.एच.एस.)	- हिमालयी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सतत् प्रबंधन - हिमालयी क्षेत्र में पूरक और या वैकल्पिक आजीविका और क्षेत्र का समग्र आर्थिक संवर्धन - हिमालयी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण - हिमालयी क्षेत्र में मानव और संस्थागत क्षमताओं का संवर्धन और ज्ञान व नीति निर्धारण - जलवायु-समरूप मूल बुनियादी ढांचे और बुनियादी सेवाओं का विकास व सशक्तिकरण	हिमालयी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में, निम्नलिखित सात विषयगत क्षेत्रों में से किसी एक या अधिक में कार्य का अनुभव तथा कार्यकुशलता रखने वाले संस्थान, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संस्थान इत्यादि: - जल संसाधन प्रबंधन - आजीविका विकल्प और रोजगार सृजन - जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन	- परियोजना अनुदान - प्रकृति अध्ययन केंद्र अनुदान - राज्य सरकार स्तरीय परियोजना अनुदान • विज्ञापन के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा मूल्यांकन एवं संस्तुति तथा स्टीयरिंग समिति द्वारा अनुमोदन। - हिमालयी फेलोशिप अनुदान • पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्देशित एवं प्रकाशित फेलोशिप द्वारा चयन

			4. कौशल विकास और क्षमता निर्माण 5. बुनियादी ढांचा विकास 6. भौतिक संपर्क और संचार 7. अपशिष्ट प्रबंधन	
2.	समन्वित पारिस्थितिकीय विकास अनुसंधान कार्यक्रम (आई.ई.आर.पी.)	हिमालय क्षेत्र में समन्वित पारिस्थितिकीय विकास अनुसंधान कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य पर्यावरणीय अवक्रमण को रोकने तथा तदन्तर पर्यावरणीय स्वरूप के पुनर्विकास पर आधारित है। प्रयासों का उद्देश्य बाह्य निवेश या सहायता पर न्यूनीकृत निर्भरता के साथ पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव का परिहार करते हुए, विद्यमान संसाधनों को सुदृढ़ या स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए आय उत्पादन के नये उपाय प्रारम्भ कर एक सतत, आत्म निर्भर सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। भारतीय हिमालयी राज्यों के हित में विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक शोध के माध्यम से निदान हेतु आई.ई.आर.पी. प्रौद्योगिकी विकास एवम अनुसंधान व प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवम प्रसार हेतु वर्ष भर परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित करता है जिसमें अधिकतम 3 वर्ष के लिए 25 लाख रुपये अनुदान दिया जाता है।	पर्यावरणीय हित के अनुरूप सरकारी/ पंजीकृत गैर सरकारी संगठन/ महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों/ शोध संस्थानों/ तकनीकी संस्थानों के शैक्षणिक वैज्ञानिक संवर्ग लाभ प्राप्त कर सकते हैं।	परियोजना प्रस्ताव, समन्वित पारिस्थितिकीय विकास अनुसंधान कार्यक्रम (आई.ई.आर.पी.) के निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ संस्थाध्यक्ष से अग्रसारित कर 6 प्रतियों में प्रेषित किया जा सकता है। प्राप्त प्रस्तावों को सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, तत्पश्चात् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं संस्थान द्वारा गठित परियोजना मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण हेतु रखा जाता है एवं चयनित परियोजनाओं को अनुशंसा के आधार पर स्वीकृति व वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। परियोजना प्रस्ताव प्रारूप संस्थान की वेबसाइट— https://gbpihed.gov.in/IERP.php पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है।
3.	ग्रामीण तकनीकी परिसर https://gbpihed.gov.in/RTC_hi.php	1- संस्थान के परिसर में ग्रामीण तकनीकी परिसर (आरटीसी) स्थापित किया गया है जिसका मुख्य लक्ष्य आजीविका सुधार के लिए एक स्थाई दृष्टिकोण लागू करना है जिसके अंतर्गत संसाधनों के कुशल प्रबंधन के माध्यम से हिमालयी क्षेत्र के निवासियों की आजीविका वृद्धि के लिए स्थान विशिष्ट तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते	1- केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारी/कर्मचारी 2- गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि 3- विश्वविद्यालय संकाय तथा छात्र 4- समस्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षक एवं छात्र	1- भ्रमण अथवा प्रशिक्षण हेतु संस्थान के निदेशक को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर 2- एक दिन से सात दिनों के प्रशिक्षण हेतु संस्थान द्वारा निर्धारित पैकेज के अनुसार अग्रिम भुगतान के आधार पर 3- जागरूकता भ्रमण – ग्रामीण तकनीकी परिसर में भ्रमण हेतु कोई निर्धारित धनराशि का शुल्क देय नहीं है। यह

		हुए सरल एवं कम लागत वाली पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का उपयोग करके अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु कौशल विकास करना है 2- उपज वृद्धि व आय सृजन के आधार पर विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान का प्रसार	5- ग्रामीण महिलाएं तथा पुरुष 6- स्वयं सहायता समूह के सदस्य इत्यादि	निःशुल्क है
4.	हरित कौशल विकास कार्यक्रम ।	हिमालयी पारिस्थितिकी आधारित इआईएसीपी केंद्र, राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, कोसी-कटारमल, में हरित कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यह प्रशिक्षण निःशुल्क होता है। यह स्वरोजगार हेतु लाभदायक तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं में अनुदान/ सब्सिडी एवं प्रशिक्षण हेतु मास्टरट्रेनर के योग्य बना देता है।	किसान, विद्यार्थी (न्यूनतम 10 वीं कक्षा), स्वरोजगार हेतु उन्मुख युवा/युवतियां या 55 वर्ष से कम उम्र के कोई भी इच्छुक अभ्यर्थी	हरित कौशल विकास कार्यक्रम:- पक्षी पहचान एवं पक्षी विज्ञान, वन्य मौनपालन एवं प्रसंस्करण, लोक जैव विविधता पंजिका, प्राकृतिक व्याख्या हरित कौशल विकास पोर्टल से ऑनलाईन या संस्थान में स्वयं आकर आवेदन करने के उपरान्त गठित समिति के मापदण्डों के अनुसार। अधिक जानकारी हेतु http://gsdp-envis.gov.in/index.aspx
5	संस्थान द्वारा प्रदूषण नियंत्रण संबंधी किये गये अध्ययन	भारतीय हिमालयी क्षेत्र में वायु और प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित अध्ययनों का विवरण भारतीय हिमालयी क्षेत्र में वायु प्रदूषण: उत्तराखंड के कोसी-कटारमल, अल्मोड़ा (29.38°N, 79.37°E, 1225 मीटर AMSL) में GBPNHE द्वारा वायु गुणवत्ता की जमीनी स्तर पर निगरानी की जा रही है, जो बढ़ती वायु गुणवत्ता चिंता को रेखांकित करती है, जिसका हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया है। भारतीय हिमालयी क्षेत्र में प्लास्टिक प्रदूषण: प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ अभियान में जनभागीदारी के स्तर को समझने के लिए, जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा ने हिमालय के विभिन्न कोनों से तीस से अधिक अच्छे अभ्यासों का दस्तावेजीकरण किया है, जिन्होंने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण जमीनी बदलाव किए हैं और इस प्रकार हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों और सरकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। हम सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों से आह्वान करते हैं कि वे मिलकर ऐसे समाधान खोजें जो क्षेत्र के पर्यावरण और समुदायों की रक्षा करें और इस प्रतिष्ठित पर्वत श्रृंखला के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करें। इस मुद्दे का विस्तृत विवरण नीचे दिए गए लिंक से भी प्राप्त की जा सकती है: https://gbpihed.gov.in/PDF/Publication/Plastic waste in himalaya man ki-baat role 2023-pdf		

वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून (WIHG)



क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन एवं चयन प्रक्रिया
1.	एस.पी. नौटियाल संग्रहालय	संग्रहालय वृहद हिमालय की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। संग्रहालय में भूवैज्ञानिक मानचित्र, चार्ट, नमूने, मॉडल और इनके साथ-साथ विभिन्न शिक्षाप्रद जागरूकता प्रदर्ष प्रदर्शित किए गए हैं। संपूर्ण हिमालय में उपस्थित चट्टान, खनिज और जीवाश्मों के नमूने भी यहां प्रदर्शित किए गए हैं।	•समस्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक।	•यदि कोई आगन्तुक अकेले या परिवार सहित वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान का संग्रहालय भ्रमण करना चाहता है तो वह किसी भी कार्यदिवस (सोमवार से शुक्रवार प्रातः 9:30 से सांय 5:30 तक) पर आ सकता है। यह अपेक्षित है आने से पूर्व वह निम्न ईमेल पर अनुमति प्राप्त कर सकता है। rksehgal@wihg.res.in तथा दूरभाष संख्या 0135-2525263/118 पर कॉल करके भी अनुमति प्राप्त कर सकता है। बड़े समूहों या संस्थानिक दौरों के मार्गदर्शित भ्रमण करवाने हेतु निदेशक, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।

				- पूर्वानुमति director@wihg.res.in पर ईमेल द्वारा प्राप्त की जा सकती है। - संग्रहालय में प्रवेश सभी के लिए निःशुल्क है।
2.	परामर्शी सेवाएं	- संस्थान भू-तकनीकी, भू-जलविज्ञान, अवसादिकी, आर्थिक भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान, सूक्ष्म जीवाश्म की और पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित परामर्श सेवायें प्रदान करता है। - संस्थान भुगतान आधार पर चट्टानों और खनिजों के विभिन्न प्रकार के विश्लेषणों के लिए विश्लेषणात्मक सेवायें भी प्रदान करता है।	- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, उद्योग एवं अन्य सरकारी अभिकरण। - देशभर के विभिन्न अनुसंधान एवं विकास संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों से छात्र व शोधार्थी।	- परामर्शी सेवाओं हेतु संस्थान के निदेशक से अनुरोध किया जा सकता है। - विश्लेषणात्मक सेवाओं के लिए आवेदक को वेब पोर्टल waics.wihg.res.in पर पंजीकृत करना होगा।
3.	AcSIR के अंतर्गत छात्र कार्यक्रम	इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर-आयामीज्ञान धारित उच्च गुणवत्ता कार्मिकों को सृजित करना है, जिसका लक्ष्य पी.एच.डी. कार्यक्रम के तौर पर हिमालयी भूविज्ञान के क्षेत्रों में नेतृत्वकर्ता तैयार करना है।	- भूविज्ञान के किसी भी क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री। - वैध नेट-जेआरएफ (यूजीसी/ सीएसआईआर) या इंस्पायर फेलोशिप या कोई भी राष्ट्रीय स्तर की फेलोशिप।	- सीएसआईआर-एसीएसआईआर पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश वर्ष में दो बार आयोजित किए जाते हैं। सीएसआईआर-एसीएसआईआर राष्ट्रीय समाचारपत्रों और वेबपोर्टल के माध्यम से प्रवेश मापदंड और प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा करता है। - शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन एसीएसआईआर ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल (http://acsir-emli.in/ACSIR Admission Portal) के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
4.	कौशल विकास	पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्रों, मुख्यतः शैल विज्ञान व भू रसायन विज्ञान, संरचना व विवर्तनिकी, अवसादिकी, भूआकृति विज्ञान, हिमनद विज्ञान, मैग्नेटोस्ट्रेटीग्राफी, अभियांत्रिकी भूविज्ञान, जैवस्तरिकी, चतुश्क महाकल्पीय भूविज्ञान, पुरापर्यावरण, आर्थिक भूविज्ञान, पर्यावरण भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान और भूभौतिकी के क्षेत्र में स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों को स्व-प्रायोजित शोध कार्य/ ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।	- भूविज्ञान के किसी भी क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री। - भूविज्ञान/भूभौतिकी/पृथ्वी विज्ञान और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में एकीकृत स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम के स्नातकोत्तर और चौथे व पांचवें वर्ष के छात्र।	कौशल विकास कार्यक्रम के संबंध में सूचना संस्थान की वेबसाइट www.wihg.res.in के माध्यम से प्रसारित की जाती है।

5.	आउटरीच कार्यक्रम	•आउटरीच कार्यक्रम 'भूकंप तत्परता और जोखिमों के न्यूनीकरण के लिए शिक्षा और जागरूकता' के अंतर्गत भूकंप संबंधित आपदा और इसके न्यूनीकरण के लिए विभिन्न संबंधित ग्रामों के छात्रों व आम जनमानस के लिए अनेकों जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।	•समस्त छात्र एवं सामान्य जन।	•आउटरीच कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए, सूचना संबंधित आयोजक स्थल या वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान द्वारा प्रसारित की जाती है तथा ऑफलाइन माध्यम से आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के लिए आयोजक क्षेत्र के निकटवर्ती विद्यालयों के छात्र-छात्राएं एवं आमजनता इसमें प्रतिभाग कर सकती है। किसी ग्राम पंचायत में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कराये जाने हेतु निदेशक महोदय की अनुमति जरूरी है, जिसके लिए director@wihg.res.in पर प्रार्थना कर सकते हैं।
6.	राष्ट्रीय संगोष्ठियां	•विशिष्ट विषयों तथा हिमालय के भूविज्ञान से संबंधित विषयों पर कार्यशालाएं, सेमिनार, संगोष्ठियां और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। •राष्ट्रीय भू-अनुसंधान अध्येता सम्मेलन (एनजीआरएसएम) वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान का एक नियमित रूप से आयोजित होने वाला वार्षिक सम्मेलन है, जिसका उद्देश्य युवा शोधार्थियों व अध्येताओं को उनकी शोध रुचियों में उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें अपने शोध कार्य को साझा करने, सह अध्येताओं से विमर्श प्राप्त करने और अपने विचारों को परिष्कृत करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।	•राष्ट्रीय भू-अनुसंधान अध्येता सम्मेलन (एनजीआरएसएम) के लिए अनुसंधान अध्येता, पीएच.डी. छात्र तथा पोस्ट-डॉक्टरल अध्येता पात्र हैं।	•कार्यक्रम के संबंध में सूचना विभिन्न सोशल मीडिया साइटों और संस्थान की वेबसाइट www.wihg.res.in के माध्यम से प्रसारित की जाती है।

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, (NIH) रुडकी हरिद्वार।



संक्षिप्त परिचय — राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, भारत में जलविज्ञान और जल संसाधन के क्षेत्र में काम करने वाला एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। संस्थान की स्थापना 16 दिसंबर, 1978 को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के तहत सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई।

वर्तमान में संस्थान जलविज्ञान संबंधित शोधकार्यों के लिए प्रभावी तकनीकों, प्रक्रियाओं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज, फील्ड इंस्ट्रुमेंटेशन आदि विकसित करने; मॉडलिंग तकनीकों के माध्यम से विभिन्न हाइड्रोजियोलॉजिकल परिस्थितियों में जल संसाधन उपलब्धता के परिदृश्यों का अध्ययन करने, जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करने और जलवायु अनुकूलन के

उपाय सुझाने; जल संसाधन विकास और प्रबंधन के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग का प्रचार करने; आवश्यकता-आधारित जल संबंधी समस्याओं के लिए किफायती अनुसंधान एवं विकास समाधान प्रदान करने; तथा विभिन्न हितधारकों एवं नीति निर्माताओं को विश्वसनीय सलाह प्रदान कर, जल संसाधन विकास और संरक्षण पर क्षमता विकास और जागरूकता के माध्यम से समुदाय को सशक्त बनाने का कार्य कर रहा है।

संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य और केन्द्र सरकारों के जल संसाधन संबंधी कार्मिकों/अभियंताओं/अधिकारियों को दिया जाता है। विभिन्न कार्यक्रम अधिकतर तकनीकी प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए गैर-तकनीकी जनसामान्य के लिए अपेक्षाकृत उपयोगी नहीं होते हैं।

भा.कृ.अनु.प. शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्) (ICAR-DCFR)
अनुसंधान भवन, औद्योगिक परिसर, भीमताल 263136, उत्तराखंड

भारत में शीतजल मात्स्यिकी का विकास एवं अनुसंधान एक परिचय:—

भारतीय उपमहाद्वीप में शीतजल मात्स्यिकी की शुरुआत ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में दो मुख्य प्रकार की विदेशी ट्राउट प्रजातियों की स्थापना के साथ की गई थी। ट्राउट मछली की दो मुख्य प्रजातियों ब्राउन ट्राउट (सल्मो टूटा फारिधी) और रेनबो ट्राउट (ओकोरिकस मायकिस) हैं, जिन्हें कश्मीर घाटी में निरंतर किये गये प्रयासों के बाद सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। कश्मीर घाटी की नदियों एवं पहाड़ी नालों में इन ट्राउट प्रजातियों को स्थापित करने का मुख्य लक्ष्य मत्स्य आखेट था, जिसे ब्रिटिश प्रशासकों एवं प्रकृतिवादी लोगों के मनोरंजन के लिये विकसित किया गया था। भारत में ट्राउट की सफलतापूर्वक, नदियों में स्थापना एवं प्राकृतिक प्रजनन को देश में शीतजल मात्स्यिकी विकास की औपचारिक शुरुआत कहा जा सकता है। बाद में, इन प्रजातियों को भोजन के रूप में उपयोग में लाने हेतु बीज उत्पादन के लिए हैचरियां स्थापित की गईं ताकि इन प्रजातियों को मत्स्य पालन में लाया जा सके। इसके पश्चात तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1963 में हरवान, जम्मू और कश्मीर में शीतजल मत्स्य पालन अनुसंधान केंद्र की स्थापना के साथ ठंडे पानी में मत्स्य पालन पर अनुसंधान शुरू हुआ। इसने देश के शीतजल मत्स्य संसाधनों पर महत्वपूर्ण जानकारीयें एकत्रित की। तत्पश्चात यह देखा गया कि शीतजल मत्स्य पालन के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली आर्थिक रूप

से वंचित आबादी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने एवं ग्रामीण आय उत्पन्न करने की समता है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर 24 सितंबर 1987 को राष्ट्रीय शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान केंद्र (NRCCWF) को एक स्वतंत्र अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। यह उल्लेखनीय है कि विदेशी एवं स्वदेशी मछली प्रजातियों के संवर्धन के साथ शीतजलीय प्राकृतिक संसाधन जैसे कि नदियों एवं पहाड़ी नालों में पाई जाने वाली मत्स्य प्रजातियों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करने वाली यह देश की एकमात्र राष्ट्रीय सुविधा है। बाद में, विभिन्न हिमालयी राज्यों में शीतजल में मछली पालन की अधिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, इसे शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय (डीसीएफआर) में अपग्रेड कर दिया गया। इसका मूल उद्देश्य जम्मू और कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सभी हिमालयी राज्यों में संसाधनों का उपयोग और वृद्धि करके स्थान, स्थिति और सिस्टम विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को विकसित करना था। आज निदेशालय देश के हिमालयी और प्रायद्वीपीय भागों में शीतजल मात्स्यिकी के क्षेत्र में मत्स्य पालन अनुसंधान



को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय सुविधा के रूप में कार्यरत है। निदेशालय द्वारा प्राकृतिक संसाधनों में मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण और प्रबंधन और पहाड़ी जलीय कृषि के विकास पर प्रमुख जोर देने के साथ अनुसंधान कार्यक्रम चलाए जाते हैं। निदेशालय के पास जलीय संसाधन प्रबंधन, जलीय कृषि, मत्स्य स्वास्थ्य प्रबंधन और रोग निदान, मत्स्य पोषण और चारा विकास, साथ ही आणविक आनुवंशिकी और जैव प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला सुविधाएं हैं। पिछले तीन दशकों के दौरान, विभिन्न हितधारकों के लिए आवश्यकता-आधारित प्रौद्योगिकियों का प्रसार किया है। इसने मछली उत्पादन, प्रजातियों और प्रणाली विविधीकरण, मछली के स्वास्थ्य प्रबंधन, महत्वपूर्ण प्रजातियों के आनुवंशिक लक्षण वर्णन, लुप्तप्राय मछली प्रजातियों के संरक्षण और प्रशिक्षण और कौशल विकास के माध्यम से मानव संसाधन विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह निदेशालय देश एवं विदेश के कई विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान के नये आयामों पर महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

हाल के वर्षों में, निदेशालय ने टेबल साइज रेनबो ट्राउट की गहन खेती के लिए देश का पहला री-सर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) स्थापित किया है। निदेशालय के पास कृषि गतिविधियों को संचालित करने के लिए चंपावत जिले (उत्तराखंड) में एक फील्ड सेंटर और प्रायोगिक मत्स्य फार्म है। फार्म में ट्राउट हैचरी, नर्सरी और रेनबो ट्राउट के ब्लड स्टॉक पालन के लिए रेसवे और देशी और विदेशी मछली प्रजातियों के विभिन्न पहलुओं पर फील्ड परीक्षण करने के लिए टैंक उपलब्ध हैं।

निदेशालय ने जलीय कृषि उपयुक्तता और मत्स्य विकास के लिए हिमालयी राज्यों के जलीय संसाधनों के जीआईएस आधारित मानचित्र विकसित किए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जलीय कृषि के विकास की काफी सम्भावनाएँ हैं। निदेशालय द्वारा विकसित मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में पॉलीटेक आधारित बहु-स्तरीय एकीकृत मछली पालन मॉडल काफी लोकप्रिय है एवं कई मत्स्य पालकों द्वारा अपनाया भी गया है। इस नए जलीय कृषि मॉडल से मध्य उंचाई वाले क्षेत्रों में प्रति इकाई क्षेत्र मछली उत्पादकता 03 किलो ग्राम/मी³ से 05 किलो ग्राम/मी³ तक बढ़ी है। शीतजलीय कृषि में प्रजातियों का विविधीकरण एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हाल ही में, निदेशालय ने भोजन और सजावटी मूल्यों वाली छह नई प्रजातियों के लिए प्रजनन और बीज उत्पादन प्रोटोकॉल विकसित किया है। गोल्डन महाशीर (टोर पुटिटोरा) भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय मीठे पानी की मछली है और इसे हिमालय का गौरव कहा जाता है। आईसीएआर-डीसीएफआर के वैज्ञानिकों ने तापमान और फोटोपीरियड में खास बदलाव के माध्यम से बीज उत्पादन के लिए गोल्डन महाशीर का सफलतापूर्वक कैप्टिव प्रजनन विकसित किया है। रेनबो ट्राउट ठंडे पानी की जलीय कृषि के लिए मुख्य व्यावसायिक उच्च मूल्य वाली प्रजाति है और इसका अधिकांश उत्पादन उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों (जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश) से होता है। हालांकि, ट्राउट खेती में नए उद्यमों के जुड़ने के कारण, उत्तरपूर्वी हिमालय क्षेत्र (जैसे सिक्किम) के उत्पादन में हाल ही में काफी वृद्धि देखी गई है। निदेशालय ने रेनबो ट्राउट फार्म की प्रारंभिक खुराक के लिए कुशल और लागत प्रभावी प्रोटीन आधारित स्टार्टर फीड विकसित किया है, जो उच्च अस्तित्व और बेहतर एफसीआर मूल्य प्रदान करता है। विकसित फीड व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है और अब प्रारंभिक चरण में मृत्यु दर को कम करने में योगदान देता है, जिससे ग्रो आउट कल्चर के लिए अधिक स्टॉकिंग सामग्री उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा, निदेशालय शीतजलीय मत्स्य प्रजातियों के रोग निदान और स्वास्थ्य प्रबंधन में गहनता से कार्य कर रहा है। शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय, चुनौतीपूर्ण और जटिल समस्याओं के नवीन और सरल समाधान के लिए एक वैश्विक ज्ञान केंद्र बनने के उद्देश्य से शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने लक्ष्यों को साकार करने के लिए उत्साह के साथ अग्रसर है। निदेशालय द्वारा निम्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है:-

क्र०सं०	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	भारत सरकार की अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन की विधाओं में प्रशिक्षण	पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन द्वारा आजीविका	मत्स्य पालन कर रहे अनुसूचित जाति के मत्स्य पालक	जल कृषि तथा मत्स्य पालकों की आवश्यकतानुसार दो-तीन गाँवों का चयन किया जाता है तथा तालाब निरीक्षण उपरान्त चयनित गाँव के अनुसूचित जाति के मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण हेतु चयन होता है। प्रत्येक गाँव का चयन एक या दो फसल के लिये किया जाता है।
2	भारत सरकार की अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP) के अन्तर्गत मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन की विधाओं में प्रशिक्षण	पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन द्वारा आजीविका बढ़ाने हेतु कौशल विकास	मत्स्य पालन कर रहे अनुसूचित जाति के मत्स्य पालक	जल कृषि तथा मत्स्य पालकों की आवश्यकतानुसार दो-तीन गाँवों का चयन किया जाता है तथा तालाब निरीक्षण उपरान्त चयनित गाँव के अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण हेतु चयन होता है। प्रत्येक गाँव का चयन एक या दो फसल के लिये किया जाता है।

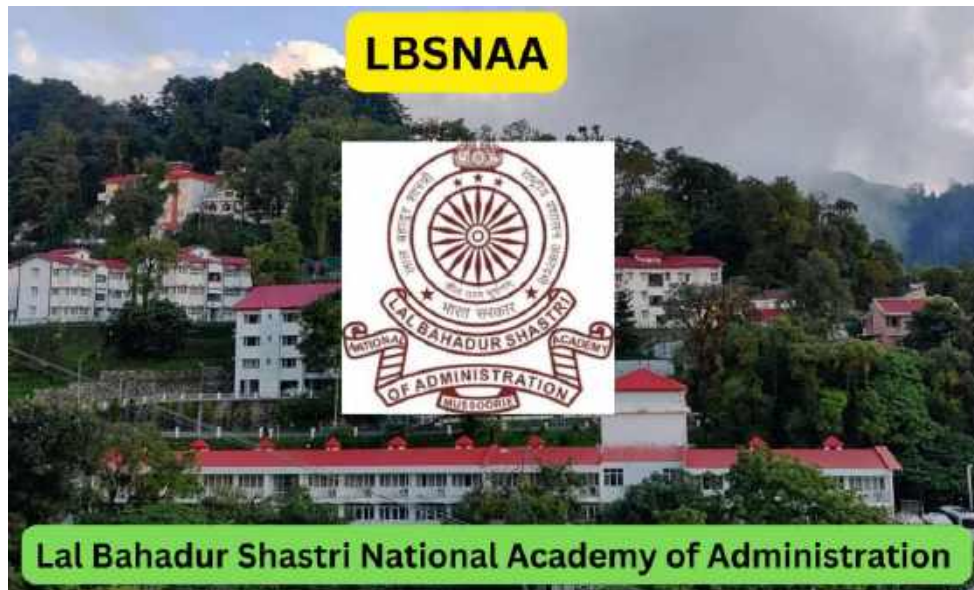
सहकारी प्रबन्ध संस्थान, देहरादून (ICM)



क्र०स०	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (रेगुलर) MBA (R)	उन्नत व्यवसाय के क्षेत्र में प्रबंधन एवम् कौशल	ग्रेजुएट पास छात्र, 50 प्रतिशत अंको के साथ/अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 45 प्रतिशत अंक	विश्व विद्यालय के नियमानुसार प्रवेश
2	बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (रेगुलर) BBA (R)	व्यवसाय और प्रबंधन के क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा	हायर सैकण्डरी पास छात्र, 45 प्रतिशत अंको के साथ/अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए केवल उर्तीण	विश्व विद्यालय के नियमानुसार प्रवेश
3	हायर डिप्लोमाईन कॉर्पोरेटिव मैनेजमेंट (रेगुलर) HDCM (R)	व्यापक सहकारी प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण	ग्रेजुएटपासछात्र/सहकारीविभाग के कर्मचारी	संस्थान के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन/ सीधे प्रवेश/साक्षात्कार द्वारा
4	हायर डिप्लोमाईन कॉर्पोरेटिव	व्यापक सहकारी प्रबंधन	ग्रेजुएट पास छात्र/सहकारी	संस्थान के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन/सीधेप्रवेश/ साक्षात्कार द्वारा

	मैनेजमेंट (पत्राचार) HDCM (C)	के क्षेत्र में प्रशिक्षण	विभाग के कर्मचारी	
5	डी0जी0आर (DGR) 1. सेल्समैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स 2. रिटेलमैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स 3. इन्डिस्ट्रियल मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स 4. उद्यमिता विकास में सर्टिफिकेट कोर्स	पूर्वसैनिकों के पुर्नवास एवम् स्वरोजगार हेतु प्रबंधन/व्यवहारिक प्रशिक्षण	रक्षाकर्म	पुनर्वास निदेशालय के नियमानुसार
6	अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (Short Term Courses)	कौशल संवर्धन, विशिष्ट प्रशिक्षण	सहकारी विभाग के कर्मचारी एवं कृषि क्षेत्र के किसान, स्वयं सहायता समूह के सदस्य	संस्था द्वारा समस्त कार्यक्रम उत्तराखण्ड राज्य की विभिन्न सहकारी संस्थाओं की प्रशिक्षण मांग के अनुसार संस्थान का वार्षिक प्रशिक्षण विवरणी/कैलेंडर का अनुमोदन प्रशिक्षण कार्यक्रम सलाहकार समिति के अध्यक्ष/निबंधक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्य की संबंधित विभागों/संस्थानों के विभागाध्यक्षों की उपस्थिति में अनुमानित कर प्रतिवर्ष क्रियान्वयन किया जाता है। आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागिता शुल्क प्रति प्रतिभागी रु. 1000/- से रु. 1200/- निर्धारित है। इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षक, संस्थान के आन्तरिक एवं प्रायोजित विभागों/संस्थाओं के विषय विशेषज्ञ होते हैं।
7	नाबार्ड द्वारा कृषि एवम् सहकारिता क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रायोजित कार्यक्रम	शिक्षण एवम् प्रशिक्षण के क्षेत्र में क्षमता निर्माण/विकास	कृषि एवम् सहकारिता क्षेत्र के अधिकारी/कर्मचारी एवम् कृषकगण	सहकारिता विभाग/सम्बद्ध विभाग एवम् संस्थाओं द्वारा नामांकन

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, (LBSNAA) देहरादून ।



संक्षिप्त परिचय —तत्कालीन गृह मंत्री ने 15 अप्रैल 1958 को लोकसभा में एक ऐसी राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव रखा था जहां वरिष्ठ सिविल सेवाओं में भर्ती सभी सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाए। गृह मंत्रालय ने आई.ए.एस. ट्रेनिंग स्कूल, दिल्ली और आईएएस स्टॉफ कॉलेज, शिमला को मिलाकर, मसूरी में राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया। 1959 में अकादमी की स्थापना की गयी तथा इसका नाम राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी रखा गया। कुछ वर्षों के लिए इस अकादमी ने गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य किया। अक्टूबर 1972 में इसका नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी कर दिया गया। जुलाई 1973 में इसके नाम में राष्ट्रीय शब्द भी जोड़ा गया और अब यह अकादमी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के नाम से जानी जाती है।

लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी भारत में सर्वोच्च सिविल सेवाओं के सदस्यों के लिए शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है। इसका नेतृत्व निदेशक द्वारा किया जाता है जो भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी हैं। अकादमी विभिन्न रैंकों पर नियुक्त सिविल सेवकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करती है। यहां अखिल भारतीय सेवाओं और अन्य केन्द्रीय सेवाओं के समूह 'क' के नव-नियुक्त युवा अधिकारियों के लिए संयुक्त आधारित पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। यह अकादमी आधारित पाठ्यक्रम के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों तथा रॉयल भूटान प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के लिए मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम और राज्य सिविल सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत अधिकारियों के लिए इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करती है। इसके साथ-साथ नीतिगत मामलों पर कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों का भी नियमित अंतराल पर आयोजन किया जाता है।

यदि कोई विभाग/राजकीय संगठन इस अकादमी में कार्यशाला का आयोजन करवाना चाहता है तो उसके संबंध में संगठन अकादमी निदेशक को संबोधित करते हुए अनुरोध करते हैं, तत्पश्चात उस अनुरोध पर निदेशक महोदय कार्यशाला के आयोजन करने या न करने के संबंध में निर्देश जारी करते हैं।

भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान 218 कौलागढ़ रोड़ देहरादून-248195 उत्तराखण्ड



संक्षिप्त परिचय :- भारत उन देशों में से एक है, जिसने मृदा क्षरण समस्या का समय पर संज्ञान लिया। इस संस्थान को 7 अप्रैल 2014 से भाकृअनुप- भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के नाम से भाकृअनुप के अंतर्गत एक केन्द्रीय संस्थान के रूप में मान्यता मिली। वर्तमान में संस्थान के अधीनस्थ आगरा, बेल्लारी, चंडीगढ़, दतिया, कोरापुट, कोटा, उदगमण्डलम् एवं वासद स्थित आठ क्षेत्रीय केन्द्र हैं, जो कि देहरादून मुख्यालय के साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्रों की स्थान विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। संस्थान में चार प्रभाग हैं— मृदा एवं सस्य विज्ञान, जल विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, पादप विज्ञान तथा मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक विज्ञान।

संस्थान का मुख्य उद्देश्य कृष्य एवं अकृष्य भूमियों से उत्पादन के साथ प्राकृतिक संसाधनों, विशेष कर मृदा एवं जल का संरक्षण करना है। नौ स्थानों पर स्थित मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केन्द्रों में 510 मिमी० (बेल्लारी) से 1625 मिमी० (देहरादून) के बीच होने वाली वार्षिक वर्षा तथा जलोढ़ मध्यम एवं गहरी काली, लाल, कंकड़ युक्त,

एवं वन तथा पर्वतीय मृदाओं सहित विभिन्न मृदा प्रकारों के साथ अपने नेटवर्क के माध्यम से संस्थान, देश के सात कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बहु-अनुशासनात्मक ढंग से विभिन्न समस्याओं का निदान करते हुए अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों का संचालन करता है। यह संस्थान, मृदा एवं जल संरक्षण तथा जलागम प्रबंध के क्षेत्र में विभिन्न संगठनों की आवश्यकताओं के अनुरूप दीर्घ अवधि विशिष्टता प्राप्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों तथा स्नातक सहायकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक मान्यता प्राप्त केन्द्रीय अभिकरण (नोडल एजेन्सी) के रूप में कार्यरत है इस संस्थान को उत्तर पश्चिम हिमालय में जिला आकस्मिक योजना और आपदा प्रबंधन के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में भी नामित किया गया है।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, संस्थान के पास वैज्ञानिकों, सुप्रशिक्षित तकनीकी कार्मिकों एवं प्रशासनिक कार्मिकों की व्यवस्था है। संस्थान मुख्यालय एवं इसके प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र पर एक केन्द्रीय पुस्तकालय उपलब्ध है जिनमें एक ही छत के नीचे प्राकृतिक संसाधन संरक्षण एवं प्रबंध से संबंधित सभी प्रकार की पुस्तकें, साहित्य एवं आधुनिक उपकरण मौजूद हैं।

प्रमुख उपलब्धियां – अनुसंधान– कृष्य एवं अकृष्य भूमियों में भूमिगत जल स्तर बढ़ाने हेतु एक सस्ती प्रौद्योगिकी, खनन प्रभावित क्षेत्र के पुनर्स्थापन, बरसाती नाला नियंत्रण हेतु जैव अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी विकसित की गई। ढलान पुनर्स्थापन एवं क्षय नियंत्रण हेतु जियो-टेक्सटाईल आधारित प्रौद्योगिकी का विकास किया गया। शिवालिक क्षेत्र में चो (खालों) के उपचार हेतु सस्ती प्रौद्योगिकी का विकास किया गया।

मानव संसाधन विकास/प्रशिक्षण कार्य

संस्थान द्वारा मृदा एवं जल संरक्षण तथा जलागम प्रबंध के क्षेत्र में नीति निर्धारकों, गैर सरकारी संगठनों, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, किसानों के लिए नियमित रूप से विभिन्न अवधियों के क्षमता निर्माण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

परामर्श क्षेत्र

संस्थान प्राकृतिक संसाधन प्रबंध के विभिन्न पहलुओं जैसे जलागम प्रबंध योजना कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्स्थापन, खनन का पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जलग्रहण क्षेत्र में अपवाह एवं अवसाद उत्पत्ति माप, नदी पट्टी अवसाद अनुमान एवं नदी/बरसाती नाला नियंत्रण संरचनाओं के आकार पर राष्ट्रीय स्तर के परामर्श प्रदान करता रहा है।

नवीनतम् अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ

जलवायु परिवर्तन पर बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, वित्त पोषित राष्ट्रीय मिशन, हिमालयी परिस्थितिकी तंत्र (भा.कृ.अनु. प. द्वारा वित्त पोषित जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार (तथा भा.कृ.अनु.प द्वारा वित्त पोषित भारत के विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में एकीकृत जल संसाधनों के विकास और प्रबन्धन पर भागीदारी अनुसंधान हेतु एकल प्लेटफार्म।

जनजातीय उपयोजना (के अंतर्गत उदपत्य और हटाल गांव (देहरादून उत्तराखण्ड) के आदिवासी किसानों के सतत विकास के लिए कार्यक्रम। संस्थान को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत जिला सिंचाई योजना तैयार करने हेतु क्षमता विकास में भागीदारी, का कार्य किया जा रहा है।

बी0एस0एफ0 इन्सटीट्यूट ऑफ एडवेन्चर एण्ड एडवान्स ट्रेनिंग (BIAAT) देहरादून

संक्षिप्त परिचय :- बी0एस0एफ0 एडवेन्चर एण्ड एडवान्स ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट (BIAAT) सभी प्रकार के साहसिक प्रशिक्षण एवं खेलों व इससे सम्बंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की एक पृथक इकाई के रूप में कमाण्डेंट (BIAAT) के नेतृत्व में कार्य करता है। यह बी0एस0एफ0 के समस्त कार्मिकों/अधिकारियों, के लिए तीन विंग क्रमशः हाई एल्टिट्यूड ऑप्स ट्रेनिंग विंग, एक्वाटिक ऑप्स ट्रेनिंग एवं एयर सर्विलांस एवं एयरो स्पोर्ट्स के द्वारा जल थल एवं नभ में साहसिक प्रशिक्षण की योजना संचालन एवं आयोजन करता है।

इस संस्थान में सीमा सुरक्षा बल, अन्य केन्द्रीय पुलिस बलों एवं राज्य पुलिस बलों के कार्मिकों को बीपीआरएण्डडी के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। उक्त के अतिरिक्त पर्वतारोहण, एम. टी. बी, व्हाइट वाटर सर्फिंग एवं अन्य जलीय साहसिक खेलों के अभिनय के साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय पैरा ग्लाइडिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेने के साथ उपरोक्त सभी गतिविधियों के लिए नयी प्रतिभाओं की खोज, उनका पोषण, अवलोकन, छटाई और साहसिक खेलों की टीमों का गठन भी करता है।



स्कूल के बच्चों को बचपन से बीएसएफ एवं साहसिक खेलों के प्रति रुचि शुरू करने हेतु इस संस्थान में भ्रमण हेतु भेजा जा सकता है। संस्था विभिन्न अवसरों पर जैसे कि आजादी के अमृत महोत्सव, 15 अगस्त, 26 जनवरी एवं राष्ट्रीय पर्वों एवं उपलब्धि के अवसरों पर सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता एवं देश प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए समय-समय पर कराये जाने वाले साहसिक खेलों में सम्मिलित करते हैं। यह कार्य संस्था को आवेदन देकर, उपलब्धता अनुसार कराया जा सकता है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर, निदेशालय उत्तराखण्ड (NCC)



क्र० सं०	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना	ग्रुप लेबल— नगद धनराशि रु० 2,400/— वरिष्ठ प्रभाग/वरिष्ठ स्कंध संख्या – 03 नगद धनराशि रु० 1,200/— कनिष्ठ प्रभाग/कनिष्ठ स्कंध संख्या— 03 यूनिट लेबल नगद धनराशि रु० 1,200/— वरिष्ठ प्रभाग/वरिष्ठ स्कंध संख्या – 18 नगद धनराशि रु० 6,00/— कनिष्ठ प्रभाग/ कनिष्ठ स्कंध संख्या— 16	- कनिष्ठ प्रभाग/कनिष्ठ स्कंध के कैडेट जिन्होंने 10वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा तथा वरिष्ठ प्रभाग /वरिष्ठ स्कंध के कैडेट जिन्होंने 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा पिछले शिक्षा— सत्र में उत्तीर्ण की हो, इन छात्रवृत्तियों के पात्र होंगे। - कैडेट ने दो वर्ष तक एन०सी०सी० की ट्रेनिंग की हो और उसकी परेड में उपस्थिति प्रत्येक वर्ष 80 प्रतिशत से कम न रही हो। - कैडेट उच्च शिक्षा जारी रखे हुए हो। - इन कैडेटों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सामान्य छात्रवृत्ति या अन्य कोई विशेष छात्रवृत्ति न मिल रही हो।	मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना से संबंधित आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाईन नहीं है। छात्रवृत्ति योजना को ग्रुप मुख्यालय/यूनिटों द्वारा उन सभी विद्यालयों/कालेजों में भेजी जाती है जहाँ एन०सी०सी० चल रही है, पात्र कैडेटों से ग्रुप मुख्यालय/यूनिटों द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन मांगे जाते हैं। ग्रुप मुख्यालय अपने स्तर पर आवेदन—पत्रों की जांच के लिए बोर्ड आफ आफिसर्स का गठन करते हैं तथा बोर्ड प्रोसीडिंग्स और इससे सम्बन्धित समस्त कागजात/कैडेटों के प्रार्थना—पत्र (पूर्ण रूप से भरे हुए) व जाति प्रमाण—पत्र अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर इस निदेशालय को निर्धारित तिथियों के अन्दर प्रेषित किया जाता है। निदेशालय स्तर से जाँच करने के उपरान्त धनराशि आवंटन किया जाता है।

2	राज्य/ मुख्यमंत्री स्वर्ण/ रजत पदक प्रोत्साहन पुरस्कार	नगद धनराशि रु03000/- स्वर्णपदक प्राप्त करने वाले एन0सी0सी0 कैडेटों को संख्या-06 नगद धनराशि रु02000/- रजत पदक प्राप्त एन0सी0सी0 कैडेटों को संख्या-06	जिन कैडेटों द्वारा वर्तमान ट्रेनिंग वर्ष में आर0 डीसी और टी0एस0सी0 वी0एस0सी0 एव एन0एस0सी0 कैम्प के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट इन छात्रवृत्तियों के पात्र होते हैं।	सभी यूनिटों द्वारा आवेदन भरकर ग्रुप मुख्यालय को प्रेषित किये जाते हैं। ग्रुप मुख्यालय अपने स्तर पर आवश्यक जाँच करने के उपरान्त निदेशालय को आवेदनपत्र प्रेषित किये जाते हैं। निदेशालय में आवेदन- पत्रों की जांच के लिए बोर्ड आफ आफीसर्स का गठन किया जाता है तथा बोर्ड प्रोसीडिंग और इससे सम्बन्धित समस्त कागजात की जाँच के उपरान्त ही सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले कैडेट को स्वर्णपदक के रूप में रुपया 3,000/- एवं द्वितीय स्थान पर आने वाले कैडेटों को रजतपदक के रूप में रुपया 2,000/-की धनराशि का आवंटन किया जाता है।
3	एन०सी० सी० कैडेट बनने से लाभ	एन०सी०सी० कैडेटों को उत्तराखण्ड राजकीय सेवा में किसी भी प्रकार का अधिमानी अर्हता नहीं दिया जाता है। सेना में या अन्य इसी तरह की सेवाओं में भर्ती होने के लिये अधिमानी अर्हता दिया जाता है। एन०सी०सी० में कैडेटों के प्रशिक्षण का उद्देश्य इस प्रकार है— (क) एन०सी०सी० युवाओं को सशस्त्र बलों में करियर बनाने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। (ख) देश में प्रशिक्षित और प्रेरित युवा मानव संसाधन तैयार करना जो राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। (ग) एन०सी०सी० देश के युवाओं में चरित्र, भाईचारा, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्ष, साहस की भावना और निस्वार्थ सेवा की भावना जागृत कराता है।		

भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, (ITBP)
क्षेत्रीय मुख्यालय, सीमाद्वार, देहरादून



क्रम संख्या	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1-	प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना	केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं असम राईफल्स के युद्ध/सक्रिय सेवा में वीरगति प्राप्त कार्मिकों के बच्चे/पत्नी/सक्रिय सेवा में दिव्यांग/मेडिकल बोर्ड आउट/वीरता पदक से अंलकृत/सेवारत अराजपत्रित कार्मिकों के पुत्र को व्यावसायिक कोर्स की अवधि में रु 2500/- प्रतिमाह एवं पुत्री को रु 3000/- प्रतिमाह (वर्ष में एकमुश्त राशि क्रमश रु. 36000/- पुत्री को एवं रु 30,000/- पुत्र को प्रदान की जाती है)	बी.ई., बी टेक, एमबीबीएस, बीएड, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, बीएससी (नर्सिंग, कृषि आदि (विस्तृत कोर्स सूची कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड (वार्ब), केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, गृह मंत्रालय/भारत सरकार की वैबसाईट warb.mha.gov.in में उपलब्ध) ग्रहण कर रहे अराजपत्रित कार्मिकों के आश्रित पुत्र/पुत्री द्वारा 12वीं/ डिप्लोमा/ स्नातक (जैसा व्यावसायिक कोर्स हेतु अनुमन्य हो), में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों)	नेशनल स्कालरशिप पोर्टल की वेबसाइट www.scholarships.gov.in पर आवेदक द्वारा प्रत्येक वर्ष माह सितंबर/अक्टूबर में पंजीकरण के उपरान्त अपनी लागइन आईडी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदक का आधार कार्ड, बैंक पास बुक आवश्यक है। आवेदन को संबंधित संस्था व सशस्त्र पुलिस बल द्वारा सही पाए जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान एकमुश्त डी.बी.टी. के माध्यम से किया जाता है।

2.	भा.ति.सी. पुलिस बल स्पेशल वैल्फेयर फण्ड से सहायता	(i) कैंसर, HIV AIDS, हृदय रोग जैसी प्राणघातक बीमारी के ईलाज के लिए प्रत्येक मामले में रु 50,000/- की आर्थिक सहायता (ii) अविवाहित पुत्री के विवाह हेतु रु 25000/- की आर्थिक सहायता (iii) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकान के निर्माण हेतु रु 50000/- की आर्थिक सहायता (iv) मृतक अराजपत्रित कार्मिक के अत्यन्त गरीब माता पिता को रु 25000/- की आर्थिक सहायता (v) सेवारत अराजपत्रित कार्मिकों के दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु	भा.ति.सी.पुलिस बल से सेवानिवृत्त / मेडिकल बोर्ड आउट अराजपत्रित कर्मचारी तथा उनके आश्रित / मृतक कार्मिक के आश्रित (जो केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं) इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। अस्पताल सरकार से मान्यता प्राप्त हो, आवेदन के साथ सभी चिकित्सा दस्तावेज तथा इलाज कर रहे चिकित्सक द्वारा अपने लेटर पैड पर ईलाज पर अनुमानित खर्च का विवरण संलग्न हो। भा.ति.सी.पुलिस बल से सेवानिवृत्त / मेडिकल बोर्ड आउट अराजपत्रित कर्मचारी तथा उनके आश्रित / मृतक कार्मिक के आश्रित -18 वर्ष से अधिक आयु की दो अविवाहित पुत्रियों के विवाह हेतु भा.ति.सी.पुलिस बल से सेवानिवृत्त / मेडिकल बोर्ड आउट अराजपत्रित कर्मचारी तथा उनके आश्रित / मृतक कार्मिक के आश्रित मृतक अराजपत्रित कार्मिक के अत्यन्त गरीब माता पिता जिनके पुत्र / पत्नी ने अनुकम्पा आधार पर भर्ती का लाभ न लिया हो। उम्र/कक्षा पर ध्यान न देते हुए यदि दिव्यांग बच्चा किसी संस्थान में अध्ययनरत	आवेदक द्वारा चिकित्सा दस्तावेज व इलाज कर रहे चिकित्सक द्वारा इलाज पर अनुमानित व्यय का विवरण जो उनके लेटर हेड में हो, सहित अपना आवेदन कल्याण प्रकोष्ठ, महानिदेशालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, खंड-2, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली -110003 को भेजा जाएगा। विवाह से दो माह पूर्व पुत्री के जन्म प्रमाणपत्र, विवाह की तिथि के संबंध में आवेदक द्वारा उदघोषणा तथा संबंधित कार्यालय अध्यक्ष की संस्तुति के साथ, कार्मिक की अंतिम यूनिट के माध्यम से आवेदन महानिदेशालय, भा.ति.सी.पुलिस बल, नई दिल्ली को भेजा जाए। क्षतिग्रस्त मकान, आवेदक / उसके पति-पत्नी का एकमात्र मकान हो। इस संबंध में एफिडेविट, क्षति के प्रमाण सहित आवेदन आवेदक की अंतिम यूनिट के माध्यम से कल्याण प्रकोष्ठ, महानिदेशालय को भेजा जाएगा। आय प्रमाणपत्र, आश्रितों के विवरण उनकी शैक्षिक स्थिति व उम्र के विवरण सहित आवेदन, कार्मिक की अंतिम यूनिट के माध्यम से कल्याण प्रकोष्ठ, महानिदेशालय को भेजा जाएगा। दिव्यांगता प्रमाणपत्र व शैक्षणिक संस्थान के
----	---	---	--	--

		रु 50000/- की सहायता	है तो रु 50000/- की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी।	प्रवेश प्रमाणपत्र सहित आवेदन, आवेदक की अंतिम यूनिट के माध्यम से कल्याण प्रकोष्ठ, महानिदेशालय को भेजा जाएगा।
3	भारत तिब्बत सीमा पुलिस में भर्ती की प्रक्रिया	सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सहायक कमांडेंट (जीडी) के पद पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा की जाती है तथा सिपाही (जीडी) की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली द्वारा की जाती है। इसके लिए रोजगार समाचार पत्र व उक्त संस्थानों की वेबसाइट पर विज्ञापन प्रकाशित होते हैं। महानिदेशालय, भा०ति०सी०पुलिस द्वारा रिक्त पद उपलब्ध होने पर कुछ पदों जैसे उप कमांडेंट (जैग), सहायक कमांडेंट (इंजीनियर), सहायक कमांडेंट (वेटनरी), सहायक कमांडेंट (परिवहन), सहायक कमांडेंट (दूरसंचार) आदि तथा निरीक्षक (हिंदी अनुवादक)/उप निरीक्षक (हिंदी अनुवादक), उ०नि० (ओवरसियर), उ०नि० (स्टाफ नर्स), स०उ०नि० (स्टैनो), स०उ०नि० (फार्मासिस्ट), सहायक उप निरीक्षक (लैब तकनीशियन), है०का० (कंबाटेंट मिनिस्ट्रियल), है. का. (मोटर मैकेनिक), है.का. (मिडवाईफ/ए०एन०एम०), है० का० (एजुकेशन एण्ड स्ट्रैस काउंसलर), है०का० (रेडियो ऑपरेटर/रेडियो तकनीशियन), सिपाही (मोटर मैकेनिक/चालक/पशु/परिवहन/मोची/किचन सर्विसेज/धोबी/नाई / पाईनियर आदि) की भर्ती हेतु विज्ञापन रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित करके व भा०ति०सी० पुलिस बल की भर्ती वेबसाइट recruitment-itbpolice-nic-in में ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से की जाती है। उक्त भर्तियों के विज्ञापन जारी करने हेतु कोई निश्चित समय अवधि/माह निर्धारित नहीं है व रिक्त पद उपलब्ध होने पर भर्ती महानिदेशालय, भा०ति०सी०पुलिस बल, नई दिल्ली द्वारा की जाती है।		
4	भारत तिब्बत सीमा पुलिस की कैटीन में उत्तराखण्ड के स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किये गये सामान की बिक्री कैसे की जाती है, की प्रक्रिया।	केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार की सुविधा सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत कुछ अन्य सुरक्षा एजेंसियों तथा राज्य पुलिस बलों में सेवारत/सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं उनके परिजनों के लिए उपलब्ध है। देश भर में लगभग 119 मास्टर कैटीन/भंडार उपलब्ध है जो वितरक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं तथा लगभग 1778 सब्सिडियरी कैटीन/केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार हैं जो पदाधिकारियों एवं उनके परिवारों को वस्तुओं का विक्रय करते हैं। इन मास्टर कैटीन/सब्सिडियरी कैटीन का प्रबंधन केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार मुख्यालय, ईस्ट ब्लॉक-7, (लेवल-2) सैक्टर-1, आर०के० पुरम, नई दिल्ली-110066 (वेबसाइट kpkb@mha.gov.in ई मेल- hqkpkb@mha.go.-in) के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाता है। जो फर्म केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के माध्यम से अपनी वस्तुओं की बिक्री करना चाहती है, उन्हें उक्त बैबसाइट में पंजीकरण कराना होता है। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार मुख्यालय द्वारा जिन फर्मों का पंजीकरण स्वीकार किया जाता है उनसे खरीद की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य निर्धारण हेतु खरीद समिति का गठन केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार मुख्यालय द्वारा किया जाता है। सब्सिडियरी कैटीन की मांग के अनुसार मास्टर कैटीन द्वारा केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार मुख्यालय द्वारा पंजीकृत फर्मों को सामान की आपूर्ति हेतु इंडेंट दिया जाता है व फर्म मास्टर कैटीन को सामान भेजती हैं जो आगे सब्सिडियरी कैटीन को बिक्री हेतु निर्गम करती हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित मास्टर कैटीन/सब्सिडियरी कैटीन द्वारा उत्तराखंड के स्वयं सहायता समूहों का सामान अपने स्तर पर स्वयं खरीद/बेचा नहीं जा सकता है। अधिक जानकारी/अन्य प्रक्रियाएं आदि के संबंध में केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार मुख्यालय से उक्त पते पर संपर्क किया जा सकता है।		

भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून (IMA)



अधिकारियों का चयन : भारतीय सेना में एक अधिकारी, गौरवशाली विरासत और कालातीत परम्पराओं, इंजीनियरिंग और चिकित्सा विज्ञान, प्रबंधन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी के साथ पूरी तरह घुल-मिल जाता है। यह, दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना का हिस्सा बनने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है और न सिर्फ अधिकारी बनाने के लिए प्रशिक्षित करता है बल्कि जीवन में एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। यहाँ तक की नागरिक योग्यता के विकास हेतु भी व्यक्ति को दो वर्षीय सवेतन अवकाश का अवसर भी दिया जाता है। युद्ध-इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रशासन, मानव संसाधन व प्रबंधन आदि कार्यों में भी प्रवीण किया जाता है। स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद या स्नातक करने के बाद, सेना में शामिल होना संभव है।

स्थायी कमीशन का अर्थ : सेना में सेवानिवृत्ति तक सेवारत बने रहना। स्थायी कमीशन के लिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे या भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, गया में शामिल होना होगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे बारहवी कक्षा में शिक्षारत होने या उसके उपरान्त आप एनडीए की प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। इस परीक्षा को देकर उत्तीर्ण होने पर सेना, नौसेना, वायु सेना और नौसेना अकादमी में शामिल होने का विकल्प मिलता है, इसके लिए शैक्षिक योग्यता के सभी मापदंड पूरे होने चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् भी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे में प्रवेश मिल सकता है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर 5 दिन का सेवा चयन बोर्ड व चिकित्सकीय जांच में उत्तीर्ण होने के बाद एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, जो सभी योग्यता शर्तों व रिक्त पदों की संख्या पर निर्भर करेगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में तीन वर्ष के बाद एक सक्षम व्यक्ति बन जाएंगे, जो देश की गरिमा, सम्मान और सुरक्षा को लेकर पूर्णतः समर्पित होगा। तीन सेवाओं, सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए चयनित अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जो कि एक अंतर-सेवा संस्थान है, में 3 वर्ष की अवधि वाला शैक्षणिक और शारीरिक दोनों प्रकार का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाता है। शुरुआती ढाई साल के दौरान प्रशिक्षण, तीन विंग्स के कैडेट्स के लिए सामान्य है। पासिंग आउट पर कैडेट्स को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली की बी.एससी, बी.एससी (कंप्यूटर) व बीए की स्नातक उपाधि प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पास होने के उपरांत, सेना के कैडेट्स को भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून, नौ सेना के कैडेट्स को भारतीय नौसेना अकादमी, एडिमाला और वायु सेना के कैडेट्स को वायु सेना अकादमी, हैदराबाद में भेज दिया जाता है। उन्हें एक वर्ष तक कठिन सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक समाप्त होने पर, लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी कमीशन स्वीकृत कर दिया जाता है। नौसेना कैडेट्स को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पास होने के बाद, नौ सेना की कार्यकारी शाखा के लिए चयनित कर लिया जाता है और एक वर्ष की अवधि के लिए भारतीय नौसेना अकादमी, एडिमाला में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, उप-लेफ्टिनेंट के पद पर उन्नति हो जाती है। वायु सेना के कैडेट्स, डेढ़ वर्ष तक उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यद्यपि, एक वर्ष के प्रशिक्षण की समाप्ति पर, उन्हें फ्लाईंग ऑफिसर के पद पर अंतिम कमीशन कर दिया जाता है। इसके उपरान्त छः माह के प्रशिक्षण की समाप्ति पर उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर स्थायी कमीशन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। कैडेट्स को सेवा अकादमिक में प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान यानि आईएमए के प्रशिक्षण काल के दौरान, 21000/- रूपए प्रतिमाह का वजीफा प्रदान किया जाएगा। स्नातक उपाधि प्रदान करने के साथ ही एनडीए के पास व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उत्तम बुनियादी सुविधाएं हैं। यहाँ अपने व्यक्तित्व के विकास व नयी रुचियाँ विकसित करने हेतु अभूतपूर्व अवसर प्राप्त होंगे।

भारतीय सैन्य अकादमी में प्रवेश के मुख्य तरीके निम्न हैं : संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएसई) स्नातक करने के दौरान अंतिम वर्ष में या स्नातक करने के बाद, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएसई) की परीक्षा में बैठ सकते हैं। एसएसबी साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के बाद, चिकित्सा परीक्षण में सफल होने के पश्चात भारतीय सैन्य अकादमी में प्रत्यक्ष प्रवेश मिल जाता है, बशर्ते सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हों और रिक्त पदों की उपलब्धता हों। परीक्षा की तिथि / अधिसूचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट <https://upsc.gov.in/> पर क्लिक करें। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को भारतीय सैन्य अकादमी में 18 माह का सैन्य प्रशिक्षण लेना होगा। प्रशिक्षण की सफल समाप्ति पर, इन कैडेट्स को 'शेप-आई' में शारीरिक रूप से फिट होने पर लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया जाएगा।

विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (सिर्फ अंतिम वर्ष से पूर्व के छात्रों के लिए) यह प्रविष्टि उन लोगों के लिए है जो इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष के छात्र हैं और सेना में आवेदन करना चाहते हैं। प्रत्येक वर्ष मई के महीने में प्रमुख समाचार पत्रों/रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन को प्रकाशित किया जाता है, जिसे ध्यान देना होगा। यूईएस कोर्स के लिए चयनित अभ्यर्थियों को उस समय उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या के मुताबिक अनुशासित, मेरिट के अंतिम अनुक्रम में उनकी स्थितियों के अनुसार भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून पर प्रशिक्षण के लिए विवरण दिया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष की होगी। इंजीनियरिंग छात्रों को शॉर्ट सर्विस कमीशन (प्रोबेशन पर) अनुमोदित किया जाएगा और प्रशिक्षण अवधि के दौरान, लेफ्टिनेंट के लिए स्वीकार करने योग्य पूर्ण वेतन और भत्ते को आकर्षित करने हेतु हकदार होंगे। तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम/कोर्स जो छात्र अधिसूचित विषयों में बीई/बी.टेक कर चुके हों या शिक्षारत हों, वे तकनीकी स्नातक कोर्स के माध्यम से भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए, प्रत्येक वर्ष मई/जून या नवंबर/दिसम्बर महीने में प्रमुख समाचार पत्रों / रोजगार समाचार में विज्ञापन को प्रकाशित किया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि, एक वर्ष की होती है। कैडेट्स के सफलतापूर्वक प्रशिक्षण होने के बाद, उन्हें लेफ्टिनेंट की रैंक में सेना में स्थाई कमीशन अनुमोदित किया जाएगा।

ईसी (पुरुष) जो अभ्यर्थी, अधिसूचित विषयों में प्रथम या द्वितीय श्रेणी में एम.कॉम / एमसीए / एमबीए / एमए / एमएससी यानि परास्नातक हैं, वह इसके लिए पात्र हैं। जो अभ्यर्थी शिक्षारत हैं या जिनका परिणामफल नहीं आया है, वे इसके लिए पात्र नहीं हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभाग की वेबसाइट <https://joinindianarmy.nic.in/> पर क्लिक करें। चयनित अभ्यर्थियों को भारतीय सैन्य अकादमी की रिपोर्टिंग की तिथि, जो कि बढ़ सकती है या कोर्स के प्रारंभ की तिथि से लेफ्टिनेंट पद की परीक्षा पर शॉर्ट सर्विस कमीशन अनुमोदित किया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि, एक वर्ष की होती है।

अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, गया—12वीं कक्षा में पीसीएम विषयों में अनिवार्य रूप से न्यूनतम कुल 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, इस प्रविष्टि सकते हैं। भर्ती निदेशालय द्वारा निर्णय लिए गए रूप में कट ऑफ के आधार पर एसएसबी साक्षात्कार के लिए विस्तृत किये जाएंगे। प्रत्येक वर्ष मई/अक्टूबर महीने में प्रमुख समाचार पत्रों / रोजगार समाचार पत्रों में विज्ञापन को प्रकाशित किया जाता है, आवेदन करने हेतु 10+2 (टीईएस) प्रविष्टि टीईएस प्रविष्टि के लिए प्रशिक्षण की अवधि, 5 वर्ष होती है।

शॉर्ट सर्विस कमीशन या लघु सेवा आयोग— 10/14 साल के लिए एक कमीशन अधिकारी के रूप में सेवा करने और सेना में शामिल होने का विकल्प भी है। 10 वर्ष के बाद, 3 विकल्प होते हैं। या तो स्थाई कमीशन के लिए चयनित हो जाएं या नौकरी छोड़ दें या 4 वर्षों तक और सेवारत रहें। चार वर्षों की नौकरी बढ़ोत्तरी के दौरान, कर्मी अपनी मर्जी के अनुसार कभी भी सेवानिवृत्ति ले सकता है। 1992 में, भारतीय सेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, जिसके अंतर्गत महिलाओं को अधिकारी संवर्ग में शामिल होने की अनुमति दे दी गई थी। आवेदन करने के लिए स्नातक / परास्नातक होना आवश्यक है। लिखित परीक्षा होने के बाद, एसएसबी साक्षात्कार के बाद चिकित्सा परीक्षा की जाती है।

पुरुष और महिला, दोनों के लिए मुख्य प्रविष्टि निम्नानुसार हैं : शॉर्ट सर्विस कमीशन (गैर तकनीकी) पुरुष और महिला इस प्रविष्टि के माध्यम से अधिकारियों की भर्ती के बारे में जुलाई और नवंबर महीने में सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचारपत्रों/दैनिक पत्रों और रोजगार समाचार के माध्यम से विज्ञापन देकर बताया जाता है। आवेदन सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ही किया जा सकता है। शॉर्ट

सर्विस कमीशन के लिए चयन, सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) के द्वारा एक साक्षात्कार के द्वारा अनुकरण करते हुए, सितम्बर और फरवरी महीने में हर साल, दो बार संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित एक लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। कोर्स, ओटीए, चेन्नई में अप्रैल और अक्टूबर महीने में साल में दो बार आयोजित होंगे।

शॉर्ट सर्विस कमीशन (जे ए जी) पुरुष और महिला जीएजी प्रविष्टि के लिए आवेदन करने हेतु, आपको एलएलबी डिग्री (12वीं की परीक्षा के बाद पांच वर्ष या स्नातक के बाद तीन वर्ष के पेशेवर) में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया/बार काउंसिल ऑफ स्टेट के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। अभ्यर्थी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त एक कॉलेज / विश्वविद्यालय से होना चाहिए। इस प्रविष्टि के माध्यम से अधिकारियों की भर्ती के बारे में जून और दिसम्बर महीने में सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचारपत्रों/दैनिक पत्रों और रोजगार समाचार के माध्यम से विज्ञापन देकर बताया जाता है।

सशस्त्र सीमा बल, सीमान्त मुख्यालय, रानीखेत, अल्मोड़ा (SSB)



क्र.सं	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन
01.	निःशुल्क मानव चिकित्सा शिविर	दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा सेवा और दवाईयों की प्राप्ति	सभी सीमावर्ती नागरिकों के लिए।	सभी के लिए खुली है।
02.	निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर	दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा सेवा और दवाईयों की प्राप्ति	सभी सीमावर्ती नागरिकों के पशुओं के लिए।	सभी के लिए खुली है।
03.	सीमावर्ती विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु भारत भ्रमण कार्यक्रम	छात्रों को निःशुल्क भ्रमण तथा आवासीय सुविधाएँ देते हुए 05 से 07 दिनों का भारत भ्रमण कार्यक्रम।	सशस्त्र सीमा बल की स्थानीय इकाईयों तथा क्षेत्र प्रधिनिधियों द्वारा संस्तुत, सीमावर्ती विद्यालय के छात्र/छात्राएं	सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों तथा क्षेत्र प्रधिनिधियों द्वारा संस्तुति के आधार पर
04.	केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को सीमावर्ती ग्रामीणों को बताना तथा उसे प्राप्त	आम नागरिकों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी	सभी सीमावर्ती नागरिकों के लिए।	सभी के लिए खुली है।

	करवाने में आवश्यक सहयोग देना ।	तथा उसे प्राप्त कराने हेतु यथा संभव सहायता ।		
05.	मानव संसाधन कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन	लघु उद्योग शुरू करने हेतु जानकारी तथा संबंधित सामुदायिक केन्द्रों को न्यूनतम आवश्यकतानुसार उपकरण उपलब्ध कराये जाएंगे ।	सीमावर्ती क्षेत्र के बेरोजगार युवक/युवतियां जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हों ।	सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों तथा क्षेत्र प्रतिनिधियों द्वारा संस्तुति के आधार पर
(i)	सिलाई प्रशिक्षण			
(ii)	ब्यूटीशियन प्रशिक्षण			
(iii)	आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी			
(iv)	आधुनिक कृषि प्रयोगों के बारे में जानकारी			
(v)	उन्नत बीजों का वितरण			
(vi)	बकरी के बच्चे/ मुर्गी के चूजे का वितरण	निःशुल्क बकरी के बच्चे तथा मुर्गी के चूजों की उपलब्धता		
06	सामुदायिक केन्द्रों की मरम्मत, सोलर लाइट का वितरण, पानी के टैंक का वितरण इत्यादि	सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक केन्द्रों के संसाधन में वृद्धि	सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक केंद्र	राक्षस्त्र सीमा बल के अधिकारियों तथा क्षेत्र प्रधिनिधियों द्वारा संस्तुति के आधार पर
07	खेल संसाधनों का विकास	निःशुल्क खेल संसाधनों की उपलब्धता तथा खेल मैदानों का निर्माण	सीमावर्ती क्षेत्रों के विद्यालय /सामुदायिक केंद्र गाँव के सार्वजनिक स्थल	सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों तथा क्षेत्र प्रतिनिधियों द्वारा संस्तुति के आधार पर
08	छात्र/छात्राओं हेतु कंप्यूटर प्रशिक्षण	सीमावर्ती क्षेत्रों में छात्र/छात्राओं को मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण	सीमावर्ती विद्यालय के छात्र और छात्राएं	सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों तथा क्षेत्र प्रतिनिधियों द्वारा संस्तुति के आधार पर ।
09	विद्यालयी छात्र/छात्राओं को सेना केन्द्रीय पुलिस बलों में भर्ती हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	सेना/केंद्रीय पुलिस बलों में मुफ्त भर्ती पूर्व प्रशिक्षण	सीमावर्ती विद्यालय के छात्र और छात्राएं	सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों तथा क्षेत्र प्रतिनिधियों द्वारा संस्तुति के आधार पर

प्रादेशिक सेना (Territorial Army)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1. भारत में प्रादेशिक सेना का इतिहास वर्ष 1897 से शुरू होता है, जब इसे स्वयंसेवकों के रूप में स्थापित किया गया था, जिसमें यूरोपीय और एंग्लो-इंडियन्स भर्ती किये जाते थे। भारतीय प्रादेशिक सेना अधिनियम 1920 के पारित होने के साथ, टीए को दो अलग-अलग विंगों में पुनर्गठित किया गया, अर्थात् सहायक बल (Auxiliary Force) और भारतीय प्रादेशिक बल (Indian Territorial Force)। जबकि सहायक बल में केवल यूरोपीय और एंग्लो-इंडियन को भर्ती किया जाता था और भारतीय प्रादेशिक बल में भारतीयों को भर्ती किया जाता था। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति पर, 1920 के प्रादेशिक सेना अधिनियम को प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 से बदल दिया गया, जिससे प्रादेशिक सेना की उत्पत्ति हुई जो आज मौजूद है।
2. 1949 में 11 भारतीय प्रादेशिक सेना पैदल सेना इकाइयों के साथ प्रादेशिक सेना ने काम करना शुरू किया। इसके बाद इसमें आर्मेड, आर्टिलरी, इंजीनियर, सिग्नल, इन्फैंट्री, मेडिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर (ईएमई) और सप्लाय सहित विविध लडाकू और सेवाओं की इकाइयाँ शामिल हो गईं। हालाँकि, एयर डिफेंस इकाइयों को छोड़कर अधिकांश इकाइयाँ 1950 के दशक के अंत तक भंग कर दी गईं। एयर डिफेंस आर्टिलरी और इनलैंडवाटर ट्रांसपोर्ट (इंजीनियर) इकाइयों को बाद में भारत-पाक युद्ध 1971 के बाद नियमित सेना में शामिल कर लिया गया।

भूमिका

3. प्रादेशिक सेना की भूमिका:-

- (क) नियमित सेना को स्थैतिक कर्तव्यों से मुक्त करना और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और ऐसी स्थितियों में आवश्यक सेवाओं के रख रखाव में नागरिक प्रशासन की सहायता करना जहाँ समुदाय का जीवन प्रभावित होता है या देश की सुरक्षा को खतरा होता है।
- (ख) आवश्यकता पड़ने पर नियमित सेना के लिए इकाइयाँ प्रदान करना।

संरचना

4. प्रादेशिक सेना गैर-विभागीय (Non Departmental) और विभागीय (Departmental) इकाइयों से बनी होती है। गैर विभागीय इकाइयों का भुगतान रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है तथा वे सेना मुख्यालय/रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं।
5. दूसरी ओर, विभागीय इकाइयाँ, जिनका भुगतान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है, रक्षा मंत्रालय के माध्यम से संबंधित मंत्रालय/विभाग के अधीन कार्य करती हैं।

गैर विभागीय इकाइयाँ

6. ये नियमित सेना के समान रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित इकाइयाँ हैं। ये मुख्य रूप से पैदल सेना और इंजीनियर रेजिमेंट हैं।

विभागीय इकाइयाँ

7. ये नागरिक विभागों द्वारा वित्त पोषित इकाइयाँ हैं तथा इनके कार्य संबंधित विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये ईको टास्क फोर्स, तेल क्षेत्र इकाइयाँ और रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट हैं।

प्रादेशिक सेना की उपलब्धियाँ

8. प्रादेशिक सेना ने उन सभी प्रमुख युद्धों में भाग लिया है जिनमें भारतीय सेना ने आज तक भाग लिया है।
(क) चीन-भारत संघर्ष 1962
(ख) भारत-पाक युद्ध 1965
(ग) भारत-पाक युद्ध 1971
(घ) ऑपरेशन पवन-कारगिल
(ङ.) ऑपरेशन विजय –श्रीलंका
(च) ऑपरेशन पराक्रम
9. **आवश्यक सेवाओं का रख रखाव:** 1971 से, प्रादेशिक सेना ने आवश्यक संचार के रख रखाव और प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं में राहत प्रदान करने में नागरिकों को सहायता प्रदान करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। विभागीय प्रादेशिक सेना इकाइयों द्वारा प्रदान की गई सहायता निम्नानुसार है।
(क) **बीपीसीएल (BPCL) के श्रमिकों द्वारा अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान:** 801 इंजीनियर रेजिमेंट आरएंडपी (टीए) और 414 एससी सीमार्केटिंग (टीए) 19 सितंबर से 20 सितंबर 2006 तक कार्यरत थे।
(ख) **आईओसीएल (IOCL) और बीपीसीएल (BPCL) के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल:** 801 इंजीनियर रेजिमेंट आरएंडपी (टीए) और 414 एससी मार्केटिंग (टीए) 19 दिसंबर से 21 दिसंबर 2006 तक कार्यरत थे।
10. **आतंकवाद विरोधी अभियान:**
(क) इन्फैंट्री बटालियन (टीए) ने पंजाब में ऑपरेशन रक्षक में भाग लिया है।
(ख) इन्फैंट्री बटालियन (टीए) जम्मू और कश्मीर और उत्तर पूर्व राज्यों में चल रहे छद्म युद्ध (Proxy War) ऑपरेशन में नियमित सेना की सहायता में तैनात है।
(ग) प्रादेशिक सेना की होम एंड हर्थ बटालियन उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी कमांड में सेना के ऑपरेशन के सहायता में पूरी तरह से तैनात हैं।
11. **इको टास्क फोर्स बटालियन:** प्रादेशिक सेना की कुल 09 इको टास्क फोर्स बटालियनों ने मिशन ग्रीन इंडिया में योगदान देने के लिए विभिन्न राज्यों में तैनात हैं। इन बटालियनों को आज तक 93000 हैक्टेयर क्षेत्र में लगभग 9.3 करोड़ पौधे लगाने का गौरव प्राप्त है। उपरोक्त इको टास्क फोर्स के अलावा एक गंगा टास्क फोर्स जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत गंगा नदी की कायाकल्प (Rejuvenation) के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है।

127 प्रादेशिक सेना पर्यावरण बल, देहरादून

1. **स्थापना:**— 80 के दशक में पहाड़ों की रानी मसूरी, वनों के कटान तथा अनाधिकृत चूने की खदानों के अन्धाधुन्ध दोहन से अपनी सुन्दरता पूर्णतया खो चुकी थी, परिणाम स्वरूप दून घाटी का तापमान 40 डिग्री तक पहुँच गया, साथ ही वर्ष — प्रतिवर्ष बारिश और हिमपात में कमी आने लगी। शिवालिक पर्वत श्रेणियों में भविष्य में होने वाले खतरे के अहसास को दृष्टिगत रखते हुये नोबल पुरस्कार से सम्मानिते स्वर्गीय डा० नौरमन बरलांग, ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री, भारत सरकार, स्व० इन्दिरा गॉंधी को मसूरी में हो रहे इस बढ़ते हुये खतरे को रोकने के लिये युद्ध स्तर पर कार्यवाही करने की सलाह दी। इस सलाह के परिणाम स्वरूप **127 इन्फैन्ट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) पर्यावरण (गढवाल राइफल्स) की स्थापना 01 दिसम्बर 1982 को गढवाल रायफल्स रेजिमेण्टल सेन्टर में हुई थी।** इस के साथ 127 इन्फैन्ट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) पर्यावरण (गढवाल राइफल्स) विश्व की प्रथम पर्यावरण सेना बल के रूप में कार्यरत हुई।



2. वर्तमान में इस यूनिट की दो कम्पनियों वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार द्वारा और दो कम्पनियों राज्य वित्त पोषित उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कार्यरत हैं।

-
1. **यूनिट का कार्य क्षेत्र और उपलब्धियाँ** पिछले 42 वर्षों के सुनहरे इतिहास में यूनिट ने लगभग 23101 (तेईस हजार एक सौ एक) हैक्टेयर बंजर भूमि में 198.92 (एक करोड अठानवे लाख बयानवे हजार) पौधों का रोपण कर चुकी है।
-

परियोजना कार्य

क्र०सं०	परियोजना	वर्ष	विवरण
1.	शाहजहांपुर पायलट प्रोजेक्ट (मोहण्ड)	1982—1985	यूनिट ने 700 हेक्टेअर जमीन में झाड़ियों को काट कर 3.18 लाख विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण कार्य सम्पन्न किया।

2.	क्यारकुली माइक्रो कैचमेंट ईको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (मसूरी)	1985–1994	उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मसूरी क्षेत्र की पहाड़ियों पर चूने की 26 खानों को बन्द करने और 3400 हेक्टेअर भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया।
3.	अगलार वाटरसेड ईको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मुख्य क्षेत्र थत्पूड़ टिहरी गढवाल	1994–2014	यूनिट नें इस परियोजना क्षेत्र में 8000 हेक्टेयर बंजर भूमि पर 78 लाख 71 हजार पौधों का रोपण किया गया।
4.	बद्रीवन / <u>माणा / मलारी</u> परियोजना	2008–2013	माणा व मलारी परियोजना में सन् 2008 से सन् 2013 तक इन दो अतिरिक्त कम्पनियों द्वारा 2200 हेक्टेयर बंजर भूमि पर 17 लाख 20 हजार पौधों का रोपण किया गया। इस तहत बद्रीवन का पुर्ननिर्माण एवं 10 हजार फीट ऊंचाई के उपर सेब और अखरोट इत्यादि फलदार पौधों का प्रायोगिक रोपण किया गया।
5.	जौनसार / भाबर इको डेवलपमेंट परियोजना	2014–2017	यूनिट द्वारा 1200 हेक्टेयर बंजर भूमि पर 13 लाख 84 हजार पौधों का रोपण किया गया।
6.	देवर खडोरा परियोजना	2014–2017	वर्ष 2014 से वर्ष 2017 तक इस परियोजना क्षेत्र में 1203 हेक्टेयर बंजर भूमि पर 12 लाख 21 हजार पौधों का रोपण किया गया।
7.	लखवाड परियोजना	2017–2023	यूनिट द्वारा 2457 हेक्टेयर बंजर भूमि पर 24 लाख 59 हजार पौधों का रोपण किया गया।
8.	कुरुड परियोजना	2017–2023	वर्ष 2017 से 2023 तक इन दो कम्पनियों द्वारा गंगा नदी के तट पर 2301 हेक्टेयर भूमि पर 21 लाख 40 हजार पौधों का सफलतापूर्वक रोपण किया गया। वर्तमान वर्ष में वृक्षारोपण के साथ साथ अन्य अग्रिम मृदा कार्य प्रगति पर हैं।
9.	सहिया परियोजना	2023 से अब तक	यूनिट द्वारा 800 हेक्टेयर बंजर भूमि पर 8 लाख पौधों का रोपण किया जा चुका है व वर्तमान में वृक्षारोपण व अग्रिम मृदा कार्य प्रगति पर हैं।
10.	कुरुड परियोजना	2023 से अब तक	वर्ष 2023 से अब तक इस परियोजना क्षेत्र में 800 हेक्टेयर बंजर भूमि पर 8 लाख पौधों का रोपण किया गया है।

पर्यावरण जागरुकता एवं प्रचार-प्रसार और परिणाम

127 इन्फैन्ट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (गढवाल राइफल्स) समय समय पर विभिन्न जागरुकता कार्यक्रमों को आयोजित करती है। ये जागरुकता कार्यक्रम स्थानीय नागरिकों में पर्यावरण के प्रति चिंता का भाव निर्माण करती है। 127 इन्फैन्ट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (गढवाल राइफल्स) स्थानीय

नागरिकों, स्कूल/कालेज के बच्चों के साथ विश्व पर्यावरण दिवस, अर्थ दिवस और महत्त्वपूर्ण आयोजनों में वृक्षारोपण व पर्यावरण जागरुकता का कार्य करती है।

127 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (गढवाल राइफल्स) द्वारा वृक्षारोपण की प्रक्रिया.

- (क) राज्य सरकार द्वारा निर्देश पर 127 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (गढवाल राइफल्स) हर साल बंजर जमीन पर 08 लाख पौधों का रोपण करती है।
 - (ख) आम नागरिक के लिए समय समय पर 127 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (गढवाल राइफल्स) पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित करती है।
-

पुरस्कार एवं सम्मान. 127 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (गढवाल राइफल्स) के सराहनीय कार्य को देखते हुये भारत सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा निम्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है:-

इन्दिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, वीर केसरी चन्द पर्यावरण पुरस्कार, वसुधा मित्र सम्मान, कॉन्फिडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री ग्रीन पुरस्कार, बॉम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ग्रीन गर्वनेंस पुरस्कार, अर्थ केयर पुरस्कार, ग्रीन लीफ पुरस्कार, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रशंसा पत्र और सर्वश्रेष्ठ ईटीएफ ट्रॉफी।

छावनी परिषद देहरादून (CANTONMENT BOARD)



संक्षिप्त विवरण :- छावनी परिषद् देहरादून सन् 1913 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित वर्तमान में रक्षा मंत्रालय, रक्षा संपदा, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, जो देश की सभी छावनियों के वर्गीकरण के अनुसार वर्ग "ए" में आता है। जनगणना 2011 के अनुसार यहां की नगरीय जनसंख्या 52,716 है। देहरादून छावनी का क्षेत्रफल 5203.35 एकड़ है, जिसमें 939.41 एकड़ निजी भूमि है जिसमें आम नागरिक की आबादी है। यह परिषद् छावनी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में उचित स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता हेतु नगर निकाय की भांति कार्य करता है।

कर्तव्य—नागरिकों के लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना, बोर्ड और उसके नागरिकों के हित में संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना। सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। सस्ती कीमतों पर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, नियमानुसार भूमि का रिकॉर्ड रखना, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी सेवाएं प्रदान करना, सड़कों, नालियों जल आपूर्ति, औषधालय, स्कूलों, पार्कों और स्ट्रीटलाइटिंग जैसी आदि बुनियादी सेवाओं को बनाए रखना और विकसित करना।

छावनी परिषद देहरादून द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सेवा/सुविधा का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सेवा/सुविधा का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन एवं चयन प्रक्रिया
1	पॉलिथीन कचरा बैंक	छावनी परिषद देहरादून द्वारा पॉलिथीन कचरे के निस्तारण हेतु कैंट क्षेत्र में देश के पहले 03 पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गये हैं, इन बैंकों में हर माह न्यूनतम 70 टन और अधिकतम 100 टन तक पॉलिथीन कचरा खरीदने का लक्ष्य है। संग्रहित कचरे से टाइल्स, बोर्ड, गमले तथा अन्य सजावट के सामान बनाए जायेंगे।	कूड़ा बीननेवाला तथा आम नागरिक	पॉलिथीन कचरा जैसे चिप्स के पैकेट, पॉलिथीन बैग, घरों में एकत्रित पॉलिथीन, दूध इत्यादि की थैलियां को 05 रु0 प्रति किलोग्राम की दर से इन कचरा बैंकों पर कूड़े बीनने वाले व अन्य इच्छुक नागरिक बेच सकते हैं।
2	सामान्य खाद/वर्मी कम्पोस्ट खाद	छावनी परिषद देहरादून द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन द्वारा सामान्य खाद व वर्मी कम्पोस्ट खाद का उत्पादन किया जा रहा है।	सभी नागरिक	सभी नागरिक उत्पादित खाद को 05 रु0 प्रति किलोग्राम की दर से पॉलिथीन कचरा बैंकों पर आकर खरीद सकता है।
3	जन्म व मृत्यु पंजीकरण व प्रमाणपत्र सेवा	छावनी परिषद देहरादून क्षेत्र में जन्में व्यक्ति का जन्म पंजीकरण व जन्म प्रमाणपत्र की सुविधा तथा कैंट क्षेत्र में हुई व्यक्तियों के मृत्यु के पंजीकरण व मृत्यु प्रमाणपत्र की सुविधा उपलब्ध है।	छावनी परिषद देहरादून में जन्में व्यक्ति व छावनी क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति के परिजन।	जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र, जन्म व मृत्यु के 21 दिवस के भीतर ऑफलाइन पंजीकरण करवाकर निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। 21 दिन के पश्चात रु0 50 प्रति कॉपी प्राप्त की जा सकती है। पुराने जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति ई-छावनी पोर्टल dehradun.cantt.gov.in पर जाकर निम्न चरणों को पूरा करके डाउनलोड किया जा सकता है :-पोर्टल पर जाकर वेबसाइट खुलने के पश्चात लॉगइन पर क्लिक करें फिर सिटीजन पर क्लिक करें यदि पंजीकरण पूर्व में नहीं किया गया है तो अपने मोबाइल नं से पंजीकरण करें अपना नाम दर्ज करें व प्राप्त ओटीपी को दर्ज करें। खुलने के पश्चात सभी सेवाओं का विवरण दिखने के पश्चात जन्म या मृत्यु जो भी प्रमाणपत्र डाउनलोड करना हो, पर क्लिक करें। तत्पश्चात् प्रमाणपत्र डाउनलोड होने का विकल्प प्रदर्शित होगा, जिसपर क्लिककर जन्मतिथि, लिंग व छावनी परिषद का चयन करना होगा। एडवांस सर्च के कॉलम में दिये गये विकल्पों का चयन करके भी प्रमाणपत्र डाउनलोड किया जा सकता है, यदि

			जन्मतिथि ज्ञात न हो तो। उपरोक्त मांगी गयी सूचना की प्रविष्टि करने के पश्चात् सर्च रजिस्ट्री पर क्लिक करने से प्राप्त सही जानकारी प्रदर्शित होने पर पे-एण्ड-डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक कर ऑनलाइन माध्यम यूपीआई, डेबिटकार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ₹0 50 का भुगतान कर डाउनलोड कर सकते हैं।
4	ई-छावनी पोर्टल (जल संयोजन)	ई-छावनी पोर्टल द्वारा आम नागरिकों को सम्पत्ति संख्या के आधार पर व अपने घर की लोकेशन दर्ज कर अन्य वांछित दस्तावेजों के साथ घर बैठे आवेदन करने की सुविधा। समस्त दस्तावेज सही होने पर मात्र 03 दिवस के अंदर जल संयोजन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है।	सभी नागरिक ई-छावनी पोर्टल https://dehradun.cantt.gov.in/ पर मोबाइल नंबर द्वारा पंजीकरण कर नये जल संयोजन हेतु छावनी परिषद देहरादून द्वारा आवंटित सम्पत्ति संख्या के आधार पर आवेदन किया जा सकता है। जल संयोजन हेतु प्रक्रिया : पोर्टल पर जाकर वेबसाइट खुलने के पश्चात लॉगइन पर क्लिक करें। फिर सिटीजन पर क्लिक करें। यदि पंजीकरण पूर्व में नहीं किया गया है, तो अपने मोबाइल नं से पंजीकरण करें अपना नाम दर्ज करें व प्राप्त ओटीपी को दर्ज करें। खुलने के पश्चात् होम पेज पर सभी सेवाओं का विवरण दिखने के पश्चात वॉटर एवं सीवरेज के विकल्प पर क्लिक कर एप्लाय फॉर न्यू कनेक्शन पर क्लिक करें। एप्लाय बटन पर क्लिक करने के पश्चात अपने दिये गये 4 विकल्पों में से एक का चयन करें व सर्च करें विवरण खुलने के पश्चात सलेक्ट विकल्प पर क्लिक करें, कनेक्शन डिटेल में वॉटर पर क्लिक करें उसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। तत्पश्चात एस्टिमेट पर क्लिक करें। खुलने के पश्चात कैटेगरी में रेसिडेंसियल या कमर्शियल, पाइप साइज एवं कितने कनेक्शन की संख्या का चयन करें। तत्पश्चात अपने मकान की बिल्कुल सही लोकेशन का चयन करें, लोकेशन चयन के पश्चात बिल आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी वहां पर सब्मिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात दिये गये दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। सेल्फ डिक्लरेशन के फॉर्म को डाउन लोड कर भरकर अपलोड किया जा सकता है या जिस मोबाइल नं से आवेदन किया जा रहा है उसका आधार वैरिफिकेशन कर भी सेल्फ डिक्लरेशन किया जा सकता है।

				इसके पश्चात नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर सिस्टम द्वारा लगाये गये शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम यूपीआई, डेबिट कार्ड ऑनलाइन बैंकिंग माध्यम से भुगतान कर अपना आवेदन जमा किया जा सकता है। 03 दिवस के भीतर कार्यालय द्वारा आपके आवेदन की जांच की जायेगी। फील्ड इन्सपेक्शन के पश्चात आपके द्वारा सही लोकेशन का चयन किया गया है अथवा नहीं। यदि नहीं किया गया है तो सभी चार्जेज घटाये या बढ़ाये जा सकते हैं। इसलिए गूगलमैप की मदद से बिल्कुल सही लोकेशन का चयन करें। (नोट: जल संयोजन हेतु सभी वांछित दस्तावेजों के साथ आकर कार्यालय से भी आवेदन करवाया जा सकता है)
5	ई-छावनी पोर्टल ओ.बी.पी.एस. माड्यूल (ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान माड्यूल सिस्टम)	भवन मानचित्र स्वीकृत कराने हेतु ई-छावनी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सभी दस्तावेजों की जांच एवं मानकों को पूर्ण करने पर मात्र एक सप्ताह के भीतर भवन मानचित्र स्वीकृति की सुविधा।	सभी नागरिक	छावनी परिषद देहरादून में पंजीकृत आर्किटेक्ट के माध्यम से ई-छावनी पोर्टल dehradun.cantt.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है।
6	ई-छावनी पोर्टल (संपत्ति म्यूटेशन)	सम्पत्ति हस्तांतरण हेतु ई-छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा सभी दस्तावेजों के सही होने पर मात्र 45 दिन में स्वीकृति की सुविधा।	सभी नागरिक	सम्पत्ति हस्तांतरण हेतु आवेदनकर्ता के पास कानूनी माध्यम से प्राप्त संपत्ति के दस्तावेज होने चाहिए। हस्तांतरण के लिए ई-छावनी पोर्टल dehradun.cantt.gov.in पर स्वयं से भी पोर्टल पर मोबाइल नं0 के माध्यम से पंजीकरण करने के पश्चात आवेदन किया जा सकता है या फिर कार्यालय में समस्त दस्तावेजों के साथ आकर भी आवेदन करवाया जा सकता है।
7	ई-छावनी पोर्टल (कर, गैर व इत्यादि शुल्क जमा करने हेतु)	ई-छावनी पोर्टल पर किसी भी प्रकार की शिकायत जैसे सफाई से सम्बंधित स्ट्रीटलाइट, रोड़ इत्यादि फोटो व लोकेशन सहित दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध है। जिसका निवारण जिस अनुभाग से सम्बंधित उसके अनुसार	सभी नागरिक	ई-छावनी पोर्टल dehradun.cantt.gov.in पर अपने मोबाइल नं0 द्वारा पंजीकरण करने के पश्चात सिंगल विंडो सिस्टम पर समस्त सुविधाओं व कर-गैरकर व अन्य शुल्कों का भुगतान स्वयं से घर बैठे किया जा सकता है एवं अपने मोबाइल में ही चालान व रसीद प्राप्त की जा सकती है। भुगतान करने की प्रक्रिया : 1. पोर्टल पर जाकर वेबसाइट खुलने के पश्चात लॉग इन पर क्लिक

	सुविधा)	मात्र 03 दिवस में निवारण कराया जा सकता है।		करें फिर सिटीजन पर क्लिक करें। यदि पंजीकरण पूर्व में नहीं किया गया है तो अपने मोबाइल नं से पंजीकरण करें अपना नाम दर्ज करें व प्राप्त ओटीपी को दर्ज करें। 2. होमपेज खुलने के पश्चात संपत्ति कर, जल कर इत्यादि भुगतान हेतु विकल्पानुसार क्लिक करें। तत्पश्चात संपत्ति संख्या/जल कनेक्शन में पंजीकृत मोबाइल नं0 या दिये गये अन्य विकल्पों में से कोई एक पर क्लिक करें नीचे विवरण प्राप्त होने पर संपत्ति कर भुगतान के सम्बंध में नीले रंग में दी गई प्रापर्टी आई.डी पर क्लिक कर एवं संपत्ति का विवरण जांच की वह सही है तत्पश्चात पे के विकल्प पर क्लिक कर ऑनलाइन माध्यम यूपीआई, डेबिट कार्ड ऑनलाइन बैंकिंग माध्यम से भुगतान करें तत्पश्चात डाउनलोड रसीद विकल्प पर क्लिक कर अपनी रसीद डाउन लोड करें। पानी के बिल के भुगतान हेतु भी उपरोक्तानुसार प्रक्रिया पूर्ण करें एवं भुगतान करें। (यहां नीले रंग में आईडी की जगह सीधे बिल के भुगतान हेतु विकल्प प्राप्त हो जायेगा कृपया ध्यान दें एवं बिल की जाँच कर लें कि यह सही है एवं सम्बंधित व्यक्ति का ही है)
8	ई-छावनी पोर्टल (जन शिकायत निवारण पोर्टल)	ई-छावनी पोर्टल पर किसी भी प्रकार की शिकायत जैसे सफाई से सम्बंधित स्ट्रीटलाइट, रोड़ इत्यादि फोटो व लोकेशन सहित दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध है। जिसका निवारण जिस अनुभाग से सम्बंधित उसके अनुसार मात्र 03 दिवस में निवारण कराया जा सकता है।	सभी नागरिक	ई-छावनी पोर्टल dehradun.cantt.gov.in पर अपने मोबाइल नं0 द्वारा पंजीकरण करने के पश्चात शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया : पोर्टल पर जाकर वेबसाइट खुलने के पश्चात लॉगइन पर क्लिक करें फिर सिटीजन पर क्लिक करें यदि पंजीकरण पूर्व में नहीं किया गया है तो अपने मोबाइल नं0 से पंजीकरण करें अपना नाम दर्ज करें व प्राप्त ओटीपी को दर्ज करें। होमपेज खुलने के पश्चात फाइल कम्प्लेंट पर क्लिक करें कम्प्लेंट टाइप पर दर्ज करें जहां पर आपको सारे विकल्प प्राप्त होंगे किसी एक पर क्लिक करें जिससे भी संबंधित कम्प्लेंट हो। तत्पश्चात एडिशनल (अतिरिक्त) जो भी विवरण हो दर्ज करें अपनी कम्प्लेंट लोकेशनको पिक करें। देहरादून छावनी परिषद का चयन करें मोहल्ला वार्ड, लोकलटी का चयन करें। हाऊस नं0/ स्ट्रीट नं0 व लैंड मार्क दर्ज करें

				सबसे ऊपर शिकायत से सम्बंधित फोटो को अपलोड करने का विकल्प भी दिया गया है आवश्यक लगे तो अपलोड किया जा सकता है। सभी चीजें दर्ज करने के पश्चात अपनी कमेंट फाइल करें आपकी शिकायत दर्ज हो जायेगी (नोट: इस पोर्टल पर केवल छावनी परिषद देहरादून क्षेत्र के अंतर्गत या अधिकार क्षेत्र में आने वाली शिकायत का निवारण केवल तीन दिन में किया जाता है जिसकी जानकारी आपको पंजीकृत मोबाइल नं० से मिलती रहेगी)
9	ई-छावनी पोर्टल (ट्रेड लाइसेंस)	ई-छावनी पोर्टल पर छावनी परिषद देहरादून में व्यापार कर रहे व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस हेतु आवेदन करने की व लाइसेंस प्राप्त करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है।	कैंट क्षेत्र में व्यापार कर रहे अथवा व्यापार करने हेतु इच्छुक नागरिक	ई-छावनी पोर्टल dehradun.cantt.gov.in पर अपने मोबाइल नं० द्वारा पंजीकरण करने के पश्चात स्वयं से अथवा कार्यालय में आकर वांछित दस्तावेजों के साथ आवेदन किया जा सकता है। स्वयं से आवेदन की प्रक्रिया : पोर्टल पर जाकर वेबसाइट खुलने के पश्चात लॉगइन पर क्लिक करें फिर सिटीजन पर क्लिक करें यदि पंजीकरण पूर्व में नहीं किया गया है तो अपने मोबाइल नं० से पंजीकरण करें अपना नाम दर्ज करें व प्राप्त ओटीपी को दर्ज करें। होमपेज खुलने के पश्चात एप्लाइ फॉर ट्रेडलाइन सें सपर क्लिक करें देहरादून छावनी का चयन करें सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें उसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। सभी मांगी गई जानकारी दर्ज करें एवं नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। इसके पश्चात दिये गये दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। सेल्फडिक्लरेशन के फॉर्म को डाउन लोड कर भरकर अपलोड किया जा सकता है या जिस मोबाइल नं० से आवेदन किया जा रहा है उसका आधार वैरिफिकेशन कर भी सेल्फडिक्लरेशन किया जा सकता है। तत्पश्चात सभी वांछित दस्तावेजों को अपलोड करने नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें एवं आवेदन शुल्क का भुगतान कर अपना आवेदन जमा कर दें। (नोट: सभी दस्तावेजों की जांच के पश्चात सही पाये जाने पर पंजीकृत मोबाइल नं० से जांच कर अपने आवेदन का स्टेटस की जांच की जा सकती है यदि आवेदन सही होतो निर्धारित लाइसेंस फीस का भुगतान करने के पश्चात मात्र कुछ दिनों में ट्रेड लाइसेंस सर्टिफिकेट प्राप्त हो जायेगा)

10	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत छावनी परिषद देहरादून द्वारा 15 से 45 वर्ष तक के नागरिकों को योगा एवं सिलाई में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।	सभी नागरिक	15 वर्ष से 45 वर्ष तक के इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संबंधित प्रशिक्षण हेतु समय अपरान्ह 01:00 बजे से 03:30 बजे तक निर्धारित है। पंजीकरण की प्रक्रिया : अभ्यर्थी को https://www.skillindiadigital.gov.in/home की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इसके पश्चात छावनी परिषद देहरादून द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्र जोकि कैट कन्या इंटरकॉलेज गढ़ी कैट में संचालित किया जा रहा है, में जाकर प्रशिक्षण हेतु बैच प्रारंभ होने से पूर्व संपर्क करना होगा। जहां पर जिस मोबाइल नं० से पूर्व में उपरोक्त वेबसाइट पर पंजीकरण किया गया है वही मो० नं० देना अनिवार्य होगा।
11	60 वर्ष से ऊपर वरिष्ठ नागरिकों हेतु स्वाभिमान केन्द्र नाम से डे-केयर-सेंटर	छावनी परिषद देहरादून द्वारा 60 वर्ष से ऊपर वरिष्ठ नागरिकों हेतु सन् 2012 से छावनी परिषद देहरादून के परिसर में डे-केयर-सेंटर संचालित है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों हेतु इन्डोर गेम्स व अन्य विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन इस केन्द्र में किया जाता है।	सभी भारतीय नागरिक	60 वर्ष से ऊपर कोई भी भारतीय नागरिक स्वाभिमान केन्द्र, छावनी परिषद देहरादून में आकर रु० 250 प्रति माह सदस्यता शुल्क जमा कर स्वाभिमान केन्द्र का सदस्य बन सकता है।
12	आयुर्वेदिक अस्पताल (पंचकर्मा सेंटर)	छावनी परिषद देहरादून कार्यालय परिसर के पीछे आयुर्वेदिक इलाज व पंचकर्मा की सुविधा उपलब्ध है।	सभी नागरिक	समय : प्राप्त: सुबह 09:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक

ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC), देहरादून।



क्र. सं.	योजना / कार्यक्रम का नाम	लाभ	योग्यता	आवेदन प्रक्रिया / चयन प्रक्रिया
1	नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम /	ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC), राष्ट्र के कौशल निर्माण पहल के रूप में अपने 22 कार्य केंद्रों पर अपरेंटिस को तैनात करता है।	आईटीआई / स्नातक / डिप्लोमा	अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जो व्यावसायिक प्रशिक्षु (अपरेंटिस) के रूप में योग्यता पूरी करते हैं। अपरेंटिस एक्ट 1961 के तहत (समय-समय पर संशोधित किए गए) व्यापार / विषयों में। पंजीकरण से पहले उम्मीदवारों को जानकारी ब्रोशर पढ़ना होगा और साइट https://ongcapprentices.ongc.co.in पर निर्देशों का पालन करना होगा।

2	खेल छात्रवृत्ति योजना	ONGC की खेल छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य आगामी युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।	खिलाड़ी को भारतीय नागरिक होना चाहिए और छात्रवृत्ति अवधि के दौरान किसी अन्य संगठन से कोई छात्रवृत्ति / भत्ता नहीं ले रहा होना चाहिए। आयु 14 से 25 वर्ष होनी चाहिए। शतरंज, जिमनास्टिक्स और तैराकी के लिए न्यूनतम आयु 10 वर्ष होगी।	खिलाड़ी की प्रवीणता को उनकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट / घटनाओं में उनकी भागीदारी / प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा जो राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय खेल संघ / संघों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। अधिक जानकारी के लिए आवेदक साइट https://sportsscholarship.ongc.co.in पर जा सकते हैं।
3.	ONGC की छात्रवृत्ति 1. SC-ST श्रेणी के उत्कृष्ट छात्रों के लिए 2. OBC श्रेणी के उत्कृष्ट छात्रों के लिए 3. सामान्य श्रेणी के उत्कृष्ट छात्रों के लिए	SC/ST/OBC/EWS Gen श्रेणी में छात्रों के लिए जो इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, एमबीए और मास्टर इन जियोफिजिक्स/जियोलॉजी के पहले वर्ष में अध्ययनरत हैं, को प्रतिवर्ष 48000/-रु. की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है।	शैक्षिक योग्यता, इंजीनियरिंग या एमबीबीएस में पहले वर्ष में अध्ययनरत हों अथवा जियोसाइंसेस में मास्टर डिग्री या एमबीए में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हों। प्रतिशत कक्षा 12वीं में कम से कम 60 प्रतिशत अंक और पीजी कोर्सेस के लिए स्नातक में 60 प्रतिशत अंक। SC/ST की वार्षिक पारिवारिक आय रु. 4.5 लाख या उससे कम होनी चाहिए OBC & General की वार्षिक पारिवारिक आय 2.0 लाख या उससे कम होनी चाहिए। आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार 'अभी आवेदन करें' विकल्प द्वारा सिर्फ एक क्लिक में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं, जिसे इस वेबसाइट में ऊपरी दाएं कोने में देखा जा सकता है। संबंधित छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी के पास आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यूजी पाठ्यक्रमों के लिए 10वीं और 12वीं तथा पीजी पाठ्यक्रमों के लिए स्नातक अंक तालिका उनके संस्थान प्रमुख/प्रिंसिपल/डीन द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होनी चाहिए। साथ ही बैंक विवरण, पैन कार्ड की प्रति, कॉलेज/संस्थान आईडी की प्रति, तथा प्रवेश पर्ची की आवश्यकता होती है। यह आवेदन प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के अंतिम सप्ताह/नवम्बर के प्रथम सप्ताह मांगे जाते हैं। प्रत्येक वर्ष 07 अक्टूबर के बाद मांगे जाते हैं। https://ongcscholar.org/#/

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, (THDC) देहरादून।



संक्षिप्त परिचय :- टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का नाम देश के ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी सार्वजनिक उपक्रमों में आता है। इसकी स्थापना जुलाई, 1988 में टिहरी बांध के निर्माण और रखरखाव के लिए हुई थी, जो एक जल-विद्युत परियोजना है। यह भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन मिनी रत्न उपक्रम है। वर्तमान में यह सौर, पवन और थर्मल ऊर्जा के क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व स्थापित करते हुए अहम योगदान दे रहा है। निगम वर्तमान में कंसलटेंसी सेवाएं भी मुहैया करा रहा है।

वर्ष 2013 बाढ़ की भयावहता को कम करने में भी टिहरी बांध का अहम योगदान रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर यह बांध नहीं होता, तो विनाशकारी बाढ़ की भयावहता और बढ़ गई होती और इसका प्रकोप सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं रहता। यहां यह बताना जरूरी है कि टिहरी बांध के विशाल जलाशय में 9,20,000 Ft³ (2615 MCM) पानी संग्रह करने की क्षमता है। यह न सिर्फ 2013 में वरदान साबित हुआ था बल्कि हर मॉनसून सीजन में जब नदियों का जलस्तर बढ़ता है, तो यहां अतिरिक्त पानी संग्रह कर लिया जाता है और किसी भी तरह के नुकसान से राज्य और अन्य पड़ोसी क्षेत्र बच जाते हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, पर्यावरण की संरक्षा और सुरक्षा तक की गतिविधियां शामिल हैं। इसके अलावा कला का संवर्धन और विकास के साथ ही खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। टीएचडीसी आईएल वाटर स्पोर्ट्स हाई परफॉर्मेंस अकादमी की स्थापना टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने इंडियन क्वाकिंग और कैनोइंग एसोसिएशन (आईकेसीए), उत्तरांचल ओलंपिक एसोसिएशन (यूओए) और युवा कल्याण और खेल विभाग, उत्तराखंड सरकार के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर टिहरी, कोटेश्वर, उत्तराखंड में टीएचडीसीआईएल वाटर स्पोर्ट्स हाई परफॉर्मेंस अकादमी की स्थापना की है। देश में अपनी तरह की यह पहली वाटर स्पोर्ट्स हाई परफॉर्मेंस अकादमी है। इस प्रशिक्षण संस्थान का उद्देश्य पुरुष और महिला एथलीटों के लिए आवासीय सुविधा के साथ उनके प्रशिक्षण हेतु अत्याधुनिक उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध कराकर एथलीटों के प्रदर्शन को बढ़ाना है। यह अकादमी कैनो स्प्रिंट, पैरा-कैनो और कैनो स्लैम के खेलों में विश्व चैंपियनशिप, एशियाई स्तर की चैंपियनशिप और रैंकिंग चैंपियनशिप सहित अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए एथलीटों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

टीएचडीसी ने उत्तराखंड के सार्वजनिक उपक्रम यूजेवीएन लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम शुरू किया है। इस उद्यम का नाम, टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड (TUECO) है। इस संयुक्त उद्यम का उद्देश्य उत्तराखंड में अलग-अलग जगहों पर जल-विद्युत परियोजनाओं को स्थापित, परिचालित और उनकी देखरेख करना है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, “विद्युत उत्पादन हमारी कटिबद्धता, समाज का विकास हमारी प्रतिबद्धता” के अपने लक्ष्य को साकार करते हुए, देश की प्रगति और विकसित भारत/2047 के विजन को पूरा करने में अपना अहम योगदान दे रहा है।

इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, देहरादून (IOL)



संक्षिप्त परिचय:- इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में एक उद्यम है, जिसे सशस्त्र सेनाओं एवं अन्य ग्राहकों के साथ-साथ गृह मंत्रालय के अधीन पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के समाधान के क्षेत्र में विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए निगमित किया गया है। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड की स्थापना 2021 में आई ऑफ द सोलजर्स बनने के लिए की गई। रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में एक उद्यम है, जिसे सशस्त्र सेनाओं एवं अन्य ग्राहकों के साथ-साथ

गृह मंत्रालय के अधीन पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के समाधान के क्षेत्र में विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए निगमित किया गया है।

इस नवनिर्मित उद्यम को भारत सरकार के दृष्टिकोण पर 'आत्म निर्भर' भारत अभियान के अंतर्गत इलेक्ट्रो ऑप्टिकल समाधानों के विस्तार करने की नयी तकनीकें विकसित करने हेतु नयी जिम्मेदारी सौंपी गयी है अर्थात् 'इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड' भारतीय सैनिकों की दृष्टि बन कर रहेगी। इसमें पहले के आयुध निर्माणी बोर्ड की आधुनिकतम तकनीकी से युक्त तीन उत्पादन इकाईयां शामिल हैं जो अपने-अपने उत्पादन क्षेत्रों में उत्कृष्ट अनुभव रखती हैं।

आयुध निर्माणी देहरादून, आयुध निर्माणी, चण्डीगढ़ एवं ऑप्टो इलेक्ट्रानिक्स फैक्टरी, देहरादून।

ऑप्टो इलेक्ट्रानिक्स फैक्टरी, देहरादून— यह संस्थान सक्रिय रूप से आई.ओ.एल. सहित केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी रैंकों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। ऑफिल, देहरादून ऑफलाइन एवं ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक ऑडियो विजुअल सुविधाओं एवं तकनीक से परिपूर्ण है। ओफिल, देहरादून आवासीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए एक सुरक्षित, साफ एवं स्वच्छ वातावरण वाले छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराता है।

- ऑफिल, देहरादून अपने संकायों का चयन विशिष्ट एमएनसी, पीएसयू, एवं प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों जैसे आई.ओ.एल., आई.आई.टी.—रुड़की, सी.बी.आर.आई.—रुड़की, एम.ई.एस., डी.आर.डी.ओ., भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सी.जी.एच.एस., केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न प्रतिष्ठानों से करता है।

ऑफिल, देहरादून के मुख्य प्रशिक्षण क्षेत्र इस प्रकार हैं:—

- ऑप्टिक्स एवं नाईट विजन तकनीकी
- औद्योगिक संरक्षा (आग एवं , बिजली आदि)
- औद्योगिक संबंध, मानव संसाधन प्रबंधन (HRM)
- आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण
- आई.एस.ओ., ई.एम.एस. एवं ओहसास
- सॉफ्ट स्किल्स एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम
- कार्यालय प्रबंधन
- लेखा एवं वित्तीय प्रबंधन

- साइबर सुरक्षा
- बौद्धिक संपदा अधिकार (आई.पी.आर.)
- ई-गवर्नेंस
- जेम (GeM) प्रक्रिया
- लागत अनुकूलन (Cost Optimization)
- सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम जैसे ग्रीन बिल्डिंग, सतत विकास आदि

आयुध निर्माणी रायपुर, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड रायपुर देहरादून की इकाई है। आयुध निर्माणी देहरादून का मुख्य कार्य रक्षा क्षेत्र हेतु उत्पादन करना है तथा कार्मिकों का चयन अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताओं के माध्यम से किया जाता है, वर्तमान में निम्न कार्य आयुध निर्माणी हेतु आम जन के लिए किये जा रहे हैं :-

क्रसं	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयनप्रक्रिया
1	योगा केन्द्र, सीनियर क्लब इंडिया ऑप्टेल रायपुर देहरादून	सम्पूर्ण शरीर के स्वास्थ्य हेतु	सभी उम्र के स्त्री/पुरुष	सभी के लिए निशुल्क है तथा योगा प्रशिक्षण, योगा सिखाते हैं, जो सुबह 5:45 से सांय 7:00 बजे तक होता है तथा योगा का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
2	लाइफ सेंटर	सामग्री संग्रह एवं वितरण केन्द्र	गरीब परिवार के जरूरतमंद सभी बच्चे।	कोई भी व्यक्ति अपने लिए अनुपयोगी सामग्री एवं किसी अन्य के लिए उपयोग में आ सकने वाली वस्तु को यहां प्रदान कर सकता है।

रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोग प्रयोगशाला (DEAL)
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
देहरादून-248001



रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोग प्रयोगशाला (डील) , रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की एक प्रमुख 'सिस्टम प्रयोगशाला' के रूप में विकसित है जो रक्षा संचार और निगरानी (सेना, नौसेना और वायु सेना) के अग्रणी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों के डिजाइन और विकास को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। डील बहुत कम आवृत्ति (वीएलएफ) से लेकर 94 गीगाहर्ट्ज तक अत्यधिक उच्च आवृत्ति तक संचार और निगरानी प्रणालियों के विकास में प्रयासरत है।

सैटेलाइट-NATSAT के माध्यम से नेविगेशन हिमस्खलन चेतावनी और ट्रेकिंग:-

हमारे देश की बड़ी सीमा हिमालय क्षेत्र के अन्य देशों से लगती है। ये सीमावर्ती क्षेत्र अधिकांश महीनों में बर्फ से ढके रहते हैं और हिमस्खलन और खराब मौसम की स्थिति जैसे खतरों से ग्रस्त रहते हैं। हिमस्खलन इन क्षेत्रों में रहने वाले हमारे सुरक्षा बलों और ग्रामीणों के जीवन, प्रतिष्ठानों और अन्य महत्वपूर्ण संपत्तियों के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। इन हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों में लोगों का सुरक्षित आवागमन एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए इन स्थितियों के लिए एक मजबूत हिमस्खलन चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता होती है। संभावित हिमस्खलन क्षेत्रों के बारे में जागरूकता पैदा करके और अंतिम उपयोगकर्ता तक परिचालन हिमस्खलन पूर्वानुमान को समय पर प्रवाहित करके हिमस्खलन के कारण जीवन और बुनियादी ढांचे के नुकसान को कम किया जा सकता है। एक मजबूत हिमस्खलन चेतावनी प्रणाली की प्राप्ति विभिन्न सेंसरों से सर्वर और एल्गोरिदम तक वास्तविक समय डेटा इनपुट पर भी निर्भर करती है जो हिमस्खलन अलर्ट उत्पन्न करते हैं। NATSAT एक ऐसा समाधान है जिसे विकसित किया गया है, जो एक सैटकाँम आधारित हिमस्खलन पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली है। इसके माध्यम से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेवारत सैनिकों एवं आम जन को वास्तविक समय के आधार पर हिमस्खलन और मौसम का पूर्वानुमान, की जानकारी दी जाती है।

मानव संसाधन पहल :-

डील में हर साल लगभग 30 संख्या में स्नातक/डिप्लोमा प्रशिक्षुओं और 60 संख्या में आईटीआई प्रशिक्षुओं की भर्ती की जाती है। छात्रों के लिए अलग-अलग समय पर विभिन्न शैक्षिक और औद्योगिक दौरे आयोजित किए जाते हैं। डील ने स्थानीय शिक्षा जगत को बढ़ावा देने के लिए ग्राफिक एरा

(डीम्ड-टू-बी) यूनिवर्सिटी, देहरादून और डीआईटी यूनिवर्सिटी, देहरादून के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। डील (डीआरडीओ) द्वारा श्रीनगर स्थित एनआईटी उत्तराखण्ड को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के लिए प्रायोजन भी प्रदान किया जाता है।

यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (आई.आर.डी.ई.) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन देहरादून-248001

प्रयोगशाला का इतिहास

मूल रूप से यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (आईआरडीई) की स्थापना 1939 में रावलपिंडी (अब पाकिस्तान में) में वैज्ञानिक स्टोरो निरीक्षालय के लिए की गई थी, जिस पर भारत में सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दूर संचार उपकरणों के निरीक्षण करने की जिम्मेदारी थी। कई संगठनात्मक और स्थान परिवर्तन करने के बाद तकनीकी विकास प्रतिष्ठान (इंस्ट्रूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स) का रूप लिया, जिसमें उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को शामिल किया गया था और इसकी स्थापना देहरादून में की गई। स्थापना के बाद के वर्षों के दौरान, इस पर अनुसंधान एवं विकास की जिम्मेदारियां सौंपी गईं और 18 फरवरी, 1960 को यह आईआरडीई के रूप में इसका वर्तमान आकार अस्तित्व में आया।

आईआरडीई ने अतीत में दूरबीन, चश्मे, छोटे हथियार, मोर्टार और फील्ड बंदूक के लिए फायरिंग नियंत्रण उपकरण और विजयंत और एमबीटी, अर्जुन टैंक के लिए फायरिंग नियंत्रण प्रणाली आदि ऑप्टिकल उपकरणों का विकास किया है। आईआरडीई ने रेंज फाइंडर्स डेजिग्रेटर और विभिन्न रक्षा अनुप्रयोगों के लिए निकटता सेंसर जैसे लेजर आधारित उपकरण भी विकसित किए हैं। आईआरडीई को इमेज इन्संसिफायर और धर्मल इमेजर आधारित रात्रिकालीन दृष्टि उपकरणों के विकास के लिए जाना जाता है।

दूर-दर्शिता

- उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना।

उद्देश्य

- अत्याधुनिक नाइट विजन डिवाइस और थर्मल इमेजर्स को डिजाइन और विकसित करना।
- कॉम्पैक्ट लेजर आधारित उपकरणों को डिजाइन और विकसित करना।
- एकीकृत इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल निगरानी और फायरिंग नियंत्रण प्रणाली को डिजाइन और विकसित करना।
- फोटोनिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान करना।

कार्य-क्षेत्र

- यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (आईआरडीई) की मुख्य कार्य-क्षेत्र क्षमता फायरिंग नियंत्रण प्रणाली और उपकरण, इन्फ्रा रेड खोज और ट्रैक सिस्टम, स्टैंड-अलोन निगरानी प्रणाली, ऑप्टिकल डिजाइन, होलोग्राफी, ऑप्टिकल इमेज प्रोसेसिंग और फोटोनिक लक्ष्य पहचान तकनीक, अनुकूली प्रकाशिकी, एकीकृत प्रकाशिकी, माइक्रो-ऑप्टिक्स और नैनो-फोटोनिक्स, टेराहर्ट्ज स्रोत, इमेजिंग और मार्गदर्शन, लक्ष्य पहचान और अधिग्रहण, रेजिंग और दिन और रात के दौरान सभी मौसम की स्थितियों के तहत जवाबी उपायों के लिए ऑप्टिकल, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और ऑप्टोनिक इंस्ट्रुमेंटेशन के क्षेत्र में डिजाइन और विकास में निहित है।

- प्रयोगशालाओं/संस्थानों के साथ प्रतिबद्धता एवं सहयोग

अकादमिक अनुसंधान एवं विकास हेतु

- आईआईटी-मुंबई/कानपुर/दिल्ली/खड़गपुर/रुड़की/मद्रास
- आईआईएससी, बेंगलुरु
- केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई), बेंगलुरु
- गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा)
- सीएसआईआर- सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीईईआरआई), पिलानी
- सीएसआईआर- राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला (एनपीएल) आदि
- चारुसैट अंतरिक्ष अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएसआरटीसी), चांगा ।
- सीएसआईआर-सीएसआईओ, चंडीगढ़ ।

अकादमिक-अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना हेतु

- आईआईटी-मुंबई/कानपुर/दिल्ली/खड़गपुर/रुड़की
- आईआईएससी, बेंगलुरु,
- उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, देहरादून
- ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय, देहरादून
- दून यूनिवर्सिटी

डीआरडीओ के अंतर्गत यंत्र अनुसंधान और विकास संस्थान (आईआरडीई), देहरादून, रक्षा सेवाओं के लिए मुख्य रूप से ऑप्टिकल और इलेक्ट्रोऑप्टिकल इंस्ट्रुमेंटेशन में अनुसंधान, डिजाइन, विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए समर्पित ।

उत्तर-रेलवे, मुरादाबाद मण्डल



संक्षिप्त परिचय :- उत्तराखंड राज्य में उत्तर रेलवे, मुरादाबाद मण्डल के अंतर्गत देहरादून, योगनगरी ऋषिकेश, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, कोटद्वार, सनेहरोड, हरवाला, डोईवाला, कांसरो, रायवाला, मोतीचूर, ज्वालापुर, इक्कड़, पथरी, ऐथल, डौसनी, लंडौरा, ढंडेरा, रुड़की, इकवालपुर, वीरभद्र रेलवेस्टेशन आते हैं। मण्डल के देहरादून स्टेशन से वर्तमान में लगभग 21 गाड़ियाँ, हरिद्वार स्टेशन से लगभग 38 गाड़ियाँ, योगनगरी ऋषिकेश स्टेशन से लगभग 11 गाड़ियाँ, ऋषिकेश स्टेशन से लगभग 05 गाड़ियाँ, कोटद्वार स्टेशन से लगभग 05 गाड़ियाँ सहित लगभग 80 गाड़ियों का इन स्टेशनों से प्रारंभ होकर संचालित की जा रही हैं।

यात्री अपनी रेल यात्रा के दौरान स्टेशन परिसर या गाड़ी में निम्नलिखित प्रकार से सहायता, सुझाव या शिकायत दर्ज कर सकते हैं :-

1. एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 139,
2. रेल मदद एप।
3. मण्डल के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सहायता, सुझाव या शिकायत को दर्ज किया जा सकता है।
4. यात्री अपनी शिकायत को स्टेशन परिसर में स्टेशन मास्टर कार्यालय, गाड़ी में ट्रेन मेनेजर के पास रखी शिकायत पुस्तिका में भी दर्ज कर सकते हैं।
5. यात्री मदद के लिए गाड़ी में ट्रेन मेनेजर, टिकट चेकिंग स्टाफ, रेलवे सुरक्षा बल को अवगत करा कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मुरादाबाद मण्डल नियंत्रक कक्ष 24X7 घंटे सतर्क रहता है तथा एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 139, रेल मदद एप तथा मण्डल के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्राप्त सहायता, सुझाव, शिकायत का तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की जाती है।

योजनाओं का विवरण निम्नवत है :-

क्र सं	योजना का नाम	लाभ	लाभार्थी / पात्रता						आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	दिव्यांग जन कार्ड	रेलयात्रा भत्ते (मूल किराये) में रियायत	श्रेणीवार रियायत मेल एक्सप्रेस में						सरकारी डॉक्टर (MBBS डिग्रीधारक) द्वारा निर्धारित प्रमाणपत्र के आधार पर निम्नलिखित वेबसाइट https://divyangjanid.indianrail.gov.in पर आवेदन करने पर दिव्यांगजन कार्ड बनता है जिसको दिखाने पर रियायती टिकट जारी किया जाता है। टिप्पणी : दिव्यांगजन प्रमाणपत्र पूर्णतः जांच के बाद ही रेलविभाग द्वारा जारी किया जाता है तथा इसके माध्यम से टिकट ऑनलाइन वेबसाइट https://www.irctc.co.in पर तथा ऑफलाइन भी बुक हो सकता है। रियायत देने के लिए इस प्रमाणपत्र की फोटोप्रति भी स्वीकार की जायेगी। मूल प्रमाणपत्र रियायती टिकट की खरीद के समय और यात्रा के दौरान, यदि माँगा जाता है, प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
			दिव्यांगता	1A	2A	3A	SL	2S	
			ऑर्थोपेडिक	50 %	50%	75%	75%	75%	
			मानसिक	50 %	50%	75%	75%	75%	
			दृष्टिहीन	50 %	50%	75%	75%	75%	
			मूक-बधिर	-	-	-	50%	50%	
			एक सहचर भी समान रियायत का पात्र है ।						
नोट: मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों/पूर्ण रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति/ पूर्ण रूप से श्रवण और वाकहीन व्यक्तियों (दोनों अक्षमताएं एक साथ), के लिए यह प्रमाणपत्र जारी की गयी तारीख से 5 वर्ष के लिए मान्य होगा। अस्थि विकृति से दिव्यांग और अधरंग व्यक्तियों के मामले में अस्थायी अक्षमता के लिए यह प्रमाणपत्र 5 वर्ष के लिए मान्य होगा और स्थायी अक्षमता के मामले में यह प्रमाणपत्र (i) 25 वर्ष आयु तक के व्यक्तियों के मामले में 5 वर्ष, (ii) 26 से 35 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष (iii) 35 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए यह प्रमाणपत्र पूरे जीवन के लिए मान्य रहेगा।									
2	कैंसर व अन्य बड़ी / लाइलाज बीमारियों	रेल यात्रा भत्ते (मूल किराये) में रियायत	श्रेणीवार रियायत मेल एक्सप्रेस में						मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल / अनुसन्धान केंद्र द्वारा जारी किया गया यात्रा हेतु रियायती पत्र के आधार पर रियायती टिकट जारी किया जाता है । टिप्पणी : मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल / अनुसन्धान केंद्र द्वारा जारी
			बीमारी	1A	2A	3A	SL	2S	
			कैंसर	50%	50%	100%	100%	75%	
			थेलेसिमिया	50%	50%	75%	75%	75%	
			हार्ट	50%	50%	75%	75%	-	

	में रियायत		किडनी	50%	50%	75%	75%	75%	किया गया यात्रा हेतु रियायती पत्र में वैधता तिथि, आवश्यक हस्ताक्षर व मुहर जांचने के पश्चात ही रियायती टिकट जारी किया जाता है । जिस कारण यह टिकट रेलवे आरक्षण केंद्र पर ऑफलाइन ही बन पाता है ।
			टीबी	-	-	75%	75%	75%	
			एनआईएल	-	-	75%	75%	-	
			हेमोफिलिया	-	-	75%	75%	75%	
			एड्स	-	-	50%	-	-	
			सिकलसेल एनीमिया	50%	50%	50%	-	-	
			एप्लास्टिक एनीमिया	50%	50%	50%	-	-	
			एक सह चर भी समान रियायत का पात्र है ।						
3	खान पान यूनिट	भारतीय रेलवे ने भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 2017 में नई खान पान नीति शुरू की थी। इस नीति में रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई बिंदु शामिल हैं। यह बेहतर खान पान सेवा के माध्यम से यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाता है। उत्तराखंड राज्य में मुरादाबादमंडल के अंतर्गत 05 स्टेशन पर 64 कैटरिंग यूनिट कार्यरत हैं ।	A-1, A व B श्रेणी के स्टेशन पर छोटी यूनिट के लिए, 25% आरक्षण किया गया है । SC-6%, ST-4%, OBC-3%, अल्पसंख्यक— 3%, दिव्यांग— 2%, शहीद विधवा - 4%, गरीबी रेखा के नीचे -3%, कुल— 25%						निविदा हेतु आवश्यक दस्तावेज – क) तीन वर्ष का कैटरिंग का अनुभव ख) GST रजिस्ट्रेशन ग) PAN कार्ड घ) FSSAI सर्टिफिकेट ङ) Solvency सर्टिफिकेट निविदा में प्रतिभाग करने हेतु प्रतिभागी का IREPS— e auction module पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है जिसके हेतु पार्टी को ₹10,000+18% GST देना होगा जोकि non—refundable है। कैटरिंग यूनिट लगाने के उपरान्त स्टेशन व कैटरिंग यूनिट के आधार पर तय की गयी लाइसेंस फीस को प्रतिभागी को समय से जमा करना होता है। Website: https://www.ireps.gov.in/

4	एक स्टेशन एक उत्पाद रेल मंत्रालय ने भारत सरकार के 'वोकल फॉर लोकल' दृष्टिकोण को बढ़ावा देने, स्थानीय एवं स्वदेशी उत्पादों को समुचित बाजार उपलब्ध कराने और समाज में हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से "एक स्टेशन एक उत्पाद" (ओएसओपी) योजना प्रारंभ की है। इस योजना का लक्ष्य देशभर के रेलवे स्टेशनों पर बिक्री केंद्र स्थापित करने प्रावधान के माध्यम से स्थानीय दस्तकारों, कुम्हारों, बुनकरों/हथकरघा कारीगरों, शिल्पकारों आदि को आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान करना है। उत्तराखंड राज्य में मुरादाबादमंडल के अंतर्गत 04 स्टेशन	समस्त शिल्पकार या किसी लोकल उत्पाद से जुड़े विक्रेता।	पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, पंजीकरण व चयन क्रमवार सूची के अनुसार होगा। प्रार्थना पत्र स्टेशन अधीक्षक को देना होगा। टिप्पणी : पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज (क) विकास आयुक्त हस्तशिल्प, विकास आयुक्त हथकरघा या अपेक्षित राज्य/केन्द्र सरकार प्राधिकरण द्वारा जारी कारीगर/बुनकर पहचान पत्र धारक। (ख) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)/ राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी)/खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) आदि के साथ नामांकित/पंजीकृत व्यक्तिगत कारीगर/बुनकर/शिल्पकार। (ग) पीएमईजीपी (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) के साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूह। (घ) समाज के हाशिए पर या कमजोर वर्ग। महिला स्वयं सहायता समूह प्रतिभाग कर सकते हैं परन्तु आरक्षण का प्रावधान नहीं है।
---	--	--	--

		पर 06 OSOP यूनिट कार्यरत हैं		
5	जन औषधि केंद्र	प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (PMJAY) भारत सरकार की एक योजना है, जिसके तहत सस्ती दवाइयों की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, सरकार जनऔषधि केंद्रों को स्थापित करके जेनेरिक दवाइयों को सबसे कम कीमत पर उपलब्ध करवाती है। योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर ये स्टाल लगा है।	व्यक्तिगत D-pharma/ B-pharma डिग्रीधारक अथवा संस्था /NGO जो B-pharma/ D-pharma व्यक्ति को स्टाल पर नियुक्त करे	निविदा में आवेदन करने हेतु आवेदक के पास वैध D-pharma/B-pharma की डिग्री होना आवश्यक है। ₹50,000 की जमानत राशि को निविदा के – दौरान जमा करना होता है। Website: https://www.ireps.gov.in/
6	समाज सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित बुक स्टाल	समाज सेवी संस्था गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार स्टेशन पर बुक स्टाल संचालित किया जाता है, जिस पर उत्तम चरित्र के निर्माण हेतु पुस्तकें कम मूल्य पर उपलब्ध हैं।	समाज सेवी संस्था	परोपकारी और सामाजिक संगठन के पास समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए पुस्तकों और पत्रिकाओं का अपना प्रकाशन होना चाहिए। 2) ऐसे संगठनों को सोसायटी या ट्रस्ट या कंपनी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए यानी सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी या ट्रस्ट डीड के तहत गठित ट्रस्ट या आयकर अधिकारियों के साथ पंजीकृत; या इन संगठनों की धारा 8 के तहत धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए निगमित लिमिटेड कंपनी को इस प्रमाणपत्र के साथ सीईओ शीर्षक संलग्न करना होगा। परोपकारी और सामाजिक संगठन की श्रेणी के

				तहत बुकस्टॉल के आवंटन के लिए जोनल रेलवे को ऐसे संगठनों के आवेदन निम्नलिखित के साथ होने चाहिए। 3) उपरोक्त के अतिरिक्त प्रमाणपत्र; (i) आयकर विभाग के साथ संगठन के पंजीकरण का प्रमाण पत्र। आयकर अधिनियम की धारा 12(ए) के तहत इसके पंजीकरण के संबंध में, 1961: और (ii) आयकर विभाग से राजपत्र अधिसूचना (धारा 35एसी के लिए) या छूट प्रमाणपत्र (धारा 80जी के लिए)। जैसे कि संगठन को दिए गए दान को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 एसी या 80 जी या दोनों के तहत छूट दी गई है। Website:https://www.ireps.gov.in/
--	--	--	--	--

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून। (RPO)



क्र सं	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन एवं चयन प्रक्रिया
1.	नए पासपोर्ट जारी करना: ► यदि पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आप नए पासपोर्ट (सामान्य/सरकारी/डिप्लोमेटिक पासपोर्ट) के लिए आवेदन कर सकते हैं।	पासपोर्ट जारी करण	भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अन्य पात्रताओं व अपेक्षित दस्तावेजों के लिए दायें कॉलम में लिखित लिंक देखें।	आवेदन करने से पहले निम्नलिखित लिंक देखें : सूचना कार्नर-फार्म एवं शपथ पत्र-दस्तावेज सलाहकार https://portal2.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/welcomeLink?request_locale=hi_IN&language=hi_IN# आवेदन के लिए पंजीकरण के लिए निम्नलिखित लिंक देखें https://portal2.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/user/RegistrationBaseAction?request_locale=en आवेदन कैसे करें (सामान्य) https://passportindia.gov.in/AppOnlineProject/online/procEFormSub आवेदन कैसे करें (सरकारी/ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट) https://passportindia.gov.in/AppOnlineProject/online/procDiplomaticFormSub
2.	निम्न कारणों से पासपोर्ट पुनः जारी करना:	पासपोर्ट जारी	भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अन्य	पुनः पासपोर्ट हेतु आवेदन के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें https://portal2.passportindia.gov.in/AppO

	➤ वर्तमान व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन। ➤ वैधता 3 वर्ष के भीतर समाप्त हो गई/एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली है। ➤ वैधता 3 वर्ष से अधिक समय पहले समाप्त हो गई। ➤ पासपोर्ट में पन्नें पूरे भर गये हैं। ➤ पासपोर्ट क्षतिग्रस्त या पासपोर्ट खो गया।	करण	पात्रताओं व अपेक्षित दस्तावेजों के लिए दायें कॉलम में लिखित लिंक देखें	nlineProject/user/RegistrationBaseAction?request_locale=en पुनः पासपोर्ट जारी के दस्तावेज सलाहकार की जानकारी के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें https://portal2.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/docAdvisor/reissuePassport
3.	विविध सेवार्य : ➤ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) जारी करना। ➤ ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम (जीईपी) के लिए पृष्ठभूमि सत्यापन: अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमासुरक्षा ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम (जीईपी) के साथ नामांकित भारतीय नागरिकों के लिए पृष्ठभूमि सत्यापन करना। ➤ समर्पण (सरेंडर) प्रमाणपत्र: भारतीय नागरिकता त्यागने और विदेशी राष्ट्रियता प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों में भारतीय पासपोर्ट धारक को भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करना।	संबंधित सेवा का जारी करण	इन सेवाओं के लिए आवेदक के पास वैध भारतीय पासपोर्ट होना आवश्यक है। अन्य आवश्यक दस्तावेजों तथा निर्धारित आवेदन प्रक्रिया के लिए दायें कॉलम में लिखित लिंक देखें	पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) आवेदन करने के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें https://portal2.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/online/pccOnlineApp ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम (जीईपी) आवेदन करने के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें https://portal2.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/online/gepOnlineApp समर्पण (सरेंडर) प्रमाणपत्र आवेदन करने के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें https://portal2.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/online/procFormSc

विदेश मंत्रालय
प्रवासी जुड़ाव प्रभाग
भारतीय प्रवासियों का कल्याण



प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं/कार्यक्रम/सेवाएं इस प्रकार हैं :

1. प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार (पीबीएसए) : पीबीडी सम्मेलन के दौरान, भारत के माननीय राष्ट्रपति लगभग तीस (30) प्रतिष्ठित भारतीय प्रवासी सदस्यों को प्रतिष्ठित 'प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार' (पीबीएसए) से सम्मानित करते हैं, जो किसी अनिवासी भारतीय (एनआरआई), भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) या एनआरआई या पीआईओ द्वारा स्थापित और संचालित किसी संगठन या संस्था को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जिन्होंने भारत के भीतर या विदेश में

असाधारण सामाजिक और मानवीय कार्यों जैसे भारत के विकास में योगदान के लिए, भारत और अपने मेजबान देश के बीच सेतु बनाने के लिए या अपने देश में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पीबीएसए पुरस्कार विजेता विभिन्न क्षेत्रों में हमारे प्रवासी समुदाय द्वारा हासिल की गई जीवंत उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करते हैं। 17वें पीबीडी सम्मेलन तक, 296 पीबीएसए पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं।

2. प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम (एसपीडीसी) : प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम (एसपीडीसी) शैक्षणिक वर्ष 2006-07 में भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) और अनिवासी भारतीयों के बच्चों के लिए शुरू किया गया था ताकि वे भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रम कर सकें और भारत को उच्च अध्ययन के केंद्र के रूप में बढ़ावा दे सकें। एसपीडीसी योजना के तहत व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन शुल्क, प्रवेश शुल्क और प्रवेश के बाद की सेवाओं के लिए 4000 अमेरिकी डॉलर तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मंत्रालय इस योजना के तहत हर साल 150 छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है, जिनमें से 50 ईसीआर देशों में भारतीय श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। ईसीआर देशों में भारतीय कामगारों के बच्चों के लिए आरक्षित 50 स्लॉट में से 1/3 स्लॉट (यानी 17) ईसीआर देशों में भारतीय कामगारों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं जो भारत में पढ़ रहे हैं, सभी श्रेणियों में 50 प्रतिषट सीटों पर महिला आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि इनमें से कोई भी सीट नहीं भरी जाती है, तो उन्हें एसपीडीसी के तहत अन्य श्रेणियों के आवेदकों के लिए उपलब्ध कराया जाना है और इसके विपरीत। हाल ही में, इस योजना के तहत मेडिकल कोर्स को भी शामिल किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में एसपीडीसी दिशानिर्देशों में संशोधन के बाद, छात्रवृत्ति प्रदान करने के मानदंड इस प्रकार हैं :

- एसपीडीसी का लाभ दुनिया भर के भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) और अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के बच्चों द्वारा उठाया जा सकता है।
- एसपीडीसी 17 से 21 वर्ष की आयु के आवेदकों के लिए खुला है।
- सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को विदेश से ग्रेड 11 और ग्रेड 12 पास होना चाहिए। हालांकि, ईसीआर देशों में भारतीय श्रमिकों के बच्चों की श्रेणी के तहत कोटा के तहत आवेदन करने के लिए, जो भारत में पीछे रह गए हैं, उम्मीदवार को भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा प्रणाली से वरिष्ठ माध्यमिक (10 + 2) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- एक आवेदक/उम्मीदवार जिसने योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की है और भारत में एक नामित संस्थान में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है। भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा मान्यता प्राप्त 'ए' ग्रेड संस्थान और यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), योजना और वास्तुकला स्कूल और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) डीएएसए योजना के माध्यम से, और अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, एसपीडीसी के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है।
- अभ्यर्थी को भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत कोई अन्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता या कोई अन्य सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
- अभ्यर्थी की कुल मासिक घरेलू आय ईसीआर देशों के अलावा अभ्यर्थी के निवास के देशों में 5000 अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। ईसीआर देशों के लिए, अभ्यर्थी/आवेदक के माता-पिता की कुल घरेलू मासिक आय 3000 अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- नेपाल में रहने वाले भारतीयों के बच्चे भी निम्नलिखित दो मानदंडों को पूरा करने पर एसपीडीसी के लिए पात्र होंगे : (ए) दोनों माता-पिता को नेपाल में मिशन/पोस्ट में कम से कम दो साल की अवधि के लिए पंजीकृत होना चाहिए, और (बी) आवेदक ने आवेदन करने से पहले नेपाल में कक्षा XI और XII में दो साल की स्कूली शिक्षा पूरी की होनी चाहिए।

3. भारतीय समुदाय कल्याण कोष : भारतीय समुदाय कल्याण कोष की स्थापना 2009 में 17 ईसीआर देशों और मालदीव में भारतीय मिशनों में कैबिनेट की मंजूरी के साथ की गई थी। इसके बाद, मार्च 2011 में इसे विदेशों में सभी मिशनों और पोस्टों तक बढ़ा दिया गया। ये सेवाएँ भारतीय मिशनों द्वारा विदेशी देशों में संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों को सबसे योग्य मामलों में साधन-परीक्षण के आधार पर दी जाती हैं। संकटग्रस्त प्रवासी भारतीयों को कोष सहायता मंत्रालय के भारतीय समुदाय कल्याण कोष के दिशानिर्देशों द्वारा शासित होती है, जिन्हें 1 सितंबर 2017 से संशोधित किया गया था ताकि विदेश में संकटग्रस्त भारतीयों के लिए अधिक कल्याणकारी गतिविधियों को शामिल करके योजना के दायरे का विस्तार किया जा सके।

2017 के संशोधित आईसीडब्ल्यूएफ दिशानिर्देशों में तीन अलग-अलग खंड हैं, जो विभिन्न आईसीडब्ल्यूएफ सहायता योजनाओं की व्यापक रूपरेखा दर्शाते हैं – **खंड ए** – संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों के लिए व्यक्तिगत वित्तीय सहायता, **खंड बी** – सामुदायिक कल्याण गतिविधियाँ और **खंड सी**—

कांसुलर सेवाओं में सुधार। आईसीडब्ल्यूएफ योजना में अब व्यय वहन करने, प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए पात्रता के मानदंड तय करने और पहले की योजना की तुलना में आईसीडब्ल्यूएफ योजना की व्यापक कवरेज के लिए विस्तृत प्रावधान हैं। संशोधित दिशानिर्देश ने उन दिनों की संख्या बढ़ा दी है जिनके लिए बोर्डिंग और लॉजिंग पर सहायता प्रदान की जा सकती है। संशोधित दिशानिर्देश में डॉक्टर की सिफारिश पर एक परिचर के साथ गंभीर बीमारी या चोट के कारण विकलांग व्यक्तियों के मामले में संकटग्रस्त भारतीयों को हवाई मार्ग प्रदान करने के मानदंडों का विवरण प्रदान किया गया है। कानूनी सहायता के मामले में, अपने प्रवासी भारतीय/विदेशी पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को कानूनी/वित्तीय सहायता के लिए 2017 के दिशानिर्देशों में एक अलग अनुलग्नक जोड़ा गया है। आईसीडब्ल्यूएफ सहायता के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यय करने के लिए होम/एचओपी की वित्तीय शक्तियों को निर्दिष्ट किया गया है। मिशन/पोस्ट मंत्रालय से अनुमोदन भी मांग सकते हैं, जहां प्रस्तावित व्यय प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत कवर नहीं किया जा सकता है या प्रदान की जाने वाली सेवाएं दिशा-निर्देशों में शामिल नहीं हैं। विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए अधिकतम 10,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष व्यय के साथ मजबूत समर्थन प्रदान किया गया है, जिसमें प्रवासी भारतीयों द्वारा भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन और भारतीय भाषाओं, कला रूपों को पढ़ाने वाले शिक्षकों/संकाय को मानदेय का भुगतान शामिल है। भारतीय छात्रों के कल्याण के लिए, मिशन/पोस्ट छात्रों की संख्या के आधार पर प्रति वर्ष 1500 अमेरिकी डॉलर से 20,000 अमेरिकी डॉलर तक खर्च कर सकते हैं। आईसीडब्ल्यूएफ के तहत कांसुलर सेवाओं में सुधार एक नया क्षेत्र है और इसका व्यापक रूप से योजना के खंड सी में उल्लेख किया गया है, ताकि प्रवासी भारतीयों को बेहतर कांसुलर पहुँच प्रदान की जा सके। मिशन इस निधि का उपयोग कांसुलर बुनियादी ढांचे में सुधार, हेल्पलाइन स्थापित करने, वॉक-इन संसाधन केंद्र आदि के लिए कर सकता है। विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र संकट के समय विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों और उनके आश्रितों को साधन-परीक्षण के आधार पर आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) का भी उपयोग करते हैं।

4. प्रस्थान-पूर्व अभिमुखीकरण प्रशिक्षण (पीडीओटी) : विदेश मंत्रालय द्वारा जनवरी 2018 में पीडीओटी कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से खाड़ी और अन्य ईसीआर देशों में जाने वाले भारतीय प्रवासी श्रमिकों के कौशल को बढ़ाना था। इस कार्यक्रम के तहत, प्रवासी श्रमिकों को गंतव्य देश की संस्कृति, भाषा, परंपरा और स्थानीय नियमों और विनियमों को समझने में सक्षम बनाने के लिए निःशुल्क एक दिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिया जाता है। अभिमुखीकरण प्रशिक्षण प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित और कानूनी प्रवास के मार्गों और उनके कल्याण और सुरक्षा के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करने में भी मदद करता है। यह पहल सफल रही है और इसे आगे भी बढ़ाया जा रहा है। पीडीओटी प्रशिक्षण के लिए संसाधन सामग्री जैसे पीडीओटी पर प्रशिक्षकों के लिए मैनुअल और प्रवासी श्रमिकों के लिए पीडीओटी पर पुस्तिका मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। प्रवासी श्रमिकों के लिए आठ भाषाओं अर्थात् हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी और उर्दू में पुस्तिकाएं विकसित की गई हैं। ये पुस्तिकाएं विभिन्न केंद्रों पर एक दिवसीय पीडीओ प्रशिक्षण में भाग लेने वाले भावी प्रवासी श्रमिकों को वितरित की जाती हैं। वर्तमान में पीडीओटी 36 केंद्रों पर दी जा रही है, जिनमें से 14 एनएसडीसी द्वारा प्रबंधित हैं और 22 राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित केंद्र हैं। मंत्रालय राज्य सरकारों को प्रति उम्मीदवार 500 रुपये की दर से अभिविन्यास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए धनराशि प्रदान कर रहा है।

5. प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) : प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) ईसीआर देशों में जाने वाले सभी उत्प्रवास जाँच अपेक्षित (ईसीआर) श्रेणी के श्रमिकों के लिए एक अनिवार्य बीमा योजना है। यह योजना आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में 10 लाख रुपये का बीमा कवर और दो साल के लिए 275 रुपये या तीन साल की वैधता के लिए 375 रुपये के मामूली बीमा प्रीमियम पर अन्य लाभ प्रदान करती है। अगस्त, 2017 से प्रभावी संशोधित पीबीबीवाई योजना ईसीआर और ईसीएनआर पासपोर्ट धारकों दोनों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है और प्रवासी श्रमिकों के लाभ के लिए दावों का निपटान सरल बनाती है। ईसीआर देशों में जाने वाले ईसीआर पासपोर्ट धारकों द्वारा पीबीबीवाई का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है और यह भर्ती द्वारा किया जाता है। ईसीएनआर पासपोर्ट धारकों को पीबीबीवाई की सुविधा का लाभ उठाने के लिए ई-माइग्रेट पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है। बीमा कंपनियों के लिए पीबीबीवाई पॉलिसियां जारी करने के लिए ई-माइग्रेट पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य आवश्यकता है। ई-माइग्रेट पोर्टल पीबीबीवाई पॉलिसी की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर उसका ऑनलाइन नवीनीकरण करने की सुविधा प्रदान करता है। पीबीबीवाई अब निम्नलिखित के लिए प्रावधान करता है :

क. नियोक्ता, कर्मचारी के स्थान और कार्य के स्थान में परिवर्तन के बावजूद वैश्विक कवरेज,

ख. विदेश में भारतीय मिशनों/पोस्टों द्वारा आकस्मिक मृत्यु/स्थायी विकलांगता के प्रमाणन की बीमा कंपनियों द्वारा स्वीकृति;
और

ग. नामिती(यों) को बीमा पॉलिसी की ऑनलाइन नवीनीकरण और प्रति उपलब्ध कराने की सुविधा।

जब भी दावों के निपटान के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त होता है, तो मंत्रालय शीघ्र निपटान के लिए संबंधित बीमा कंपनियों के साथ मामले को उठाता है।

6. मदद पोर्टल: सरकार द्वारा सुशासन पहल के एक भाग के रूप में, एक ऑनलाइन व्यापक शिकायत निवारण पोर्टल – मदद – फरवरी 2015 में शुरू किया गया था। यह संकट में फंसे सभी भारतीय नागरिकों के लिए सुलभ है, जिसमें विभिन्न कारणों से विदेश में फंसे लोग भी शामिल हैं। मदद को वेबसाइट (www.madad.gov.in) या मोबाइल ऐप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। शिकायतें CPGRAMS पोर्टल पर भी दर्ज की जा रही हैं और उनका समाधान किया जा रहा है। विदेश में सभी भारतीय मिशन और पोस्ट तथा चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में विदेश मंत्रालय के शाखा सचिवालय वाणिज्य दूतावास शिकायत ट्रेकिंग और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। विदेश में भारतीय मिशन/पोस्ट शिकायतों पर कार्रवाई करते हैं और नियमित रूप से स्थिति को अपडेट करते हैं। मदद पोर्टल की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है। मदद के अंतर्गत निपटाई जा रही शिकायतों में प्रत्यावर्तन, पार्थिव शरीर का परिवहन, मृत्यु मुआवजा, कार्य संबंधी समस्याएं, कारावास मामले, वैवाहिक विवाद, अज्ञात ठिकाने के मामले, काउंसलर सेवाएं, पासपोर्ट मुद्दे, अदालती मामले, छात्रों के मुद्दे आदि सहित कई तरह के काउंसलर मुद्दे शामिल हैं। बहुभाषी कॉल सेंटर, छात्र पंजीकरण, कैदी मॉड्यूल, पोर्टल 'ई-माइग्रेट' के साथ एकीकरण, भारत में राज्य सरकारों के साथ एकीकरण, भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष के माध्यम से सहायता के लिए मॉड्यूल आदि को पोर्टल के दायरे में जोड़ा गया है। मदद के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। ट्विटर सेवा (@meaMADAD) भी मार्च 2017 में लॉन्च किया गया था ताकि ट्विटर पर प्राप्त शिकायतों का प्रबंधन और जवाब दिया जा सके।

7. उत्प्रवास मंजूरी (ईसी) : उत्प्रवास जांच आवश्यक (ईसीआर) पासपोर्ट धारकों को 18 नामित ईसीआर देशों अर्थात् अफगानिस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण सूडान, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन में रोजगार के लिए विदेश जाने पर उत्प्रवास मंजूरी (ईसी) की आवश्यकता होती है। विदेश मंत्रालय, उत्प्रवासियों के संरक्षक जनरल के माध्यम से और 16 प्रवासियों का संरक्षक, ईसीआर देशों में रोजगार के लिए जाने वाले श्रमिकों को उत्प्रवास मंजूरी (ईसी) प्रदान करता है।

8. उत्प्रवास में कल्याणकारी उपाय और ई-गवर्नेंस – ई-माइग्रेट: परियोजना 2015 में शुरू की गई ई-माइग्रेट परियोजना, रोजगार के उद्देश्यों के लिए अधिसूचित देशों में प्रवास करने वाले ईसीआर श्रेणी के श्रमिकों के उत्प्रवास को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह पोर्टल भर्ती प्रक्रिया संचालित करने के लिए पूरी तरह से डिजिटल बी-2-बी प्लेटफॉर्म के रूप में एफई (विदेशी नियोक्ता) और आरए के लिए संपर्क रहित और कागज रहित प्रक्रिया प्रदान करता है। पोर्टल पूरे उत्प्रवास चक्र को तेज, पारदर्शी बनाने के लिए मिशनों, आरए, एफई और बीमा एजेंसियों को प्रवासियों का एक व्यापक और ऑनलाइन डेटाबेस भी प्रदान करता है। ई-माइग्रेट प्रणाली को पंजीकृत किए जा रहे ईसीआर श्रेणी के श्रमिकों के पासपोर्ट विवरणों के सत्यापन के लिए मंत्रालय की पासपोर्ट सेवा परियोजना (पीएसपी) के साथ एकीकृत किया गया है। ई-माइग्रेट को गृह मंत्रालय के आव्रजन ब्यूरो (बीओआई) प्रणाली के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिसका उपयोग आव्रजन चेक पोस्ट (आईसीपी) और हवाई अड्डों पर पीओई द्वारा दिए गए ईसी के ऑनलाइन सत्यापन के लिए किया जाता है।

9. प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) और क्षेत्रीय प्रवासी सहायता केंद्र (केपीएसके) : प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की स्थापना 2008 में प्रवास से संबंधित मामलों पर सूचना प्रसार और प्रवासी श्रमिकों, संभावित प्रवासियों या उनके परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों/मित्रों से प्राप्त शिकायतों का पंजीकरण, जवाब देने और निगरानी करने के लिए की गई थी। प्रवासी भारतीय श्रमिकों से संबंधित सभी मामलों पर मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए नई दिल्ली और दुबई (यूएई), शारजाह (यूएई), रियाद, जेद्दा (सऊदी अरब) और कुआलालंपुर (मलेशिया) में पीबीएसके स्थापित किए गए हैं। पीबीएसके के अलावा, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई, पटना और कोच्चि में 6 क्षेत्रीय प्रवासी सहायता केंद्र (केपीएसके) भी स्थापित किए गए हैं, ताकि प्रवासियों या उनके रिश्तेदारों को विदेश में रोजगार से जुड़ी समस्याओं/शिकायतों के निवारण में सहायता मिल सके। ये केंद्र प्रवासियों की सहायता के लिए स्थानीय प्रवासी संरक्षक (पीओई) कार्यालय के साथ समन्वय में काम करते हैं।

10. विदेश में मरने वाले भारतीयों के पार्थिव अवशेषों का परिवहन : विदेश मंत्रालय के पास संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए विदेश स्थित सभी मिशनों/केंद्रों के साथ समन्वय करने के लिए सुस्थापित तंत्र/एसओपी हैं, जिसमें मृत्यु के मामलों में, स्थानीय दाह संस्कार/दफन या पार्थिव अवशेषों को भारत में उनके गृहनगरों में ले जाना और बीमा/मुआवजा दावों का निपटान शामिल है। विदेश में मरने वाले भारतीयों के पार्थिव अवशेषों के परिवहन में स्थानीय अधिकारियों द्वारा ऐसे शव/शवों को भारत ले जाने की अनुमति देने से पहले कुछ औपचारिकताएँ पूरी करना शामिल है। यदि मृत्यु अप्राकृतिक है, तो पुलिस जाँच पूरी की जानी है। ऐसे मामलों के लिए सभी भारतीय मिशनों/केंद्रों में एकल खिड़की मंजूरी मौजूद है। जैसे ही किसी भारतीय नागरिक की मृत्यु की सूचना विदेश में संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट को मिलती है, वे स्थानीय विदेश कार्यालय और अन्य संबंधित अधिकारियों से भारतीय नागरिक की मृत्यु के कारण के बारे में रिपोर्ट मांगकर सक्रिय कार्रवाई करते हैं। विदेश में हमारे

मिशन/पोस्ट मृतक भारतीय नागरिक के निकटतम रिश्तेदारों को सूचित करते हैं, और मृतक के परिवार की इच्छा के अनुसार शव को भारत लाने या स्थानीय स्तर पर दफनाने की सुविधा प्रदान करते हैं।

11. पासपोर्ट सेवाएँ : मंत्रालय पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बना रहा है। शुल्क के भुगतान और नियुक्तियों आदि के निर्धारण सहित आवेदन की अंतिम प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। पासपोर्ट पोर्टल (www.passportindia.gov.in) भारत में कहीं से भी और किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ है। आवेदक भारत में कहीं से भी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है। इस नागरिक-अनुकूल पहल ने आवेदकों को पासपोर्ट कार्यालय (पीओ) और इस प्रकार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) के तहत वांछित पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) / डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) चुनने में सक्षम बनाया है, जहां वे अपना आवेदन जमा करना चाहते हैं, भले ही आवेदन पत्र में निर्दिष्ट वर्तमान आवासीय पता चयनित आरपीओ के अधिकार क्षेत्र में आता हो या नहीं। नागरिक mPassportSeva मोबाइल ऐप पर पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए उन्हें कंप्यूटर और प्रिंटर की आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय के mPassport पुलिस ऐप का उपयोग पुलिस अधिकारियों द्वारा आवेदकों के पिछले रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए कागज रहित डिजिटल प्रवाह में किया जा रहा है। इसके अलावा, डिजिलॉकर को PSP प्रणाली के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है, जिससे नागरिक कागज रहित मोड में डिजिलॉकर के माध्यम से पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवश्यक विभिन्न दस्तावेज जमा कर सकते हैं। सरकार ने पासपोर्ट नीति और नियमों को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे नागरिकों के लिए आवेदन करना और पासपोर्ट प्राप्त करना आसान हो गया है। पासपोर्ट के शीघ्र जारी करने के लिए एक 'तत्काल योजना' है, जिसमें पासपोर्ट आवेदन के साथ 13 सूचीबद्ध दस्तावेजों (संदर्भ अनुलग्नक 1) में से 03 दस्तावेज जमा किए जाने हैं। इस योजना के तहत किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन प्रमाणपत्र या किसी तात्कालिकता के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पासपोर्ट जारी होने के बाद पुलिस सत्यापन किया जाता है। आवेदकों द्वारा दिए जाने वाले सभी अनुलग्नक सादे कागज पर स्व-घोषणा के रूप में होंगे। सत्यापन/नोटरी की अब आवश्यकता नहीं है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने के लिए, सरकार ने पुरुष से महिला या इसके विपरीत लिंग परिवर्तन के बाद पासपोर्ट में नाम और लिंग परिवर्तन के उद्देश्य से ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत जारी किए गए पहचान प्रमाण पत्र/पहचान पत्र को स्वीकार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

दस्तावेजों का सत्यापन :- मंत्रालय में सत्यापन प्रकोष्ठ विदेशों में व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए व्यक्तियों के शैक्षिक, वाणिज्यिक और व्यक्तिगत दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए सत्यापन सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, भारतीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी निर्यात के साथ-साथ विदेशों में अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा सत्यापित वाणिज्यिक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। दस्तावेज के एपोस्टिल के लिए 50 रुपये का शुल्क देय है। (21 दिसंबर 2016 से पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से भुगतान बंद कर दिया गया है।) सामान्य सत्यापन निःशुल्क किया जाता है।

केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, देहरादून। (CGST)



क्र० सं०	योजना/ सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	उपभोक्ता कल्याण कोष	किसी परियोजना के लिए सहायता— अनुदान की मात्रा/राशि चयन समिति द्वारा मामले/ दर — मामले आधार पर तय की जाएगी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड नई दिल्ली के अधीन कोई भी फॉर्मेशन/अन्य विभाग/ मंत्रालय/ निजी संस्थान/ एन.जी.ओ जिनकी उपस्थिति पूरे देश में हो वे वस्तु एवं सेवाकर पर उपभोक्ता जागरूकता या प्रचार के लिए जीएसटी उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता के लिए अपने मुख्यकय के माध्यम से प्रस्ताव भेज सकते हैं।	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड को सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 97(7ए) के राशि के अनुसार उपलब्ध कराई गई निधि की राशि में से अनुदान राशि के प्रस्ताव/आवेदन की जाँच प्रक्रिया को सलेक्शन कमेटी द्वारा अप्रैजल कमेटी की सिफारिश के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है। अप्रैजल कमेटी द्वारा सभी प्राप्त आवेदनों की जाँच की जाती है तत्पश्चात शार्ट लिस्टिंग और अनुमोदन के लिए सलेक्शन कमेटी को भेजा जाता है। सलेक्शन कमेटी का निर्णय अन्तिम होता है। इसके अलावा, जीएसटी परिषद द्वारा अपनी बैठकों में लिये गये निर्णयों को सीबीआईसी, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से आम जनता के ध्यान में लाया जाता है और इसका कार्यान्वयन सीजीएसटी आयुक्त, देहरादून द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में किया जाता है। उपभोक्ता कल्याण कोष समस्त विवरण केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की वेबसाइट के यूआरएल https://cbic.gov.in/entities/cbic-content-mst/MTcwMDA%3D पर उपलब्ध है।
2	जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया	जीएसटी पंजीकरण समस्त विवरण जैसे पंजीकरण की प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज इत्यादि cbic.gov.in तथा gst.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।		
3	यदि कोई जीएसटी कर चोरी करे, तो संबंधित सूचना कहाँ दी जा सकती है।	जीएसटी कर चोरी करने पर शिकायत पटल/नंबर जीएसटी चोरी की शिकायत CBIC Grievance Redressal Cell, New Delhi की ईमेल mitra-cbic@gov.in पर दर्ज की जा सकती है अथवा सीजीएसटी आयुक्तालय, देहरादून के क्षेत्राधिकार (समस्त उत्तराखंड) के अंतर्गत होने वाली जीएसटी चोरी की शिकायत ईमेल grievance.cgstddn@gov.in पर दर्ज की जा सकती है।		

आयकर विभाग, देहरादून



क्रम संख्या	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	आयकर सेवा केन्द्र	आयकर से संबंधित किसी भी तरह की डाक दी जा सकती है।	भारत के समस्त नागरिक	आयकर सेवा केन्द्र में आयकर विभाग से संबंधित पूछ-ताछ की जा सकती है। आवेदन/ शिकायत/ प्रार्थना पत्र/ आयकर विवरणी दी जा सकती है। आयकर नोटिस का उत्तर जमा किया जा सकता है।
2.	ई-फाइलिंग	घर बैठे कोई भी करदाता समय से अपनी आयकर विवरण ऑनलाइन ई-फाइलिंग के माध्यम से जमा कर सकता है।	भारत के समस्त नागरिक	https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ उपरोक्त लिंक पर जाकर कोई भी करदाता अपनी आयकर विवरणी जमा कर सकता है व अपनी पुरानी आयकर विवरणी की पूरी जानकारी देख सकता है। आयकर नोटिस का उत्तर ऑनलाइन माध्यम से दे सकता है। आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकता है। अपना कर जमा कर सकता है व आयकर से संबंधित अन्य कार्य कर सकता है।
3.	80 वर्ष से अधिक		80 वर्ष से अधिक के	80 वर्ष से अधिक के करदाता को ऑनलाइन ई-फाइलिंग करने में छूट दी गई है।

	करदाता को ऑनलाईन ई-फाइलिंग में छूट		करदाता जिसकी आय पेंशन व ब्याज से है।	
4.	AIS App	AIS पर कोई भी करदाता अपने वित्त वर्ष के दौरान किये गये लेन-देन देख सकता है।	भारत के समस्त नागरिक	AIS पर अपना वित्तीय लेन-देन देख कर ही अपनी आयकर विवरणी उस अनुसार जमा करनी चाहिए जिससे आयकर विवरणी व 26 AS मेल खाये।
5.	CPC	करदाता आयकर विवरणी ऑनलाइन भर सकता है तथा रिफण्ड आसानी से मिल जाता है।	भारत के समस्त नागरिक	करदाता अपनी आयकर विवरणी ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन भरता है तथा उसकी प्रोसेसिंग सी.पी.सी. बैंगलूरु द्वारा तुरन्त किया जाता है तथा कर दाता को बिना विलम्ब के रिफण्ड मिल जाता है।
6.	Grievance Redressal	करदाता घर बैठे शिकायत दाखिल कर सकता है।	भारत के समस्त नागरिक	1. ई-निवारण यदि किसी करदाता को कोई कर सम्बन्धी शिकायत है तो वह ई-निवारण के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है तथा उसकी शिकायत का तुरन्त निस्तारण किया जाता है। 2. CPGRAM करदाता अपने कर सम्बन्धी शिकायत CPGRAM के माध्यम से भी दर्ज कर सकता है, जिसकी उच्च स्तर से निगरानी की जाती है तथा इसका निस्तारण तुरन्त किया जाता है।
7.	चेहरा रहित योजना	कर निर्धारण कार्य ऑनलाइन मोड में किया जाता है।	भारत के समस्त नागरिक/समस्त करदाता	आयकर विभाग द्वारा कर निर्धारण का कार्य चेहराबिहीन प्रणाली द्वारा किए जाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें करदाता आयकर विभाग द्वारा जारी किये गये नोटिसों के उत्तर ऑनलाइन दे सकते हैं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून (NHAI)



संक्षिप्त परिचय :- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 "राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंध के लिए एक प्राधिकरण का गठन करने तथा उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम" के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को, अन्य छोटी परियोजनाओं सहित, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का काम सौंपा गया है जिसमें 50,329 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन करना शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के अन्दर एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रियों के आवागमन और माल को लाने-ले जाने हेतु महत्वपूर्ण सड़कें होती हैं। ये सड़कें देश में लम्बाई और चौड़ाई में आर-पार फैली

हुई हैं तथा राष्ट्रीय और राज्यों की राजधानियों, प्रमुख पत्तनों और रेल जंक्शनों, सीमा से लगी हुई सड़कों और विदेशी राजमार्गों को जोड़ती हैं। वर्ष 2017 में, सरकार ने भारत के अब तक के सबसे बड़े राजमार्ग विकास कार्यक्रम, भारतमाला परियोजना की घोषणा की, इसका फोकस लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने, मल्टीमॉडल और कुशल परिवहन, उपलब्ध करवाने देश में अंतिम छोर तक संपर्क और मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे में सुधार करने पर केंद्रित है। संबंधित कार्यों के लिए ठेके के निष्पादन हेतु स्वस्थ प्रतियोगिता को सुनिश्चित करने के लिए बोली मानदण्डों को अपनाने, उत्तम गुणवत्ता अपेक्षाओं के अनुरूप परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा प्रयोक्ताओं की सुख-सुविधा को देखने के लिए राजमार्ग प्रणाली के रख-रखाव के संबंध में यह सुनिश्चित करना है कि सभी संविदाओं के ठेके और प्रापण उद्योग की सर्वोत्तम परम्पराओं के अनुसार हों।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राजमार्गों पर आम नागरिकों हेतु निम्न सेवाएं भी प्रदान करता है :-

क्र. सं.	सेवा/ योजना का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	राष्ट्रीय राजमार्ग पर आम जनता के लिए टोल फ्री नंबर "1033"	आपातकालीन सहायता: दुर्घटना या अन्य आपातकालीन स्थितियों में तुरंत सहायता प्राप्त की जा सकती है। सूचना और मार्गदर्शन: यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की जानकारी या मार्गदर्शन के लिए कॉल कर सकते हैं। शिकायत निवारण: राजमार्ग पर होने वाली समस्याओं या असुविधाओं के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सुरक्षा सुनिश्चित करना: टोल फ्री नंबर के माध्यम से सुरक्षा बलों को सूचित कर सकते हैं, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित होती है। वाहन सेवाएं: वाहन खराब होने पर मदद प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि टोइंग सेवा या मरम्मत सेवा। 24x7 उपलब्धता: यह सेवा 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध रहती है, जिससे कभी भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। स्वास्थ्य सहायता: किसी भी स्वास्थ्य आपातकाल के समय मेडिकल सहायता प्राप्त की जा सकती है। यातायात और सड़क की स्थिति: यातायात जाम या सड़क की स्थिति के बारे में ताजा जानकारी प्राप्त कर	यह सेवा उन सभी भारतीय नागरिकों एवं वाहन चालकों के लिए उपलब्ध है, जो लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा कर रहे हैं।	आपको टोल फ्री नंबर 1033 पर कॉल करना होगा। यह सेवा 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध है। टोल फ्री कॉल सेंटर पर आपकी आवश्यकता के अनुसार विकल्पों में से एक का चयन करना होगा, जैसे कि आपातकालीन सहायता, सड़क की स्थिति, यात्रा संबंधित सुविधाएं आदि। आपको टोल फ्री सेवा के कर्मचारी से अपनी समस्या साझा करना होगा। आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। टोल फ्री सेवा के कर्मचारी आपकी समस्या को समझेंगे और उसका हल ढूंढने में मदद करेंगे। आपको उचित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाएगी।

		सकते हैं। इस प्रकार टोल फ्री नंबर 1033 का उपयोग करके यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जा सकता है।		
2	टोल शुल्क में दी गयी छूट प्राप्त फास्टैग	टोल शुल्क में छूट: मुफ्त फास्टैग का उपयोग करके यात्रा करने वालों को टोल शुल्क में छूट प्राप्त होती है, जिससे वे यात्रा के खर्च कम कर सकते हैं। यातायात में तेजी: फास्टैग का उपयोग करने से यात्रा का समय भी कम लगता है क्योंकि यात्री को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होती। ऑनलाइन रिचार्ज और प्रबंधन: मुफ्त फास्टैग को ऑनलाइन रिचार्ज किया जा सकता है और उसका प्रबंधन भी आसान होता है, जो यात्रियों को सुविधा प्रदान करता है। सुरक्षित यात्रा: फास्टैग के उपयोग से परिचालन कार्य सुविधाजनक बन जाता है और यात्रा की सुरक्षा भी बढ़ती है।	मुफ्त फास्टैग का उपयोग करने के लिए प्राथमिक आधारिक पात्रता होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि आपका वाहन फास्टैग योजना के लिए पंजीकृत होना चाहिए। कुछ विशेष श्रेणियों के लिए, जैसे कि एम्बुलेंस, आर्मेड फोर्स, राष्ट्रीय राजमार्ग पर गर्भवती महिलाएं, विकलांग जन, आपातकाल वाहन, आदि, टोल छूट के अधिकारी होते हैं। इन विशेष श्रेणियों में आने वाले वाहनों के लिए मुक्त फास्टैग आवंटित किया जा सकता है।	मुफ्त फास्टैग के लिए पहले ऑनलाइन पोर्टल (https://exemptedfastag.nhai.org/Exemptedfastag) पर लॉगिन करें। यदि आपके पास पहले से अकाउंट नहीं है, तो पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें। आपको पोर्टल पर मुक्त फास्टैग के लिए आवेदन करने का विकल्प मिलेगा। आवेदन करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करें, जैसे कि वाहन नंबर, वाहन का प्रकार, आदि। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे कि पंजीकरण प्रमाणपत्र, वाहन का प्रमाणपत्र, और अन्य संबंधित दस्तावेजों की स्कैन की कॉपी अपलोड करें। आवेदन की पुष्टि के बाद, फास्टैग आपके द्वारा भारा प्रा क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त किया जा सकता है इसे आप अपने वाहन में स्थापित करके इसका लाभ उठा सकते हैं।
3	देश भर में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों	राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से सड़क परिवहन को सुगम बनाने से विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। ये राजमार्ग व्यापारिक गति	राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की प्रक्रिया " नई दिल्ली के मुख्यालय से निविदा आमंत्रित करके निर्माण कंपनियों को आवंटित किए जाने के लिए आमंत्रित	पहले चरण में, नई दिल्ली के मुख्यालय के अधिकारी निर्माण के लिए एक योजना तैयार करते हैं। यह योजना राष्ट्रीय राजमार्ग के माप, लंबाई, चौड़ाई, और अन्य आवश्यक

	की प्रक्रिया	को बढ़ाने और स्थानीय व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।	किया जाता है।	विवरणों को शामिल करती है। एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है जिसमें योजना का सारांश, लागत का अनुमान, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी होती है। नई दिल्ली के मुख्यालय द्वारा निविदा का आमंत्रण जारी किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निर्माण कंपनियों को आवंटित किए जाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। एक समझौता के तहत, ठेकेदार के साथ सभी आवश्यक शर्तें तय की जाती हैं।
--	--------------	---	---------------	---

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय—उत्तराखण्ड (मकान नं० 58/37, बलबीर रोड, देहरादून-248001) के अन्तर्गत निम्न 04 परियोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यरत हैं—

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मकान नं० 181, शास्त्री पुरम, होटल गोदावरी के पास, दिल्ली रोड, रूड़की-247667 (उत्तराखण्ड) सी०यू०जी० न० 8130006114 ई-मेल : piuroorkee@nhai.org	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, तीसरी मंजिल, श्री गुरु अंगद देव जी कॉम्पलेक्स, नैनीताल रोड, रूद्रपुर-263153 (उत्तराखण्ड) सी०यू०जी० न० 8130006112 ई-मेल : pdpiurudrapur@nhai.org	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मकान नं० 3ए/2, सिद्धबली विहार कॉलोनी, कोटद्वार रोड, नजीबाबाद, जिला—बिजनौर-246763 (उत्तर प्रदेश) सी०यू०जी० न० 8130006113 ई-मेल : piunazibabad@nhai.org	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मकान नं० 171, चरण-1, वसंत विहार (देहरादून)-248006 (उत्तराखण्ड) सी०यू०जी० न० 8130006115 ई-मेल : piuvasantvihar@nhai.org
--	--	---	--

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI), जौलीग्रंट



क्र. स.	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया	चयन प्रक्रिया
1.	एस.एच.जी रिटेल शॉप	स्वयं सहायता समूह	राज्य सरकार द्वारा अधिकृत स्वयं सहायता समूह	राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा नामित स्वयं सहायता समूह	देहरादून हवाई अड्डे पर एस.एच.जी. रिटेल शॉप, हेतु आवेदन स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाता है आवेदन को सत्यापित करने के लिए देहरादून हवाई अड्डे के वाणिज्य अनुभाग द्वारा आवेदन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तराखण्ड के संबंधित अधिकारी को प्रेषित किया जाता है। तपश्चात आवेदन पर संबंधित अधिकारी की अनुमति के उपरांत स्वयं सहायता समूह को देहरादून हवाई अड्डे पर 15-15 दिनों के लिए रु0 1250 प्रति वर्ग मी स्पेस रेंट के आधार पर रिटेल शॉप आवंटित की जाती है। इसके अतिरिक्त कोई डाक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है।
2.	क्षेत्रीय उड़ान संपर्क योजना	संबंधित एयरलाइन एवं लोकल पब्लिक	विड qualify एयरलाइन	टेंडर द्वारा	भाविप्रा के निगमित मुख्यालय द्वारा

3.	सी.एस.आर. स्कीम	राज्य सरकार	राज्य सरकार द्वारा चयनित प्रोजेक्ट	राज्य सरकार द्वारा चयनित प्रोजेक्ट को जिलाधिकारी के द्वारा भाविप्रा के निगमित मुख्यालय को प्रेषित किया जाता है।	भाविप्रा निगमित मुख्यालय के सी.एस.आर. सेल द्वारा
4	रिजर्वेशन काउंटर	हवाई यात्री	विड qualify एजेंसी	टेंडर द्वारा	भाविप्रा की वाणिज्य पालिसी में निहित नियम एवं शर्तों के द्वारा
5	टोलफ्री नंबर के संबंध में	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए कोई टोल फ्री नंबर जारी नहीं किया गया है। हालांकि देहरादून हवाई अड्डे पर एयरलाइन्स/फ्लाईट से संबंधित जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइंस प्रबंधक को सम्पर्क किया जाता है एवं हवाई अड्डे पर किसी अन्य जानकारी/सुविधा/आपातकालीन स्थिति में ड्यूटी टर्मिनल प्रबंधक (9410770416) एवं सी.आई.एस.एफ. कंट्रोल रूम (7617579107) के दूरभाष पर सम्पर्क किया जाता है।			

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए0ए0आई0), पंतनगर

क्र0सं0	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया	चयन प्रक्रिया
1.	एयरपोर्ट विस्तारीकरण	लोकल पब्लिक, पर्यटक, उद्योग	विड qualify टेण्डर द्वारा	टेण्डर द्वारा	भाविप्रा के निगमित मुख्यालय द्वारा। राज्य सरकार द्वारा युकाडा के माध्यम से भाविप्रा पंतनगर को 524.00 एकड़ अतिरिक्त भूमि विस्तारीकरण हेतु प्रदान की गई।
2.	सी.एस.आर. स्कीम	राज्य सरकार	राज्य सरकार द्वारा चयनित प्रोजेक्ट	राज्य सरकार द्वारा चयनित प्रोजेक्ट को जिलाधिकारी के द्वारा भाविप्रा के निगमित मुख्यालय को प्रेषित किया जाता है।	भाविप्रा के निगमित मुख्यालय के सी.एस.आर. सेल द्वारा
3.	समर विंटर सारणी	सम्बन्धित एयरलाइन एवं लोकल पब्लिक		केन्द्र सरकार द्वारा	वर्तमान में भाविप्रा पंतनगर में नई दिल्ली, देहरादून बनारस एवं पिथौरागढ़ के लिये फ्लाईट समर विण्टर सारणी के अनुसार प्रचालन में है।

भारत संचार निगम लिमिटेड, देहरादून। (BSNL)



1) भारतनेट परियोजना:-

भारतनेट, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण दूरसंचार परियोजनाओं में से एक है, जिसे देश के सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2.5 लाख) में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25.10.2011 को राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन, अब भारतनेट) के निर्माण की परियोजना को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) जैसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के मौजूदा फाइबर का उपयोग करके ब्लॉक मुख्यालयों (बीएचक्यू) को जीपी से जोड़कर और जीपी तक कनेक्टिविटी के अंतर की खाई को पाटने के लिए अंतिम मील में वृद्धिशील फाइबर केबल बिछाकर ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

प्रदान करना है। सरकार वृद्धिशील ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) की मालिक है, और मौजूदा फाइबर का स्वामित्व बीएसएनएल के पास ही बना रहेगा। इसे भारतनेट का चरण माना गया, जिसका क्रियान्वयन बीएसएनएल द्वारा किया गया।

इस परियोजना के तहत ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किया जाता है। इस कार्य के सम्पादन हेतु उत्तराखंड राज्य में बीएसएनएल को दूरसंचार विभाग ने कार्यदायी संस्था बनाया है। बीएसएनएल इस परियोजना के तहत ग्राम पंचायत के अंतर्गत उपलब्ध ग्राम पंचायत भवन अथवा कोई और उपयुक्त सरकारी संस्थान (आंगनवाड़ी, सरकारी स्कूल इत्यादि) तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी पहुंचाई जाती है। इसके उपरान्त ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सुविधा के लिए ग्राम पंचायत एवं अन्य उपभोक्ताओं को स्वयं ही निकटतम दूरभाष केंद्र/उप मण्डल अभियंता/भारतनेट उद्यमी से सम्पर्क कर आवेदन करना होगा।

उत्तराखंड राज्य में 13 जिलों और 95 में से 30 ब्लॉको (बीएचक्यू सहित) के कुल 1849 ग्राम पंचायतों को भारतनेट चरण-1 परियोजना के अंतर्गत कवर किया गया है और शेष ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों को बीएसएनएल द्वारा संशोधित भारतनेट परियोजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा, जिसे भारत सरकार द्वारा शीघ्र ही लांच किया जाएगा।

भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ब्रॉडबैंड या इंटरनेट सेवाएं सरकारी संस्थानों जैसे स्कूल, अस्पताल, डाकघर, आंगनवाड़ी, पुलिस स्टेशन आदि को बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन (एफटीटीएच) के माध्यम से प्रदान की जा रही है। इस उद्देश्य के लिए उत्तराखंड सरकार और बीएसएनएल उत्तराखंड के बीच विशेष सहायता योजना या राज्य के नेतृत्व वाले मॉडल के तहत बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन (एफटीटीएच) कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उपरोक्त एमओयू प्रथम चरण के तहत लगभग 3100 बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन (एफटीटीएच) एवं द्वितीय चरण के तहत लगभग 1500 बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन (एफटीटीएच) प्रदान किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत ग्रामीण ग्राहकों को रियायती दरों पर बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन (एफटीटीएच) भी प्रदान किए जा रहे हैं, जिसके लिए उपभोक्ता निकटतम उपमण्डल अभियंता कार्यालय एवं दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता (टीआईपी) से सम्पर्क कर सकते हैं। देश में भारत नेट को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए बीएसएनएल ने भारत नेट उद्यमी योजना शुरू की है, जिसमें उत्तराखंड में 77 भारत उद्यमी भागीदारों की मदद से लगभग 11000 बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन (एफटीटीएच) प्रदान किए गए हैं। उत्तराखंड में बीएसएनएल के पास कुल 252 भारतनेट ओएलटी हैं, जिनमें से कुल 10317 भारतनेट एफटीटीएच कनेक्शन हैं। यदि किसी गाँव में मोबाइल नेटवर्क नहीं है लेकिन वहाँ पर यदि बीएसएनएल या भारतनेट की ऑप्टिकल फाइबर केबल उपलब्ध है तो वहाँ पर एफटीटीएच लग सकता है।

2) 4जी संतृप्ति परियोजना:-

उत्तराखंड परिमण्डल में बीएसएनएल ने दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए 4जी संतृप्ति परियोजना में 626 नए टावर लगाने की योजना बनाई है। कुल 626 टावरों में से बीएसएनएल उत्तराखंड ने बीओपी/बीआईपी श्रेणी में सीमा चौकी क्षेत्रों (आईटीबीपी, एसएसबी) के लिए 45 टावर प्रस्तावित किए हैं तथा इनमें से बीएसएनएल द्वारा उत्तराखंड में अब तक 240 टावर स्थापित किए जा चुके हैं एवं 4जी संतृप्ति परियोजना के 10 टावर से मोबाइल की 4जी सेवाएं भी शुरू कर दी गयी है।

4जी संतृप्ति परियोजना में बीएसएनएल ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 2617 गांवों को 4जी मोबाइल सिग्नल से कवर करेगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल सिग्नल प्रदान करने के लिए प्रस्तावित 45 बीओपी /बीआईपी टावरों से बीएसएनएल 86 सीमा चौकियों को कवर करेगा।

बीएसएनएल ने 3 जी से 4जी नेटवर्क में अपग्रेडेशन के लिए उत्तराखंड में मौजूदा 1296 साइटों की 9.2 परियोजना के तहत योजना बनाई है। जिनमें से बीएसएनएल उत्तराखंड ने 814 साइटों में 4 जी नेटवर्क चालू कर दिया है जिसके माध्यम से अधिकांश जिला मुख्यालय/तहसील मुख्यालय/ ब्लॉक मुख्यालय को 4 जी नेटवर्क में अपग्रेड किया जा चुका है।

बीएसएनएल व्यापार मॉडल

1. मोबाइल सेवाओं की बिक्री एवं वितरण के लिए कोई भी 10वीं पास व्यक्ति ग्रामीण वितरक (आर.डी.) एवं डाइरेक्ट सेलिंग एजेंट (डी.एस.ए.) बनकर, स्वरोजगार द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है। मोबाइल सेवाओं की बिक्री एवं वितरण के लिए बीएसएनएल के संबंधित व्यापार क्षेत्र के जिला मुख्यालय पर आवेदन करना होगा एवं अनुभव प्रमाण पत्र के साथ शैक्षिक प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आदि डॉक्युमेंट की आवश्यकता होती है, विभिन्न जिलों के बीएसएनएल कार्यालय का विवरण इस प्रकार से है
 - 1) कार्यालय महाप्रबंधक, बीएसएनएल क्रॉस रोड एक्सचेंज देहरादून।
 - 2) कार्यालय महाप्रबंधक, बीएसएनएल रोडवेज बस स्टैंड के पीछे, मायापुर हरिद्वार।
 - 3) कार्यालय महाप्रबंधक, बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज एनटीआर बिल्डिंग अल्मोड़ा।
 - 4) कार्यालय महाप्रबंधक, बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज आवास विकास हल्द्वानी।
 - 5) कार्यालय उप महाप्रबंधक बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज नई टिहरी।
 - 6) कार्यालय उप महाप्रबंधक बीएसएनएल मुख्य टेलीफोन एक्सचेंज, पौड़ी चुंगी के पास श्रीनगर (गढ़वाल),
2. भारत नेट उद्यमी योजना के तहत उत्तराखंड का कोई भी नागरिक बीएसएनएल उद्यमी पार्टनर बनकर व्यवसाय कर सकता है और साथ ही साथ बीएसएनएल में दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता (टीआईपी) बनकर भी फाइबर इन्टरनेट कनेक्शन (एफटीटीएच) का व्यवसाय कर सकता है। सम्पूर्ण जानकारी के लिए बीएसएनएल के नजदीकी कार्यालयों या बीएसएनएल सेवा केंद्र पर जाकर सम्पर्क कर सकते हैं।
3. कोई भी व्यक्ति बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन (एफटीटीएच) लेकर अपना स्वरोजगार जन सेवा केंद्र खोल सकता है।
4. यदि कोई व्यक्ति अपने मोबाइल पर इंटरनेट नहीं उपयोग करना चाहता है केवल फोनकॉल /मैसेज करना चाहता है तो ऐसे बीएसएनएल के ग्राहकों के लिए वर्तमान में STV-439 (असीमित वॉयस कॉल एवं 300 एस एम एस 90 दिनों की वैधता के साथ) उपलब्ध है।
5. बीएसएनएल नेटवर्क से संबंधित शिकायत बीएसएनएल ग्राहक केंद्र (कस्टमर केयर) के टोल फ्री नंबर 1503 एवं 18001801503 में दर्ज करा सकते हैं अथवा निकटतम उप मण्डल अभियन्ता के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

दूरसंचार विभाग भारत सरकार, क्षेत्रीय इकाई देहरादून।



क्र० सं०	योजना/ सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	तरंग संचार पोर्टल	तरंग संचार पोर्टल, दूरसंचार विभाग की एक पहल है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनके इलाके में मोबाइल टावरों और उनकी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड्स (EMF) उत्सर्जन की सुरक्षा स्थिति के बारे में शिक्षित करना और जानकारी उपलब्ध कराना है। कोई भी इच्छुक नागरिक अपनी लोकेशन दर्ज कराकर या वर्तमान स्थान का चयन कर मानचित्र-आधारित मोबाइल टावरों को ईएमएफ सुरक्षा स्थिति के साथ देख	सभी नागरिक	नागरिक सुविधा का लाभ पोर्टल लिंक के द्वारा ले सकते हैं। https://tarangsanchar.gov.in/emfportal

		सकते हैं। पोर्टल पर राज्य और वर्ष का चयन कर मोबाइल टावरों की ईएमएफ ऑडिट रिपोर्ट को भी देखा जा सकता है। ऑडिट रिपोर्ट में मोबाइल टावर के पते, उस टावर के लिए मापी गई ईएमएफ वैल्यू, दूरसंचार विभाग की सीमा और अनुपालन स्थिति के बारे में विवरण होता है। इसके अतिरिक्त, इच्छुक नागरिक, 4,000/- रुपये का ऑनलाइन शुल्क देकर किसी भी स्थान पर ईएमएफ माप का अनुरोध कर सकता है। दूरसंचार विभाग की स्थानीय फील्ड इकाई स्थान पर जाकर ईएमएफ का परीक्षण करके अनुरोधकर्ता को परीक्षण रिपोर्ट प्रदान करती है। दूरसंचार से संबंधित विषयों जैसे ईएमएफ, मोबाइल नेटवर्क, रेडियो, आदि पर लेख, पुस्तिकाएं और वीडियो इस पोर्टल पर उपलब्ध हैं।		
2	संचार साथी पोर्टल	संचार सभी पोर्टल मोबाइल ग्राहकों को सशक्त बनाने, उनकी सुरक्षा को मजबूत करने और सरकार की नागरिक केंद्रित पहलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दूरसंचार विभाग की एक नागरिक केंद्रित पहल है। संचार साथी में CHAKSHU, CEIR, TAF COP, KYM, RICWIN, KYI मॉड्यूल शामिल हैं। i. CHAKSHU नागरिकों को कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त संदिग्ध या अनचाहे संचार संदेश की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है जो साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी, प्रतिरूपण फर्जी ग्राहक सेवा /लॉटरी ऑफर/ऋण प्रस्ताव/नौकरी की पेशकश/मोबाइल टावर की स्थापना/सेवाओं का वियोग या केवाईसी अपडेट/ऋण आदि या किसी अन्य दुरुपयोग के लिए होते हैं। संदिग्ध धोखाधड़ी संचार संदेश की ऐसी सक्रिय रिपोर्टिंग दूरसंचार विभाग को साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी आदि के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग की रोकथाम में मदद करती है। ii. CEIR मॉड्यूल खोए/चोरी हुए मोबाइल डिवाइस का पता लगाने की सुविधा देता है। यह सभी दूरसंचार ऑपरेटरों के नेटवर्क में खोए चोरी हुए मोबाइल डिवाइस को ब्लॉक करने की सुविधा भी देता है ताकि खोए/चोरी हुए डिवाइस का भारत में इस्तेमाल न किया जा सके। अगर कोई ब्लॉक किए गए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो उसकी ट्रेसेबिलिटी जेनरेट हो जाती है। एक बार मोबाइल फोन मिल जाने पर इसे नागरिकों द्वारा सामान्य इस्तेमाल के लिए पोर्टल पर अनब्लॉक भी किया जा सकता है। iii-TAF COP मॉड्यूल मोबाइल उपभोक्ता को उसके नाम पर लिए गए मोबाइल कनेक्शनों की संख्या की जांच करने की सुविधा देता है। यह उन मोबाइल	सभी नागरिक	नागरिक सुविधा का लाभ पोर्टल लिंक के द्वारा ले सकते हैं। https://sancharsaathi.gov.in/

		कनेक्शनो की रिपोर्ट करने की सुविधा भी देता है जिनकी या तो जरूरत नहीं है या जो उपभोक्ता ने नहीं लिए हैं। iv- KYM मॉड्यूल के जरिए आप अपने मोबाइल डिवाइस को खरीदने से पहले ही उसकी वैधता की जांच कर सकते हैं। मोबाइल पैकेजिंग बॉक्स पर IMEI लिखा होता है। यह मोबाइल बिल / चालान पर पाया जा सकता है। आप अपने मोबाइल से *#06# डायल करके भी IMEI नंबर पता कर सकते हैं। यदि मोबाइल की स्थिति ब्लैक लिस्टेड, डुप्लिकेट या पहले से उपयोग में दिखाई दे रही है, तो कृपया मोबाइल खरीदने से बचें। V- RICWIN मॉड्यूल नागरिकों को स्थानीय भारतीय नंबर (+91-XXXXXXXXXX) के साथ आने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉलों की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त ऐसी कॉलों की रिपोर्ट नागरिकों द्वारा 1963/1800110420 नंबर डायल करके भी की जा सकती है। ऐसी कॉलों की रिपोर्ट दूरसंचार विभाग को संदिग्ध अवैध दूरसंचार सेटअपों का पता लगाने में मदद करता है, जो सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। vi- KYI मॉड्यूल नागरिकों को वायरलाइन इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) के विवरण की जांच करने की सुविधा प्रदान करता है। मॉड्यूल नागरिकों को आईएसपी का पिन कोड, पता या नाम दर्ज करके देश भर में किसी भी आईएसपी की उपस्थिति की खोज करने में सक्षम बनाता है। इंटरनेट सेवाओं से असंतुष्ट नागरिक अन्य वायरलाइन इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) की जानकारी KYI मॉड्यूल से प्राप्त करके इंटरनेट सेवा प्रदाता में बदलाव कर सकते हैं।		
3	PM-WANI योजना	सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं की सुविधा और रोजगार का अवसर। अधिक जानकारी लिंक- https://pmwani.gov.in/wani पर उपलब्ध है।	सभी नागरिक	व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए और स्थानीय दुकानों और छोटे प्रतिष्ठानों को वाई-फाई प्रदाता बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह अनुमोदित किया गया है कि अंतिम-मील सार्वजनिक वाई-फाई प्रदाताओं को किसी लाइसेंस, पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें

				डीओटी की कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी।
4	राज्यों को दूरसंचार आधारभूत संरचना हेतु विशेष सहायता योजना	भारत सरकार ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता की एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को पूंजी निवेश परियोजनाओं के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य में दूरसंचार आधारभूत संरचना से संबंधित पूंजीगत कार्यों /परियोजनाओं के लिए, इस योजना के तहत उत्तराखंड को 5000 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं।		
5	मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा	मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा दूरसंचार सेवा उपयोगकर्ता को भौगोलिक क्षेत्र (जैसे दिल्ली से देहरादून) की परवाह किये बिना एक दूरसंचार आपरेटर से दूसरे दूरसंचार आपरेटर पर जाने की अनुमति देती है। यदि कोई ग्राहक अपने वर्तमान टेलीकॉम आपरेटर की सेवाओं से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपने मोबाइल नंबर को अपनी पसंद के किसी अन्य सेवाप्रदाता में पोर्ट कर सकता है।	सभी नागरिक	दूरसंचार सेवा उपयोगकर्ता अपनी पसंद के आपरेटर के बिक्री स्थल पर यूपीसी कोड उल्लेखित ग्राहक अधिग्रहण फार्म/पोर्टिंग फार्म एवं जरूरी केवाईसी दस्तावेज जमा करके अपने मोबाइल नंबर पोर्ट करा सकते हैं। यूपीसी कोड जनरेट करने के लिए अपने मोबाइल से PORT के बाद एक स्पेस और 10 अंको का मोबाइल नंबर, कोष्टक में, जिसे पोर्ट किया जाना है। कोष्टक बंद लिखकर, 1900 पर एसएमएस करें। यूपीसी कोड सब्सक्राइबर के मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगा।

भारत सरकार, दूरसंचार विभाग, बेतार अनुश्रवण केन्द्र, देहरादून।

क्र०सं०	योजना / सेवा का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	सरल संचार पोर्टल (क)	बेतार अनुश्रवण केंद्र (वायरलेस मॉनिटरिंग स्टेशन) का मुख्य उद्देश्य वायरलेस संचार के प्रभावी प्रबंधन और नियमन को सुनिश्चित करना है। इसके लिए, वे विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों को डीलर पजेशन लाइसेंस (डीपीएल) और गैर-डीलर पजेशन लाइसेंस (एनडीपीएल) जारी करते हैं। डीलर पजेशन लाइसेंस (डीपीएल) वायरलेस उपकरणों की बिक्री, खरीद और कब्जे के लिए जारी किया जाता है। यह लाइसेंस उन संगठनों को दिया जाता है जो वायरलेस उपकरणों की बिक्री और खरीद में शामिल होते हैं। डीपीएल के माध्यम से, बेतार अनुश्रवण केंद्र यह सुनिश्चित करता है कि वायरलेस उपकरणों की बिक्री और खरीद नियमों और विनियमों के अनुसार होती है। गैर-डीलर पजेशन लाइसेंस (एनडीपीएल) उन संगठनों को दिया जाता है जो वायरलेस उपकरणों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी बिक्री और खरीद में शामिल नहीं होते हैं। एनडीपीएल के माध्यम से, बेतार अनुश्रवण केंद्र यह सुनिश्चित करता है कि वायरलेस उपकरणों का उपयोग नियमों और विनियमों के अनुसार होता है और उनका दुरुपयोग नहीं होता है।	सभी भारतीय नागरिक, सरकारी एवं निजी संगठन	सभी नागरिक सुविधा का लाभ पोर्टल लिंक के द्वारा ले सकते हैं। https://saralsanchar.gov.in
2	सरल संचार पोर्टल (ख)	बेतार अनुश्रवण केंद्र, मासिक एमेच्योर स्टेशन ऑपरेटर सर्टिफिकेट (ASOC) / HAM रेडियो परीक्षा आयोजित करता है, जिसमें व्यक्ति सरल संचार पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बेतार अनुश्रवण केंद्र, शैक्षणिक संस्थानों और भारत स्काउट्स के साथ मिलकर HAM रेडियो के महत्व को उजागर करता है, जो आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान वायरलेस संचार स्थापना में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अन्य प्रणालियों के विफल होने पर भी कार्यशील रहता है। HAM रेडियो ऑपरेटर सेलुलर नेटवर्क अधिभार से स्वतंत्र, दूरस्थ और शहरी दोनों क्षेत्रों में जल्दी से स्टेशन स्थापित कर सकते हैं।		सभी नागरिक सुविधा का लाभ पोर्टल लिंक के द्वारा ले सकते हैं। https://saralsanchar.gov.in/

		HAM रेडियो की संचार सीमा कई कारकों पर निर्भर करती है, लेकिन सही उपकरण और स्थिति का सही उपयोग करके इसे बढ़ाया जा सकता है। आपके पास सही उपकरण और लाइसेंस होने के बाद विदेशों तक फैल जाती है। सिग्नल कितनी दूरी तय कर सकता है यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे ट्रांसमीटर की शक्ति, एंटीना का प्रकार और पर्यावरण की स्थिति।		
3	सरल संचार पोर्टल	वायरलेस मॉनिटरिंग स्टेशन (WMS) देहरादून, वायरलेस मॉनिटरिंग ऑर्गनाइजेशन का एक फील्ड ऑफिस है, जो दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के तहत आता है। मार्कहम ग्रांट, देहरादून में स्थित, यह स्टेशन पूरे उत्तराखंड राज्य की सेवा करता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की निगरानी करके नेटवर्क प्रदर्शन को अनुकूलित करता है। वायरलेस मॉनिटरिंग स्टेशन "घनीभूत आवृत्तियाँ" की पहचान करता है, उनमें हस्तक्षेप को कम करता है, और बैंडविड्थ का कुशल प्रबंधन करता है, जिससे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) और इसरो (ISRO) जैसी प्रमुख संगठनों के लिए निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित होती हैं। यह स्टेशन सुरक्षित हवाई यात्रा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण आवृत्तियों को हस्तक्षेप से मुक्त रखता है, हवाई यातायात नियंत्रण और नेविगेशन सहायता का समर्थन करता है, और इसरो के उपग्रह संचार और गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए आवश्यक विशिष्ट आवृत्ति बैंड की सुरक्षा करता है। टीम स्पेक्ट्रम से संबंधित किसी भी मुद्दे पर त्वरित प्रतिक्रिया देती है, जिससे सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक स्वच्छ और हस्तक्षेप-मुक्त स्पेक्ट्रम बनाए रखा जा सके। भीड़-भाड़ वाले शहरी इलाकों में, अवैध वाइडबैंड बूस्टर, लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार नेटवर्क को बाधित करते हैं, जिससे कॉल की गुणवत्ता खराब होती है और इंटरनेट की गति धीमी हो जाती है। WMS सक्रिय रूप से इन उपकरणों की पहचान करता है और उन्हें हटा देता है, जिससे लाखों लोगों के लिए संचार में सुधार होता है और अवैध बूस्टर के नकारात्मक प्रभावों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ती है। इसके अलावा, वायरलेस मॉनिटरिंग स्टेशन देहरादून चीन और नेपाल की सीमाओं पर स्पिलेज सिग्नल की निगरानी और पहचान करता है, और अपनी रिपोर्टिंग मुख्यालय को करता है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।	राज्य की सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन	राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी संबंधित विभाग सिग्नल व्यवधान के मामले में समाधान के लिए वायरलेस मॉनिटरिंग मुख्यालय { Wireless Monitoring Organisation (WMO) and Wireless Planning and Coordination Wing } से संपर्क कर सकता है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कार्यालय— कल्याण आयुक्त

संक्षिप्त परिचय — इस कार्यालय का मुख्य कार्य उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश परिक्षेत्र में स्थित विभिन्न चूना पत्थर एवं डोलमाइट खदानों एवं उपभोक्तों से उपकर संग्रहण कर, उनके पंजीकृत चूना पत्थर एवं डोलमाइट खदान श्रमिकों एवं उनके आश्रितों हेतु विभिन्न योजनायें चलायी चली जाती थी एवं खदान प्रबंधनों को विभिन्न प्रकार के सहायता अनुदान प्रदान किये जाते थे, परन्तु वस्तु एवं सेवा कर (Goods & Service Tax) के क्रियान्वयन के पश्चात् उपकर को वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, जिसके कारण भारत सरकार द्वारा उपकर संग्रहण का कार्य एवं कई योजनायें बंद कर दी गयी है। वर्तमान में इस कार्यालय के माध्यम से भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश परिक्षेत्र के पंजीकृत चूना पत्थर एवं डोलमाइट खदान श्रमिकों एवं उनके आश्रितों हेतु स्वास्थ्य एवं छात्रवृत्ति योजनायें आदि चलायी जाती हैं।



- वर्तमान में इस कार्यालय के माध्यम से भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश परिक्षेत्र के पंजीकृत चूना पत्थर एवं डोलमाइट खदान श्रमिकों एवं उनके आश्रितों हेतु उपरोक्त योजनाओं के साथ-साथ उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की निगरानी एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं जैसे प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना इत्यादि योजनाओं के पंजीकरण की निगरानी का कार्य किया जाता है।

जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड।



संक्षिप्त परिचय :- भारत की जनगणना, जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 एवं उसके तहत किए गए संशोधनों के कानूनी अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक दस वर्षों के अन्तराल में की जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। देश के सभी राज्यों में नियुक्त जनगणना निदेशक, अपने अपने राज्य में जनगणना के कार्य को निर्धारित समय सीमा में सम्पन्न करवाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जनगणना के अंतर्गत पूरे देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों के मामलों में ग्राम स्तर तक के तथा शहरी क्षेत्रों के मामलों में वार्ड स्तर तक के जनसँख्या से सम्बंधित आंकड़े जैसे आयु, वैवाहिक स्थिति, धर्म, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मातृभाषा, शिक्षा का स्तर, विकलांगता, आर्थिक

गतिविधि, प्रवासन, प्रजनन (महिला के लिए) आदि एकत्र किए जाते हैं। ये आंकड़े स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधनों की स्थिति, जनसांख्यिकी, संस्कृति और आर्थिक संरचना की तस्वीर दर्शाते हैं तथा राष्ट्र के भविष्य की दिशा को निर्देशित करने और आकार देने के लिए अतिमहत्वपूर्ण होते हैं। सार्वभौमिकता और एकसाथता जनगणना की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। इसलिए, भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में एक ही समय पर जनसँख्या की सटीक गणना करना एक अभूतपूर्व कार्य है।

भारत में जनगणना कार्य दो चरणों में किया जाता है:- i) मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना तथा ii) जनसंख्या गणना। मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के दौरान, सभी भवनों, जनगणना मकानों और परिवारों की पहचान की जाती है और उन्हें संबंधित अनुसूचियों में व्यवस्थित रूप से सूचीबद्ध किया जाता है। यह मानव बस्तियों की स्थितियों, आवास की कमी और फलस्वरूप आवास नीतियों को तैयार करने में ध्यान रखने वाली आवास आवश्यकताओं पर व्यापक डेटा प्रदान करता है। यह परिवारों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और संपत्तियों पर डेटा/सूचना की एक विस्तृत श्रृंखला भी

प्रदान करता है। यह चरण मकान सूचीकरण ब्लॉकों के जनसंख्या आकार की अधिक वास्तविकता देते हुए अगले चरण जनसंख्या की गणना के लिए आधार प्रदान करता है। जनगणना का दूसरे चरण, के दौरान प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाती है और उसके व्यक्तिगत विवरण एकत्र किए जाते हैं। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या केवल जन्म-मृत्यु के आंकड़ों पर ही नहीं वरन प्रवास के आंकड़ों से भी प्रभावित होती है तथा जनगणना के अंतर्गत जनसंख्या के साथ-साथ अन्य आंकड़ों को भी एकत्र किया जाता है, जिस कारण जनगणना प्रति 10 वर्ष में करायी जाती है। आगामी जनगणना में पहली बार जनगणना के आंकड़े डिजिटल रूप से अर्थात् मोबाइल एप पर एकत्र किए जाएंगे। जनगणना के विषय में अधिक जानकारी वेबसाइट www.censusindia.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)— का उद्देश्य देश में रहने वाले सामान्य निवासियों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करना है। यह कार्य, नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत बनाए गए नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के तहत किया जाता है। इससे सरकार को योजनायें और नीतियाँ बनाने में मदद मिलती है तथा साथ ही इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे पहचान दस्तावेज जारी करने, मतदाता सूची प्रबंधन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डेटाबेस को अपडेट करने के लिए भी किया जा सकता है। प्रथम बार वर्ष 2010 में जनगणना के प्रथम चरण के साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के आंकड़े भी एकत्रित किये गये थे, जिन्हें वर्ष 2015 में अद्यतन भी किया गया था। परंतु विभिन्न स्तरों पर तैयार किये गये जनसंख्या रजिस्ट्रों को अधिकारिक तौर पर प्रकाशित नहीं किया गया।

जन्म-मृत्यु पंजीकरण— जन्म, मृत्यु, जन्म और मृत्यु की घटनाएं, घटना के घटित होने के स्थान पर ही पंजीकृत की जा सकती है, जिसके लिए सम्बंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रार से संपर्क करना होता है। उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों के मामलों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों तथा शहरी क्षेत्रों के मामलों में अधिशासी अधिकारियों/ नगर स्वास्थ्य अधिकारियों को रजिस्ट्रार के तौर पर अधिसूचित किया गया है। घटना की रिपोर्टिंग की सामान्य अवधि उसके घटित होने से 21 दिन है, हालाँकि, आरबीडी अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत विलंबित घटनाओं का पंजीकरण भी किये जाने का प्रावधान है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के तहत जन्म और मृत्यु पंजीकरण, केंद्रीय अधिनियम जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी), 1969 और मॉडल नियम, 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाने वाला एक निरंतर और स्थायी कार्य है, जिसमें महत्वपूर्ण घटनाओं यानी जन्म, मृत्यु और मृत्यु, जन्म का पंजीकरण किया जाता है उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 02/01/2023 से जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, भारत सरकार द्वारा विकसित किये गए CRS पोर्टल पर एकसमान रूप से किया जा रहा है। जन्म मृत्यु पंजीकरण के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी www.dc.crsorgi.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय देहरादून।



क्र. सं.	योजना / सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	खादी विकास योजना (क) संशोधित विपणन विकास सहायता (एमएमडीए) वित्तीय सहायता	एमएमडीए का मुख्य उद्देश्य खादी वस्त्रों में प्रौद्योगिकी उन्नयन कर मूल्य वर्धन, क्षमता निर्माण और कारीगरों और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देना है। इसके तहत कपास /मलमल, ऊनी और पॉलीवस्त्र के लिए मुख्य लागत पर 35 प्रतिशत और रेशम खादी के लिए मुख्य लागत पर 20 प्रतिशत की दर से संशोधित विपणन विकास सहायता (एमएमडीए) की गणना की जाती है, जिसमें कच्चे माल की लागत+ग्रे कपड़े पर कनवर्जन चार्ज	खादी संस्थाएं/समिति/ संस्थान (केवीआईसी) से संबद्ध/ पंजीकृत/ खादी संस्था (के आई), राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के केवीआईबी, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के केवीआईबी इकाइयों जिनके पास वैध खादी/पॉलीवस्त्र और खादी मार्क प्रमाण पत्र है तथा जो खादी ग्रामोद्योग आयोग/खादी बोर्ड/बैंक वित्त योजना के अंतर्गत,	केवीआईसी/ केवीआईबी से सम्बद्ध/पंजीकृत खादी संस्था (के आई) आवेदन कर सकते हैं जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग से प्रमाणित तथा वित्त पोषित हो एवं जिन्हें खादी मार्क प्रमाण पत्र प्राप्त हो तथा कामगारों की मजदूरी DBT के माध्यम से दी गई हो। खादी संस्थाएं अन्य सभी शर्तों को पूर्ण करते हुए एमएमडीए पोर्टल के माध्यम से क्लैम प्रस्तुत कर सकते हैं। केवीआईसी में सम्बद्ध/ पंजीकरण की प्रक्रिया :- यदि किसी संस्था को केवीआईसी में सम्बद्ध / पंजीकरण करना हो तो उसके लिए संस्था को सर्वप्रथम आयोग के मॉडल बायलॉज के अनुसार संस्था को सोसाइटी रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकृत कराना होगा जिसमें कम से कम 09 कार्यकारिणी सदस्यों का होना अनिवार्य है,

		तथा बिना मार्जिन के प्रसंस्करण शुल्क शामिल है।	वित्त पोषित हैं, जिसका वार्षिक बजट केवीआईसी द्वारा विधिवत अनुमोदित है।	इनमे से 01 अध्यक्ष, 01 सचिव व 01 कोषाध्यक्ष होना चाहिए। तत्पश्चात आयोग की www.kvic.org.in or www.kviconline.gov.in पर जाकर khadi institution registration Sewa" पर क्लिक कर संस्था का समस्त विवरण अपलोड करना होगा एवं उसकी हार्ड कॉपी दो प्रतियों में उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आयोग कार्यालय में निर्धारित शुल्क रु. 10,000/= के साथ जमा करनी होगी। आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने के पश्चात आयोग द्वारा संबंधित संस्था का स्थलीय भौतिक सत्यापन खादी तकनीकी अधिकारियों द्वारा किया जाता है तत्पश्चात प्रस्ताव आंचलिक खादी प्रमाणपत्र समिति (म.क्षे.) को संस्तुति सहित भेजा जाता है। उक्त समिति द्वारा संस्था को प्रथम अस्थायी प्रमाणपत्र 03 माह के लिए खादी कार्य करने के लिए दिया जाता है। पुनः संस्था का भौतिक सत्यापन किया जाता है। उक्त अवधि में संस्था का खादी कार्य संतोषजनक पाये जाने पर संस्था को पाँच वर्ष के लिए खादी प्रमाणपत्र नवीनीकरण करने हेतु आवेदन करना होता है। खादी मार्क प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया :- खादी मार्क प्रमाणपत्र की प्रक्रिया तीन श्रेणियों में संपादित की जाती है – 1) लिमिटेड कम्पनीज, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीज पार्टनरशिप फर्म आदि के खादी मार्क प्रमाणपत्र 05 वर्ष के लिए शुल्क रु. 5,00,000/- निर्धारित रखा गया है। 2) खादी संस्थाओं हेतु खादी मार्क प्रमाणपत्र 05 वर्ष के लिए शुल्क रु. 10,000/- निर्धारित रखा गया है। 3) व्यक्तिगत पीएमईजीपी उद्यमी तथा अन्य जो 1) व 2) में नहीं है, हेतु खादी मार्क प्रमाणपत्र 05 वर्ष के लिए शुल्क रु. 25,000/- निर्धारित रखा गया है। खादी मार्क प्रमाणपत्र हेतु आवेदन प्रक्रिया से
--	--	---	---	--

				संबंधित विस्तृत विवरण आयोग सर्कुलर standing order no.1724 दि.19.02.2014 तथा शुल्क हेतु सर्कुलर दि.13.03.2023 में उल्लिखित है। खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट – खादी संस्थाओं द्वारा ग्राहकों को पूरे वर्ष 10–15% की छूट खादी तथा पॉलीवस्त्रों की खरीद पर दी जाती है तथा 02 अक्टूबर (गांधी जयंती) के शुभ अवसर पर ग्राहकों को 30–35% तक की छूट दी जाती है। स्कूल के बच्चों हेतु खादी को ड्रेस कोड बनाने पर विचार– आयोग के ए.टी सप्लाई/खादी ग्रामोद्योग भवनों द्वारा राजकीय कार्यालयों / संस्थाओं /संगठनों के कार्मिकों की ड्रेस कोड एवं स्कूल के बच्चों की ड्रेस कोड में खादी के कपड़ों को शामिल करने का प्रावधान है। आयोग के ए.टी सप्लाई / खादी ग्रामोद्योग भवनों द्वारा समय पर संस्थाओं को खादी आपूर्ति हेतु ऑर्डर दिए जाते हैं।
	(ख) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र योजना (आईसेक)	भारत सरकार द्वारा वास्तविक निधि आवश्यकता और बजटीय स्रोतों से इसकी उपलब्धता में अंतर के भुगतान हेतु बैंकिंग संस्थानों से निधि जुटाने के लिए योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके लिए संस्थाओं को ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जाता है ।	खादी संस्था किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक वित्त प्राप्त कर सकते हैं।	खादी और पॉलीवस्त्र कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले केवीआईसी/केवीआईबी के अंतर्गत सभी पंजीकृत संस्थाएं आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया निर्धारित सीमा के आधार पर संस्थाएं ऋण लेने के लिए बैंकों से संपर्क करती हैं और बैंक प्रचलित ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं। खादी संस्थाएं अपनी संपत्तियों को केवीआईसी के पक्ष में सम्यक बंधक करती हैं और केवीआईसी बदले में, बैंक के लिए प्रतिभू होने के नाते कोलैटरल की रूप में आपसी समझौते के अंतर्गत बैंक को प्रथम चार्ज इन्टर-सी-एग्रीमन्ट के रूप में जारी करता है। खादी संस्था द्वारा लिए गए ऋण सापेक्ष संस्थ, द्वारा कुल ऋण का 4% ब्याज दिया जाता है शेष ब्याज आयोग द्वारा वहन किया जाता है । बैंक से वित्त प्राप्त करने हेतु संस्था के नाम से बैंक को ब्याज उपादान प्रमाणपत्र (ISEC) आयोग द्वारा जारी किया जाता है। साथ ही बैंक की मांग पर संस्था की आयोग द्वारा सम्यक प्रॉपर्टी का प्रथम चार्ज (Inter-se agreement) बैंक को दिया जाता है। आयोग

				द्वारा जारी ब्याज उपादान प्रमाणपत्र (ISEC) के आधार पर बैंक संस्था को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में मदद करता है। खादी संस्था के आवश्यक दस्तावेज जैसे सोसायटी रजिस्ट्रेशन, खादी प्रमाणपत्र तथा खादी मार्क प्रमाणपत्र, आयोग द्वारा स्वीकृत बजट आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ।
	(ग) खादी कारीगरों के लिए वर्क शेड योजना	खादी कारीगरों को अपनी कताई और बुनाई गतिविधियों को कुशलता पूर्वक करने के लिए एक बेहतर कार्यस्थल प्रदान करना और कच्चे माल, उपकरणों, सहायक उपकरणों, अर्ध-तैयार/तैयार माल आदि के लिए भंडारण सुविधा प्रदान कराना है । वित्तीय सहायता 1. शौचालयों सहित व्यक्तिगत वर्कशेड 20 वर्ग मीटर निर्माण हेतु रु.1,20,000/- या वर्कशेड की लागत का 75 प्रतिशत (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वर्कशेड की वास्तविक लागत का 90 प्रतिशत) जो भी कम हो। 2. शौचालयों सहित समूह वर्कशेड (न्यूनतम 5 तथा अधिकतम 15 कारीगर) प्रति कारीगर 10 वर्ग मीटर निर्माण हेतु रु. 80,000/- या वर्कशेड की लागत का 75 प्रतिशत (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वर्कशेड की वास्तविक लागत का 90 प्रतिशत) जो भी कम हो।	केवीआईसी/राज्य केवीआईबी से संबद्ध खादी संस्थाओं के साथ काम कर रहे कारीगर, अपनी विभागीय गतिविधियों सहित इस योजना के पात्र होंगे। एडब्ल्यूएफटी, एमएमडीए प्रोत्साहन के तहत कवर किए कारीगर, एक वर्ष में कम से कम 100 दिन काम करते हों, बीपीएल श्रेणी को प्राथमिकता दी जाएगी। भूमि का स्वत्वाधिकार कारीगर और उसके पति या पत्नी के नाम पर होना चाहिए या कोई भी पैतृक/पारिवारिक संपत्ति जिसके लिए कानूनी रूप से सहमति प्राप्त की जाती है या कारीगरों को राज्य सरकार/पंचायत आदि द्वारा आबंटित भूमि भी वर्कशेड निर्माण के योग्य होगी।	आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर कामगारों की सम्पूर्ण जानकारी प्रमाणपत्रों सहित संस्थाओं द्वारा आयोग के राज्य/मंडलीय कार्यालयों को भेजी जाती है तत्पश्चात आयोग द्वारा गठित वर्कशेड कमेटी की बैठक में पात्र कामगारों का चयन किया जाता है। आवेदन का प्रारूप तथा उपलब्ध गाइड लाइन संलग्न (Annexure-C) जिस संस्था में कारीगर कार्यरत होता है उस संस्था के द्वारा / माध्यम से ही वर्कशेड निर्माण का कार्य सम्पन्न कराया जाता है ।

			समूह वर्कशेड का निर्माण खादी संस्थाओं के स्वामित्व वाली भूमि पर किया जा सकता है और इसे कम से कम 10 वर्षों की अवधि के लिए कारीगरों को पट्टे पर दिया जाना चाहिए।	
	(घ) मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं के बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण और विपणन बुनियादी ढांचे के लिए सहायता	खादी संस्थाओं के बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण और विपणन बुनियादी ढांचे के लिए यह योजना कमजोर/बीमार/समस्या ग्रस्त/डी-श्रेणी वाले खादी संस्थाओं को आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। वित्तीय सहायता 1) मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं के बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण अ) पूंजीगत व्यय— रु.5.75 लाख ब) कार्यशील निधि—रु.9.25 लाख कुल—रु.15.00 लाख 2) विपणन बुनियादी ढांचे के लिए सहायता अ) केवीआईसी के विभागीय केंद्र—सरकारी अनुदान 100 प्रतिशत संस्था का अंशदान—निल ब) केवीआईबी के विभागीय केंद्र—सरकारी अनुदान 85 प्रतिशत संस्था का अंशदान—15 प्रतिशत स) संस्थागत बिक्री केंद्र — सरकारी अनुदान 75 प्रतिशत	पर्याप्त बुनियादी ढांचे वाले खादी संस्थाएँ जो बीमार/ कमजोर/ समस्या ग्रस्त/ डी श्रेणी के संस्थाएँ जिन्हें नवीनीकरण, मरम्मत, पुनःस्थापन की आवश्यकता है। अनुभवी कारीगरों के साथ, कच्चे माल की खरीद और मजदूरी के भुगतान के लिए धन की आवश्यकता होती है। खादी संस्थाएँ जो बेहतर कार्य निष्पादन करने के लिए मूल निकाय/पड़ोसी संस्थाओं के साथ कार्य साझेदारी के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। खादी संस्थाएँ जो आगे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए आईसेक योजना के	आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मा में आवेदन किया जाता है, उसके बाद आयोग के तकनीकी अधिकारी द्वारा निरीक्षण कर सत्यता रिपोर्ट प्रमाणपत्रों के साथ आयोग द्वारा गठित कमेटी के समक्ष रखी जाती है तथा कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। संस्था स्वयं आवेदन करती है आयोग के वित्तीय एवं तकनीकी कार्मिक द्वारा संस्था का भौतिक सत्यापन किया जाता है। जिसके आधार पर गाइडलाइंस के अनुसार संस्था का चयन किया जाता है। संस्था द्वारा आवेदन करने के लिए खादी संस्था के आवश्यक दस्तावेज जैसे— सोसायटी रजिस्ट्रेशन, खादी प्रमाणपत्र तथा खादी मार्क प्रमाणपत्र, आयोग द्वारा स्वीकृत बजट आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

		संस्था का अंशदान 25 प्रतिशत	अंतर्गत बैंक वित्त प्राप्त करना चाहती है ।	
	(ड) बाजार संवर्धन (प्रदर्शनी)	केवीआईसी केवीआई उत्पादों का विपणन करने एवं लोकप्रिय बनाने हेतु निम्न प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। प्रदर्शनी का स्तर 1. राष्ट्रीय-25 दिन 2. आंचलिक-15 दिन 3. राज्य-10 दिन 4. जिला-07 दिन	आयोजकों हेतु पात्रता मापदंड- राष्ट्रीय, आंचलिक, राज्य और जिला स्तरीय प्रदर्शनी केवीआईसी राज्य कार्यालय/मंडलीय कार्यालय या राज्य केवीआईबी द्वारा आयोजित की जाती है। जिला स्तरीय प्रदर्शनियों का आयोजन खादी संस्थाओं/खादी फेडरेशन के माध्यम से भी किया जा सकता है।	ई – टेन्डर प्रक्रिया के माध्यम से प्रक्रिया की जाती है। खादी वस्त्रों की मॉडलिंग – प्रधान कार्यालय, खादी ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के माध्यम से वस्त्रों की मॉडलिंग हेतु शो जैसे लेक्मे फैशन वीक आदि समय समय पर मुंबई/दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रदर्शनी / ट्रेड फेयर में कराये जाते हैं। राष्ट्रीय, आंचलिक, राज्य और जिला स्तरीय प्रदर्शनियों का आयोजन केवीआईसी राज्य कार्यालय / मंडलीय कार्यालय या राज्य केवीआईबी द्वारा गांधी जयंती के अवसर से शुरू हो जाता है, जिनको राज्यों द्वारा अलग-अलग तिथियों में या किसी विशेष पर्व या मेले के अवसर पर लगाया जाता है जैसे कुम्भ मेले, माघ मेले, क्रिसमस ईव तथा नए वर्ष पर आदि।
	(ट) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) योजना	योजना के अंतर्गत अनुसंधान और विकास कार्यक्रम उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने, कारीगरों की उत्पादकता और कमाई में वृद्धि, मानव श्रम में कमी, नए उत्पादों का विकास और बाजार मांग के अनुसार विविधीकरण तथा स्थानीय कच्चे माल की प्रभावी उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्यान्वित किया जाता है।	पात्र संस्थान कोई भी प्रमुख तकनीकी संस्थान/विश्वविद्यालय /अनुसंधान एवं विकास संगठन/अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में लगे सरकारी संगठन, डिजाइन विकास/केवीआईसी/केवीआईबी के प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त संस्था और दर्पण पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत गैर सरकारी संगठन। खादी और ग्रामोद्योग में अनुसंधान में लगा हुआ व्यक्ति।	आयोग मुख्यालय द्वारा प्रक्रिया संपादित की जाती है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अनुसंधान में लगे व्यक्ति या संस्थान हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) योजना के तहत शर्त यह है कि किसी व्यक्ति को अनुदान या सब्सिडी किसी एक मामले में रु 50,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए और किसी संस्थान को किसी एक मामले में रु. 15,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसंधान कार्य के अंतर्गत पहचान किए गए क्षेत्रों को आयोग के विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजना के तहत विचार के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है। इन प्रस्तावों को दिशानिर्देशों में दिए गए निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत करना होता है।

2	ग्रामोद्योग विकास योजना (क) हनी मिशन कार्यक्रम	मधुमक्खियों के संरक्षण और अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके ग्रामीण व शहरी बेरोजगार युवाओं की आय में वृद्धि करना है। हनी मिशन के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 10 बी बॉक्स, मौनवंश, टूल किट सहित कुल लागत का 90 से 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों को 90 प्रतिशत अनुदान एवं अन्य को 80 प्रतिशत अनुदान एवं बीपीएल श्रेणी को निःशुल्क टूलकिट दी जाती है।	हनी मिशन हेतु पात्रता 1. कोई भी भारतीय नागरिक लाभार्थी हो सकता है। 2. आयुसीमा 18 से 55 वर्ष 3. 10 दिवसीय मधु मक्खीपालन का प्रशिक्षण एसबीईसी/सीबीआरटीआई/मास्टर ट्रेनर/एनजीओ से लिया जा सकता है। 4. वैध आधार कार्ड/सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र। 5. लाभार्थी/उम्मीदवारों को जन्मतिथि, पता प्रमाण फोटो और मोबाइल नंबर आदि विवरण प्रस्तुत करना होगा। 6. चयनित लाभार्थी को स्वयं के योगदान के भुगतान के साथ-साथ उन्हें प्रदान की गयी मशीनरी, उपकरण और उपकरणों के रखरखाव के लिए स्वघोषित अंडरटेकिंग जमा करनी होगी। 7. एक परिवार से एक व्यक्ति ही सहायता का पात्र है।	स्टाम्प पेपर (नॉन जुडिशियल) पर शपथ पत्र। (जाति प्रमाणपत्र अनिवार्य है)। आवेदन राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जी. एम. एस. रोड, काँवली, देहरादून को निर्धारित प्रारूप में भरकर प्रेषित किया जा सकता है। आवेदन एवं शपथ पत्र का प्रारूप वैबसाइट में उपलब्ध है। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, फोटोग्राफ, नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र, शैक्षिक योग्यता, बीपीएल, जाति तथा दिव्यांग प्रमाणपत्र यदि लागू है, आदि की आवश्यकता पड़ती है। मधुमक्खियां एवं बॉक्स, टूलकिट खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जैम पोर्टल में माध्यम से खरीद कर दिए जाते हैं। राज्य स्तरीय चयन समिति में आवेदक के चयन के उपरांत 10 दिवसीय मौनपालन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
---	---	--	--	---

			8. इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार की किसी समान योजना से लाभ प्राप्त न किया हो। 9. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ दिव्यांग आवेदकों को कोई प्रशिक्षण शुल्क देय नहीं है अन्य वर्ग के आवेदकों को रु.500/- प्रशिक्षण शुल्क देय है। 10. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा बीपीएल श्रेणी के लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी।	
	(ख) कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम	मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये रोजगार के अवसर प्रदान करना है। योजना का लाभ लेने हेतु कुम्हारी दक्षता प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये 20 अभ्यर्थियों का एक बैच तैयार कर निःशुल्क प्रशिक्षण देने के उपरान्त विद्युत चलित चाक वितरित किये जाते हैं। विद्युत चलित चाक प्राप्त करने के लिए विद्युत चलित चाक की कुल कीमत का 90-80 प्रतिशत अनुदान प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को 90 प्रतिशत अनुदान।	- कोई भी भारतीय नागरिक लाभार्थी हो सकता है। - आयुसीमा 18 से 55 वर्ष - खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 10 दिन का निःशुल्क कुम्हारी दक्षता प्रशिक्षण। - वैध आधार कार्ड/ सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र। - लाभार्थी/उम्मीदवारों को जन्मतिथि, पता प्रमाण फोटो और मोबाइल नंबर	50 रु. के स्टाम्प पेपर (नॉन जुडिशियल) पर शपथ पत्र। (जाति प्रमाणपत्र अनिवार्य है) यदि बीपीएल श्रेणी में हो तो बीपीएल प्रमाण पत्र यह प्रशिक्षण 20 व्यक्तियों के बैच में दिया जाता है। व्यक्तिगत प्रशिक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। आवेदन एवं शपथ पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की आय कम है परंतु बीपीएल प्रमाणपत्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम धनराशि, अन्य पिछड़ा वर्ग / सामान्य वर्ग के लिए मशीनरी / टूल किट के मूल्य का 20 % अंशदान देय होगा। बैंक खाता एवं पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है।

		अन्य को 80 प्रतिशत अनुदान । बीपीएल कार्ड धारकों को निः शुल्क टूलकिट दी जाती है।	आदि विवरण प्रस्तुत करना होगा। 6. चयनित लाभार्थी को स्वयं के योगदान के भुगतान के साथ-साथ उन्हें प्रदान की गयी मशीनरी, उपकरण और उपकरणों के रखरखाव के लिए स्वघोषित अंडरटेकिंग जमा करनी होगी। 7. एक परिवार से एक व्यक्ति ही सहायता का पात्र है। 8. इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार की किसी समान योजना से लाभ प्राप्त न किया हो। 9. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा बीपीएल श्रेणी के लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी।	
	(ग) चर्मशिल्प कार्यक्रम	चर्मशिल्प के अंतर्गत चर्मशिल्पकार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फुटवेयर टूल किट प्रदान की जाती है। चर्मशिल्पकारों को कुल टूल किट कुल लागत का 90-80 प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को 90 प्रतिशत अनुदान। अन्य को 80 प्रतिशत अनुदान।	1. कोई भी भारतीय नागरिक लाभार्थी हो सकता है। 2. आयुसीमा 18 से 55 वर्ष 3. वैध आधार कार्ड/ सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र। 4. लाभार्थी/उम्मीदवारों	10 रु. के स्टाम्प पेपर (नॉन जुडिशियल) पर शपथ पत्र। (जाति प्रमाणपत्र अनिवार्य है) यदि बीपीएल हों तो बीपीएल प्रमाण पत्र।

		बीपीएल कार्ड धारकों को निः शुल्क टूलकिट दिए जाते है ।	को जन्मतिथि, पता प्रमाण फोटो और मोबाइल नंबर आदि विवरण प्रस्तुत करना होगा । 5. चयनित लाभार्थी को स्वयं के योगदान के भुगतान के साथ-साथ उन्हें प्रदान की गयी मशीनरी, उपकरण और उपकरणों के रखरखाव के लिए स्वघोषित अंडरटेकिंग जमा करनी होगी । 6. एक परिवार से एक व्यक्ति ही सहायता का पात्र है । 7. खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 01 दिन का निःशुल्क कैंशकोर्स प्रशिक्षण । 8. इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार की किसी समान योजना से लाभ प्राप्त न किया हो । 9. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा बीपीएल श्रेणी के लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी ।	
	(घ) ग्रामीण इंजीनियरिंग एवम् नवीन	प्रशिक्षण और आधुनिक, बेकार लकड़ी/टर्न वुड क्राफ्ट / लकड़ी के खिलौने से संबंधित मशीने,	1. कोई भी भारतीय नागरिक लाभार्थी हो सकता है ।	20 रु. के स्टाम्प पेपर (नॉन जुडिशियल) पर शपथ पत्र । जाति प्रमाणपत्र अनिवार्य है

	प्रौद्योगिकी उद्योग(आरईएनटीआई)	उपकरण और उत्पाद का विकास करने के साथ-साथ उत्पादन लागत एवं परिश्रम को कम करना। अ)वेस्ट वुड ब)टर्न वुड क्राफ्ट स)वुडन टॉय द)पंचगव्य पर आधारित उत्पाद मशीनें/उपकरण खरीदने हेतु अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों को कुल लागत का 80-90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अन्य को 80 प्रतिशत अनुदान तथा बीपीएल श्रेणी को निःशुल्क टूलकिट दी जाती है।	2. आयुसीमा 18 से 55 वर्ष 3. वैध आधार कार्ड/ सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र। 4. लाभार्थी/उम्मीदवारों को जन्मतिथि, पता प्रमाण फोटो और मोबाइल नंबर आदि विवरण प्रस्तुत करना होगा। 5. चयनित लाभार्थी को स्वयं के योगदान के भुगतान के साथ-साथ उन्हें प्रदान की गयी मशीनरी, उपकरण और उपकरणों के रखरखाव के लिए स्वघोषित अंडरटेकिंग जमा करनी होगी। 6. वुडक्राफ्ट ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रशिक्षण या मानकों के अनुसार निःशुल्क प्रशिक्षण। 7. इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार की किसी समान योजना से लाभ प्राप्त न किया हो। 8. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा बीपीएल श्रेणी के लोगों	
--	--	---	--	--

			को प्राथमिकता दी जायेगी।	
3	सेवा उद्योग (एसआई) प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, एसी रिपेयरिंग तथा सिलाई मशीन ऑपरेटर योजना	योजना के तहत केवीआईसी द्वारा प्लम्बर तथा इलेक्ट्रिशियन का कार्य करने वाले व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना एवं व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, मोबाइल रिपेयरिंग, एसी रिपेयरिंग तथा सिलाई मशीन ऑपरेटर हेतु टूल किट प्रदान करना। प्लम्बिंग तथा इलेक्ट्रिकल टूल किट प्राप्त करने के लिए कुल लागत का 80 से 90 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाता है। अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों को 90 प्रतिशत अनुदान। अन्य को 80 प्रतिशत अनुदान तथा बीपीएल श्रेणी को निशुल्क टूलकिट दी जाती है।	1. कोई भी भारतीय नागरिक लाभार्थी हो सकता है। 2. आयुसीमा 18 से 55 वर्ष 3. वैध आधार कार्ड/ सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र। 4. लाभार्थी/उम्मीदवारों को जन्मतिथि, पता प्रमाण फोटो और मोबाइल नंबर आदि विवरण प्रस्तुत करना होगा। 5. चयनित लाभार्थी को स्वयं के योगदान के भुगतान के साथ-साथ उन्हें प्रदान की गयी मशीनरी, उपकरण और उपकरणों के रखरखाव के लिए स्वघोषित अंडरटेकिंग जमा करनी होगी। 6. एक परिवार से एक ही व्यक्ति सहायता का पात्र है। 7. 15 दिन का निःशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण। 8. इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार की किसी समान योजना से लाभ	स्टाम्प पेपर (नॉन जुडिशियल) पर शपथ पत्र। जाति प्रमाणपत्र अनिवार्य है। आवेदन राज्य आयोग, जी. कार्यालय खादी और ग्रामोद्योग एम. एस. रोड, काँवली, देहरादून निर्धारित प्रारूप में भरकर प्रेषित किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, फोटोग्राफ, नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र, शैक्षिक योग्यता, बीपीएल, जाति तथा दिव्यांग प्रमाणपत्र यदि लागू है आदि की आवश्यकता पड़ती है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जैम पोर्टल के माध्यम से प्लम्बिंग / इलेक्ट्रिकल के टूलकिट खरीद कर दिए – जाते हैं।

			प्राप्त न किया हो। 9. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा बीपीएल श्रेणी के लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी।	
4	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत नए सूक्ष्म उद्यमों (इकाइयों) की स्थापना के लिए सरकारी सब्सिडी स्तर 1) सामान्य श्रेणी लाभार्थी का अंशदान 10 प्रतिशत सब्सिडी की दर शहरी 15 प्रतिशत ग्रामीण 25 प्रतिशत 2) विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग , अल्पसंख्यक, महिला, भूत पूर्व सैनिक, ट्रांसजेन्डर, दिव्यांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, आकांक्षी जिले, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र (सरकार द्वारा अधिसूचित) लाभार्थी का अंशदान 05 प्रतिशत सब्सिडी की दर शहरी 25 प्रतिशत ग्रामीण 35 प्रतिशत। योजना के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में नई ग्रामोद्योग परियोजनाएं उत्पादन/ सेवा उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। पूर्व स्थापित उद्योगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अधिकतम परियोजना आकार— विनिर्माण क्षेत्र के लिए रु. 50.00 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए	यह क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिये गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना को विलय करके वर्ष 2008 से पीएमईजीपी योजना शुरू की गयी है। पात्रता — 1. 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति पात्र होगा। 2. विनिर्माण क्षेत्र के लिए रु.10.00 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए रु.5.00 लाख से अधिक की परियोजना लागत के लिए न्यूनतम योग्यता 8 वी कक्षा पास होनी चाहिए। 3. अपेक्षित दस्तावेज — फोटो, आधार कार्ड,	आवेदक पीएमईजीपी के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सभी अपेक्षित दस्तावेजों को अपलोड करते हुए KVIC, KVIB एवं DIC को आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों का चयन— लाभार्थियों की पहचान राज्य/जिला स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियों और बैंको द्वारा समन्वय के साथ जिला स्तर पर की जाती है तथा साथ ही समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। आईबीए के परामर्श से केवीआईसी ने एक स्कोरिंग मॉडल (स्कोर कार्ड) तैयार किया है। जिसका उपयोग पीएमईजीपी प्रस्तावों के मूल्यांकन और बाद में बैंको को आवेदनों/प्रस्तावों को अग्रेषित करने के लिए किया जाता है। परियोजना स्वीकृति— परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार वित्तीय बैंको द्वारा स्वीकृति दी जाएगी और प्रत्येक परियोजना के लिए बैंक अपनी क्रेडिट निर्णय स्वयं लेंगे। आवेदन करने के उपरांत क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा स्क्रूटिनी के उपरांत संबंधित बैंक शाखा को आवेदन अग्रसारित किया जाता है, जिसका वित्तीय बैंक शाखा द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाता है। ऋण स्वीकृत होने के पश्चात आवेदक द्वारा ईडीपी प्रशिक्षण लिया जाता है। ईडीपी प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत वित्तीय बैंक शाखा द्वारा प्रथम किस्त जो कि मार्जिन मनी के समतुल्य या अधिक हो, निर्गत किया जाता है। प्रथम किस्त निर्गत होने के उपरांत वित्तीय बैंक शाखा द्वारा मार्जिन मनी क्लैम पीएमईजीपी पोर्टल पर मार्जिन मनी क्लैम किया जाता है।

		रु.20.00 लाख।	परियोजना प्रस्ताव, आबादी प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता व तकनीकी योग्यता प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र। पात्र गतिविधियां खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जारी नकारात्मक सूची में प्रकाशित उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योग इस योजना के अंतर्गत स्थापित किए जा सकेंगे।	बैंक द्वारा क्लैम करने के उपरांत मार्जिन मनी (सब्सिडी) की धनराशि बैंक को प्राप्त होती है जिसे बैंक फिक्स्ड डिपोजिट कर देती है, जिस पर किसी प्रकार का ब्याज अनुमन्य नहीं होता है। परियोजना का कार्य तीन वर्ष पूर्ण होने के उपरांत आयोग द्वारा हायर की गई ऐजन्सी द्वारा इकाई की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा वित्त पोषित बैंक शाखा को मार्जिन मनी समायोजन पत्र जारी किया जाता है, जिसके आधार पर वित्तीय बैंक शाखा द्वारा मार्जिन मनी अनुदान राशि को लाभार्थी के ऋण खाते में समायोजित किया जाता है।
5	परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन निधि योजना (स्फूर्ति)	परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) वित्तीय सहायता 1)नियमित क्लस्टर – 500 कारीगरों तक वित्तीय सहायता— रु. 2.50 करोड़ 2) प्रमुख क्लस्टर – 500 से अधिक कारीगर वित्तीय सहायता – रु.5.00 करोड़ पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को क्लस्टरों में संगठित करना ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और उनकी दीर्घकालिक स्थिरता के लिए सहायता प्रदान कर पारंपरिक उद्योग कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए स्थायी रोजगार प्रदान करना है।	कार्यान्वयन अभिकरणों (आईए) में गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), केंद्र और राज्य सरकारों की संस्थाएं और अर्ध सरकारी संस्थाएं, राज्य और केंद्र सरकार के क्षेत्रीय कार्यकर्ता, पंचायती राज संस्थाएं, पंजीकृत उत्पादक समूह आदि शामिल होंगे, जिनके पास क्लस्टर विकास करने के लिए उपयुक्त विशेषज्ञता होगी। भूमि लाने की जिम्मेदारी आईए की होगी। योजना निधि का उपयोग भूमि अधिप्राप्ति के	योजना के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने में रुचि रखने वाले किसी भी कार्यान्वयन अभिकरणों (आईए) को पहले स्फूर्ति पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों और ऑनलाइन स्कोर कार्ड के साथ एक कान्सेप्ट नोट ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। बुनियादी मापदंडों को पूरा करने वाले प्रस्ताव को आईए द्वारा चुने गए नोडल अभिकरण (एनए) को प्रस्तुत किया जाएगा। एनए प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ अग्रेषित प्रस्ताव की जांच कर, अंतिम स्कोर को भी स्वीकृति प्रदान करेगा। एनए न्यूनतम मापदंडों को पूरा करने वाले प्रस्ताव को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), जोकि तकनीकी एजेंसी द्वारा तैयार की जाती है, स्वीकार की जाती है। कारीगरों का संयुक्त भौतिक सत्यापन एमएसएमई और एनए द्वारा किया जाएगा। एमएसएमई डीपीआर के अनुसार प्रस्तावित क्लस्टर की व्यवहार्यता को स्वीकृति प्रदान करेगा और नोडल अभिकरण (एनए) को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। डीपीआर की जांच एनए की प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की जाएगी। यदि प्रस्ताव योजना के मापदंडों को पूर्ण

			लिए नहीं किया जाएगा।	करता है तो इसे योजना संचालन समिति (एसएससी) के समक्ष रखने की सिफारिश के साथ मंत्रालय स्वीकृति हेतु भेज दिया जाता है।
6	क्षमता निर्माण और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम केवीआईसी	केवीआईसी द्वारा कारीगरों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साथ-साथ विभिन्न उद्योगों में कारीगरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभागीय और गैर-विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालित किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण केंद्र विभिन्न क्षेत्रों जैसे— साबुन और डिटरजेंट बनाना, खाद्य पदार्थ, बेकरी उत्पादन, रेडिमेड परिधान बनाना, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, मोटर बाइंडिंग आदि में आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।	पात्रता 1. आयुसीमा 16 से 50 वर्ष के व्यक्ति 2. आवेदक का आधार कार्ड 3. शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र 4. जन्मतिथि संबंधित प्रमाण पत्र	प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण लेने के लिए पंजीकरण शुल्क रु.50.00 रखा गया है। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 माह, 2 माह तथा 3 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, जिसके लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किया गया है। सरकारी विभागों से एवं विशेष मांग पर आयोजित प्रशिक्षण हेतु शुल्क अलग से निर्धारित किया जाता है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, देहरादून (NHB)



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के बारे में: राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में भारत सरकार द्वारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। वर्तमान में, NHB के पूरे देश में 29 क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। बोर्ड के व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य एकीकृत हाई-टेक वाणिज्यिक बागवानी के लिए उत्पादन क्लस्टर/हब विकसित करना, फसल कटाई के बाद और कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे का विकास, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना और नई प्रौद्योगिकियों/उपकरणों/तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड योजनाओं के लक्ष्य और उद्देश्य

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्य उद्देश्य बागवानी उद्योग के एकीकृत विकास में सुधार करना और फलों और सब्जियों के उत्पादन और प्रसंस्करण के समन्वय, रखरखाव में मदद करना है।

बोर्ड के विस्तृत उद्देश्य इस प्रकार हैं:—

1. चिन्हित बेल्टों में हाई-टेक वाणिज्यिक बागवानी का विकास और ऐसे क्षेत्रों को बागवानी गतिविधि से जीवंत बनाना, जो बदले में बागवानी के विकास के लिए केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
 2. क्षेत्र विस्तार परियोजनाओं के अभिन्न अंग के रूप में या परियोजनाओं के समूह के लिए सामान्य सुविधा के रूप में आधुनिक फसलोत्तर प्रबंधन बुनियादी ढांचे का विकास।
 3. ताजा बागवानी उपज के लिए एकीकृत, ऊर्जा कुशल कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे का विकास।
- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड सब्सिडी के माध्यम से बागवानी के एकीकृत विकास के लिए किसानों और उद्यमियों का समर्थन करता है।
- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड सब्सिडी क्रेडिट लिंकड और बैंक एंडेड है।
 - भूमि पूर्व-आवश्यकतारू आवेदक (ओं) का स्वामित्व या आवेदन की तारीख से न्यूनतम 10 वर्षों के लिए पंजीकृत पट्टा।
 - ग्रांट ऑफ क्लीयरेंस (जीओसी) और लीयर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन छोड़कर किया गया है और स्कीम नंबर 1 और 2 के लिए अनिवार्य है।

उत्तराखंड में बागवानी

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड देहरादून कार्यालय की स्थापना 2001 में की गई थी। बागवानी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है। राज्य में उगाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय फल लीची, आम, अमरुद, आंवला और खट्टे फल हैं, शीतोष्ण फल सेब, नाशपाती, आड़ू, बेर, खुबानी और अखरोट हैं। CEICdata-com पर बताए गए आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2022 में उत्तराखंड में बागवानी फसलों का क्षेत्रफल 296.390 हेक्टेयर था।

बागवानी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है। अपनी विविध कृषि-जलवायु परिस्थितियों और स्थलाकृति के कारण राज्य में बागवानी की काफी संभावनाएं हैं। राज्य लीची, आम, अमरुद, आंवला और नींबू जैसे उष्णकटिबंधीय फलों और सेब, नाशपाती, आड़ू, बेर, खुबानी और अखरोट जैसे शीतोष्ण फलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार				
क. सं.	परियोजना/योजना का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	योजना सं. 1 बागवानी फसलों के उत्पादन और फसलकटाई उपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास			परियोजना के आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किये जाते हैं जोकि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की वेबसाइट – www.nhb.gov.in पर किये जा सकते हैं। एनएचबी के योजना दिशानिर्देशों में संशोधन, जिसमें इसके कार्यान्वयन डिजाइन, दस्तावेजीकरण और मंजूरी प्रक्रिया शामिल है एनएचबी की योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक बैंक द्वारा सावधि ऋण की मंजूरी के बाद सीधे एनएचबी को क्लियरेंस (जीओसी) के लिए आवेदन कर सकेगा। एनएचबी को ऑनलाइन जीओसी आवेदन की तारीख से एक

परियोजना मोड पर खुली क्षेत्र की परिस्थितियों में वाणिज्यिक बागवानी विकास	सहायता का पैटर्न: पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रति परियोजना 37.5 लाख रुपये तक सीमित कुल परियोजना लागत का 50% क्रेडिट लिंकड बैंक-एडेड सब्सिडी।	गतिविधियां :- 2.00 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करने वाली परियोजनाओं के लिए परियोजना मोड पर खुले क्षेत्र की स्थिति, जिसमें से घटक जैसे रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, उर्वरता, सिंचाई, मशीनीकरण, सटीक खेती, जीएपी, भूमि विकास, स्टोर रूम और श्रमिक क्वार्टर आदि शामिल हैं। (5 एकड़)। योग्य फसलें: आंवला, बादाम, सेब, खुबानी, केला, बेर, नीबू, नीबू, मंदारिन संतरा, मीठा संतरा, कस्टर्ड सेब, अंजीर, अंगूर, अमरुद, कीवी, आम, पपीता, पेंशन फ्रूट, आड़ू, नाशपाती, अनानास, बेर, अनार, चीकू, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, कटहल, काजू, नारियल, जैतून, खजूर, काली मिर्च, इलायची, सिट्रोनेला, जिरेनियम, स्टीविया, पामोरासा, पुदीना, अजवाइन और इमली।	महीने के भीतर स्वीकृत सावधि ऋण को वैध माना जाएगा, हालांकि, सावधि ऋण का वितरण और परियोजना की शुरुआत एनएचबी द्वारा जीओसी जारी करने के बाद ही की जाएगी। जीओसी टर्म लोन की पहली किस्त के वितरण और परियोजना की शुरुआत के लिए 3 महीने के लिए वैध होगी। तदनुसार, एनएचबी में आवेदनों को निम्नलिखित तरीके से निपटाया जाएगा। 1) Grant of क्लीयरेंस (जीओसी) – आवेदक को जीओसी के लिए एनएचबी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और जीओसी के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे: – एक। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और एनएचबी के निर्धारित टेम्पलेट में सुझाई गई जानकारी ही अनिवार्य होगी। बी। भार-मुक्ति प्रमाणपत्र के साथ परियोजना भूमि दस्तावेज सी। बैंक स्वीकृति पत्र डी। बैंक मूल्यांकन नोट इ। वचनपत्र (निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र का हिस्सा होगा) आवेदन जमा होने के बाद, आवेदक को वित्तपोषण करने वाले बैंक को उत्तर/पुष्टि लिंक के साथ एक ईमेल भेजा जाएगा। संबंधित बैंक को दस्तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि ऑनलाइन करनी होगी। बैंक द्वारा दस्तावेजों की पुष्टि पर रासेज किया गया। बैंक मंजूरी पत्र, मूल्यांकन नोट और भूमि दस्तावेज आदि, एनएचबी जीओसी जारी करेगा। GoC के लिए स्थान के निरीक्षण के चरण को मोबाइल ऐप आधारित स्व-निरीक्षण से बदल दिया
---	---	--	--

			जाएगा। जेआईटी के दौरान, जियो लोकेशन/फेंसिंग आदि जैसे मोबाइल ऐप के माध्यम से पहले कैप्चर किए गए विवरण को सत्यापित किया जाएगा। सब्सिडी दावा दस्तावेज भी बैंक/आवेदक द्वारा ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। कोल्ड स्टोरेज/रिपनिंग चैंबर और संरक्षित संरचना के लिए तकनीकी डेटा शीट का हिस्सा होगी। कोल्ड स्टोरेज और राइपनिंग चैंबर के लिए बुनियादी डेटाशीट की जांच एनएचबी द्वारा जीओसी से पहले एनसीसीडी द्वारा की जाएगी। जीओसी पत्र में यह उल्लेख किया जाएगा कि आवेदक एनएचबी द्वारा निर्धारित मौजूदा मानकों/विनिर्देशों के अनुसार कोल्ड स्टोरेज/रिपनिंग चैंबर / ग्रीन हाउस का निर्माण करेगा। कानूनी इकाई के मामले में पंजीकरण प्रमाणपत्र/डीड डीपीआर का हिस्सा होगा। एनएचबी परियोजना दस्तावेजों की जांच के लिए वित्तपोषण करने वाले बैंकों पर निर्भर करेगा। (2) आराम पत्र (एलओसी) इच्छुक आवेदकों को उनके प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से सावधि ऋण स्वीकृत कराने में सुविधा प्रदान करने के लिए आईपीए प्रणाली को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) से बदल दिया जाएगा। हालाँकि, आईपीए के विपरीत एलओसी अनिवार्य नहीं है और यह केवल उन लोगों को जारी किया जाएगा जो प्रस्तावित सुरक्षा के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों से अपना सावधि ऋण स्वीकृत कराने के लिए एक सुविधा पत्र चाहते
--	--	--	---

				हैं। ● आवेदक एलओसी के लिए एनएचई को ऑनलाइन आवेदन करेगा और एलओसी के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। 1 –विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और एनएचबी के निर्धारित टेम्पलेट में सुझाई गई जानकारी ही अनिवार्य होगी। ● 2 –परियोजना भूमि दस्तावेज ● एनएचआर द्वारा जारी एलओसी की वैधता 6 महीने तक होगी, जिसे आसानी के आधार पर उचित कारणों के आधार पर 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। आवेदक को प्रस्तावित परियोजना के लिए 6 महीने की वैधता अवधि के भीतर सावधि ऋण स्वीकृत कराना होगा। ● बैंक/एफआई से सावधि ऋण स्वीकृत होने के बाद, आवेदक क्लीयरेंस अनुदान जारी करने के लिए एनएचबी से अनुरोध करेगा। आवेदन करने की प्रक्रिया जीओसी वही रहेगी जो ऊपर बताई गई है।
2	परियोजना मोड पर संरक्षित कवर में वाणिज्यिक बागवानी विकास	सहायता का पैटर्न: ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक टनल, एंटी बर्ड/हेल नेट और रोपण की लागत के लिए स्वीकार्य लागत मानदंडों के अनुसार कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत क्रेडिट लिंकड	गतिविधियाँ:- 2500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाली परियोजनाओं के लिए रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, सिंचाई, उर्वरता, मशीनीकरण आदि घटकों सहित परियोजना मोड पर संरक्षित कवर के तहत परियोजनाएं। पात्र फसलें: फूल:	

		बैंक एंड सब्सिडी प्रति प्रोजेक्ट 56.00 लाख रुपये तक सीमित है।	एन्थूरियम, गुलाब, ऑर्किड, लिलियम, गुलदाउदी, कार्नेशन और जरबेरा। बी। सब्जियाँ: उच्च मूल्य वाली सब्जियाँ: शिमला मिर्च, ककड़ी, टमाटर।	
3	<u>समेकित फसल उपरान्त कटाई प्रबंधन परियोजनाएं</u>	सहायता का पैटर्न: पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रति परियोजना 72.50 लाख रुपये तक सीमित कुल परियोजना लागत का 50% क्रेडिट लिंकड बैंक-एडेड सब्सिडी।	गतिविधियाँ: पैक हाउस, रिपनिंग चैंबर, रेफर वैन, रिटेल आउटलेट, प्री-कूलिंग यूनिट, प्रसंस्करण प्राथमिक आदि से संबंधित परियोजनाएं। लागत मानदंड:- पैक हाउस 4 रुपये/यूनिट लाख 9 एमएक्स 6 एम के साथ @ 50% सब्सिडी, इंटीग्रेटेड पैक हाउस 50 लाख रुपये@यूनिट 9 एमएक्स 18एम के साथ @ 50% सब्सिडी, राइपनिंग चैंबर 1 लाख रुपये/एमटी @ 50% सब्सिडी, रेफर वैन- 25 लाख रुपये / 50% सब्सिडी, रिटेल आउटलेट 15 लाख रुपये/यूनिट / 50% सब्सिडी, प्री-कूलिंग	

			यूनिट – 25 लाख रुपये/6MT / 50% सब्सिडी, कोल्ड रुम 15 लाख रुपये/30MT 50% सब्सिडी प्राथमिक प्रसंस्करण 25 लाख रुपये/यूनिट / 50% सब्सिडी	
2	योजना सं 2 बागवानी उत्पाद के लिए शीत संग्रहगार और संग्रहगारों के निर्माण आधुनिकीकरण के/विस्तार/ सब्सिडी योजना लिए पूंजी निवेश	सहायता का पैटर्न: पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत के 50% की रूप में सहायता दी जाएगी। लागत मानदंड: क्र.सं. विवरण लागत मानदंड 1. कोल्ड स्टोरेज इकाइयां टाइप 1 एकल तापमान क्षेत्र के साथ > 250 मीट्रिक टन) प्रकार के बड़े कक्ष के साथ की बुनियादी मेजेनाइन है। ● संरचना @रु. 5000 मीट्रिक टन तक की क्षमता के लिए 8000/ मीट्रिक	योजना संख्या: बागवानी उपज के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के निर्माण/ विस्तार/ आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश दर से सब्सिडी के सब्सिडी योजना। घटक और क्षमता: नियंत्रित वातावरण (सीए) और उनके आधुनिकीकरण सहित कोल्ड स्टोरेज से संबंधित क्रेडिट लिंकड परियोजनाएं इस घटक के तहत सहायता के लिए पात्र हैं और 5001 मीट्रिक टन से ऊपर की भंडारण क्षमता से लेकर 10000 मीट्रिक टन तक भंडारण क्षमता है।	

		टन। • @ रु. 5001 से 6500 मीट्रिक टन के बीच क्षमता के लिए 7600 / मीट्रिक टन। • @ रु. 6501 से 8000 मीट्रिक टन के बीच क्षमता के लिए 7200 / MTI • @ रु. 8001 से 10000 मीट्रिक टन के बीच क्षमता के लिए 6800 / MTI 2. कोल्ड स्टोरेज इकाइयां टाइप 2 कई तापमान और उत्पाद उपयोग के लिए प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग (पीईबी) प्रकार, 250 मीट्रिक टन से कम के 6 से अधिक कक्ष और बुनियादी सामग्री हैंडलिंग उपकरण • @ रु 5000 मीट्रिक टन तक की क्षमता के लिए मीट्रिक टन । 10000 / मीट्रिक टन • @ रु. 5001 से		
--	--	---	--	--

		6500 मीट्रिक टन के बीच क्षमता के लिए 9500/मीट्रिक टन । • 6501 से 8000 मीट्रिक टन के बीच क्षमता के लिए रु. 9000/एमटी की दर से। • 8001 से 10000 मीट्रिक टन के बीच क्षमता के लिए रु. 8500/MT की दर से।		
3	बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण	नर्सरी पंजीकरण एवं नवीनीकरण/जागरूकता कार्यक्रम/प्रदर्शनी आदि	पात्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान, आईसीएआर/एससयू/सीएयू/सरकारी एजेंसिया	

रेशमकीट बीज उत्पादन केंद्र (CSB)
राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन , भारत सरकार , प्रेमनगर देहरादून



योजना एवं सेवा का नाम	लाभार्थी	पात्रता आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
द्विपज संकर बीज का उत्पादन एवं आपूर्ति	केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अधीनस्थ रेशमकीट बीज उत्पादन केंद्र, राष्ट्रीय रेशमकीट बीज उत्पादन केंद्र द्वारा द्विपज संकर बीज का उत्पादन किया जाता है । इस केंद्र द्वारा उत्पादित रेशमकीट बीज को उत्पादन के उपरान्त इस केंद्र पर उपलब्ध शीतागार (Cold storage Plant) में रखा जाता है एवं आवश्यकतानुसार रेशमकीट बीज को उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर के रेशमकीट पालकों को आपूर्ति की जाती है । इस केंद्र द्वारा साल में लगभग 10 लाख द्विपज संकर बीज का उत्पादन किया जाता है। रेशमकीट बीज उत्पादन केंद्र का मुख्य कार्य राज्य रेशम विभाग को द्विपज संकर बीज की आपूर्ति कराना है। राज्य रेशम विभाग संकर बीजों को अपने प्रदेश के रेशम कीटपालको को आपूर्ति करते है। इन बीजों से रेशमकीट पालको द्वारा कोकून को उत्पादित कर रेशम की पैदावार की जाती है। इस प्रकार इस केन्द्र द्वारा उत्तर भारत के प्रदेशों को रेशमकीट बीज की आपूर्ति कर रेशमकीट पालकों की आमदनी एवं रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेशमकीट पालकों उत्पादित कोया द्वारा ही रेशम का उत्पादन किया जाता है ।	राज्य रेशम विभाग द्वारा बीज उत्पादक/ चौकी कीट पालक व बीज कोया उत्पादक का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 2006 (संशोधन) को पारित करके केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 में रेशमकीट बीज सेक्टर के लिए गुणवत्ता सुधार लागू किये गये है। केन्द्रीय बीज अधिनियम के अनुसार समस्त बीज उत्पादकों / चौकी कीट पालक व बीज कोया उत्पादको को प्रपत्र-12ए , 12बी , 12सी में आवेदन प्रस्तुत करना है। आवेदन पत्र की जानकारी केन्द्रीय रेशम बोर्ड बंगलोर एवं राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के Website: csb.gov.in के माध्यम से किया जाता है।

भारतीय खान ब्यूरो देहरादून। (IBM)



संक्षिप्त परिचय :- भारतीय खान ब्यूरो का देहरादून कार्यालय एक आंचलिक कार्यालय है इस कार्यालय का अधिकार-क्षेत्र जम्मू कश्मीर, लेह, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं उत्तराखण्ड देहरादून अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली खानों में खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम 1957 के अनुरूप व्यवस्थित विकास, खनिजों के संरक्षण और खानों में पर्यावरण की सुरक्षा, पूर्वक्षण और खनन, निम्न ग्रेड और अस्वीकृत खनिजों का उपयोग, खनन क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण, लाभकारी खनिजों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाये जाने के संबंध में खान मालिकों को सलाह दी जाती है।

यदि किसी क्षेत्र में रेत, बजरी एवं अन्य प्रकार का खनन होता है तथा आसपास के पर्यावरण को हानि होती है तो उससे सम्बन्धित शिकायत करने हेतु खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 23 सी के अनुसार, राज्य सरकारें किसी भी अवैध खनन के मामलों में कार्रवाई करने के लिए अधिकृत और जिम्मेदार है। इसके अलावा रेत और बजरी गौण खनिज होने के कारण विशेष रूप से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालांकि, केंद्र सरकार ने व्यवस्थित और वैज्ञानिक खनन के लिए भारतीय खान ब्यूरो के दायरे में आने वाले गौण खनिजों के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए खनिजों के लिए Mining Surveillance System (MSS) / खान निगरानी प्रणाली शुरू की है। Mining Surveillance System अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाने और उन पर अंकुश लगाने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए विकसित की गई है। सिस्टम किसी भी असामान्य गतिविधि की खोज के लिए उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके मौजूदा खनन पट्टा सीमा के आसपास 500 मीटर के क्षेत्र की जांच करता है, जहां अवैध खनन होने की संभावना है। पाई गई किसी भी विसंगति को ट्रिगर के रूप में चिह्नित किया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न ट्रिगर्स को फील्ड निरीक्षण द्वारा सत्यापन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है। नागरिकों और राज्य सरकारों के लिए उपयोगी डै मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है।

यदि कोई किसी विशेष क्षेत्र में, किस प्रकार के खनिज पाये जाते हैं, की जांच/सर्वेक्षण करवाने की प्रक्रिया— एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 4(1) राज्य सरकार के खान और भूविज्ञान निदेशालय को कुछ अन्य एजेंसियों के साथ पूर्वक्षण संचालन करने की अनुमति देती है, जिसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और मिनरल्स एक्सप्लोरेशन लिमिटेड शामिल हैं। कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत दिए गए रिकनेसेस परमिट या पूर्वक्षण लाइसेंस या, जैसा भी मामला हो, खनन पट्टे के नियमों और शर्तों के तहत और उनके अनुसार किसी भी क्षेत्र में कोई रिकनेसेस, पूर्वक्षण या खनन कार्य नहीं कर सकता है।

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड/जल शक्ति मंत्रालय, देहरादून (CGWB)



क्र. सं.	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	GWMR- Monitoring of Ground water level and quality across the State/ जीडब्ल्यूएमआर—राज्य भर में भूजल स्तर और गुणवत्ता की निगरानी।	केन्द्रीय भूजल बोर्ड, जनवरी, मई, अगस्त और नवंबर में स्थापित स्टेशनों का उपयोग करके राज्य भर में भूजल स्तर की त्रैमासिक निगरानी करता है। इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूबी एक वर्ष में त्रैमासिक रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में स्प्रिंग में होने वाले निर्वहन को मापता है। वर्तमान में सभी जिलों में 266 निगरानी स्टेशन वितरित हैं। एकत्रित जल स्तर डेटा का उपयोग सालाना भूजल की स्थिति और उतार चढ़ाव का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, जिसे ग्राउंडवाटर ईयरबुक के रूप में प्रकाशित किया जाता है, जिसमें वार्षिक, दशक भर और मौसमी आधार पर रुझानों का विवरण दिया जाता है। इसके अलावा, भूजल के नमूने मानसून के मौसम से पहले और बाद में (मई और नवंबर में) निगरानी स्टेशनों से एकत्र किए जाते हैं और प्रयोगशाला विश्लेषण के अधीन होते हैं। इस डेटा का उपयोग राज्य की भूजल गुणवत्ता का आकलन करने, असामान्य भूजल गुणवत्ता वाले क्षेत्रों का पता लगाने और निवारक कार्रवाईयों की सिफारिश करने के लिए किया जाता है।	छात्र, शोधकर्ता वैज्ञानिक सरकारी अधिकारी, राज्य और जिला प्राधिकरण, संस्थान, कॉलेज और गैर सरकारी संगठन, आम लोग	किसी क्षेत्र विशेष में हैंडपंप/नलकूप/सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता है या नहीं, से संबंधित भूजल गुणवत्ता एवं भूजल स्तर के बारे में विवरण सार्वजनिक मंच पर भूजल वर्ष पुस्तिका (Ground water yearbook) के रूप में उपलब्ध है। इसके अलावा केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किये गये

				विशेष अध्ययनों के आधार पर भूभौतिकीय सर्वेक्षण(Geophysical survey) आयोजित किये जाते हैं। डेटा और रिपोर्ट सीजीडब्ल्यूबी वेबसाइट पर उपलब्ध है। https://cgwb.gov.in/
2.	GWMR- Ground water Resource Estimation of Uttarakhand State/जीडब्ल्यू एमआर-उत्तराखण्ड राज्य का भूजल संसाधन अनुमान	मूल्यांकन में गतिशील भूजल संसाधनों या वार्षिक निकाले जाने योग्य भूजल संसाधन, कुल वर्तमान वार्षिक भूजल निष्कर्षण (उपयोग) और वार्षिक निकाले जाने योग्य संसाधनों (भूजल निष्कर्षण का चरण) के संबंध में उपयोग का प्रतिशत की गणना शामिल है। मूल्यांकन इकाइयों (तालुका/ब्लॉक/मंडल/फिरका) को भूजल निष्कर्षण के चरण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसे बाद में दीर्घकालिक जल स्तर के रुझानों के साथ मान्य किया जाता है। उत्तराखण्ड राज्य में देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर और नैनीताल जिलों के 18 मूल्यांकन ब्लॉकों में हर साल मूल्यांकन किया जाता है। राज्य में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण (2023) 20.20 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) आंका गया है। भूजल संसाधनों की प्रति वर्षा और अन्य स्रोतों जैसे सिंचाई से वापसी प्रवाह, नहर रिसाव आदि के माध्यम से की जाती है। वार्षिक भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत वर्षा है, जो कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण में लगभग 69.33 प्रतिशत का योगदान देता है। प्राकृतिक निर्वहन का प्रावधान रखते हुए राज्य का कुल वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन 1.861 बीसीएम आंका गया है। राज्य का वार्षिक भूजल निष्कर्षण (2023) 0.954 बीसीएम है, जिसका सबसे बड़ा उपयोगकर्ता सिंचाई क्षेत्र है। संपूर्ण राज्य के लिए भूजल निष्कर्षण का चरण, जो कि वार्षिक निष्कर्षण का प्रतिशत है, 51.69 प्रतिशत आंका गया है। उत्तराखण्ड राज्य के 18 मूल्यांकन किए गए ब्लॉकों में से 14 ब्लॉकों में भूजल विकास का स्तर 70 प्रतिशत से नीचे है और उन्हें सुरक्षित कहा जाता है, जबकि शेष 4 ब्लॉकों में भूजल विकास का स्तर 70 और 90 प्रतिशत के बीच है और उन्हें "सेमी क्रिटिकल" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।	छात्र, शोधकर्ता वैज्ञानिक सरकारी अधिकारी, राज्य और जिला प्राधिकरण, संस्थान, कॉलेज और गैर सरकारी संगठन, आम लोग	डेटा और रिपोर्ट सीजीडब्ल्यूबी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

3.	GWMRPMK SY-HKKPGW/ जीडब्ल्यूएमआर-पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-जी डब्ल्यू	NAQUIM आउटपुट और सुझावों के आधार पर, PMKSY-HKKP-GW योजना को उत्तराखण्ड राज्य में सफलतापूर्वक लागू किया गया था। लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड सरकार ने उधमसिंहनगर और हरिद्वार जिला में सौर (188) और विद्युत उर्जा (18) सबमर्सिबल पंपों द्वारा संचालित कुल 206 ट्यूबवेलों की स्थापना के माध्यम से पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-जीडब्ल्यू योजना लागू की है। प्रत्येक ट्यूबवेल 5 से 6 किसानों के उपयोगकर्ता समूह के साथ लगभग 5 हेक्टेयर क्षेत्र का उपयोग करता है। सोलर पंपों की स्थापना से किसानों को बिजली/डीजल पर अतिरिक्त लागत खर्च किए बिना साफ पानी मिल रहा है, जिससे किसानों का लाभ होने के कुल सिंचाई उत्पादन दर में कमी आ रही है। इस योजना से 1030 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचित कमांड क्षेत्र तैयार हुआ है और 1085 लाभार्थियों (किसानों) की आय में वृद्धि हुई है। इस योजना के तहत लाभार्थी केवल छोटे और सीमांत किसान हैं, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को प्राथमिकता दी गई है।	किसानों, सरकारी अधिकारी, राज्य और जिला प्राधिकरण, आम लोग	डेटा और रिपोर्ट सीजीडब्ल्यूबी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
4.	GWMRIEC activities/ जीडब्ल्यूएमआर आईईसी गतिविधियाँ	वार्षिक रूप से सीजीडब्ल्यूबी राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए भूजल संरक्षण और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से टियर 2 और टियर 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। छत्तीसगढ़ के नए रायपुर में स्थित सीजीडब्ल्यूबी के प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संबद्ध क्षेत्रों के पेशेवरों के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण सत्र की व्यवस्था की जाती है। सीजीडब्ल्यूबी जल संरक्षण के महत्व को बताने और जमीनी स्तर पर एनएक्यूयूआईएम और अन्य हाइड्रोजियोलॉजिकल अध्ययनों से अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए अक्सर सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम (पीआईपी) आयोजित करता है।	छात्र, शोधकर्ता वैज्ञानिक सरकारी अधिकारी, आम लोग	
5.	GWMR Central Ground Water Authority/जीडब्ल्यूएम आर केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण	देश में भूजल संसाधनों के विकास और प्रबंधन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया है। सीजीडब्ल्यू उद्योगों या बुनियादी ढांचा परियोजनाओं या खनन परियोजनाओं आदि के लिए भूजल निष्कर्षण के लिए 'अनापत्ति प्रमाण' (एनओसी) जारी करके भूजल विकास और प्रबंधन को नियंत्रित और प्रबंधन सीजीडब्ल्यूबी कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।	उद्योग मालिक, खनन कंपनियां, होटल और अन्य ढांचागत मालिक हाउसिंग सोसायटी, टैंकर और थोक जल आपूर्ति एजेंसियां	आवेदन एन ओसीएपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। https://cgwb.gov.in/

केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून (CWC)

संक्षिप्त विवरण :- केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है और वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के एक



संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। केन्द्रीय जल आयोग को बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नेविगेशन, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत विकास के प्रयोजन हेतु समूचे देश के जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग की योजनाओं को राज्य सरकार के साथ परामर्श कर शुरू करने, समन्वित करने तथा आगे बढ़ाने का सामान्य उत्तरदायित्व सौंपा गया है। वर्तमान में आयोग का काम 03 विंगों में विभाजित है, डिजाइन और अनुसंधान (डी. एंड. आर) विंग, नदी प्रबंधन (आर. एम) विंग और जल योजना और परियोजना (डब्ल्यू पी एंड पी) विंग। आर. एम. विंग के अंतर्गत विभिन्न बेसिनों में 14 क्षेत्रीय संगठन हैं। उत्तराखंड राज्य में केन्द्रीय जल आयोग की विभिन्न गतिविधियाँ, जिनमें जल-मौसम विज्ञान प्रेषण स्थल भी शामिल हैं, दो क्षेत्रीय संगठनों ऊपरी गंगा बेसिन संगठन (यू. जी. बी. ओ.), लखनऊ और यमुना बेसिन संगठन (वाई. बी. ओ.), नई दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।

उत्तराखंड में केन्द्रीय जल आयोग के कार्यों का अवलोकन

- 1) **जल-मौसम संबंधी प्रेषण-** जल से सम्बंधित विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से सभी नदी बेसिन के लिए जल-मौसम संबंधी आंकड़ों का मापन एवं संग्रह आवश्यक है, जिससे जल संसाधन परियोजनाओं की योजना और विकास, जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावों के आकलन से संबंधित अध्ययन, जल उपलब्धता अध्ययन, अभिकल्प बाढ़ और तलछट अध्ययन, बाढ़ स्तर/अंतर्वाह पूर्वानुमान, अंतर्राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय मुद्दों का समाधान, नदी आकृति विज्ञान अध्ययन, जलाशय गाद अध्ययन, अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास, अनुसंधान संबंधी गतिविधियाँ आदि की जा सके। उत्तराखंड में, गंगा और उसकी सहायक नदियों जैसे अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडर, नयार, शारदा, कोसी, रामगंगा और यमुना पर आंकड़ों का मापन, संग्रह और संकलन के लिए 73 स्थलों का तंत्र है। इनमें से 24 गेज (जी), 29 गेज और निस्सारण (जी डी), 6 जी डी एस, 5 जी डी क्यू और 9 जी डी एस क्यू (गेज, निस्सारण, गाद और जल गुणवत्ता) साइट हैं। गैर-मानसून के दौरान प्रतिदिन 03 बार और मानसून के मौसम के दौरान प्रति घंटा जल स्तर देखा जाता है। प्रतिदिन एक बार निस्सारण, प्रतिदिन एक बार तलछट प्रेषण और 10 दैनिक आधार पर जल गुणवत्ता का प्रेषण किया जाता है। उत्तराखंड राज्य में कुल 96 वर्षामापी यंत्र केन्द्रीय जल आयोग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।
- 2) **वास्तविक काल आंकड़ा अधिग्रहण प्रणाली** – केन्द्रीय जल आयोग ने उत्तराखंड राज्य में स्वचालित वास्तविक आंकड़ा संग्रह और इसके प्रसारण के लिए 46 टेलीमेट्री स्टेशनों का तंत्र भी स्थापित किया है।

- 3) **बाढ़ पूर्वानुमान**— बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली, बाढ़ प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण गैर-संरचनात्मक उपाय है, जो आने वाली बाढ़ की अग्रिम जानकारी देता है। यह बचाव/राहत कार्यों की बेहतर योजना से बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतर्वाह पूर्वानुमान बाढ़ गुंजाइश के साथ या उसके बिना जलाशयों के अनुकूल विनियमन में भी मदद करता है। राज्य में 04 स्तरीय पूर्वानुमान स्थल और 04 अंतर्वाह पूर्वानुमान स्थल हैं। बाढ़ पूर्वानुमान और जल स्तर की जानकारी आम जनता को वेबसाइट <https://ffs.india-water.gov.in> के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों एवं सरकारी संस्थानों द्वारा इस सेवा का व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है।

यदि किसी व्यक्ति/नागरिक को बाढ़ पूर्वानुमान की सूचना प्राप्त करनी हो तो वह कैसे प्राप्त करे — वर्तमान में केंद्रीय जल आयोग द्वारा भारत में 340 स्टेशन (140 अंतर्वाह पूर्वानुमान + 200 स्थल पूर्वानुमान), इनमें से उत्तराखण्ड राज्य में 8 स्टेशन (4 अंतर्वाह पूर्वानुमान एवं 04 स्थल पूर्वानुमान) पर लघु अन्तराल (Upto 24 Hrs) पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इस नेटवर्क को राज्य सरकार/परियोजना प्राधिकारियों के परामर्श से स्थापित किया गया है। बाढ़ के पूर्वानुमानों का प्रसार वेबसाइट <https://ffs.india-water.gov.in> के माध्यम से किया जाता है। उपरोक्त के साथ साथ 7 दिवसीय बाढ़ परामर्श पूर्वानुमान (Generated through basin & specific mathematical models using IMD weather forecast products and near real & time satellite rainfall estimates) को वेबसाइट <https://aff.india-water.gov.in/home.php> पर प्रसारित किया जाता है। इसके अलावा केंद्रीय जल आयोग ने मोबाइल एप्लीकेशन Floodwatch India को भी लांच किया है, जिसमें निम्नलिखित जानकारी आम जनता के लिए उपलब्ध है:

1. बाढ़ पूर्वानुमान (24 घंटे तक)
2. निकटतम स्टेशन की बाढ़ की स्थिति
3. 7 दिवसीय बाढ़ परामर्श
4. राज्य में बाढ़ की स्थिति
5. जलाशय स्तर और उसकी स्थिति Floodwatch India एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर और Apple App स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

- 4) **जल गुणवत्ता प्रयोगशाला**— उत्तराखण्ड के हरिद्वार (NABL मान्यता प्राप्त) जिले में केंद्रीय जल आयोग द्वारा प्रबंधित एक जल गुणवत्ता प्रयोगशाला (स्तर-II) है। 14 WQ अवलोकन स्टेशन और 15 नमूना स्थलों से 10 दैनिक आधार पर (महीने में तीन बार) नमूना एकत्र किया जाता है। इन नमूनों के लिए इस समय कुल 23 WQ मापदंडों का विश्लेषण किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को जल गुणवत्ता की जांच करानी हो तो, हिमालयी गंगा मण्डल जल प्रयोगशाला में 12 जल गुणवत्ता पैरामीटर (pH] Electrical Conductivity] Total Hardness] Calcium] Magnesium] Chloride] Alkalinity] Sodium] Potassium] Sulphate] Dissolved Oxygen and BOD NABL accredited), नदी आंकड़ा संकलन— 2, केंद्रीय जल आयोग, नयी दिल्ली के पत्र दिनांक 17-12-2018 के अनुसार NABL जल गुणवत्ता पैरामीटर के विश्लेषण शुल्क दे कर, करा सकता है।

- 5) **गंगा नदी पर ई-प्रवाह निगरानी**— भारत सरकार ने 9 अक्टूबर, 2018 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से गंगा नदी के लिए न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह को अधिसूचित किया गया है, जिसमें केन्द्रीय जल आयोग अभिहित प्राधिकारी तथा आकड़ों का संरक्षक है तथा प्रवाहों के पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग, विनियमन तथा जब कभी भी अपेक्षित हो, समुचित प्राधिकारी को आवश्यक जानकारी रिपोर्ट करने के किये उत्तरदायी है। इसके अनुसार नदी पर विभिन्न स्थानों पर ई-प्रवाह बनाए रखा जाना है। यह आदेश उदगम वाले ग्लेशियरों से आरम्भ होने वाले ऊपरी गंगा बेसिन तथा देवप्रयाग से हरिद्वार तक और उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले तक गंगा नदी की मुख्य धारा को तथा अंत में मिलने वाली इसकी मुख्य सहायक नदियों के क्रमवर्ती सम्मिलनों पर लागू होता है।
- 6) **हिमनद झीलों और जलाशय की निगरानी** — हिमनद झीलों के प्रक्षोभ के कारण होने वाली आकस्मिक बाढ़, जिसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) कहा जाता है, भारतीय हिमालयी क्षेत्र में आम हैं, जहाँ भूस्खलन के कारण इस तरह की झील बनती हैं। भारतीय हिमालयी क्षेत्र को आवरण करने वाली हिमनद झीलों और जल निकायों की सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग-आधारित मैपिंग और निगरानी, उपग्रह इमेजरी के आधार पर जून से अक्टूबर तक केंद्रीय जल आयोग मुख्यालय द्वारा मासिक आधार पर की जाती है। केंद्रीय जल आयोग भारतीय हिमालयी क्षेत्र के 902 ग्लेशियल झीलों और जलाशयों की निगरानी जून से अक्टूबर तक करता है, तथा इसकी जानकारी मासिक व वार्षिक रिपोर्ट बना कर प्रासंगिक विभाग/प्राधिकरण के साथ साझा किया जा रहा है, जिसमें छह हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (उत्तराखंड सम्मिलित) के NDMA और SDMA भी शामिल हैं, साथ ही इसकी जानकारी को केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट <https://cwc.gov.in/en/glacial-lakeswater-bodies-himalayan-region> पर भी प्राप्त किया जा सकता है।
- 7) **परियोजनाओं का मूल्यांकन और निगरानी**— केंद्रीय जल आयोग राज्य में वृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और सतही लघु सिंचाई योजना की निगरानी और मूल्यांकन भी करता है।
- 8) **बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (DRIP)** :— केंद्रीय जल आयोग देश के विभिन्न राज्यों के साथ उत्तराखंड राज्य में भी बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना का कार्य कर रहा है।
- केंद्रीय जल आयोग के कार्य में सम्बंधित विभाग :-**
- E-flow के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन।
 - बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी के सम्बन्ध में SDMA एवं विभिन्न स्तर पर SDMA के घटक और राज्य सिंचाई विभाग।
 - DRIP के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड।

विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय, देहरादून।



क्र० सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	विपणन सहायता एवं सेवायें			
क	गांधी शिल्प बाज़ार	गांधी शिल्प बाज़ारों का आयोजन महत्वपूर्ण मेलों/ त्यौहारों/ प्रमुख नगरों/ ऐतिहासिक स्थानों/पर्यटन स्थलो आदि को ध्यान में रखते हुए तैयार किये जाने वाले वार्षिक रोस्टर के आधार पर किया जाता है। यह कारीगरों के बीच नियमित आय सुनिश्चित करेगा और इन आयोजनों के माध्यम से क्षेत्र के लोग अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे। अवधि 7-15 दिनों की होगी और इसमें 50-300 स्टॉल शामिल किये जाएंगे। दैनिक भत्ता- रु. 800 प्रतिदिन (श्रेणी- क के शहर हेतु), रु. 500 प्रतिदिन (श्रेणी-ख के शहर हेतु) यात्रा भत्ता- रु. 4000 भाड़ा शुल्क- रु. 2000 दिया जाता है।	हस्तशिल्पी पहचान कार्ड धारी	आवेदन https://indian.handicrafts.gov.in/en के वेबसाइट से ऑनलाइन किया जा सकता है।

ख	अन्य संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में निर्मित स्टॉल को किराए पर लिया जाना।	पर्यटन विभाग अथवा राज्य और केंद्र सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा आयोजित स्थापित मेले में कारीगरों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और बिक्री में सक्षम बनाने के लिए, कारीगरों को आवंटन हेतु मेलों में स्टाल प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है। दैनिक भत्ता— रु. 800 प्रतिदिन (श्रेणी—क के शहर हेतु), रु. 500 प्रतिदिन (श्रेणी— ख के शहर हेतु) भाड़ा शुल्क सहित यात्रा भत्ता— रु. 6000 दिया जाता है।	हस्तशिल्पी पहचान कार्ड धारी	ऑनलाइन/ऑफ लाइन
ग	शिल्प प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम	शिल्प प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम में शिल्पकारों, उद्यमियों, छात्रों, शिक्षाविदों, विद्वानों आदि के साथ विचार विमर्श और ज्ञान साझा करने का सत्र शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प और इससे जुड़ी विरासत, संस्कृति और परंपरा के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसमें जनसाधारण / कॉलेज / विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए लाइव प्रदर्शन, कलाकृतियों का निर्माण करना भी शामिल है। यह कार्यक्रम आम जनता को कलाकृतियों के निर्माण में शामिल जटिल कौशल, कठिनाई और रचनात्मकता को समझने में सहायता करेगा। मानदेय रु. 4000 तीन दिनों के लिए दिया जाता है।	हस्तशिल्पी पहचान कार्ड धारी	आवेदन हस्तशिल्प सेवा केंद्र में जमा किया जा सकता है
2	डिज़ाइन एवं तकनीकी विकास कार्यक्रम	यह घटक बाज़ार की वर्तमान डिज़ाइन आवश्यकताओं को पूरा करने पर केन्द्रित है तथा इसका उद्देश्य कारीगरों के मौजूदा कौशल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार नए डिज़ाइन/प्रोटोटाइपों का विकास करना है। प्रत्येक कार्यशाला में 20–30 कारीगरों का एक बैच होगा जो न्यूनतम 25 दिनों (5 घंटे प्रतिदिन की दर से) की अवधि से लेकर अधिकतम 65 दिनों की अवधि के लिए होगा। दैनिक भत्ता रु. 300 प्रतिदिन दिया जाता है।	हस्तशिल्पी पहचान कार्ड धारी	आवेदन हस्तशिल्प सेवा केंद्र में जमा किया जा सकता है।
3	गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम	योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प ज्ञान को शिद्ध हस्तशिल्पी (गुरु) से नयी पीढ़ी के कारीगरों (शिष्य) को स्थानांतरित करना है ताकि कौशल अंतर को कम एवं बाज़ार की मांग को पूरा किया जा सके। यह हस्तशिल्प क्षेत्र में तकनीकी एवं सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से पूरा किया जाएगा जिससे एक प्रशिक्षित कार्यबल का सृजन होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और समर्थ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय कौशल अहर्ता ढांचा संरक्षित पाठ्यक्रम की सूची में उल्लेखित घंटों के अनुसार होगी। आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का बैच आकार 20–30	हस्तशिल्पी पहचान कार्ड धारी	आवेदन हस्तशिल्प सेवा केंद्र में जमा किया जा सकता है।

		कारीगरों का होगा। संबन्धित शिल्प में पहचान कार्ड रखने वाले कारीगर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी के पात्र हैं। दैनिक भत्ता रु. 300 प्रतिदिन दिया जाता है।		
4	टूलकिट वितरण कार्यक्रम	टूल और कौशल से परिपूर्ण हाथ हस्तशिल्प क्षेत्र के वे दो आभूषण हैं जो उत्पादकता विस्तार के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये हस्तशिल्प कारीगरों को बड़े स्तर पर समान गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में सहायता करते हैं। उत्पादन और गुणवत्ता की एकरूपता का बढ़ना उच्च प्रतिस्पर्धा वाले अंतराष्ट्रीय हस्तशिल्प बाजार में बने रहने के प्रमुख घटक हैं। टूलकिट वितरण के प्रावधान का आरंभ उपरोक्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया गया है। अधिकतम वित्तीय सहायता प्रति टूलकिट 10,000/- रुपए है और भट्टियों/करघों के लिए 20,000/- रुपए है अथवा वास्तविक जो भी कम हो।	हस्तशिल्पी पहचान कार्ड धारी	आवेदन हस्तशिल्प सेवा केंद्र में जमा किया जा सकता है।
5	कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ			
क	पेंशन	रु. 8000 प्रति माह	हस्तशिल्पी पहचान कार्ड धारी शिद्धहस्तशिल्पी जिन्हें शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार प्राप्त है। पिछले वित्त वर्ष में वार्षिक आय रु. 100,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए	आवेदन हस्तशिल्प सेवा केंद्र में जमा किया जा सकता है।
ख	पुरस्कार			
	शिल्प गुरु पुरस्कार	रु. 3.5 लाख का नगद पुरस्कार, सोने का सिक्का, ताम्रपत्र, शॉल, प्रमाणपत्र	भारत में रहने वाला कोई भी शिद्धहस्तशिल्पी जिसके पास पहचान के तहत वैध फोटो आई कार्ड हो जो अति सम्मानित राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार विजेता हो, आयु 50 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा कम से कम 20 वर्षों का अनुभव हो।	आवेदन https://indian.h handicrafts.gov.in/en के वेबसाइट से ऑनलाइन किया जा सकता है।
	राष्ट्रीय पुरस्कार			
क	शिल्प श्रेणी	रु. 2.0 लाख का नगद	वैध फोटो पहचान कार्ड धारक कोई भी शिल्पी जो भारत का नागरिक हो	

		पुरस्कार, ताम्रपत्र, शॉल, प्रमाणपत्र	तथा निवासी हो, जिनकी आवेदन आमंत्रित करने की तिथि पर 30 वर्षों से अधिक आयु हो और जिन्हें इस शिल्प में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो।	चयन समिति द्वारा तीन स्तर पर की जाती है
ख	अभिनव डिज़ाइन पुरस्कार	रु. 3.0 लाख का नगद पुरस्कार, ताम्रपत्र, शॉल, प्रमाणपत्र	अभिनव डिज़ाइन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का एक घटक है जो सम्मानित संस्थान से चार वर्ष की डिग्री धारक डिज़ाइनर और संबन्धित शिल्प में पहचान के अंतर्गत वैध फोटो आई कार्ड धारक कारीगरों के एक समूह हो सह-सृजन के आधार पर प्रदान किया जाता है। भारत का कोई भी नागरिक एवं निवासी जिनकी आयु आवेदन आमंत्रित करने की तिथि पर 30 वर्ष से कम न हो और जिन्हें हस्तशिल्प क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव हो पुरस्कार के लिए पात्र है। डिज़ाइनर के पास मूर्तिकला, ललितकला, डिज़ाइन, फैशन आदि में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 4 वर्ष की डिग्री होनी चाहिए।	
ग	स्टार्ट-अप उद्यम/उत्पादक कंपनी	रु. 2.0 लाख का नगद पुरस्कार, ताम्रपत्र, शॉल, प्रमाणपत्र	स्टार्ट-अप उद्यम जो की विगत पाँच वर्षों से सतत आर्थिक प्रगति की ओर हस्तशिल्प उत्पादों के उत्पादन के लिए इको-सिस्टम बनाने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहा हो। स्टार्ट-अप उद्यम द्वारा उद्यमिता विचारधारा को आगे बढ़ाने में संतोषजनक प्रगति की जानी चाहिए। स्टार्ट-अप उद्यम की विकास संबंधी उपलब्धियों के क्रम में रोजगार सृजन और हस्तशिल्प कामगारों के वेतन में वृद्धि पर विचार किया जाएगा। स्टार्ट-अप को इस संबंध में डीपीटीआई (वाणिज्य विभाग) के दिशानिर्देश के प्रावधानों का अनुसरण करना होगा। स्टार्ट-अप की मौजूदगी की न्यूनतम अवधि 5 वर्षों की होनी चाहिए व 10 वर्षों से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। उद्यम की चार्टर अकाउंटेंट या संबंधित लेखाकारों से सत्यापित पिछले 3 वर्षों के वित्तीय विवरण पर विचार किया जाएगा।	

मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून



मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून द्वारा मौसम प्रेक्षण, जलवायु संबंधी जानकारी संग्रह तथा कृषि, सिंचाई, विमानन, विद्युत संयंत्र, योजना, औद्योगिक परिचालन, पर्यटन, आपदा प्रबंधन तथा मौसम के प्रति संवेदनशील अन्य गतिविधियों के लिए विभिन्न समय और स्थानिक पैमाने पर मौसम पूर्वानुमान चेतावनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उत्तराखण्ड राज्य में मौसम प्रेक्षण हेतु 4 विभागीय मौसम वैद्यशाला देहरादून, पंतनगर, मुक्तेश्वर तथा टिहरी में स्थापित हैं। साथ ही राज्य के सभी जनपदों में विभिन्न स्थानों पर राज्य सरकार की मदद

से 132 एडब्ल्यूएस (स्वचालित मौसम स्टेशन), 49 एआरजी (स्वचालित वर्षामापी स्टेशन), तथा 03 एगो एडब्ल्यूएस (कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन) स्थापित किए गए हैं जो मौसम की रियल टाइम (वास्तविक समय) जानकारी प्रदान करते हैं। मुख्य विवरण निम्नवत है :-

क्र.सं.	योजना / सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	मौसम पूर्वानुमान और निगरानी सेवाएँ	मौसम पूर्वानुमान सेवाओं का उपयोग आपदा प्रबंधन, विमानन, कृषि, परिवहन, स्वास्थ्य, वनाग्नि, तीर्थाटन और पर्यटन क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। उत्तराखण्ड राज्य के लिए सैटेलाइट, रडार और एडब्ल्यूएस. द्वारा चरम मौसम की निगरानी 24X7 की जाती है। शहर, जनपद और राज्य स्तर के लिए अगले 3 घंटों से लेकर 2 सप्ताह तक का मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी प्रदान की जाती हैं। उत्तराखण्ड राज्य हेतु प्रदान की जा रही मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी सेवाएं निम्नलिखित हैं:	सम्बंधित विभाग एवं आम जनमानस	1. वर्तमान मौसम जानकारी एवं मौसम पूर्वानुमान व चेतावनी आम जनमानस, निजी व सरकारी विभागों आदि के लिए https://mausam.imd.gov.in/dehradun पर निःशुल्क उपलब्ध है। 2. "दामिनी: बिजली चेतावनी" मोबाइल एप द्वारा आकाशीय बिजली की चेतावनी प्राप्त की जा सकती है। एप का लिंक निम्नलिखित है: एंड्राइड फोन:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live+amini

		1. तात्कालिक मौसम पूर्वानुमान:— अगले 3 घंटों का जनपद स्तरीय मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी 2. मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान:— 5 दिनों का जनपद स्तरीय मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी तथा अगले 2 दिनों का दृष्टिकोण 3. विस्तारित अवधि मौसम पूर्वानुमान:— अगले 2 सप्ताह का राज्य स्तरीय मौसम पूर्वानुमान 4. शहरों के लिए मौसम पूर्वानुमान:— उत्तराखण्ड के प्रमुख शहरों के लिए (7) दिनों का मौसम पूर्वानुमान 5. पर्यटन व तीर्थाटन मौसम पूर्वानुमान:— चारधाम यात्रा, हेमकुंड साहिब आदि हेतु तात्कालिक एवं मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान 6. विशेष मौसम पूर्वानुमान: चुनाव, वनाग्नि, गणतंत्रता दिवस, बसंतोत्सव आदि हेतु विशेष मौसम पूर्वानुमान		एप्पल फोन:— https://apps.apple.com/us/app/damini-lightning-alert/id1502385645 3. "मौसम" मोबाइल एप द्वारा मौसम की जानकारी प्राप्त की जा सकती है: एंड्राइड फोन:— https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imd.masuam एप्पल फोन:— https://apps.apple.com/us/app/mausam/id1522893967
2	कृषि मौसम परामर्श सेवा	उत्तराखण्ड में कृषि-मौसम फील्ड इकाइयों की मदद से जनपदवार मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवा जारी की जाती है। कृषि-मौसम संबंधी सलाह और चेतावनियों पर की गई उचित कार्रवाई से कृषि उपज में सुधार हो सकता है और क्षति/नुकसान से बचा जा सकता है। जनपदवार मौसम आधारित कृषि परामर्श सप्ताह में दो बार हर मंगलवार एवं शुक्रवार को जारी किया जाता है।	सम्बंधित विभाग एवं आम कृषक	1. मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवा https://mausam.imd.gov.in/dehradun पर नि:शुल्क उपलब्ध है 2. उक्त जानकारी के साथ ही कृषि सम्बंधित अन्य जानकारी https://www.imdagrimet.gov.in पर नि:शुल्क उपलब्ध है 3- उक्त जानकारी "मेघदूत" मोबाइल एप के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है एप का लिंक निम्नलिखित है: एंड्राइड फोन:— https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot एप्पल फोन:— https://apps.apple.com/us/app/meghdoot/id147404815

				5?ls=1 4. "दामिनी: बिजली चेतावनी" मोबाइल एप द्वारा आकाशीय बिजली की चेतावनी प्राप्त की जा सकती है। एप का लिंक निम्नलिखित है: एंड्राइड फोन:— https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini एप्पल फोन:— https://apps.apple.com/us/app/damini-lightning-alert/id1502385645
3	जलवायु विज्ञान और डाटा आपूर्ति सेवाएँ	अनुसंधान, विकास, निर्माण, क्षति मूल्यांकन और विश्लेषण के लिए दीर्घकालिक जलवायु एवं मौसम संबंधी डाटा की आपूर्ति की जाती है।	सम्बंधित विभाग एवं आम जनमानस	2. मौसम और जलवायु सम्बंधित डाटा https://dsp.imdpune.gov.in पर पंजीकरण कर एवं डाटा शुल्क अदा कर प्राप्त किया जा सकता है। 3. मौसम और जलवायु सम्बंधित डाटा व मौसम रिपोर्ट mcdehradun@yahoo.co.in, metcentre-dehradun@imd.gov.in पर ईमेल अथवा कार्यालय पते पर पत्र लिखकर आवेदन किया जा सकता है। डाटा शुल्क तथा GST भुगतान के उपरांत डाटा उपलब्ध कराया जाता है।
4	विमानन सेवाएँ	उत्तराखंड में विभिन्न नागरिक हवाई अड्डों को वर्तमान मौसम सूचना सेवाएं प्रदान की जाती हैं। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेशी प्रतिनिधियों के उत्तराखंड दौरे के दौरान वी.वी.आई.पी. पूर्वानुमान जारी किया जाता है।	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार	हवाई अड्डों में स्थापित विमानन मौसम विज्ञान स्टेशन द्वारा वर्तमान मौसम सूचना सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

दूरदर्शन केन्द्र, प्रसार भारती देहरादून उत्तराखण्ड



डीडी फ्री डिश के बारे में :-

डीडी फ्री डिश डीटीएच सेवा का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के पास है। इसे दिसंबर, 2004 में लॉन्च किया गया था। डीडी फ्री डिश बुके (चैनलों का समूह) में सभी चैनलों के लिए उत्कृष्ट चित्र गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। किसी भी कार्यक्रम को देखने के लिए ग्राहकों को कोई आवर्ती शुल्क नहीं देना होगा। अन्य निजी डीटीएच ऑपरेटरों के विपरीत, डीडी फ्री डिश जीवन भर के लिए निःशुल्क है और डीडी फ्री डिश चैनलों के एचडी चैनलों सहित संपूर्ण बुके के लिए दर्शकों से कोई मासिक या वार्षिक सदस्यता शुल्क नहीं लेता है। डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म के चैनल देखने के लिए, आपको डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स और एक्सेसरीज के साथ डिश खरीदनी होगी जो खुले बाजार से मिल सकती है।

पूरा सेट लगभग रु. 2000/- सेट-टॉप-बॉक्स के प्रकार पर निर्भर करता है। संपूर्ण डीडी फ्री डिश रिसीव सिस्टम में एक सेट-टॉप-बॉक्स, छोटे आकार का डिश एंटीना एलएनबीसी, आरएफ केबल और अन्य सहायक उपकरण शामिल हैं।

आम तौर पर दुनिया भर में डीटीएच ऑपरेटर ग्राहक द्वारा देखे जाने वाले चैनल/बुके के आधार पर सक्रियण शुल्क के साथ-साथ मासिक सदस्यता शुल्क भी लेते हैं। डीडी फ्री डिश एक अनोखा फ्री-टू-एयर (एफटीए) डीटीएच प्लेटफॉर्म है जिसमें ग्राहक से कोई सक्रियण और मासिक सदस्यता शुल्क नहीं लिया जाता है।

यदि कोई व्यक्ति देश के किसी कोने में इसे खरीदता है तथा फिर किसी दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित होता है तो उसे वहां पर पुनः खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं भी उपकरण ले जा सकता है और स्थानीय इंस्टॉलर के माध्यम से नए स्थान पर डिश स्थापित करने के बाद डीडी फ्री डिश का आनंद लेना जारी रख सकता है।

डीडी फ्री डिश के बुके/चैनलों में दूरदर्शन टीवी चैनलों, संसद टीवी चैनल, निजी टीवी चैनल, सिनेमा, संगीत, खेल, समाचार और समसामयिक मामलों, भक्ति/आध्यात्मिक/आयुष आदि सहित विभिन्न शैलियों के निजी टीवी चैनलों का एक समृद्ध बुके है, जो विविध भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के साथ-साथ शैक्षिक चैनल भी हैं। वर्तमान में बुके में 48 रेडियो चैनल उपलब्ध हैं। डीडी फ्री डिश पर वर्तमान में चैनल सूची का विवरण वेबसाइट <http://prasarbhati.gov.in> पर उपलब्ध है।

अन्य कार्यक्रम निम्नवत हैं :-

1. **सरोकार**— सरोकार कार्यक्रम में केन्द्र व राज्य सरकार की विकास सम्बन्धी व सम-सामयिक विषयों पर चर्चा की जाती है। जिसमें सरकार के प्रतिनिधि व सामाजिक संगठनों से जुड़े व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। इसी कड़ी में दिनांक— 02.02.2024 सांय 4 बजे “मेरी योजना” पुस्तक ई-बुके विषय पर कार्यक्रम प्रसारित किया गया। जिसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गयी है।
2. समय-समय पर भारत सरकार के निर्देशानुसार चलाए जा रहे लोक हित के कार्यक्रमों व सूचनाओं से दर्शकों को जागरूक किया जाता है। माह के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री जी के विशेष कार्यक्रम ‘मन की बात’ को खूब प्रचारित-प्रसारित किया जाता है।
3. उत्तराखण्ड की लोक संस्कृति, बोली भाषा, खान-पान, रीति-रिवाज, गीत-संगीत को संरक्षण देने हेतु व नई-पुरानी प्रतिभाओं को हमरि माटी पाणी व लोकगीत-संगीत के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाया जाता है।
4. उत्तराखण्ड समाचार अपरान्ह 1 बजे, 5 बजे व सांय 6:30 बजे प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें राज्य व केन्द्र सरकार के कार्यक्रमों को विशेष रूप में प्रसारित किया जाता है।
5. डीडी उत्तराखण्ड अपने कार्यक्रमों का प्रसारण 24×7 करता है, व कुछ प्रमुख डीटीएच प्रदाताओं में डीडी डिश 107, डिश टीवी, एनएक्सटी (हिंदुजा समूह), टाटा प्ले पर डीडी उत्तराखण्ड 1144 है। एस, आई.टी. आई. वायर और वायरलेस कंपनी (SIT cable network) डेन 449 और कई अन्य शामिल हैं। इसके अलावा सभी केबल नेटवर्क को प्रसार भारती (सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत) के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों का प्रसारण करना होगा।
6. यदि कोई अधिकारी/कार्मिक सरकार द्वारा संचालित किसी योजना के बारे में दूरदर्शन के माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं, तो वह दूरदर्शन के दूरभाष 0135-2674010 एवं मो0 9412217398 (कार्यक्रम प्रमुख) पर संपर्क किया जा सकता है। दूरदर्शन के ईमेल आई डी hopddkddun@gmail.com के माध्यम से भी सम्पर्क किया जा सकता है।
7. दूरदर्शन के कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के लिए, प्रतिभागी का चयन केन्द्र के अवस्थानुसार कार्यक्रम प्रमुख (Fee structure) व कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के विवेक द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले अधिकारियों/विशेषज्ञों एवं अतिथियों को दूरदर्शन के शुल्क संरचना के अनुसार मानदेय दिया जाता है।

आकाशवाणी, देहरादून

आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित कार्यक्रमों का विवरण बिंदुवार निम्नवत् है—

1. 100.5 एफ0एम0 आकाशवाणी देहरादून को प्रातः 05:55 से रात्रि 23:10 बजे तक रोजना सुन सकते हैं।
2. लोकसंगीत गढ़वाली, कुमाँऊनी, जौनसारी, रुहेलखण्डी, नीति माणा के लोकगीत इसमें गढ़वाल क्षेत्र के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से गायक, गायिका, वादक ढोल, मसकबीन, ढोल दमऊ कलाकारों को ग्रेड के मुताबिक मानदेय देना होता है, साथ ही उन्हें टी0ए0, डी0ए0 भी दिया जाता है।
3. गढ़वाली प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण मई 2023 से किया जा रहा है।
4. गीत, गजल, भजन आदि कलाकारों को भी समय-समय पर अवसर दिया जाता है।
5. हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत समाचारों का प्रसारण भी इस केन्द्र से किया जाता है।
6. केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों की योजनाओं का भी कार्यक्रम में शामिल किया जाता है।
7. खेल, ग्राम जगत (गढ़वाली), कृषि जगत कार्यक्रमों में किसानों को नियमित जानकारी प्रदान की जाती है।
8. युवाओं को रोजगार के अवसर और युवाओं की प्रतिभाओं को भी समुचित अवसर दिया जाता है।
9. स्वास्थ्य तथा सम-सामयिक विषयों पर भी कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं।
10. विशेष अवसरों, पर्व त्योहारों पर भी विशेष कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं।
11. साहित्यिक गतिविधियों में कवि गोष्ठी, शेरी नशिस्त, गढ़वाली कवि गोष्ठी, महिलाओं, परिचर्चा, आपदा आदि विषयों पर भी कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं।
12. सैनिकों के लिये भी रोजना कार्यक्रम प्रसारित करते रहते हैं, इसके अतिरिक्त फिल्म संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत को भी प्रसारित किया जाता है।
13. आकाशवाणी में ग्रेडेड कलाकारों को गायन और वादन हेतु आमंत्रित किया जाता है/बुकिंग प्रदान की जाती है। B, B HIGH and A ग्रेड के कलाकारों को आकाशवाणी शुल्क संरचना के अनुसार शुल्क प्रदान किया जाता है। देहरादून से बाहर के कलाकारों को TA, DA देने का भी प्रावधान है।

भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून।



भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं, के विरुद्ध शिकायतों का निवारण रिजर्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस)

- रिजर्व बैंक ने अपनी सभी विनियमित संस्थाओं को उनके ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों का समाधान करने हेतु अपने स्तर पर एक व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया है, जिसे विनियमित संस्थाओं (आरबी) का आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र माना जाता है। रिजर्व बैंक ने रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (आरबी-आईओएस) के माध्यम से अपनी विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में कर्मियों से संबंधित ग्राहक शिकायतों के समाधान के लिए एक त्वरित और निःशुल्क

वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित किया है। बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), भुगतान प्रमाती प्रतिभागियों (पीएसपी) और साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को शिकायत निवारण तंत्र के तहत विनियमित संस्थाओं के रूप में माना जाता है। किसी भी विनियमित संस्था के विरुद्ध सभी शिकायतों के लिए (आरबी-आईओएस) एक राष्ट्र का दृष्टिकोण अपनाता है। आरबी-आईओएस के अंतर्गत नहीं आने वाली विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतों का समाधान भारतीय रिजर्व बैंक के उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण कक्षों (सीईपीसी) द्वारा किया जाता है। आरबी-आईओएस और सीईपीसी के दायरे में आने वाली संस्थाओं की सूची <https://cms-tial-org-in> पर देखी जा सकती है।

- अगर आपको शिकायत हो तो क्या करें :** – आप विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध उसकी शाखा में या शिकायत निवारण पोर्टल पर ऑनलाइन या उसकी वेबसाइट पर बताए गए किसी अन्य तरीके से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत की पावती प्राप्त करें या संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें।
- आरबीआई लोकपाल से संपर्क कब करें :** निम्नलिखित मामलों में आरबीआई लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।

विनियमित संस्थाओं से 30 दिन के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने पर विनियमित संस्थाओं को की गई आपकी शिकायत की तारीख से एक वर्ष और 30 दिन के भीतर कभी भी।

- विनियमित संस्थाओं से प्राप्त उत्तर असंतोषजनक है–** संबंधित विनियमित संस्थाओं से उत्तर प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर कभी भी। **ध्यान दें:** आरबी-आईओएस में निर्दिष्ट शिकायत फार्म के अनुसार सभी अपेक्षित विवरण जानकारी शिकायत में शामिल होनी चाहिए। शिकायत किसी अन्य

मंच (जैसे न्यायालय) में निपटाई गई / लंबित नहीं होनी चाहिए या आरबीआई लोकपाल द्वारा पहले निपटाई नहीं गई हो। विनियमित संस्थाओं से संपर्क किए बिना आरबीआई लोकपाल के पास सीधे शिकायत दर्ज कराने पर उसे अस्वीकार किया जा सकता है।

आरबीआई के पास शिकायत कैसे दर्ज करें? –

किसी प्राइवेट बैंक द्वारा वसूल की जा रही अधिक ब्याज दर, जोकि लोन के दौरान अवगत नहीं करायी जाती है, की शिकायत तथा किसी भी बैंक कार्मिक द्वारा की गयी धोखाधड़ी या कार्यों के टालमटोल के लिए विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध कोई भी शिकायत निम्न किसी भी माध्यम द्वारा दर्ज की जा सकती है: आरबीआई के शिकायत प्रबंध प्रणाली (सीएमएस) पोर्टल <https://cms.rbi.org.in> के माध्यम से ऑनलाइन। आरबी-आईओएस के अनुबंध में निर्दिष्ट फॉर्म में भौतिक शिकायत (पत्र/डाक) केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र, चौथी मंजिल भारतीय रिजर्व बैंक, सेक्टर-1 सेंट्रल विस्टा, चंडीगढ़ 160017 को प्रेषित की जा सकती है।

इसके लिए शिकायतकर्ता का नाम, आयु और लिंग, व्यक्तिगत ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर (सूचना प्राप्त करने के लिए अनिवार्य), और लैंडलाइन नंबर (यदि उपलब्ध हो) के साथ शिकायतकर्ता का पूरा डाक पता, विनियमित संस्था जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है की शाखा या कार्यालय का नाम और पूरा पता, लेन-देन की तारीख और विवरण, शिकायतकर्ता की खाता संख्या, डेबिट या क्रेडिट कार्ड संख्या के विवरण सहित शिकायत उत्पन्न होने के पूरे तथ्य, इस हद तक कि वे शिकायत की विषय वस्तु के लिए प्रासंगिक हैं। शिकायत के निवारण के लिए आरबीआई को प्रस्तुत अभ्यावेदन और आरबीआई से प्राप्त उत्तर, यदि कोई हो, की तारीख और विवरण, शिकायतकर्ता को हुई हानि की प्रकृति और सीमा, और, मांगी गई राहत, साथ ही यह घोषणा कि आरबीआई-आईओएस, 2021 के खंड 10 के अनुसार शिकायत अस्वीकार्य नहीं है।

आरबीआई के पास शिकायत दर्ज करने के बारे में अधिक जानकारी कैसे प्राप्त करें : अधिक जानकारी के लिए आप आरबीआई संपर्क केंद्र के टोल-फ्री नंबर 14448 पर संपर्क कर सकते हैं। इंटरएक्टिव वॉयस रिसपांस सिस्टम (आईवीआरएस) युक्त संपर्क केंद्र 24×7 उपलब्ध है, जबकि संपर्क केंद्र कर्मियों से अंग्रेजी, हिंदी और दस क्षेत्रीय भाषाओं (असमि बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तेलुगु और तमिल) में बात करने की सुविधा राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे के बीच उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आरबीआई की वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं—

<https://www.rbi.org.in/commonperson/English/Scripts/FAQs.aspx?Id=3407>,

<https://www.rbi.org.in/commonperson/Hindi/scripts/faqs.aspx?id=3407>।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI), देहरादून।



भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों विकास को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए SEBI अधिनियम, 1992 द्वारा स्थापित एक विनियामक है। भारत के हर जिले तक निवेशक शिक्षा की पहुंच को बढ़ाने और इसे और व्यापक बनाने के स्कीम के रूप में, सेबी ने प्रतिभूति बाजार में निवेशक जागरूकता फैलाने के लिए सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर्स को इमपैनेल किया है। उत्तराखण्ड में कुल 11 सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर्स हैं। अप्रैल 2024 से अगस्त 2024 तक उत्तराखण्ड राज्य में कुल 382 स्मार्ट कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। व्यक्तिगत स्मार्ट्स और संगठन के रूप में स्मार्ट के लिए जानकारी विवरणिका सेबी की वेबसाइट पर है :- <https://investor.sebi.gov.in>

इसके अलावा, निवेश के लाभों और जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, ज्ञान के अंतर को पाटने और देश भर में प्रतिभूति बाजार से संबंधित जागरूकता और सशक्तिकरण की संस्कृति को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जाता है। सेबी, बाजार के बुनियादी संस्थाओं, मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टिट्यूट (एमआईआई) के साथ निवेशक जागरूकता के प्रयास में प्रादेशिक निवेशक सैमिनार (आरआईएसए) आयोजित करता है। अप्रैल 2024 से अगस्त 2024 के दौरान उत्तराखण्ड राज्य में कुल 10 क्षेत्रीय निवेशक सैमिनार आयोजित किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, उत्तराखण्ड राज्य में प्रोजेक्ट गौरव का विवरण निम्नवत है :-

योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
गौरव योजना	कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, बैंकिंग, वित्तीय	उत्तराखण्ड के युवा	●उत्तराखण्ड सरकार की भूमिका: उत्तराखण्ड सरकार इस पहल का समर्थन कर रही है और इस कार्यक्रम को राज्य के सभी युवाओं के लिए सुलभ और लाभकारी बना रही है। GOUK कौशल विकास के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान कर रहा है, जिससे BFSI क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के

	सेवाओं और बीमा (BFSI) क्षेत्र में।	अवसर प्राप्त हो रहे हैं। ● NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज – के सहयोग से उत्तराखण्ड सरकार युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए कौशल विकास परियोजना चला रही है, जो रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करती है। इस योजना में 3 स्तर हैं: ○ स्तर 1: बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (BFSI) क्षेत्र का मूलभूत ज्ञान (20 घंटे) प्रदान किया जाता है। अभी तक 9 जिलों के 13 कॉलेजों के 1500+ छात्रों ने स्तर 1 की ट्रेनिंग प्राप्त की है। ○ स्तर 2: विनियामक प्रमाणन (30 घंटे), जिसमें प्रतिभूति बाजार में न्यूनतम ज्ञान की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। चयनित सफल उम्मीदवारों को रोजगार या स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं। ● स्तर 3: उन्नत प्रशिक्षण (40 घंटे), जिसमें स्तर 1 और 2 को पास करने वाले छात्रों को उद्योग में रोजगार के लिए तैयार किया जाता है। ● युवाओं को प्रत्येक स्तर पास करने पर प्रमाण पत्र मिलेगा, और स्तर 3 के बाद रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।
--	--	--

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून।



क्र० सं०	योजना / सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	एमईडीपी (सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम)	20-30 एसएचजी/जेएलजी महिला सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	एसएचजी/जेएलजी महिला सदस्य, जो प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, पात्र होंगे।	पात्र (एसएचजी एवं जेएलजी समूह) एंकर एजेंसी को अपने संबंधित जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
2	एलईडीपी (आजीविका उद्यमिता विकास कार्यक्रम)	60-120 एसएचजी/जेएलजी महिला सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम		प्रशिक्षण, कोई भी आय सृजन गतिविधि चाहे कृषि हो या गैर कृषि दोनों पात्र हैं। एक बार प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद प्रशिक्षण एक वर्ष के भीतर पूरा करना होगा। परियोजना को नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय की परियोजना मंजूरी समिति के समक्ष रखने के बाद मंजूरी दी जाएगी।

				उक्त के उपरांत एनजीओ, बैंक, कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), एसआरएलएम, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए), कौशल विकास निगम आदि, रुडसेटी/आरएसईटीआई, पंचायती राज संस्थाएँ संबंधित समूह सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करती हैं।
3	भौतिक विपणन	ग्रामीण, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में एसएचजी/जेएलजी उत्पादों के लिए विभिन्न भौतिक विपणन हस्तक्षेपों का समर्थन।	एसएचजी फेडरेशन, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संस्थाएं, ट्रस्ट / फाउंडेशन / सोसायटी, धारा 8 कंपनियां (पहले धारा 25 कंपनियों के रूप में जानी जाती थीं), केंद्र / राज्य सरकार एजेंसियां, उपक्रम, निगम, बैंक, पीएसीएस, विपणन संघ, राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी समितियाँ – उपरोक्त पात्र एंकर एजेंसी द्वारा प्रस्ताव नाबार्ड को प्रेषित किया जाता है जिसके लिए उन्हें सुविधा शुल्क प्रदान किया जाता है और परियोजना के खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है।	पात्र (एसएचजी एवं जेएलजी समूह) एंकर एजेंसी को अपने संबंधित जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। परियोजना को नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय की परियोजना मंजूरी समिति के समक्ष रखने के बाद मंजूरी दी जाएगी। गाड़ी की खरीद के लिए अनुदान के माध्यम से विपणन सहायता प्रदान की जाती है। [Movable Cart] ग्राम दुकान के लिए अधिकतम 02 वर्ष तक मासिक किराया, सेल्समैन वेतन सहायता प्रदान की जाती है। अधिकतम 15 दिनों के लिए 01 एसएचजी को मॉल आदि जैसे प्रमुख स्थानों पर स्टॉल लगाने के लिए सहायता भी उपलब्ध है।
4	ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ओएनडीसी पर ऑनलाइन/	ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ओएनडीसी पर ऑनलाइन/डिजिटल मार्केटप्लेस पर उत्पादों के प्रशिक्षण, ऑनबोर्डिंग और मार्केटिंग के लिए एसएचजी/जेएलजी/निर्माता संगठनों (पीओ)/सूक्ष्म उद्यमियों को अनुदान सहायता की योजना। इस कार्यक्रम के तहत ओएनडीसी, फिलपकार्ट, अमेज़ॅन आदि जैसे विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर ऑनबोर्डिंग	एसएचजी/जेएलजी/ एसएचजी फेडरेशन, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संस्थाएं, ट्रस्ट / फाउंडेशन/सोसायटी, धारा 8 कंपनियां / धारा 25 कंपनियां, केंद्र/ राज्य सरकार	पात्र एंकर एजेंसी को अपने संबंधित जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। परियोजना को नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय की परियोजना मंजूरी समिति के समक्ष रखने के बाद मंजूरी

	डिजिटल मार्केटप्लेस पर उत्पादों के प्रशिक्षण एवं अनुदान योजना।	के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण एंकर एजेंसी के माध्यम से प्रदान किया जाता है और एजेंसी को प्रशिक्षण और ऑनबोर्डिंग लागत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।	एजेंसियां, उपक्रम, निगम, बैंक —ये एंकर एजेंसियां हैं जो नाबार्ड को प्रस्ताव प्रेषित करेंगे और स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूहों और निर्माता संगठनों को ट्रेनिंग प्रदान करेंगे।	दी जाएगी।
5	नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनंसिंग फैसिलिटी (ए.आई.एफ.)	केंद्र या राज्य सरकार की सभी योजनाओं के साथ समन्वय। योजना के परिचालन के लिए ऋणदाता संस्थानों की सहभागिता के साथ ऑनलाइन सिंगल विंडो सुविधा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो ऋणार्थियों को हर प्रकार की सहायता प्रदान करेगी। रु. 1 लाख करोड़ की वित्तपोषण सुविधा। रु. 2 करोड़ तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी सुविधा एक स्थान पर प्रति परियोजना रु 2 करोड़ की ऋण सीमा पर प्रतिवर्ष 3% ब्याज छूट। हालाँकि कुल ऋण राशि अधिक हो सकती है। ऋण दर पर प्रतिबंध, ताकि ब्याज सब्सिडी का लाभ लाभार्थी तक पहुंचे और किसानों के लिए सेवाएं किफायती रहें। वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, एनसीडीसी, एनबीएफसी आदि समेत कई ऋण देने वाले संस्थान। एक पात्र संस्था विभिन्न स्थानों पर परियोजनाएँ लगा सकती है। ऐसी सभी परियोजनाएँ इस योजना के तहत रु 2 करोड़ तक के ऋण के लिए पात्र होंगी। किसान, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप जैसे निजी क्षेत्र की एक पात्र संस्था के लिए ऐसे परियोजनाओं की सीमा अधिकतम 25 होगी। 25 परियोजनाओं की सीमा राज्य एजेंसियों, सहकारी समितियों के राष्ट्रीय और राज्य संघों, एफपीओ के संघों और स्वयं सहायता समूहों के संघों पर लागू नहीं होगी।	कृषि उपज बाजार समिति, कृषि-उद्यमी, केंद्र प्रायोजित सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजना, किसान, किसान उत्पादक संगठन, कृषक उपज संगठनों का संघ संयुक्त देयता समूह, स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजना, विपणन सहकारी समिति, बहुउद्देशीय सहकारी समिति, सहकारी समितियों के राष्ट्रीय संघ, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूहों के संघ चालू होना राज्य की एजेंसियां, सहकारी समितियों के राज्य संघ राज्य प्रायोजित सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजना — ये योग्य संस्थाएं हैं जो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।	Jan&Smarth portal के माध्यम से या वित्त पोषक बैंक के माध्यम से या https://agriinfra.dac.gov.in/ से प्राप्त की जा सकती है। आवेदक सीधे जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से या एग्रीइन्फ्रा वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकता है या आवेदन और परियोजना प्रस्ताव की हार्ड कॉपी वित्तपोषण बैंक को जमा कर सकता है और बैंक को इसे पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 2 करोड़ तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी उपलब्ध है और किसी अन्य गारंटी की आवश्यकता नहीं है, हालांकि 2 करोड़ से अधिक के ऋण के लिए बैंक को अपने आंतरिक दिशानिर्देशों का पालन करना पड़ता है।

		स्थान का अर्थ है एक विशिष्ट ब्लॉक (लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी) कोड वाले गाँव या कस्बे की भौतिक सीमा। ऐसी प्रत्येक परियोजना एक अलग LGD (लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी) कोड वाले स्थान पर होनी चाहिए। एपीएमसी अपने निर्धारित बाजार क्षेत्र में विभिन्न संरचना प्रकारों की बहुपरियोजनाओं के लिए पात्र होंगे। ब्याज सबवेंशन अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगा। इस वित्तपोषण सुविधा के तहत ऋण चुकाने के लिए अधिस्थगन न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष हो सकता है। संवितरण 2020-21 से छह साल में पूरा होगा। नाबार्ड द्वारा अपनी नीति के अनुसार सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी पात्र ऋणदाता संस्थाओं को आवश्यकता आधारित पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।		
6	कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	ग्रामीण युवाओं को नौकरी के अवसरों के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करना और पारंपरिक क्षेत्रों में मौजूदा श्रमिकों/कारीगरों की रीस्किलिंग/ अपस्किलिंग प्रदान करना।	कॉरपोरेट्स/एनएसडीसी संबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों का सीएसआर, सरकारी एजेंसियां/सरकारी स्कूल/कॉलेज रुडसेटी/आरएसईटीआई/एनजीओ/वीओ- ये योग्य संस्थाएं हैं जो इस योजना के तहत प्रशिक्षण दे सकती हैं।	NABSKILL पोर्टल के माध्यम से https://www.nabskillnabard.org एक बार प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद, प्रशिक्षण एक वर्ष के भीतर पूरा करना होगा। प्रस्ताव पूरे वर्ष केवल ऑनलाइन मोड में ही भेजे जा सकते हैं।
7	ग्रामीण मार्ट	उत्पादकों/कारीगरों/बुनकरों को अपने स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों को बेचने के लिए एक खुदरा विपणन आउटलेट प्रदान करना। नाबार्ड अधिकतम 03 वर्ष की अवधि के लिए मासिक किराया, सेल्समैन वेतन, प्रचार, प्रशिक्षण, पीओएस मशीन आदि के लिए वित्तीय सहायता देता है।	एसएचजी फेडरेशन/परिपक्व एसएचजी जो उद्यमशील मोड में हैं (स्वैच्छिक पंजीकृत), उत्पादक संगठन/निर्माता समूह/कारीगर समूह/बुनकर समूह, प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पीएसीएस)/ग्रामीण सहकारी	पात्र एंकर एजेंसी को अपने संबंधित जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। परियोजना को नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय की परियोजना मंजूरी समिति के समक्ष रखने के बाद मंजूरी दी जाएगी।

			समितियाँ, टीडीएफ/डब्ल्यूडीएफ क्षेत्रों में किसान क्लब फेडरेशन/समुदाय आधारित संगठन	
8	जीआई टैगिंग	गुणवत्ता बढ़ाने, बाजार पहुंच में सुधार, जागरूकता पैदा करने, अपने अधिकारों को लागू करने के लिए उत्पादकों की क्षमता को मजबूत करने, पंजीकरण की लागत में सब्सिडी देने के लिए भौगोलिक संकेतों के लिए पूर्व-पंजीकरण के साथ-साथ पंजीकरण के बाद की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करना। नाबार्ड एक अनुभवी एजेंसी को नियुक्त करके जीआई टैगिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जीआई टैगिंग के बाद अधिकृत उपयोगकर्ताओं बनने एवं प्रमुख स्थानों पर जीआई कियोस्क या स्टालों के लगाने के लिए के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर जीआई उत्पादों के विपणन में सहयोग करता है।	एसएचजी या किसान क्लब फेडरेशन, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस)/ग्रामीण सहकारी समितियां, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र दोनों के उत्पादक संगठन (एफपीओ, ओएफपीओ)	पात्र एंकर एजेंसी को अपने संबंधित जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। परियोजना को नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय की परियोजना मंजूरी समिति के समक्ष रखने के बाद मंजूरी दी जाएगी।

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HUDCO)

देहरादून (उत्तराखंड)

संक्षिप्त परिचय :- हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हडको) आवास और शहरी विकास के क्षेत्र में एक प्रमुख तकनीकी वित्तीय संस्थान है। राज्य सरकार को आवास, शहरी विकास हेतु ऋण उपलब्धता के अतिरिक्त, परामर्श सेवाएं, भवन निर्माण प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्षेत्रों में हडको की सहायता सीधे या इसके विभिन्न संगठनों के माध्यम से दी जा रही है। हडको ने वर्तमान तक 14948 आवास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से 19.66 मिलियन से अधिक आवास इकाइयां बनायी गई हैं तथा इसमें से 95 प्रतिशत इकाइयां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय समूह (एलआईजी) के लिए हैं। हडको द्वारा ईडब्ल्यूएस आवासों अथवा अन्य आवासों का सीधा निर्माण नहीं किया जाता है। हडको एक वित्तीय संस्था है एवं आवास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराती है। इसके अलावा, फरवरी 2024 तक हडको ने 2418 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है।

हडको क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून ने उत्तराखंड राज्य में आवास इकाइयों के निर्माण में सहायता के अलावा, औद्योगिक संपदा के विकास, बसों की खरीद, बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं आदि के लिए भी वित्तीय सहायता दी है। 2013 की आकस्मिक बाढ़ आपदा के बाद, हडको ने आठ मॉडल गांवों के पुनर्विकास को मंजूरी दी और इसके लिए 540 लाख रुपये का अनुदान मंजूर किया। उत्तराखंड राज्य के विकास में हडको ने अपने सी. एस. आर अनुदान को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाया है। हाल ही में श्री केदारनाथ धाम के नियोजित विकास में सीएसआर सहायता के लिए 10.93 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

हडको द्वारा स्वयं के प्रशिक्षण भी समय समय पर आयोजित किये जाते हैं जिसमें विभिन्न सरकारों की संस्थाओं के कार्मिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। क्षमता निर्माण कार्यक्रम में राज्य सरकार अपने कार्मिकों का चयन करके भी भेज सकती है एवं हडको उनकी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण आयोजित कराता है।

हडको परामर्शी विंग द्वारा वस्तुशिल्प डिजाइन, सरकारी परियोजनाओं का मूल्यांकन, पर्यावरण इंजीनियरिंग, लैंडस्केप, मास्टर प्लान आदि क्षेत्रों में परामर्शी सेवाएं अनुभवी पेशेवरों की टीम के द्वारा दी जाती है।



भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI), देहरादून



क्र सं	योजना / सेवा का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	एक्सप्रेस	100 लाख रुपये तक के सावधि ऋण की शीघ्र मंजूरी।	जो एमएसएमई इकाइयां कम से कम तीन वर्षों से परिचालन में हैं। यह योजना मशीनों/उपकरणों की खरीद के लिए मौजूदा अच्छा प्रदर्शन करने वाले एमएसएमई को बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के डिजिटल/ऑनलाइन 100 लाख रुपये तक के सावधि ऋण की शीघ्र मंजूरी प्रदान करती है। - एमएसएमई इकाइयों का उद्यम पंजीकरण होना चाहिये - एमएसएमई इकाइयों का जीएसटी पंजीकरण होना चाहिये - उधारकर्ता की सिबिल एमएसएमई रैंक सीएमआर 1 से सीएमआर 6 के बीच - वित्तीय आय और व्यापार (FIT) रैंक FIT 1 से FIT 8 के बीच - सभी प्रमोटरों/साझेदारों का सिबिल क्रेडिट विजन स्कोर 675 से कम नहीं होना चाहिए। 101 से 200 (क्रेडिट के लिए नया) के सिबिल क्रेडिट विजन/टीयू स्कोर वाले	बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के डिजिटल/ऑनलाइन आवेदन। लोन की मंजूरी बैंक के द्वारा आंतरिक मूल्यांकन और रेटिंग के आधार पर की जायेगी। एक्सप्रेस रु 100 लाख तक की सावधि ऋण की शीघ्र मंजूरी हेतु आवेदन www.sidbi.in में लॉगइन करके आवेदन कर सकते हैं या नीचे दिये हुए लिंक के माध्यम से सीधा रजिस्टर किया जा सकता है। https://onlineanappi.sidbi.in/OnlineApplication/ उक्त योजना में सिर्फ सिडबी के द्वारा लोन दिया जाता है तथा अन्य अधिसूचित बैंकों द्वारा लोन नहीं दिया जाता है। इस योजना में लोन पूर्णतया डिजिटली स्वीकृत होता है तथा ब्याज दर उधारकर्ता की रेटिंग पर निर्भर करती है जो कि 8.75 प्रतिशत से 9.75 प्रतिशत के बीच होती

			प्रमोटर/साझेदार भी पात्र होंगे। न्यूनतम जेबीबीबी का जोकाटा पैन स्तर समग्र सूचकांक	है तथा MCLR के परिवर्तन होने पर ब्याज दर परिवर्तित हो सकती है। लोन के लिए ऑनलाइन/डिजिटल माध्यम से ऊपर दिये हुए लिंक में जाकर आवेदन करना पड़ता है।
2.	अराइज	500 लाख रुपये तक के सावधि ऋण की शीघ्र मंजूरी।	मशीनरी/उपकरण वित्त के लिए 500 लाख तक के ऋण के लिए, परियोजना लागत के 100 प्रतिशत तक वित्तपोषण। - ब्राउनफील्ड संस्थाएँ जिनके पास न्यूनतम दो वर्षों का संचालन और लेखापरीक्षित खाते हैं कम से कम दो पूर्ण वर्षों के लिए। - अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों में नकद लाभ। अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों में नकद लाभ। - योजना के तहत मशीनरी/उपकरण वित्त के लिए नकद संपार्श्विक के साथ 100 प्रतिशत वित्तपोषण मॉडल के तहत 300 लाख से 500 लाख तक के ऋण के लिए। - उद्यम पंजीकरण - जीएसटी पंजीकरण - उधारकर्ता की सिबिल एमएसएमई रैंक सीएमआर 1 से सीएमआर 6 के बीच - सभी प्रमोटरों/साझेदारों का सिबिल क्रेडिट विजन स्कोर 675 से कम नहीं होना चाहिए।	डिजिटल/ऑनलाइन आवेदन। लोन की मंजूरी बैंक के द्वारा आंतरिक मूल्यांकन और रेटिंग के आधार पर की जायेगी।
3	स्थापन	500 लाख रुपये तक के सावधि ऋण की शीघ्र मंजूरी।	योजना के तहत 500 लाख तक के ऋण के लिए, नई इकाई के प्रमोटरों के पास विनिर्माण गतिविधि में 3 साल का पूर्व व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। बीएफएस मानदंड (एसीआर/एफएसीआर सहित) सिडबी की मौजूदा ऋण नीति के अनुसार लागू होंगे।	डिजिटल/ऑनलाइन आवेदन। लोन की मंजूरी बैंक के द्वारा आंतरिक मूल्यांकन और रेटिंग के आधार पर की जायेगी।
4	4 ई	750 लाख रुपये तक के सावधि ऋण की शीघ्र मंजूरी।	विनिर्माण या सेवा क्षेत्र में एमएसएमई इकाइयाँ कम से कम 3 साल के संचालन वाली मौजूदा इकाइयाँ। यूनिट को ऑडिटेड बैलेंस शीट के आधार पर तत्काल पिछले दो वर्षों में नकद लाभ	डिजिटल/ऑनलाइन आवेदन। लोन की मंजूरी बैंक के द्वारा आंतरिक मूल्यांकन और रेटिंग के आधार पर की जायेगी।

			• उद्यम पंजीकरण, जीएसटी पंजीकरण • उधारकर्ता की सिबिल एमएसएमई रैंक सीएमआर 1 से सीएमआर 6 के बीच • सभी प्रमोटरों/साझेदारों का सिबिल क्रेडिट विजन स्कोर 675 से कम नहीं होना चाहिए।	
5.	कार्यशील पूंजी	• एमएसएमई की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए कार्यशील पूंजी सहायता। • एकाधिक बैंकों से बैंकिंग प्लेटफॉर्म चुनने का विकल्प (आईडीबीआई/सीयूबी/यस बैंक) • ड्राइंग पावर सेट करने के लिए ग्राहक के निर्देशों के अनुसार निर्बाध अनुमोदन। • कार्यशील पूंजी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सावधि ऋण ग्राहकों के	नई और मौजूदा संस्थाएं जो किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान से कार्यशील पूंजी सुविधा का आनंद नहीं लेती हैं। • सावधि ऋण अधिग्रहण के एक भाग के रूप में कार्यशील पूंजी खातों के अधिग्रहण पर मानक दिशा-निर्देशों के अधीन विचार किया जा सकता है। • बैंक/वित्तीय संस्थाओं के प्रति कोई चूक नहीं।	डिजिटल/ऑनलाइन आवेदन। लोन की मंजूरी बैंक के द्वारा आंतरिक मूल्यांकन और रेटिंग के आधार पर की जायेगी।

		लिए एकल खिड़की। एमसीएलआर से जुड़ी आकर्षक ब्याज दर।		
6.	प्रोजेक्ट फंडिंग उत्पाद	परियोजना लागत के अधिकतम 80% के अधीन 50 करोड़ रु. तक का ऋण।	- भूमि की खरीद और फैक्ट्री भवन के निर्माण के लिए संयंत्र और मशीनरी की खरीद, विविध अचल संपत्ति, छत पर सौर परियोजनाओं की स्थापना, अन्य ऊर्जा दक्षता उपकरणों के अधिग्रहण आदि के लिए ऋण। - व्यवसाय की एक ही पंक्ति में विस्तार/आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए मौजूदा संस्थाओं को सहायता। - एमसीएलआर से जुड़ी आकर्षक ब्याज दर। 2 वर्ष तक की अधिस्थगन के साथ 7 वर्ष तक पुनर्भुगतान। - लेखापरीक्षित खातों के साथ न्यूनतम दो वर्ष का परिचालन - अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों में नकद लाभ - बैंक/वित्तीय संस्थाओं के प्रति कोई चूक नहीं।	डिजिटल/ऑनलाइन आवेदन। लोन की मंजूरी बैंक के द्वारा आंतरिक मूल्यांकन और रेटिंग के आधार पर की जायेगी। प्रोजेक्ट फंडिंग उत्पाद हेतु विस्तृत जानकारी बैंक की तीन शाखाओं से प्राप्त की जा सकती है :- - देहरादून शाखा, सिड्बी 111/68/1, भूतल ओल्ड नेहरू कॉलोनी, धर्मपुर, सुविधा सुपर स्टोर के निकट, देहरादून-248001 (दूरभाष 0135-3508894) - हरिद्वार शाखा सिड्बी, भूतल अशोक चंदवानी कॉम्प्लेक्स, आर्यनगर चौक, ज्वालापुर रेलवे क्रासिंग के निकट, ज्वालापुर हरिद्वार 249407, (दूरभाष 0133-297478) - रुद्रपुर शाखा- सिड्बी, प्रथम तल, 22 आवास विकास, ICICI बैंक के निकट, दिल्ली नैनीताल हाइवे, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर-263153 (दूरभाष: 05944-246806)

चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय, देहरादून। (CPMG)



क्र० सं०	योजना/ सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
डाकघर बचत बैंक योजनाएं				
01	बचत खाता (SB)	04 प्रतिशत* ब्याज दर, न्यूनतम रु. 500/- से निवेश, चैक बुक, ATM, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध। ATM बिना डाकघर जाए कहीं भी ATM मशीन से नकदी निकालने की सुविधा। नेट बैंकिंग : डाकघर बचत खाते को कहीं से भी डिजिटल रूप में संचालित करने की सुविधा, खाते का स्टेटमेंट देखने की सुविधा, डाकघर की विभिन्न तरह की योजनाओं में निवेश करने व खाता बंद करने की सुविधा। मोबाइल बैंकिंग : डाकघर बचत खाते को कहीं से भी डिजिटल रूप में संचालित करने की सुविधा एप के माध्यम से, खाते का स्टेटमेंट देखने की सुविधा, डाकघर की विभिन्न तरह की योजनाओं में निवेश करने व खाता बंद करने की सुविधा, नए ATM कार्ड जारी करने की सुविधा	एकल व संयुक्त वयस्क द्वारा खोला जा सकता है, 10 साल तक के अवयस्क का खाता अभिभावक द्वारा व 10 साल से ऊपर के अवयस्क का खाता स्वयं के नाम पर खोला जा सकता है, unsound mind के नाम पर अभिभावक द्वारा खाता खोला जा सकता है	निकटतम डाकघर में संपर्क कर दस्तावेज जमा करें। 1) खाता खोलने का फॉर्म (AOF) 2) KYC जैसे PAN कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, डी. एल., वोटर कार्ड, आदि 3) अवयस्क खाते के लिए जन्म प्रमाण पत्र
2	राष्ट्रीय बचत प्रमाण	7.7 प्रतिशत* ब्याज दर रु.1000/- से शुरू, आयकर धारा 80C के अंतर्गत छूट।	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार

	पत्र(NSC)			
3	किसान विकास पत्र (KVP)	7.5 प्रतिशत* ब्याज दर रु.1000/- से शुरू निवेश राशि 115 माह में दो गुना	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
4	महिला सम्मान बचतपत्र (MSSC)	7.5 प्रतिशत* ब्याज दर रु. 1000/- से रु. 2.00 लाख तक	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
5	वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)	8.2 प्रतिशत* ब्याज दर रु. 1000/- से रु.30 लाख तक निवेश, त्रैमासिक आधार पर ब्याज राशि देय	1) 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 2) 55 वर्ष से 60 वर्ष के सेवानिवृत्त सिविल कर्मचारी 3) 50 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम के सेवानिवृत्त रक्षा कर्मचारी एकल अथवा Spouse के साथ संयुक्त रूप में	उपरोक्तानुसार
6	लोक भविष्य निधि (PPF)	7.1 प्रतिशत* ब्याज दर रु. 500/- से रु.1.5 लाख तक निवेश एक वर्ष में, आयकर धारा 80 C के अंतर्गत छूट, परिपक्वता राशि के ब्याज पर आयकर छूट	1) एकल वयस्क द्वारा खोला जा सकता है। 2)अवयस्क /unsound mind के नाम पर अभिभावक द्वारा खाता खोला जा सकता है	उपरोक्तानुसार
7	सुकन्या समृद्धि खाता (SSA)	8.2 प्रतिशत* ब्याज दर, रु. 250/- से रु.1.5 लाख तक निवेश एक वर्ष में, आयकर धारा 80C के अंतर्गत छूट, परिपक्वता राशि के ब्याज पर आयकर छूट	10 वर्ष तक की बालिकाओं का खाता अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है	निकटतम डाकघर से सम्पर्क कर निम्न दस्तावेज जमा करें 1)खाता खोलने का फॉर्म (AOF) 2)KYC जैसे PAN कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, डी. एल., वोटर कार्ड, आदि 3) बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।

जन सुरक्षा योजनाएं				
8	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)	रु0 436/- प्रीमियम राशि प्रति वर्ष। 01 वर्ष की प्रति वर्ष नवीनीकृत होने वाली योजना, रु.02 लाख देय राशि किसी भी कारण से मृत्यु होने पर।	1) 18-50 वर्ष के नागरिकों के लिए 2) डाकघर में बचत खाताधारक	1) निकटतम डाकघर में उपलब्ध 2) डाकघर में बचत खाता होने की अनिवार्यता
9	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)	रु 20/- प्रीमियम राशि प्रति वर्ष। 01 वर्ष की प्रति वर्ष नवीनीकृत होने वाली एकसीडेंटल बीमा योजना, रु 01 से 02 लाख देय राशि दुर्घटना से मृत्यु/दिव्यांगता होने पर	1) 18-70 वर्ष के नागरिकों के लिए 2) डाकघर में बचत खाताधारक	उपरोक्तानुसार
10	अटल पेंशन योजना (APY)	गारंटीड न्यूनतम पेंशन योजना, 60 वर्ष पूर्ण होने पर 1000/-से रु.5000/- प्रति माह तक, योजना में शामिल होने पर मासिक अंशदान देना पड़ता है।	1) 18-40 वर्ष के नागरिकों के लिए 2) डाकघर में बचत खाताधारक	उपरोक्तानुसार
11	नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) सिटीजन मॉडल	रु. 500 से न्यूनतम शुरुआती योगदान पंजीकरण के साथ, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। नेशनल पेंशन सिस्टम मॉडल में सेवानिवृत्ति/70 वर्ष के बाद पेंशन की कोई धनराशि निश्चित नहीं है। एनपीएस एक प्रकार की पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जोकि बाजार आधारित रिटर्न की गारंटी देती है। एनपीएस में वार्षिक योजना के तहत, एनपीएस में जमा की गई राशि का एक हिस्सा जीवनभर या एक निश्चित अवधि के लिए नियमित भुगतान के रूप में मिलता है। डाकघरों के माध्यम से भी इसे चुने जाने का विकल्प है।	18-70 वर्ष के नागरिकों के लिए	डाक विभाग की वेब साइट www.indiapost.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन खोलने की सुविधा
जीवन बीमा				
12	डाक जीवन बीमा (पी.एल.आई.) योजनाएं:	डाक जीवन बीमा, योजना के अंतर्गत निम्न योजनाएं संचालित हैं :- संपूर्ण जीवन बीमा (सुरक्षा), परिवर्तनीय सम्पूर्ण जीवन बीमा (सुविधा), मियादी बीमा (संतोष), प्रत्याशित मियादी बीमा (सुमंगल), युगल सुरक्षा बीमा चिल्ड्रेन पॉलिसी। उक्त डाक जीवन बीमा (पीएलआई) योजना डाक विभाग द्वारा 1 फरवरी 1984 को शुरू की गयी थी जिसका लाभ वर्तमान में 50 लाख से अधिक पॉलिसी-धारक उठा रहे हैं। इस योजना का लाभ	केंद्र और राज्य सरकारों, रक्षा और अर्ध-सैन्य सेवाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय निकायों,	1) ग्राहको द्वारा पूर्णतः भरा हुआ प्रस्तावक फॉर्म, KYC दस्तावेज जैसे: आधार, पैन, फोटो तथा PLI extended clientele के अन्तर्गत डिप्लोमा/स्नातक/परा-स्नातक श्रेणी प्रस्तावक द्वारा स्व-घोषणा फॉर्म।

		निम्नवत हैं:- — अधिकतम बीमा राशि रु. 50 लाख तक। — आयु 19 से 55 वर्ष — धारा 80-C के अंतर्गत आय-कर में छूट — ऋण एवं सरेंडर की सुविधा — ऑनलाइन अथवा किसी भी डाकघर में प्रीमियम जमा करने की सुविधा — परिपक्वता राशि का भुगतान किसी भी डाकघर द्वारा प्राप्त करें।	पेशेवरों (जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आदि) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई)/बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) कंपनियों के कर्मचारी उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ स्नातक/डिप्लोमाधारी प्रोफेशनल भी उठा सकते हैं।	2) डाक जीवन बीमा (पीएलआई) योजना का लाभ उठाने हेतु अपने नजदीकी डाक-घर से संपर्क करें।
13	ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आर.पी.एल.आई.) योजनाएं :	ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना के तहत निम्न योजनाएं संचालित हैं :- सम्पूर्ण जीवन बीमा (ग्राम सुरक्षा), परिवर्तनीय सम्पूर्ण जीवन बीमा (ग्राम सुविधा), मियादी बीमा (ग्राम संतोष), प्रत्याशित सावधि बीमा (ग्राम सुमंगल), 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा (ग्राम प्रिया), चिल्ड्रेन पॉलिसी (ग्रामीण बाल जीवन बीमा) डाक जीवन बीमा (पीएलआई) योजना डाक विभाग द्वारा 24 मार्च 1995 को शुरू की गयी थी। इस योजना का लाभ निम्नवत हैं :- — अधिकतम बीमा राशि रु. 10 लाख तक, आयु 19 से 55 वर्ष — धारा 80-C के अंतर्गत आय-कर में छूट तथा ऋण एवं सरेंडर की सुविधा। ऑनलाइन अथवा किसी भी डाकघर में प्रीमियम जमा करने की सुविधा — परिपक्वता राशि का भुगतान किसी भी डाकघर द्वारा प्राप्त करें।	वे सभी वयस्क व्यक्ति जो भारत के निवासी तथा ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी निवासी हैं।	1) ग्राहको द्वारा पूर्णतः भरा हुआ प्रस्तावक फॉर्म, KYC दस्तावेज जैसे: आधार, पैन, फोटो। 2) ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) योजना का लाभ उठाने हेतु अपने नजदीकी डाक-घर से संपर्क करें।
रिटेल सेवाएँ				
14	गंगाजल प्रोजेक्ट	सम्पूर्ण भारतवर्ष के नागरिकों तक 3000 डाकघरों के माध्यम से गंगोत्री का पवित्र गंगाजल पहुंचाया जाना।	देश का कोई भी नागरिक इस सेवा का लाभ उठा सकता है।	डाक विभाग के चयनित डाकघरों से ग्राहक गंगाजल खरीद सकते हैं। 250 मिली. की एक गंगाजल बोतल का मूल्य रु. 30/- है। इस संबंध में अधिक

				जानकारी हेतु https://www.indiapost.gov.in/ साइट पर जाकर Retail Services विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है।
15	आधार नामांकन एवं अद्यतन	नागरिक अपने आधार कार्ड में विवरण अपडेट करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त नए आधार बनवाने हेतु भी इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है।	सभी नागरिक	आधार अद्यतन एवं 18 वर्ष से कम आयु के नए आधार बनवाने हेतु उत्तराखण्ड डाक परिमण्डल के 208 आधार केंद्रों में 211 किट पंजीकृत हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के आधार बनवाने हेतु उत्तराखण्ड डाक परिमण्डल के 39 आधार केंद्र पंजीकृत हैं।
16	सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड	भारत सरकार की पहल के एक भाग के रूप में, डाक विभाग सॉवरेन गोल्ड बांड की बिक्री की सुविधा प्रदान करता है, जिसके तहत आरबीआई द्वारा सॉवरेन गोल्ड बांड की किश्तें खोले जाने पर प्रधान डाकघरों के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।	देश का कोई भी नागरिक इस सेवा का लाभ उठा सकता है।	डाक विभाग के उत्तराखण्ड परिमण्डल के सभी प्रधान डाकघर और मुख्य डाकघर में यह सुविधा उपलब्ध है।
फिलाटेली (डाक टिकट संग्रहण)				
17	माई स्टैम्प	माई स्टैम्प भारतीय डाक के डाक टिकटों की व्यक्तिगत शीट का ब्रांड नाम है। वैयक्तिकरण ग्राहक की तस्वीर और संस्थानों के लोगो, या कलाकृति, विरासत इमारतों, प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक शहरों, वन्य जीवन, अन्य जानवरों और पक्षियों आदि की छवियों को डाक शुल्क वाले चयनित टेम्पलेट शीट पर प्रिंट करके प्राप्त किया जाता है। यह योजना चयनित फिलाटेलिक ब्यूरो और पर्यटन स्थलों पर स्थित काउंटरों तथा महत्वपूर्ण/ चयनित डाकघरों में उपलब्ध है। एक माईस्टैम्प शीट में 12 स्टैम्प होते हैं और प्रत्येक स्टैम्प का अंकित मूल्य 5 रु० है तथा एक शीट की कीमत 300 रु० है। अतः माई स्टैम्प बनाने के लिए रु. 300/-प्रतिशीट का भुगतान करना होता है।	N/A	यह योजना नैनीताल और देहरादून फिलाटेलिक ब्यूरो और पर्यटन स्थलों पर स्थित काउंटरों तथा महत्वपूर्ण/ चयनित डाकघरों में उपलब्ध है।
18	ढाई आखर पत्र लेखन	डाक विभाग द्वारा प्रति वर्ष ढाई आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। पत्र को अंग्रेजी	राष्ट्रीय स्तर पर ढाई आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता दो	डाक विभाग प्रति वर्ष अधिसूचना जारी करता है।

	प्रतियोगिता	/ हिन्दी / क्षेत्रीय भाषा में लिखा जा सकता है राष्ट्रीय एवं परिमण्डलीय स्तर पर तीन विजेताओं को नकद पुरस्कार वितरण किया जाना होता है, जो कि निम्नवत देय होगा । परिमण्डलीय स्तर राष्ट्रीय स्तर प्रथम पुरस्कार रु. 25000 प्रथम पुरस्कार रु. 50000 दूसरा पुरस्कार रु. 10000 दूसरा पुरस्कार रु. 25000 तीसरा पुरस्कार रु. 5000 तीसरा पुरस्कार रु. 10000	वर्गों में की जाएगी 18 वर्ष तक (1- अन्तर्देशीय पत्र कार्ड, 2- लिफाफा वर्ग) 18 वर्ष से अधिक (1- अन्तर्देशीय पत्र कार्ड, 2- लिफाफा वर्ग)	
19	दीनदयाल स्पर्श योजना	डाक विभाग छठी से नौवीं कक्षा के बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए दीन दयाल स्पर्श योजना के तहत उन छात्रों को वार्षिक छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव है जिनके पास अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड है और वे शौक के रूप में डाक टिकट संग्रह भी करते हैं।	कक्षा छः से कक्षा नौ तक के छात्र- छात्राएं ।	डाक विभाग प्रति वर्ष अधिसूचना जारी करता है
अन्य सेवाएँ				
20	कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी)	डाकघरों के माध्यम से सीएससी सेवा मई 2020 में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गयी। वर्तमान में उत्तराखण्ड सर्कल में 2611 डाकघर से 131 प्रकार की सीएससी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।	देश का कोई भी नागरिक इस सेवा का लाभ उठा सकता है।	डाक विभाग के उत्तराखण्ड परिमण्डल के 2611 डाकघरों में यह सुविधा उपलब्ध है।
21	पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके)	इस सुविधा के अन्तर्गत समस्त जनता को डाकघरों के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।	देश का कोई भी नागरिक इस सेवा का लाभ उठा सकता है।	डाक विभाग के उत्तराखण्ड परिमण्डल में चयनित 6 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) के द्वारा सुविधा प्रदान की जा रही है ।
22	किसी ग्राम पंचायत में मिनी डाकघर खोलने की प्रक्रिया	जनसंख्या – सामान्य क्षेत्र हेतु 3000 (ग्राम समूहों व प्रस्तावित गांव सहित), पहाड़ी क्षेत्र – 500 (व्यक्तिगत गांव) व 1000 (ग्राम समूह) दूरी – सामान्य क्षेत्र हेतु (03 किमी न्यूनतम), पहाड़ी क्षेत्र – (03 किमी न्यूनतम एवं विशेष परिस्थितियों में निदेशालय दूरी की सीमा में छूट दे सकता है।) प्रत्याशित आय – सामान्य क्षेत्र – 33.33 प्रतिशत, पहाड़ी क्षेत्र – 15 प्रतिशत होनी चाहिए।		
23	डाकमित्र बनने की प्रक्रिया	डाकमित्र बनने हेतु Common service centre (CSC) पंजीकरण होना चाहिए। इसके उपरांत डाकमित्र हेतु सीएससी डाकमित्र पोर्टल (https://dakmitra.csccloud.in/) पर आवेदन किया जा सकता है।		

नोट:- (*) तिमाही आधार पर परिवर्तनीय

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, देहरादून उत्तराखण्ड। (SLBC)



करने के लिए एसएलबीसी बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। एसएलबीसी की बैठकें त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जाती हैं। प्रतिवर्ष एक विशेष एसएलबीसी बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री बैठक की अध्यक्षता करते हैं।

बैठकों के दौरान भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/सेवाओं में वित्तीय समावेशन करने, वित्तीय प्रक्रियाओं के सरलीकरण करने, ऋण/ब्याज/सब्सिडी/बीमा, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर चर्चा की जाती है तथा दिशानिर्देश जारी कर, संबंधित विभागों/संस्थाओं को प्रेषित किये जाते हैं। ताकि लाभार्थी को वित्तीय सेवाओं का लाभ आसानी से पहुंच सके।

उत्तराखण्ड में लीड बैंकों का विवरण निम्नवत है :-

क्र.सं.	जनपद	बैंक का नाम
1	अल्मोडा	एसबीआई
2	बागेश्वर	एसबीआई
3	चमोली	एसबीआई
4	चम्पावत	एसबीआई
5	पिथौरागढ़	एसबीआई
6	रुद्रप्रयाग	एसबीआई
7	पौड़ी	एसबीआई
8	टिहरी	एसबीआई
9	उत्तरकाशी	एसबीआई
10	नैनीताल	बैंक आफ बडोदा
11	ऊधमसिंहनगर	बैंक आफ बडोदा
12	देहरादून	पीएनबी
13	हरिद्वार	पीएनबी

भारतीय खाद्य निगम, देहरादून क्षेत्र। (FCI)



भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत खाद्य नीति के मुख्य उद्देश्यों यथा किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पूरे देश में खाद्यान्नों का वितरण करने, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के परिचालन और बफर स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाए रखने हेतु किया गया। अपनी स्थापना के बाद से, एफसीआई ने संकट प्रबंधन उन्मुख खाद्य सुरक्षा को एक स्थिर सुरक्षा प्रणाली में बदलने में भारत की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वाहनों/ट्रकों की वास्तविक समय पर आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए, एनआईसी – उत्तराखंड इकाई के सहयोग से वाहन स्थान ट्रैकिंग प्रणाली (वीएलटीएस) विकसित की गई है ताकि भू-निर्देशांक और मानचित्रों के माध्यम से ट्रकों की आवाजाही पर ऑनलाइन मोड में नजर रखी जा सके।

भा.खा.नि. उत्तराखंड राज्य में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं अन्य कार्यक्रमों के तहत गेहूं का स्टॉक, राज्य सरकार को उपलब्ध कराता है। यह निगम ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (OMSS) के तहत अतिरिक्त अनाज को विभिन्न इकाइयों, जैसे राज्य सरकारें, NCCF, NAFED, केन्द्रीय भण्डार और निजी व्यापारियों को बेचता है। इस हेतु राज्य सरकारें भा.खा.नि. के साथ एक वैध समझौते या समझौते के आधार पर इस OMSS में भाग लेने के योग्य होती हैं। थोक उपभोक्ता और निजी व्यापारी जो OMSS में अतिरिक्त अनाज की खरीद करने के इच्छुक हैं, उन्हें भा.खा.नि. के नियुक्त प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण करना होता है तथा उसके लिए DAFPD द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे खाद्य अनाज में व्यापार के लिए वैध लाइसेंस, कर अनुपालन आदि। थोक उपभोक्ता जैसे आटाचक्की, बेकरियों, खाद्यप्रसंस्करण उद्योग आदि, व्यावसायिक उद्योगों को भी भा.खा.नि. से अतिरिक्त अनाज की खरीद कर सकते हैं। खुले बाजार में गेहूं और चावल की उपलब्धता बढ़ाने और बाजार में गेहूं, चावल और आटे की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए डीएफपीडी के निर्देशानुसार भारतीय खाद्य निगम खुले बाजार में गेहूं और चावल की बिक्री, योजना के तहत गेहूं और चावल को आटा मिलों/निजी व्यापारियों/थोक खरीदारों/निर्माताओं द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से खरीदा जाता है और बेचा जाता है। राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश निगमों/सहकारिताओं/संघों/स्वयं सहायता समूहों को बेचा जाता है। भा.खा.नि. द्वारा रक्षा/अर्धसैनिक बलों को भी खाद्यान्न राज्य-वार त्रैमासिक आवंटित किया जाता है।

भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित, देहरादून (NCCF)



क्र. सं.	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	मूल्य समर्थन योजना—रबी खरीद	उत्तराखण्ड राज्य के कृषकों को MSP के अनुसार गेहूँ खरीद के सापेक्ष भुगतान की प्राप्ति।	उत्तराखण्ड राज्य के कृषक।	खरीफ—खरीद नीति 2024–25 खाद्य विभाग के अन्तर्गत एन.सी.सी.एफ. किसानों से मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान / गेहूँ खरीद हेतु किसानों का पंजीकरण किया जाता है। स्थापित क्रय केन्द्रों पर बैनर के माध्यम से प्रचार—प्रसार किया जाता है। उत्तराखण्ड राज्य में केवल गेहूँ एवं धान की खरीद का कार्य किया जाता है।
2.	मूल्य समर्थन योजना—खरीफ खरीद	उत्तराखण्ड राज्य के कृषकों को MSP के अनुसार धान खरीद के सापेक्ष भुगतान की प्राप्ति।	उत्तराखण्ड राज्य के कृषक।	किसानों को धान/गेहूँ बेचने से पूर्व अपनी फसलों का विशेष ध्यान जैसे फसल को सही जगह एकत्रित करके रखा हो, फसल को नमी वाले स्थान पर ना रखे, नमी आने पर किसानों को उनकी फसल का सही भुगतान नहीं मिल पाता। किसान अपनी फसल को खेत से निकालने के बाद उसको साफ कर उसको उचित स्थान पर व्यवस्थित कर रखे। संघ से कोई थोक विक्रेता भी गेहूँ/धान/अन्य फसल नहीं खरीद सकता है।

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (NAFED), ऊधमसिंहनगर



भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (NAFED) एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी एजेंसी है जो छः दशकों के अधिक समय से कृषक समुदाय के हितों के लिए कार्य कर रही है। यह मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है, जिसकी पंजीकरण संख्या 117 दिनांक 2 अक्टूबर, 1958 है।

NAFED उपभोक्ता मामलों (DOCA) के तहत कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के तहत मूल्य समर्थन योजना (PSS) में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर दलहन और

तिलहन की खरीद के लिए भारत सरकार की एक केंद्रीय नोडल एजेंसी है और मूल्य स्थिरीकरण योजना (PSF) के तहत दालों की खरीद भी करती है जिससे दालों का एक राष्ट्रीय बफर स्टॉक बनाए रखने और सेना, केंद्रीय अर्ध-सैन्य बलों (सीपीएमएफ), पीडीएस, एमडीएम, आईसीडीएस आदि के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को इसके प्रसंस्करण और आगे की आपूर्ति की व्यवस्था भी करती है।

NAFED पिछले कई वर्षों से DAC&FW की ओर से NFSM (दलहन और OS) के तहत दलहन और तिलहन के बीज उत्पादन कार्यक्रम और प्रमाणित बीज मिनीकिट के वितरण के लिए भारत सरकार की केंद्रीय नोडल एजेंसी भी है। विगत वर्षों में उत्तराखंड राज्य में नेफेड की कुछ उपलब्धियाँ निम्नवत् प्रस्तुत की जा रही है :-

क्र. सं.	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	मूल्य समर्थन योजना-रबी खरीद	उत्तराखण्ड राज्य के कृषकों को MSP के अनुसार गेहूं खरीद के सापेक्ष भुगतान की प्राप्ति।	उत्तराखण्ड राज्य के कृषक।	रबी-खरीद नीति
2	मूल्य समर्थन योजना-खरीफ खरीद	उत्तराखण्ड राज्य के कृषकों को MSP के अनुसार धान खरीद के सापेक्ष भुगतान की प्राप्ति।	उत्तराखण्ड राज्य के कृषक।	खरीफ-खरीद नीति 2024-25
3	किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन	जीवंत और स्थायी आय उन्मुख खेती और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास और कृषि समुदायों की भलाई हेतु नए 10,000 एफ.पी.ओ. बनाने के लिए सर्वांगीण और व्यापक आधारित सहायक पारिस्थिति की तंत्र प्रदान करना	उत्तराखण्ड राज्य के 32 ब्लकों में स्थापित एफपीओ के माध्यम से लगभग 5500 कृषकों	संचालन दिशा निर्देशिका भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

		है।	को जोड़ा जा चुका है।	
4	किसान उत्पाद संगठन बनाने की प्रक्रिया एवं लाभ	किसान उत्पाद संगठन बनने के बाद किसानों को उनके उत्पाद को उचित मूल्य पर विक्रय प्लेटफार्म उपलब्ध करा के उनको अधिकतम लाभ दिलवाया जाता है। साथ ही सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से किसानों को जोड़ा जाता है। मुख्यतः एफपीओ लघु एवं सीमांत किसानों का एक समूह है। इससे जुड़े किसानों को न सिर्फ अपनी उपज के लिए बाजार मिलता है बल्कि खेत में लगने वाले खाद, बीज, दवाईयां और कृषि यंत्रों की खरीद भी उचित मूल्य पर मिलती है। इससे छोटे किसानों को अच्छा मोल मिल जाता है। इससे किसानों को उनकी उपज का मूल्य बिना किसी कटौती के तत्काल प्रदान किया जाता है एवं उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष खुदरा दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।	उत्तराखण्ड राज्य के कृषक एवं उपभोक्तागण।	सर्वप्रथम इम्प्लिमेंट एजेंसी द्वारा सीबीबीओ का चयन किया जाता है तथा संबंधित ग्रामों में जाकर बेसलाइन सर्वे किया जाता है तथा डीएमसी मीटिंग में एफपीओ का अप्रूवल लिया जाता है। सीबीबीओ द्वारा 10 डायरेक्टर की पहचान करके उनके नाम से किसान उत्पाद संगठन का पंजीकरण को-आपरेटिव सोसाइटी या कम्पनी एक्ट के तहत किया जाता है। सीईओ व लेखाधिकारी का चयन किया जाता है। किसान उत्पाद संगठन का पंजीकरण होने के उपरांत कम से कम समतल क्षेत्र व पहाड़ी क्षेत्र में 100 कृषकों को जोड़ा जाता है। आईएफपीसी की प्रसंस्करण इकाई शहरों में भी लगाई जा सकती है।

5	भारत ब्रांड योजना	भारत ब्रांड योजना के तहत उपभोक्ताओं को भारत आटा, भारत चावल एवं भारत दाल रियायती दरों पर उपलब्ध कराना।	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के निर्देशानुसार गत वर्ष में नेफेड द्वारा उत्तराखंड राज्य में उपभोक्ताओं को भारत ब्रांड पदार्थ रियायती मूल्यों पर उपलब्ध कराये गए जैसे भारत चना दाल मात्र 60 रुपए प्रति किलो, भारत आटा मात्र 27.50 रुपए प्रति किलो एवं भारत चावल मात्र 29 रुपए प्रति किलो।	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नेफेड को भारत ब्रांड के प्रसंस्करण एवं वितरण के लिए एजेंसी नामित किया गया। उत्तराखंड राज्य में नेफेड द्वारा विभिन्न शहरों में मोबाइल वैन एवं फेयर प्राइस पॉइंट के माध्यम से बिक्री की गयी।
6	पीएसएफ़ के अंतर्गत खरीदे गए प्याज का रियायती दरों पर खुदरा बिक्री।	बाजार में प्याज की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार नेफेड द्वारा पीएसएफ़ रबी - 23 में खरीदे गए प्याज को उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर बेचा गया।	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार गत वर्ष में नेफेड द्वारा उत्तराखंड राज्य में उपभोक्ताओं को प्याज रियायती मूल्यों पर उपलब्ध कराया गया मात्र 25 रुपए प्रति किलो।	उत्तराखंड राज्य में नेफेड द्वारा विभिन्न शहरों में मोबाइल वैन एवं फेयर प्राइस पॉइंट के माध्यम से बिक्री की गयी।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, (GSI)
राज्य इकाई: उत्तराखण्ड
देहरादून

संक्षिप्त परिचय:— भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की स्थापना स्वतन्त्रता से पूर्व रेलवे हेतु कोयला और खनिज संसाधनों की जांच, के रूप में शुरू हुई। वर्तमान में जीएसआई के मुख्य कार्य राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचना और खनिज संसाधन मूल्यांकन के सृजन और अपडेशन से संबंधित हैं। इन उद्देश्यों को जमीनी सर्वेक्षण, वायु-जनित और समुद्री सर्वेक्षण, खनिज पूर्वक्षण और जांच, बहु-अनुशासनात्मक भू-वैज्ञानिक, भू-तकनीकी, भू-पर्यावरण और प्राकृतिक खतरों के अध्ययन, ग्लेशियोलॉजी, भूकंपीय अध्ययन और मौलिक अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। वर्तमान में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय से जुड़ा कार्यालय है। जीएसआई विभिन्न मिशनों के तहत मुख्य गतिविधियाँ कर रहा है—

- मिशन 1— बेसलाइन जियोसाइंस डेटा जनरेशन विशेष विषयगत मानचित्रण (एसटीएम) और राष्ट्रीय भू-रासायनिक मानचित्रण कार्यक्रम (एनजीसीएम)
- मिशन 2— प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन खनिज जांच
- मिशन 3 — भू-सूचना विज्ञान और मानचित्र प्रभाग
- मिशन 4— मौलिक और बहु-विषयक भू-विज्ञान। भूस्खलन और इंजीनियरिंग भूविज्ञान

उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभिन्न आपदाओं एवं विशिष्ट परिस्थितियों में उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, की विभिन्न समितियों में नामांकित सदस्य के रूप में सहभागी रहता है तथा आवश्यकतानुसार संबंधित डाटा को भी साझा करता है।

जीएसआई ने उत्तराखण्ड के पिथौरागढ़ जिले में चौरा और गंगोट चूना पत्थर ब्लॉक राज्य सरकार को सौंप दिए हैं, जिसके लिए उत्तराखण्ड के भूविज्ञान और खनन विभाग के माध्यम से नीलामी प्रक्रिया चल रही है। एनजीसीएम कार्यक्रम के तहत देश के संपूर्ण भू-भाग को भू-रासायनिक नमूने के माध्यम से कवर किया जाता है, जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और विकास, पर्यावरण, कृषि, मानव स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सरोकारों में अनुप्रयोग के साथ-साथ छिपे हुए खनिज भंडारों की खोज में सहायता करता है।

वर्ष 2013 में उत्तराखण्ड में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के कारण पूरे देश के संवेदनशीलता मानचित्र की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय संवेदनशीलता मानचित्रण (एनएलएसएम) कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था।



जीएसआई उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण, जांच और योजना, जल संसाधन विकास, संचार और परिवहन परियोजनाओं के मूल्यांकन और ढलानों की स्थिरता में भू-तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करके उत्तराखंड राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और केदारनाथ (जून, 2013), चमोली आपदा (फरवरी, 2021), जोशीमठ भूस्खलन (जनवरी, 2023) और सिल्क्यारा बचाव अभियान (नवंबर, 2023) जैसी आपदा संबंधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल है।

1. केदारनाथ त्रासदी (जून 2013) के उपरान्त भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के पाँच जनपदों में कार्य सत्र 2013 –14 के अन्तर्गत रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी में सम्बन्धित आपदा प्रभावित क्षेत्रों की ढलानों के स्थायित्व हेतु प्राथमिक आंकलन किया गया था तथा इन प्रतिवेदनों को राज्य सरकार से सांझा किया गया था।
2. चमोली आपदा (फरवरी 2021) के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), USDMA द्वारा गठित समिति सदस्य के रूप में भाग लिया तत्पश्चात एक USDMA द्वारा गठित 07 सदस्यीय समिति जिसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण व वाडिया भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा रौंथी गाद के मलवे से जनित ऋषिगंगा झील व आपदा सम्बन्धित सर्वेक्षण किया था।
3. जनवरी 2023 में जोशीमठ भूधंसाव के समय में भी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, USDMA द्वारा गठित संयुक्त दल का सदस्य था तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 1:5,000 स्केल पर भूवैज्ञानिक मानचित्रण का अधिदेश दिया गया था। भा.भू.स. ने इस सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन तैयार कर एक-एक प्रति मुख्य सचिव उत्तराखंड व सचिव USDMA उत्तराखंड को फरवरी 2024 में सौंप दी गई थी।
4. सिल्क्यारा बचाव अभियान(नवम्बर 2023)के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के तीन वरिष्ठ निदेशक गण का दल 18.11.2023 से 29.11.2023 तक Site पर विभिन्न बचाव दलों SJVNL, RVNL, ONGC, THDC के साथ सक्रिय रूप से भूवैज्ञानिक जानकारी को सांझा किया तथा NHIDCL द्वारा आयोजित बैठकों में भाग लिया।

उत्तराखंड के देहरादून और टिहरी गढ़वाल जिलों के रंगर गांव क्षेत्र में फॉस्फोराइट और संबंधित दुर्लभ धातु (आरएम) खनिजकरण के लिए सर्वेक्षण, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिलों के चिरौली और आसपास के क्षेत्रों में आधार धातु और संबंधित खनिजकरण के लिए सर्वेक्षण, संचार मार्गों पर भूस्खलन या जन-सांख्यिकीय केंद्रों को हुए नुकसान का आपदा के बाद अध्ययन तथा जल संसाधन विकास परियोजना का भू-तकनीकी मूल्यांकन का कार्य जीएसआई द्वारा उत्तराखण्ड में किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड राज्य में जीएसआई की ओर से सामरिक व महत्वपूर्ण खनिज में टिन, टंगस्टन, वैनेडियम, आरईई, फास्फोराइट इत्यादि पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है तथा इन्हें विभिन्न कार्यसत्र मदों में वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत लिया जाता है। खनिज अन्वेषण, भारतीय

भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का कार्य है तदोपरांत विशिष्ट खोज होने पर उसे ब्लाक के रूप में खान मंत्रालय से राज्य भूतत्व व खनिकर्म निदेशालय को हस्तान्तरित किया जाता है क्योंकि खनन राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है।

खनिजों के सर्वेक्षण/अन्वेषण कराये जाने हेतु वर्ष में एक बार भूतत्व व खनिकर्म विभाग उत्तराखण्ड के तत्वाधान से विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं के विशेषज्ञ के साथ एक एसजीपीबी बैठक कर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाती है तथा नये विषयों या खनिज अन्वेषण रसायनिक सर्वेक्षणीय, चिकित्सा भूविज्ञान तथा आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में संबंधित बिंदुओं को रखा जाता है जिन्हें बाद में केन्द्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। सामान्यतः जीएसआई अपने कार्यसत्र के अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार सर्वेक्षण कार्यों को विभिन्न मिशन के अंतर्गत निष्पादित करता है।

वर्तमान में विभाग द्वारा किये जा रहे विभिन्न कार्यों की वार्षिक प्रतिवेदन जीएसआई के पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती है। भूस्खलन से संबंधित रिपोर्ट को भी आपदा प्रबंधन हेतु उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण प्रबंधन केन्द्र उत्तराखण्ड के साथ भी जीएसआई केन्द्रीय मुख्यालय से साझा किया गया है।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून (SOI)



क्र० सं०	योजना/ सेवा का नाम	लाभ
1	सर्वेक्षण एवं मानचित्रण	भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत भारत का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है। यह देश के बहु-स्तरीय स्थलाकृतिक मानचित्रों के व्यवस्थित सर्वेक्षण और उत्पादन में तत्पर है जिसने विभिन्न एजेंसियों के लिए आधार और नींव प्रदान कर देश में थिमेटिक मानचित्रण, विस्तृत प्रकार के सेटेलाइट/हवाई छवि विश्लेषण और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) परियोजनाओं को बढ़ावा दिया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ज्योडीय नियंत्रण (क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर) और

		ज्योडीय और भूभौतिकीय सर्वेक्षण, स्थलाकृतिक नियंत्रण, भारत में सर्वेक्षण और मानचित्रण, स्थलाकृतिक मानचित्र और वैमानिकी चार्ट का उत्पादन, विकासात्मक परियोजनाओं के लिए विशेष सर्वेक्षण करना, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का सीमांकन, देश में प्रकाशित मानचित्रों पर उनका सटीक चित्रण सुनिश्चित करना और अंतर-राज्यीय सीमाओं के सीमांकन पर भी सलाह देने के लिए उत्तरदायी है। उत्तराखण्ड राज्य में किसी विशेष क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने के लिए निदेशक, उत्तराखण्ड भू-स्थानिक निदेशालय, देहरादून से निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं : उत्तराखण्ड भू-स्थानिक निदेशालय, सर्वे आफ इण्डिया, 17-ई. सी. रोड, पोस्ट बॉक्स न. 122, देहरादून 248001, ई-मेल : ukgdc.ddn.soi@gov.in सम्पर्क नंबर 0135-2656402, 2711815, 2713915, भारत के महासर्वेक्षक के कार्यालय से सम्पर्क हेतु पता : भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय, पोस्ट बॉक्स न. 37, सर्वे आफ इण्डिया, हाथीबड़कला एस्टेट-248001 ई-मेल : sgi.soi@gov.in फोन नम्बर 0135-2744268।
2	राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति (2022)	भारत सरकार ने 28 दिसंबर, 2022 को राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति – 2022 (एनजीपी-2022) को अधिसूचित किया है। एनजीपी-2022 के अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग को जियोडेटिक रेफरेंस फ्रेम (जीआरएफ) की स्थापना और रखरखाव और नेशनल जियोस्पेशियल डेटा रजिस्ट्री (एनजीडीआर) और यूनिफाइड जियोस्पेशियल इंटरफेस (यूजीआई) का विकास जैसी कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं सौंपी गई हैं। एन.जी.डी.आर. डेटासेट और सेवाओं के रजिस्ट्रों/कैटालॉग का एक सामान्य रूप से सुलभ सेट है। जबकि यू.जी.आई. इलैक्ट्रॉनिक डेटा प्रश्न और प्रसंस्करण सेवा, एन.जी.डी.आर. में निहित भू-स्थानिक डेटा और मेटाडेटा का उपयोग करके उपभोक्ता-उन्मुख उत्पादों, अनुप्रयोगों, सेवाओं और समाधानों के प्रावधान और केन्द्रीय और राज्य स्तरीय साझेदार एजेंसी डेटा नोड्स में डेटा आपूर्ति श्रृंखलाओं के प्रयोगार्थ संचालित करना है।
3	सी.ओ.आर. एस. (CORS) कन्टीन्युस ओपरेटिंग स्टेशन	भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने विभिन्न केंद्र/राज्य सरकारी कार्यालयों के साथ साझेदारी करके देश में CORS नेटवर्क स्थापित करने की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। यह भू-स्थानिक बुनियादी ढांचा देशभर में वास्तविक समय में से.मी. स्तर की स्थान सटीकता की जानकारी की सुविधा प्रदान करेगा तथा सर्वेक्षण और मानचित्रण की उत्पादकता और विश्वसनीयता में सुधार करेगा जिससे भारत सरकार की पहल जैसे – स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण (डीआईएलआरएमपी), शहरी नियोजन और विकास को बढ़ावा मिलेगा। सी.ओ.आर.एस. (CORS) सेवाएं एक समर्पित पोर्टल https://cors.surveyofindia.gov.in के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। सी.ओ.आर.एस सेवायें सभी भारतीय नागरिकों/शिक्षण संस्थाओं/केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों के उपयोग हेतु उपलब्ध है। सी.ओ.आर.एस उत्पाद और सेवायें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और शैक्षणिक संस्थानों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है अन्य श्रेणियों के लिए सदस्यता शुल्क के आधार पर यह सुविधा उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जानकारी निम्न पोर्टल पर उपलब्ध है : https://cors.surveyofindia.gov.in/subscriptioncharges.php
4	एनएचपी (NHP): नेशनल	यह राष्ट्रीय महत्व की एक परियोजना है जिसमें भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में एक नोडल भूमिका निभा रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत में जल संसाधन सूचना प्रणाली की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार और लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को मजबूत करना है। इस परियोजना का उद्देश्य जल संसाधनों की

	हाईड्रोग्राफी प्रोजेक्ट	योजना, विकास और प्रबंधन के साथ-साथ वास्तविक समय में बाढ़ पूर्वानुमान और जलाशय अवलोकन में सुधार करना है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग को विभिन्न प्रकार के भू-स्थानिक डाटासेट्स जैसे-नदी के दोनों किनारों पर 05 कि.मी. तक नदी बेसिन क्षेत्रों (मैदानी) के लिए 0.5 मी., 5 मी. तथा 10 मी. के मानचित्रण एवं डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डी.ई.एम.) को तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग हाई रेजोल्यूशन से परिशुद्ध नक्शे बनाकर विभिन्न विभागों को प्रदान कर रहा है। जिसके उचित उपयोग से ग्रामीण पंचायत प्रबन्धन/शहरी निकाय प्रबन्धन एवं पेयजल प्रबन्धन में सहायता मिल सकती है।
5	एनएमसीजी (NMCG) नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा	यह परियोजना केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस परियोजना का उद्देश्य नवीनतम तकनीक के साथ ऋषिकेश, उत्तराखंड से हल्द्वी, पश्चिम बंगाल तक गंगा नदी के लिए हाई रिजॉल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल (एचआरडीईएम) और भौगोलिक सूचना पद्धति (जीआईएस) द्वारा डेटाबेस तैयार करना है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे दो लाख पचास हजार वर्ग किमी क्षेत्र के प्रमुख कस्बों और शहरों को कवर करने हेतु मैपिंग की जा रही है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग को नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके गंगा नदी के दोनों किनारों पर 10 किमी की सीमा तक कवर करने वाले 0.5 मीटर रिजॉल्यूशन के उच्च-रिजॉल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) और जीआईएस मानचित्र तैयार करने का काम सौंपा गया है। यह डाटा राजकीय विभागों की आवश्यकता/मॉग पर साझा किया जा सकता है।
6	स्वामित्व	ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र में भूमि पार्सल के सर्वेक्षण के लिए 24 अप्रैल, 2020 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना शुरू की गई थी। पंचायती राज मंत्रालय की इस केंद्रीय क्षेत्र योजना में भारतीय सर्वेक्षण विभाग प्रौद्योगिकी भागीदार है। यह सर्वेक्षण करीब 3,73,344 गांवों के लिए किया जा रहा है। परियोजना के परिणाम में राजस्व/संपत्ति रजिस्ट्रों में अधिकार के रिकॉर्ड का अद्यतनीकरण और मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करना शामिल होगा। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में स्वामित्व योजना के अन्तर्गत ड्रोन सर्वे एवं मानचित्रण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, विज्ञान शाखा, देहरादून। (ASI)

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिसंबर, 1861 में अस्तित्व में आया और देश के विभिन्न क्षेत्रों का व्यवस्थित सर्वेक्षण किया, हालांकि स्मारकों का संरक्षण और परिरक्षण, जो आज विभाग का एक प्रमुख कार्य है, इसके कार्यक्रमों के दायरे से बाहर रह गया था। 1904 में, प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व, ऐतिहासिक और कलात्मक रुचि की वस्तुओं की रक्षा और अधिग्रहण के उद्देश्य से बहुत जरूरी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। स्वतंत्रता के बाद, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के रूप में जाना जाने वाला एक व्यापक कानून बनाया गया। इस अधिनियम के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 3500 से अधिक स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व के केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया है। इनमें से, यूनेस्को ने 22 स्थलों को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थलों में सूचीबद्ध किया है। विश्व विरासत सूची में शामिल विभिन्न भारतीय स्मारक और स्थल हैं। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला, ताजमहल, कोणार्क का सूर्य मंदिर, आदि। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभिन्न शाखाओं के माध्यम से कार्य करता है।



विज्ञान शाखा— यह मुख्य रूप से केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के वैज्ञानिक संरक्षण के लिए जिम्मेदार है, इसके तहत 30 विश्व धरोहर स्मारकों सहित केंद्रीय संरक्षित स्मारकों का संरक्षण, उपचार, संग्रहालय प्रदर्शनियाँ और उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं का संरक्षण, विदेशों में स्मारक और विरासत स्थलों का संरक्षण का कार्य किया जाता है। गिरावट के कारणों का अध्ययन करने के लिए शोध भी किया जाता है। साथ ही पुरातत्व संस्थान, नई दिल्ली से पुरातत्व में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के छात्रों को संरक्षण पर प्रशिक्षण, वैज्ञानिक संरक्षण कार्यों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम एवं कार्यशाला/सेमिनार आयोजित किये जाते हैं।

विज्ञान शाखा प्रयोगशालाएँ— ये प्रयोगशालाएँ विश्लेषणात्मक उपकरणों से सुसज्जित हैं जिनका उपयोग कार्बनिक और अकार्बनिक मूल के पुरातात्विक नमूनों के विस्तृत रासायनिक विश्लेषण में किया जाता है। इन्फ्रा-रेड और यूवी-विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, थर्मल ग्रेविमेट्रिक डिफरेंशियल थर्मल एनालाइज़र का उपयोग पिगमेंट, पेंट, मिट्टी के बर्तन, कार्बनिक सामग्री, विभिन्न प्रकार की निर्माण सामग्री आदि के विश्लेषण के लिए किया जाता है। माइक्रोस्कोपी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, मेटलोग्राफिक माइक्रोस्कोप और स्टीरियोमाइक्रोस्कोप से सुसज्जित है जिसका उपयोग जैविक मूल के नमूनों और पत्थर, प्लास्टर, चूना, मोर्टार आदि जैसी निर्माण सामग्री के नमूनों की जांच के लिए किया जाता है। पत्थर संरक्षण प्रयोगशाला पूरे देश में पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पत्थरों के भौतिक गुणों के मूल्यांकन और निर्धारण से संबंधित विभिन्न परियोजनाएं शुरू करती है और परिरक्षकों के आवेदन के बाद उनके जल प्रतिरोधी व्यवहार का निर्धारण करती है। नाजुक और अत्यधिक खराब हो चुकी वस्तुओं का पुनरुद्धार उपचार एक कठिन कार्य है और उनकी सफल बहाली के लिए सटीक और कुशल वस्तु विशिष्ट पद्धतियों को अपनाने के अलावा संवेदनशीलता और मानव कौशल की आवश्यकता होती है। शुद्ध धातुओं या मिश्रधातुओं से निर्मित पुरावशेष, पत्थर, टेराकोटा, लकड़ी, हड्डी, चमड़ा, तेल, प्लास्टर पैनल, कागज पेंटिंग, पांडुलिपियाँ, संग्रहालयों तथा अन्य स्थानों से प्राप्त मानचित्रों आदि को इस प्रयोगशाला में पुनर्स्थापित किया जाता है।

किसी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किये जाने की प्रक्रिया एवं विश्व विरासत सूची में किसी स्मारक/स्थल/सांस्कृतिक धरोहर को सूचीबद्ध करने की सूचना :— प्राचीन स्मारकों से तात्पर्य ऐसे किसी संरचना या स्मारक, या कोई पुरास्थल से है जो कि कम से कम 900 साल पुराना हो। उस स्मारक/पुरास्थल की वास्तविक संरचना के साथ कोई छेड़-छाड़ नहीं की गयी हो एवं सबसे महत्वपूर्ण की राष्ट्रीय महत्व की ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहर हो। यदि राज्य में कोई स्मारक/पुरास्थल राष्ट्रीय महत्व के अनुरूप ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थिति रखता है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, देहरादून मण्डल द्वारा स्मारक/पुरास्थल का गहन अध्ययन किया जाता है तदनुसार एक विस्तृत प्रस्ताव बनाया जाता है जिसमें स्मारक/पुरास्थल के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व, संरक्षित, प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र की सीमा इत्यादि की विस्तृत रूपरेखा दी जाती है। मुख्यालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली में एक निर्दिष्ट समिति द्वारा प्रस्ताव की विवेचना की जाती है। यदि स्मारक /पुरास्थल राष्ट्रीय महत्व के अनुरूप पाया जाता है तो प्रारंभिक अधिसूचना (Preliminary Notification) निकाला जाता है, एवं 02 माह तक कोई आपत्ति दर्ज ना होने की स्थिति में अंतिम अधिसूचना (Final Notification) जारी कर राष्ट्रीय महत्व का स्मारक/पुरास्थल घोषित कर दिया जाता है।

इसी प्रकार विश्व धरोहर स्थल एक ऐसा स्थल या क्षेत्र है जिसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा कानूनी संरक्षण प्राप्त है। विश्व धरोहर स्थलों को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या अन्य प्रकार के महत्व के लिए यूनेस्को द्वारा नामित किया जाता है। विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए उस स्मारक/स्थल/सांस्कृतिक/ प्राकृतिक धरोहर का वैश्विक महत्व होना आवश्यक है। विश्व धरोहर समिति के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित दस चयन मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करना चाहिए। इन मानदंडों को विश्व धरोहर सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है। विश्व विरासत सूची में किसी स्मारक/स्थल/सांस्कृतिक/प्राकृतिक धरोहर को सूचीबद्ध करने के लिए एक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना पड़ता है जिसमें विस्तृत रूप से स्मारक/स्थल/सांस्कृतिक/प्राकृतिक धरोहर का वर्णन एवं सम्बंधित प्रपत्र लगाने पड़ते हैं। यदि विश्व धरोहर समिति प्रस्तुत प्रारूप के अनुरूप उक्त उस स्मारक/स्थल/सांस्कृतिक/ प्राकृतिक धरोहर को संरक्षण योग्य निर्धारित करती है, तत्पश्चात उसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित करने हेतु प्रक्रिया शुरू होती है।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, देहरादून (BSI)



देश के समृद्ध वानस्पतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिये भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 13 फरवरी 1890 में हुई थी। वनस्पति सम्पदा की दृष्टि से धनी होने के कारण देश की पादप सम्पदा के सर्वेक्षण, पौधों की विस्तृत जानकारी, पारिस्थितिकी, आर्थिक महत्व एवं जिलों, राज्यों तथा राष्ट्रीय पादप सम्पदा के अध्ययन के लिये वर्ष 1954 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का पुनर्गठन किया गया। शनैः शनैः विभाग की गतिविधियों में लुप्तप्राय, दुर्लभ तथा संकटग्रस्त पादप जातियों का संरक्षण, भंगुर पारिस्थितिक तंत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मण्डल आरक्षित क्षेत्र, नृवानस्पतिक अध्ययन एवं वानस्पतिक उद्यानों व हरित गृहों में पादपों के रखरखाव आदि कार्यों को सम्मिलित कर इसके क्रियात्मक आधार का विस्तार किया गया।

के पास विभिन्न शोध क्रियाकलापों के लिए पादपालय, संग्रहालय, पुस्तकालय, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तथा प्रायोगिक वानस्पतिक उद्यान आदि क्रियाशील इकाइयां हैं। इस केन्द्र के आधुनिक एवं सुव्यवस्थित संग्रहालय में वानस्पतिक दृष्टिकोण से रोचक विभिन्न पादप समूहों जैसे शैवाल, कवक, हरितोद्भिद्, पर्णांग, अनावृतबीजी एवं आवृतबीजियों के रोचक नमूने प्रदर्शित किए गए हैं। प्रदर्शन हेतु कीटभक्षी पादप, परजीवी, विषयुक्त पादप, “संकटग्रस्त प्रजातियों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता” के अंतर्गत आने वाले पौधे, स्थानिक एवं दुर्लभ, संकटग्रस्त एवं संकटापन्न जातियां तथा औषधीय एवं अन्य आर्थिक महत्व के पौधे रखे गए हैं।

इस केन्द्र द्वारा तीन प्रायोगिक उद्यानों जैसे राष्ट्रीय अनावृतबीजी संग्रहण, नागदेव प्रखण्ड, प्राकृतिक संरक्षित वन—खिर्सू एवं स्वर्ण जयंती उद्यान एवं धन्वन्तरि औषध वाटिका देहरादून का रख-रखाव, इस केन्द्र के कार्य क्षेत्र से संग्रहित दुर्लभ, संकटग्रस्त एवं संकटापन्न, असुरक्षित, औषधीय महत्व तथा आर्थिक महत्व के पौधों को रोपित एवं संरक्षित करने के लिये किया जाता है।

इस केन्द्र द्वारा समय समय पर अनेक वैज्ञानिक परियोजनाएं उत्तराखण्ड में संचालित की गई हैं जो निम्नवत् हैं :

1. गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान की वनस्पति।
2. राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में पौधों की विविधता का आंकलन।
3. उत्तराखंड की वनस्पति एवं फलोरा ऑफ उत्तराखंड।
4. नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य, उत्तराखंड की वनस्पति।
5. सोनानदी वन्यजीव अभ्यारण्य, उत्तराखंड की वनस्पति।
6. केदारनाथ प्राकृतिक आपदा – वनस्पतियों पर प्रभाव पर अध्ययन।
7. बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य, उत्तराखंड की पादप विविधता आंकलन।
8. गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरांचल की पुष्प विविधता का आंकलन।
9. भारत के उत्तराखंड की थारु और बोक्सा जनजाति का नृवंशविज्ञान अध्ययन।
10. देहरादून के मीठे पानी के शैवाल की विविधता।

वर्तमान में विशेष रूप से उत्तराखण्ड में इस केन्द्र द्वारा तीन परियोजनाएं : 1. झिलमिल कन्जर्वेशन रिजर्व, हरिद्वार; 2. देहरादून की वनस्पति प्रजातियों की चित्रमय पुस्तक का कार्य; 3. उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र (लिवरवॉटर्स और मॉस) का ब्रायोफ्लोरिस्टिक अध्ययन। इन परियोजनाओं के अतिरिक्त विभाग द्वारा अन्य किये जाने वाले कार्य निम्नवत् हैं :

क्र. सं.	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	पादपालय, म्यूजियम उद्यान	पादपों का संग्रहण, संरक्षण किया जाता है जिसका लाभ विद्यार्थी एवं शोधार्थी ले सकते हैं। पादपों की पहचान के लिये शुल्क की जानकारी https://bsi.gov.in पर उपलब्ध है, भ्रमण हेतु कोई भी शुल्क नहीं है।	विश्वविद्यालय, कालेज के विद्यार्थी एवं शोधार्थी	विश्वविद्यालय, संस्था, कालेज एवं स्कूल के कार्यालयाध्यक्ष की ओर से प्रेषित किये गये पत्र के आधार पर।
2.	इन हाउस प्रोजेक्ट झिलमिल कन्जर्वेशन रिजर्व एवं देहरादून की वनस्पति की पिक्टोरियल गाईड बुक	पादपों की फोटोग्राफी संग्रहण, उनकी पहचान इसके उपरान्त पादपालय में हर्बेरियम करना। एकत्र जानकारी को प्रकाशित करना।	विश्वविद्यालय, कालेज के विद्यार्थी एवं शोधार्थी, वैज्ञानिक वन विभाग के अधिकारी एवं फील्ड स्टाफ	प्रकाशित जानकारी को पुस्तकालय के विक्रय से सम्पर्क करके लिया जा सकता है।
3.	स्कालर अण्डर फलोरा ऑफ इण्डिया	फलोरा ऑफ इण्डिया के अन्तर्गत जे.आर.एफ. का चयन किया जाता है। इसकी जानकारी https://bsi.gov.in पर उपलब्ध करायी जाती है।	विश्वविद्यालय, कालेज के विद्यार्थी एवं शोधार्थी	इस योजना का संचालन कोलकाता मुख्यालय से किया जाता है, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा/साक्षात्कार के द्वारा चयन किया जाता है।

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण देहरादून (ANSI)



क्र स	योजना/ सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	क्षेत्रीय मानव विज्ञान संग्रहालय	प्रतिदर्शी के माध्यम से भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा को जानने का अवसर	सोमवार से शुक्रवार (राजकीय अवकाश को छोड़कर) सबके लिए खुला है। (समय: प्रातः 9:30 बजे से साँय 5:30)	प्रवेश शुल्क कोई नहीं।

			बजे तक)	
2	अधिसदस्यता (वरिष्ठ अनुसंधान अधिसदस्य / कनिष्ठ अनुसंधान अधिसदस्य)	मानव विज्ञान एवं सम्बद्ध विषयों में मास्टर्स डिग्री के उपरांत अनुसंधान कार्य का अनुभव प्राप्त करने का अवसर	मानवविज्ञान एवं सम्बद्ध विषयों में मास्टर्स डिग्री	विज्ञापन भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता की वैबसाइट तथा स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाते हैं। बैचलर डिग्री किसी भी विषय में तथा मास्टर्स डिग्री मानवविज्ञान एवं सम्बद्ध विषय जैसे –सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान, भूगोल, संस्कृत, भाषा विज्ञान आदि में होनी चाहिए। आवेदन भेजने का पता: निदेशक, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, ई.एन, 7-9, सेक्टर-5, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700091 https://ansi.gov.in/fellowhip-program/
3	इन्टर्नशिप/ प्रशिक्षण	परा स्नातक (Post Graduation) की पढ़ाई के दौरान Hands on Training in Molecular and Anthropological/Genetic Techniques in DNA Lab.	मानवविज्ञान एवं सम्बद्ध डिग्री के अध्ययन के दौरान	इस हेतु भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, की वैबसाइट में https://ansi.gov.in उपलब्ध मार्गदर्शिका अनुसार आवेदन किया जा सकता है। आवेदन भेजने का पता: निदेशक, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, ई.एन, 7-9, सेक्टर-5, सॉल्ट लेक सिटी,कोलकाता-700091
4	मानव जनसंख्या तथा आनुवांशिकी के अध्ययन तथा विशेष पुस्तकालय	किए गये शोध पर प्रस्तुत रिपोर्ट्स पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाता है जोकि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता के प्रकाशन एवं विक्रय खण्ड से खरीदी जा सकती है। इनका कैटलॉग सर्वेक्षण की वैबसाइट https://ansi.gov.in में देखा जा सकता है। इस पुस्तकालय में कार्यालयाध्यक्ष की पूर्व अनुमति के साथ सभी पुस्तकालय की सुविधा ले सकते हैं। पुस्तकें पढ़ने हेतु पुस्तकालय सोमवार से शुक्रवार (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) समय प्रातः 09:30 बजे से सांय 5:30 बजे तक सबके लिए खुला है।		

भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र, देहरादून विभाग। (ZSI)



संस्थान का संक्षिप्त परिचय :- भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (जेड एस आई), भारत का एक अग्रणी वैज्ञानिक संगठन, 1916 में कोलकाता में अपनी स्थापना के बाद से भारत के जीवों का दस्तावेजीकरण और अध्ययन कर रहा है। वर्तमान में, ZSI के पूरे भारत में 16 क्षेत्रीय केंद्र हैं, जो समुद्र की गहराई से लेकर हिमालय की चोटियों तक सभी परिस्थितिक तंत्रों पर भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र, देहरादून 01 अगस्त, 1960 से प्राणियों पर उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढ़ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्य कर रहा है।

क्रम संख्या	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	प्राणि संग्रहालय एवं शोध-प्रयोगशाला	प्राणियों का संग्रहण, संरक्षण किया जाता है। जिसका लाभ विद्यार्थी व शोधार्थी ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार के प्राणियों की प्रजातियों की पहचान और संग्रहालय भ्रमण हेतु कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है।	विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय के विद्यार्थी तथा शोधार्थी।	विश्वविद्यालय, संस्था, महाविद्यालय, विद्यालय के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रेषित किये गये पत्र के माध्यम से और पूर्व सूचना देने के आधार पर।
2	इन हाउस प्रोजेक्ट केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य तथा	प्राणियों का अवलोकन, फोटोग्राफी, संग्रहण तथा पहचान के उपरान्त नेशनल रिप्रोजिटी में संरक्षण करना।	विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय के प्राचार्य, विद्यार्थी,	प्रकाशित जानकारी को भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, मुख्यालय, कोलकाता के प्रकाशन प्रभाग से सम्पर्क करके लिया

	गंगोत्री नेशनल पार्क, उत्तराखण्ड	एकत्र जानकारी को शोधपत्र और पुस्तक के माध्यम से प्रकाशित करना।	शोधार्थी वैज्ञानिक, वन विभाग के अधिकारी, एवं फील्ड स्टाफ, कस्टम और सेना कार्यालय द्वारा।	जा सकता है और कार्यालय की वेबसाइट https://zsi.gov.in पर भी सभी जानकारी उपलब्ध है।
3	स्कॉलरो/ शोधकर्ताओं को फोना ऑफ इण्डिया कार्यक्रम के अन्तर्गत चयन करना।	फोना ऑफ इण्डिया कार्यक्रम के अन्तर्गत शोधकर्ताओं का चयन किया जाता है। इसकी जानकारी https://zsi.gov.in पर उपलब्ध करवायी जाती है। फोना ऑफ इण्डिया कार्यक्रम के अंतर्गत स्कॉलरों का चयन कर उन्हें शोधकार्य करने के लिए फेलोशिप दी जाती है और उनको भारतीय प्राणि सर्वेक्षण की शोधकार्य की परियोजनाओं में प्राणियों पर कार्य कैसे करना है शिक्षा दी जाती है।	विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के विद्यार्थी तथा शोधार्थी।	इस योजना का संचालन भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, मुख्यालय, कोलकाता द्वारा किया जाता है, जिसके अन्तर्गत नेशनल स्तर की परीक्षा/साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है और कार्यालय की वेबसाइट https://zsi.gov.in पर भी सभी जानकारी उपलब्ध है।

संस्थान का उत्तराखण्ड में योगदान— उत्तराखण्ड जैवविविधता की दृष्टि से सम्पन्न है और भारतीय प्राणि सर्वेक्षण उत्तराखण्ड राज्य के फोना के दो खंड प्रकाशित किए गए हैं। जिसमें उत्तराखण्ड की 4006 विभिन्न प्राणियों की प्रजातियों की जानकारी उपलब्ध है। भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र, देहरादून 01 अगस्त 1960 से प्राणियों पर उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढ़ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य कर रहे हैं और इस समय केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय प्राणि सर्वेक्षण के वैज्ञानिक प्राणियों की प्रजातीय विविधता पर कार्य कर रहे हैं। उत्तराखण्ड के विभागों विशेषकर वन विभाग को प्राणियों की विभिन्न प्रजातियों की विविधता और उनके संरक्षण के लिए कार्य करने की वैज्ञानिक शोध के द्वारा प्राप्त की गई जानकारियों को सांझा किया जाता है और प्राणियों के संरक्षण के लिए संयुक्त रूप से कार्य किया जाता है। उत्तराखण्ड के विश्वविद्यालयों के छात्रों और शोध छात्रों का वन्य प्राणियों की पहचान, उनके संरक्षण पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षण और इंटरनशिप निशुल्क दी जाती है। वन्यप्राणियों के संरक्षण के लिए सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय जलसर्वेक्षण कार्यालय, देहरादून (NHO)



एक परिचय

(1) भारतीय राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय भारत सरकार के मुख्य जल सर्वेक्षक के अधीन कार्य करता है। यह विभाग, भारत में जल सर्वेक्षण एवं समुद्री मानचित्रण के केन्द्रीय संस्थान के तौर पर एक बहुत ही संगठित एवं स्थापित संस्थान है।

(2) भारतीय समुद्री सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सन् 1874 में कलकत्ता में की गई, जो 1882 में रॉयल इंडियन मरीन का एक हिस्सा बन गया। सन् 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात, 01 जून 1954 को समुद्री सर्वेक्षण कार्यालय को देहरादून में स्थानान्तरित किया गया जो तत्पश्चात 1997 में इसके बढ़ते राष्ट्रीय कद और बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के लिए राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण के रूप में नामांकित किया गया। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय समुद्री मानचित्र और

प्रकाशनों के प्रकाशन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण है। 90% से अधिक विश्व व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है। वर्तमान में विभाग के पास सर्वेक्षण कार्य के लिए सभी महासागरों में जाने वाले, आठ सर्वेक्षण पोतों का एक बेड़ा है। ये जहाज आधुनिक सर्वेक्षण उपकरणों और अंकीय आँकड़ा विश्लेषण प्रणाली से युक्त हैं, जो IHO द्वारा निर्धारित आधुनिक सर्वेक्षण मानकों और विशिष्टताओं के अनुसार जल सर्वेक्षणीय आँकड़ा एकत्र करने में सक्षम हैं। हमारे जहाजों और इकाइयों द्वारा दर्ज किए गए अंकीय आँकड़ा, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कठोर सत्यापन से गुजरते हैं। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण विभाग ने जल सर्वेक्षणीय उत्पादों और सेवाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में जल सर्वेक्षण की दुनिया में प्रमुख विकास किए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर भारत, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन (IHO) का एक सक्रिय एवं प्रभावशाली सदस्य है, तथा इसका विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व है। भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण विभाग पूरी तरह से IHO के कार्यक्रमों का समर्थन करता है। यह विभाग विशेष रूप से क्षेत्रीय

विशेषज्ञता विकसित करने में, और जल सर्वेक्षणीय सर्वेक्षण में क्षमता निर्माण एवं समुद्री मानचित्रण में, भारत सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर इलेक्ट्रॉनिक नौवहन मानचित्र बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के रूप में, जल सर्वेक्षण के लिए विभिन्न देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

- (3) अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के रूप में यह कार्यालय हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से युक्त समुद्री सुरक्षा सूचना पर IHO प्रकाशन S-53 संयुक्त IMO/IHO/WMO मैनुअल के अनुसार NAVREA VIII क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा जानकारी के लिए आवृत्त क्षेत्र प्रदान करता है।

सर्वेक्षण कार्य, जल सर्वेक्षण के लिए IHO मानक (S-44) के कठोर मानकों के अनुसार संचालित किए जाते हैं। जल सर्वेक्षण विभाग की भारतीय जल के लिए आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक नौपरिवहन मानचित्र बनाने में अग्रणी भूमिका है। भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण विभाग दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और क्षेत्र के देशों और कुछ दक्षिण अफ्रीकी देशों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देता है। विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत, संबद्ध देश का जल सर्वेक्षण करने के लिए विभिन्न देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार के मुख्य जल सर्वेक्षक नवएरिया आठ के समन्वयक हैं, तथा भारत के तट पर नवटैक्स सेवाओं के राष्ट्रीय समन्वयक भी हैं।

- (4) पिछले कई दशकों से, राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, देहरादून तटीय विन्यास से संबंधित भू-स्थानिक आँकड़ा के व्यवस्थित और मानकीकृत संग्रह में शामिल है। राष्ट्रीय हित के क्षेत्रों में समुद्र की गहराई, समुद्र की संरचना, मलबे की जांच, पानी के स्तंभ के वर्तमान और भौतिक गुणों का परीक्षण, नौवहन, सर्वेक्षण जहाजों के बेड़े द्वारा एकत्र किए गए आँकड़ा को समुद्री पर्यावरण संरक्षण, समुद्री संसाधनों के दोहन, समुद्री सीमाओं की परिभाषा में उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस के निर्माण के लिए मानकीकृत प्रसंस्करण के अधीन हैं। कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन (IHO) के सम्मेलनों के अनुसार मानक नौवहन चार्ट और समुद्री प्रकाशनों का उत्पादन करता है। पिछले कुछ वर्षों से, यह विभाग लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम के इलेक्ट्रॉनिक नौवहन चार्ट डिस्प्ले एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम (ECDIS) में उपयोग के लिए IHO के विनिर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन चार्ट (ENC) के रूप में डिजिटल चार्ट का उत्पादन कर रहा है। और यह व्यापक रूप से नाविकों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, नक्शानवीसों, पर्यावरणविदों, आदि द्वारा उपयोग किया जाता है। इस कार्यालय द्वारा प्रदत्त सेवाओं और उत्पादों के मूल्य और अन्य विस्तृत सूचनाओं को, कार्यालय की वेबसाइट www.hydrobharat.gov.in पर प्राप्त किये जा सकते हैं।
- (5) सरकार के प्रमुख जल सर्वेक्षक, भारत के उत्तर हिंद महासागर में INT चार्ट स्कीमिंग क्षेत्र के लिए समन्वयक हैं। विभाग द्वारा उत्पादित विभिन्न समुद्री/नौवहन उत्पाद, मुंबई और विशाखापत्तनम में स्थित नौसेना चार्ट डिपो के माध्यम से नाविकों को उपलब्ध कराए जाते हैं। उपयोगकर्ताओं द्वारा उत्पादों और सेवाओं का बढ़ता उपयोग संगठन के महत्व का पर्याप्त प्रमाण है।

भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून (FSI)

संक्षिप्त विवरण :- भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI), एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC), भारत सरकार का एक अधीनस्थ कार्यालय है। एफ.एस.आई नियमित आधार पर देश के वन संसाधनों की रिमोट सेंसिंग और फील्ड इन्वेंटरी आधारित आकलन करता है। संस्थान में की जाने वाली गतिविधियों में द्विवार्षिक वन आवरण आकलन (FCM), वन आवरण (Forest Cover) और वन प्रकारमानचित्र (Forest Type Map) तैयार करना, राष्ट्रीय वन इन्वेन्टरी (NFI) के लिए डिजाइन, डेटा प्रोसेसिंग करना शामिल है। इस आकलन को द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) में प्रकाशित करता है।



प्रशिक्षण :- इसके अलावा, यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के वन विभाग के कर्मियों को प्रशिक्षण देने और वानिकी क्षेत्र में अनुसंधान और विस्तार सेवाओं में भी कार्यरत है। यह संस्थान वन इन्वेन्टरी से संबंधित विशिष्ट परियोजनाओं पर कार्य कर रिपोर्ट भी तैयार करता है।

एफ.एस.आई वर्ष 2004 से नासा के एक्वा और टेरा उपग्रहों पर लगे मोडिस (मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो-रेडियोमीटर) सेंसर द्वारा पता लगाई गई वन अग्नि के स्थानों के बारे में राज्य वन विभागों को सचेत कर रहा है। इसके अलावा, संस्थान ने देश भर में बड़ी आग की घटनाओं पर नज़र रखने और एस.एफ.डी को विशिष्ट बड़ी आग की चेतावनियाँ प्रसारित करने के लिए बड़े वन अग्नि निगरानी कार्यक्रम भी शुरू किया है।

भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI), की स्थापना 1 जून 1981 को हुई। एफ.एस.आई ने "वन संसाधनों का पूर्व-निवेश सर्वेक्षण" (PISFR) का स्थान लिया, जो 1965 में भारत सरकार द्वारा FAO और UNDP के प्रायोजन के साथ शुरू की गई एक परियोजना थी। PISFR का मुख्य उद्देश्य देश के चयनित क्षेत्रों में लकड़ी आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चे माल की उपलब्धता का पता लगाना था। 1976 में अपनी रिपोर्ट में, राष्ट्रीय कृषि आयोग (NCA) ने देश के

नियमित, आवधिक और व्यापक वन संसाधन सर्वेक्षण के लिए एक राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण संगठन के निर्माण की सिफारिश की, जिससे FSI का निर्माण हुआ। एफ.एस.आई द्वारा की गई गतिविधियों की आलोचनात्मक समीक्षा के बाद, भारत सरकार ने 1986 में एफ.एस.आई के अधिदेश को पुनः परिभाषित किया ताकि इसे देश की तेजी से बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं के लिए अधिक प्रासंगिक बनाया जा सके। एफ.एस.आई का मुख्यालय देहरादून में है और चार आंचलिक कार्यालय हैं।

भारतीय वन सर्वेक्षण (एफ.एस.आई) के उद्देश्य:

- देश में नवीनतम वन आवरण का आकलन प्रदान करते हुए द्विवार्षिक रूप से वन स्थिति रिपोर्ट तैयार करना तथा इनमें परिवर्तनों की निगरानी करना।
- वन तथा गैर-वन क्षेत्रों में सूची तैयार करना तथा वन वृक्ष संसाधनों पर डेटाबेस विकसित करना।
- वन संसाधनों पर स्थानिक डेटाबेस के संग्रह, संकलन, भंडारण तथा प्रसार के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।
- संसाधन सर्वेक्षण, सुदूर संवेदन, जी.आई.एस आदि से संबंधित प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग में वानिकी कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- एफ.एस.आई में अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना को सुदृढ़ करना तथा अनुप्रयुक्त वन सर्वेक्षण तकनीकों पर अनुसंधान करना।
- वन संसाधन सर्वेक्षण, मानचित्रण तथा इन्वेन्टरी तैयार करने में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वन विभागों (एस.एफ.डी.) को सहायता प्रदान करना।
- परियोजना आधार पर एस.एफ.डी तथा अन्य संगठनों के लिए वानिकी से संबंधित विशेष अध्ययन/परामर्श तथा कस्टम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करना।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) देहरादून उप-जोनल कार्यालय

संक्षिप्त इतिहास :- अधिकांश देशों में, नशीली दवाओं की तस्करी गतिविधियों के माध्यम से अर्जित अवैध धन वास्तव में बहुत बड़ा और हैरान करने वाला है। इन आय का एक बड़ा हिस्सा आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो विकसित, अविकसित या तीसरी दुनिया के देशों के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। इन मादक पदार्थों की तस्करी गतिविधियों और आतंकवादी खतरों/कार्रवाईयों का सीमा पार निहितार्थ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपने प्रस्ताव दिनांक 29-07-2005 में कहा था सदस्यों (राज्यों) पर मनी लॉन्ड्रिंग पर 40 सिफारिशों और आतंकवादी वित्तपोषण पर 9 विशेष सिफारिशों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों को लागू करने का दायित्व है। ये सभी सिफारिशें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का निर्माण हैं, जो विशिष्ट सिफारिशें करके मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का मुकाबला करने वाली दुनिया की मुख्य संस्था है। भारत भी एफएटीएफ के सदस्यों में से एक है। इस विषय पर इन सिफारिशों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है और इन्हें दुनिया के 130 से अधिक देशों द्वारा अपनाया गया है।



प्रवर्तन निदेशालय का दायरा : प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों को लागू करने के लिए नामित एजेंसी है। इसका उद्देश्य बैंक धोखाधड़ी, ऑनलाइन मार्केटिंग धोखाधड़ी, पोंजी योजनाओं और लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार आदि जैसे गंभीर अपराधों की जांच करना है। अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय और दोष सिद्ध होने पर 3-7 वर्ष का कठोर कारावास होता है। यह अधिनियम (प्रवर्तन निदेशालय) को अपराध की आय को कुर्क करने और जब्त करने का भी अधिकार देता है। पीएमएलए, 2002 का कार्य और दायरा हाल के वर्षों में कई गुना बढ़ गया है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानून से संबंधित मामलों की जांच करता है। यह आर्थिक कानूनों को लागू करने और वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए जिम्मेदार है। ईडी देश में कहीं भी किसी भी विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसी (एलईए) द्वारा दर्ज किए जा रहे मामलों में ईसीआईआर दर्ज

करता है तथा अपराध की जांच स्वतः संज्ञान में लेता है। यह केवल तभी ऐसा कर सकता है जब कोई शिकायत एलईए के साथ की गई हो या सीमा पार निहितार्थ हो।

अपराध दर्ज करने के लिए ईडी से संपर्क करने के लिए कुछ सामान्य मार्गदर्शन – यदि कोई व्यक्ति फेमा और पीएमएलए से संबंधित मामले की रिपोर्ट करना चाहता है, तो उन्हें अपनी शिकायत प्रवर्तन निदेशालय के अलावा किसी अन्य एजेंसी या पुलिस के पास दर्ज करानी होगी या यदि माननीय न्यायालय ने ऐसा करने का निर्देश दिया हो। प्रवर्तन निदेशालय में शिकायत करने से पहले व्यक्ति को किसी अन्य एजेंसी या पुलिस से शिकायत करनी होगी जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय मामले की जांच करेगा और आरोपी की पहचान करेगा। यदि शिकायत में दर्ज अपराध अनुसूची अपराधों में से एक है, तो प्रवर्तन निदेशालय के पास सीधे शिकायत पर कार्रवाई करने की शक्ति है। ईडी सीमा पार निहितार्थ से संबंधित मामले की भी जांच कर सकता है जो पीएमएलए, 2002 की धारा 2 आर (ए) के तहत शासित है। अधिकारियों के पास जांच करने, तलाशी लेने, उस व्यक्ति की संपत्ति जब्त करने की शक्ति है जिसके खिलाफ शिकायत की गई है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति मामले को प्रवर्तन निदेशालय को संदर्भित करने के लिए अदालत में भी आवेदन कर सकता है ताकि यदि मामला पीएमएलए के दायरे में आता है तो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मामले की जांच की जा सके। साथ ही राज्यों में कार्यरत केंद्र या राज्य सरकार के नियंत्रण में लोक सेवकों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच के लिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

ईडी सीबीआई और राज्य पुलिस द्वारा दर्ज मामलों में भी ईसीआईआर दर्ज कर सकता है जिनकी जांच सीबीआई और राज्य पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की जा रही है। मामला उन अपराधों के लिए दर्ज किया जाना चाहिए जो पीएमएलए अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित हैं। अनुसूची अपराधों का अर्थ उन अपराधों से है जो अनुसूची के भाग ए, भाग बी और भाग सी के तहत निर्दिष्ट हैं। ये आईपीसी, 1860, एनडीपीएस अधिनियम, 1985, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908, यूएपीए, 1967, शस्त्र अधिनियम, 1959, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 और अन्य विभिन्न अधिनियमों के तहत अपराध हो सकते हैं। पीएमएलए में विभिन्न अधिनियमों की 157 धाराएं शामिल हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, (CBI) भ्रष्टाचार निरोधक शाखा देहरादून ।

संक्षिप्त परिचय :- केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पूर्व में केवल केन्द्र सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों/कार्मिकों की जांच की जाती थी परंतु वर्तमान में हत्या, अपहरण, आतंकवाद, अपराध व धनशोधन मामले, बैंकिंग फ्राड, एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से संबंधित कार्य भी किया जाता है। सीबीआई द्वारा किसी अपराध का स्वतः संज्ञान केवल संघशासित प्रदेशों एवं केन्द्र सरकार कार्मिकों के संबंध में लिया जाता है। केन्द्र के मामलों में केन्द्र सरकार के निर्देश एवं मा0 उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के निर्देशों पर ही जांच की जाती है तथा राज्य सरकार के मामले में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत अपराधों की जांच की जाती है। संबंधित कार्यों हेतु निम्न प्रभाग कार्य कर रहे हैं— भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाग, आर्थिक अपराध प्रभाग, विशेष अपराध प्रभाग, अभियोजन निदेशालय, प्रशासन प्रभाग एवं नीति एवं समन्वय प्रभाग। साथ ही जनता को भ्रष्ट अधिकारियों/कार्मिकों के खिलाफ शिकायत करने हेतु जागरूकता अभियान संचालित किया जाता है।



यदि आम नागरिक किसी कार्मिक के खिलाफ शिकायत करता है तथा वह कार्मिक यदि राज्य सरकार का कर्मचारी है तो ऐसी स्थिति में सी.बी.आई स्वतः ही प्रकरण की जांच/कार्यवाही नहीं कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा धारा-6 डी.एस.पी.ई. एक्ट में दी गयी स्वीकृति के पश्चात एवं डी.ओ.पी.टी द्वारा डी.एसपी.ई एक्ट की धारा-5 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने के पश्चात ही सी.बी.आई, उक्त शिकायत पर कार्यवाही कर सकती है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में सी.बी.आई किसी भी अपराध पर कार्यवाही कर सकती है।

यदि केन्द्र सरकार के किसी विभाग/कम्पनी या बैंक आदि का कोई कर्मचारी/अधिकारी किसी भी सरकारी कार्य करने या अपने सरकारी कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए रिश्त/घूस मांगे तो उसकी कार्यवाही सीबीआई स्वतः कर सकती है। इस संबंध में कोई भी शिकायत/सूचना सी.

बी.आई., भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, देहरादून को मोबाइल नंबर 9410549158 एवं 7060366445 पर Whatsapp/SMS/Call द्वारा तथा फोन संख्या-0135-2761799, फैक्स:-0135-2761100 एवं Email ID- hobacddn@cbi.gov.in पर भेजी जा सकती है ।

भारतीय मानक ब्यूरो, शाखा कार्यालय देहरादून। (BIS)



संक्षिप्त परिचय :- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) राष्ट्रीय मानक निकाय है जिसको मूल रूप से 1947 में भारतीय मानक संस्थान (ISI) के रूप में स्थापित किया गया था और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत पुनर्गठित किया गया था। अपने नियामक ढांचे को बढ़ाने और आधुनिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए, बीआईएस अधिनियम को 2016 में संशोधित किया गया और बीआईएस को भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में

मान्यता दी गई। यह अधिनियम बीआईएस को गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देने, उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने और भारत में विभिन्न क्षेत्रों में मानकों को विकसित और कार्यान्वित करके व्यापार की सुविधा प्रदान करने का अधिकार देता है।

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) उपभोक्ता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानक विकसित और लागू करता है। (BIS) द्वारा जारी ISI, CRS, Hallmark जैसे प्रमाणन चिह्न उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करते हैं कि उत्पाद निश्चित सुरक्षा और प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करते हैं। इससे उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ता है और बिना गुणवत्ता वाले सामान की बिक्री को रोकने में मदद मिलती है, जिससे एक न्यायपूर्ण बाजार और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) उपभोक्ताओं को मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। BIS शिक्षा, कार्यशालाओं और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि मानकीकरण कैसे उनके जीवन को सुरक्षित और बेहतर बना सकता है। इसके अलावा, BIS भविष्य की पीढ़ी को मानकों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, ताकि वे गुणवत्ता और सुरक्षा के महत्व को समझ सकें। BIS द्वारा सभी हितधारकों के मानकों के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए हाल ही में कई पहल की गयी हैं जो निम्नवत हैं :-

1. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) मानक निर्माण गतिविधियों को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है और अनुसंधान संस्थानों के साथ मानकों के विकास के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर कर रहा है। BIS देहरादून शाखा कार्यालय ने राज्य के चार प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ MoU किया है, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GBPUAT) पंतनगर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) उत्तराखंड और ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय शामिल हैं।
2. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने समाज के हर वर्ग के उत्थान की जिम्मेदारी ली है। BIS देहरादून शाखा कार्यालय ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GBPUAT) के साथ देश में किसानों के लिए पहला MoU हस्ताक्षरित किया है ताकि मानकीकृत कृषि प्रदर्शनी फार्म (SADF) विकसित किया जा सके। इसमें एक पायलट परियोजना चलाकर आईएसआई चिह्नित उत्पादों का उपयोग करने पर फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता में वृद्धि का मूल्यांकन किया जाएगा।
3. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने देश की कार्यकारी व्यवस्था में निर्णय लेने वाली सबसे छोटी इकाई यानी ग्राम पंचायतों को मानक चिह्नित उत्पादों के उपयोग के लाभों के बारे में जागरूक करने की जिम्मेदारी भी ली है। BIS देहरादून शाखा कार्यालय ने ग्रामीण अवसंरचना विकास में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले उत्पादों और उनके संबंधित भारतीय मानकों का विवरण देने वाली एक पुस्तिका विकसित की है। इसके अलावा राज्य सरकार के संबंधित विभाग के सहयोग से उत्तराखंड राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को मानकों के प्रति पूरी तरह से जागरूक किया है।
4. भारतीय मानक ब्यूरो राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए भारतीय मानकों के बारे में क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। BIS देहरादून शाखा कार्यालय ने लोक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, अग्नि एवं आपातकालीन सेवाएं, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड आदि जैसे महत्वपूर्ण सरकारी विभागों को जागरूक किया है। आगामी कार्यक्रमों में सिंचाई विभाग, पेयजल विभाग आदि के साथ भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
5. भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और स्वयं सहायता समूहों (SHG) के साथ सहयोग कर उपभोक्ताओं के बीच मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहा है। BIS देहरादून शाखा कार्यालय विभिन्न भागों में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसमें नुक्कड़ नाटक, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जागरूकता और आकाशवाणी पर साक्षात्कार आदि कार्यक्रम शामिल हैं।

6. भारतीय मानक ब्यूरो ने छात्रों को मानकों के महत्व और देश में BIS द्वारा स्थापित मानकीकरण पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में शिक्षित करने की जिम्मेदारी ली है। इस संबंध में, विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में मानक क्लब खोले जा रहे हैं। BIS देहरादून शाखा कार्यालय ने 268 स्कूलों में मानक क्लब खोले हैं, जिनमें मुख्य रूप से सरकारी स्कूल शामिल हैं। इससे हमारी अगली पीढ़ी मानकों और उनके जीवन को बेहतर बनाने के तरीके के बारे में जागरूक होगी।
7. भारतीय मानक ब्यूरो ने मानकों को और अधिक मजबूत और अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए मानक मंथन नामक हितधारकों के परामर्श कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की है। BIS देहरादून कार्यालय ने सभी हितधारकों को जागरूक बनाने और मानकों में सुधार के लिए उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए विभिन्न मानक मंथन कार्यक्रमों का आयोजन किया है।
8. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए बीआईएस केयर ऐप (BIS CARE APP) के रूप में एक महत्वपूर्ण पहल की है। यह BIS मानक चिह्नित उत्पाद की प्रामाणिकता की जांच करने और किसी भी कमी के मामले में शिकायत दर्ज करने के लिए एक स्मार्टफोन-आधारित एप्लिकेशन है। BIS देहरादून शाखा कार्यालय ने अपने सभी जागरूकता कार्यक्रमों में उपभोक्ताओं को BIS CARE ऐप के बारे में सूचित किया है।
9. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने एक टोल-फ्री नंबर भी शुरू किया है। जिसमें कोई भी नागरिक अपने सवालों के लिए BIS टीम के साथ संवाद कर सकता है।
10. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने उपभोक्ताओं की जिज्ञासाओं के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सार्वजनिक संपर्क सुविधा जैसी, नए डिजिटल आधारित सार्वजनिक इंटरैक्शन प्लेटफार्मों की शुरुआत की है। इसमें 'चलो मानकों के बारे में बात करें' और 'गुणवत्ता के लिए कार्य' पहल शामिल हैं।
11. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने अपनी सभी गतिविधियों को डिजिटल प्लेटफार्मों पर स्थानांतरित कर दिया है और ISI मार्किंग, हॉलमार्किंग और अनिवार्य पंजीकरण योजना के लिए e-BIS पोर्टल के लिए हेल्पडेस्क भी स्थापित किया है।
12. भारतीय मानक ब्यूरो ने सभी स्वदेशी विकसित भारतीय मानकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया है ताकि बिना किसी लागत के जानकारी प्रदान की जा सके।
13. उद्योगों का समर्थन करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो MSME निर्माताओं के लिए आवेदन शुल्क में छूट और इन-हाउस परीक्षण सुविधाओं के विकास में भी छूट प्रदान कर रहा है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB)



पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड का संक्षिप्त परिचय एवं कार्य :-

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) का गठन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 की सं.19) की राजपत्र अधिसूचना, दिनांक 31 मार्च, 2006 के माध्यम से किया गया था। अधिनियम के अंतर्गत, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित कंपनियों की विनिर्दिष्ट गतिविधियों की संलिप्तता और प्रतिस्पर्धी बाज़ार को बढ़ावा देने के साथ-साथ और इस के बिना या आनुषांगिक मामलों के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना का

प्रावधान है। बोर्ड को, शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन और पेट्रोलियम की बिक्री, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर देश के सभी भागों में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस की निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति विनियमित करना सुनिश्चित करने के लिए विनियमित करने का भी अधिदेश दिया गया है।

बोर्ड के कार्य –

(क) कंपनियों के बीच ऋजु व्यापार का पोषण और प्रतियोगिता द्वारा उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करेगा।

(ख) कंपनियों को पंजीकृत करना – अधिसूचित, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों और केंद्रीय सरकार की संविदात्मक बाध्यताओं के अधीन रहते हुए, प्राकृतिक गैस का विपणन, द्रवित प्राकृतिक गैस टर्मिनलों की स्थापना और प्रचालन, ऐसी क्षमता से अधिक जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों या प्राकृतिक गैस के लिए भंडारण सुविधाएं स्थापित करना।

(ग) कंपनियों को प्राधिकृत करना – सामान्य वाहित्र या ठेका विहित्र बिछाने, उनका निर्माण, प्रचालन या विस्तार, नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाना, उनका निर्माण, प्रचालन या विस्तार।

(घ) पाइपलाइनों को सामान्य वाहित्र या ठेका विहित्र के रूप में घोषित करना।

(ङ) विनियमों द्वारा विनियमित करना – सामान्य वाहित्र या ठेका विहित्र तक पहुँच, जिसमें कंपनियों के बीच ऋजु व्यापार और प्रतियोगिता को सुनिश्चित किया जा सके और उक्त प्रयोजन के लिए पाइप लाइन पहुँच संकेत की को विनिर्दिष्ट करना, सामान्य वाहित्र या ठेका विहित्र के लिए परिवहन दरों को, नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क तक पहुँच को, जिससे पाइपलाइन पहुँच संकेतकी के अनुसार कंपनियों के बीच ऋजु व्यापार और प्रतियोगिता को सुनिश्चित किया जा सकें।

(च) अधिसूचित, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की बाबत –पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, फुटकर विक्रय केंद्रों पर उपभोक्ताओं के लिए कंपनी द्वारा नियत अधिकतम फुटकर कीमत के विषय में जानकारी का प्रदर्शन सुनिश्चित करेगा, कीमतों को मॉनीटर करेगा और कंपनियों के अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के निवारण के लिए सुधारात्मक उपाय करेगा, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का साम्यापूर्ण विवरण सुनिश्चित करेगा, फुटकर विक्रय केंद्रों के लिए फुटकर सेवा बाध्यताओं और कंपनियों के लिए विपणन सेवा बाध्यताओं के लिए, विनियमों द्वारा उपबंध और प्रवर्तन करेगा, परिवहन दरों को मॉनीटर करेगा और कंपनियों के अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के निवारण हेतु सुधारात्मक कार्रवाई करेगा।

(छ) विनियमों द्वारा यथा अवधारित शुल्क और अन्य प्रभार उद्गृहित करेगा।

(ज) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित क्रिया कलाप पर सूचना डाटा बैंक रखेगा।

(झ) विनियमों द्वारा तकनीकी मानकों और विशिष्टियों को अधिकथित करेगा, जिसके अंतर्गत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित क्रिया-कलाप में सुरक्षा मानक हैं, जिसमें अनुप्रभावी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित पाइपलाइन और अवसंरचना परियोजनाओं का निर्माण और प्रचालन भी सम्मिलित है।

(ञ) इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए ऐसे अन्य कृत्य करेगा जो उसे केंद्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) जोनल यूनिट—देहरादून

संक्षिप्त इतिहास :-

अधिकांश देशों में, मादक पदार्थों की तस्करी की गतिविधियाँ अन्य अपराधों के प्रसार में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं और मानव तस्करी, हथियारों के व्यापार आदि जैसे अन्य सभी प्रमुख अपराधों के लिए मौद्रिक समर्थन करती हैं। इस आय का एक बड़ा हिस्सा आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए भी उपयोग किया जाता है, जो कई विकसित, विकासशील देशों के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। इन मादक पदार्थों की तस्करी गतिविधियों और आतंकवादी खतरों/कार्रवाइयों के सीमा पार निहितार्थ हैं।

भारत 1972 के प्रोटोकॉल, मनोदैहिक पदार्थों पर कन्वेंशन, 1971 और मादक पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों में अवैध व्यापार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1988 द्वारा संशोधित स्वापक औषधि 1961 पर एकल कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता है। 14 नवंबर, 1985 से प्रभावी हुए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ने अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने के उद्देश्य से एक केंद्रीय प्राधिकरण के गठन के लिए एक स्पष्ट प्रावधान किया। इस प्रावधान की उपस्थिति में, भारत सरकार ने 17 मार्च, 1986 को एनएआरसीओटीआईसीएस कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया।

मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का क्षेत्र:

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुख्य कार्य : केंद्र सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन, N.D.P.S. के तहत विभिन्न कार्यालयों, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों द्वारा कार्यों के समन्वय के संबंध में उपाय करने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करना है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम, 1985 के प्रवर्तन उपबंधों के संबंध में अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रोटोकॉल के तहत अवैध यातायात के खिलाफ जवाबी उपायों के संबंध में दायित्व का कार्यान्वयन जो वर्तमान में लागू हैं या जिन्हें भविष्य में भारत द्वारा अनुमोदित या स्वीकार किया जा सकता है। इन दवाओं और पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम और दमन के लिए समन्वय और सार्वभौमिक कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशों में संबंधित अधिकारियों और संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठनों को सहायता। नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित मामलों के संबंध में अन्य संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों द्वारा की गई कार्रवाइयों का समन्वय। ..

एनसीबी नेटवर्क:—एनसीबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है जिसका कार्यालय वेस्ट ब्लॉक-5, आर. के. पुरम, नई दिल्ली में है और वर्तमान में देश के प्रमुख शहरों में 30 क्षेत्रीय कार्यालय काम कर रहे हैं। जहाँ तक उत्तराखण्ड राज्य का संबंध है, एनसीबी का कार्यालय राजेश्वर नगर, फेज-1, सहस्रधारा रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड में है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. क्या एनसीबी राज्य पुलिस द्वारा दर्ज मामलों की जांच अपने हाथ में ले सकती है?

हां, एनसीबी राज्य पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच किए जा रहे मामले दर्ज कर सकती है। एनडीपीएस अधिनियम 1985 में उल्लिखित अपराधों के लिए मामला दर्ज किया जाना चाहिए और मामलों में जब्त किए गए ड्रग्स/साइकोट्रोपिक पदार्थ समय-समय पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार प्रकृति में वाणिज्यिक मात्रा के होने चाहिए और देश के कई राज्यों में जांच की गुंजाइश होनी चाहिए।

2. एनसीबी किस प्रकार के अपराधों की जांच करती है?

एन. सी. बी. मादक पदार्थों की तस्करी और एन. डी. पी. एस. अधिनियम 1985 में सूचीबद्ध अन्य अपराधों जैसे अवैध फसलों की खेती और फार्मा दवाओं के डायवर्जन आदि से संबंधित मामलों की जांच करती है।

यह एनडीपीएस अधिनियम 1985 और पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम 1988 में सूचीबद्ध दवा कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। एनसीबी को मादक पदार्थों से संबंधित मामलों में वित्तीय जांच करने का भी काम सौंपा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से प्राप्त संपत्ति/धन का उपयोग आगे के अपराधों के लिए नहीं किया जाए।

3. क्या आप अपराध के पंजीकरण के लिए एनसीबी से संपर्क करने के लिए कुछ सामान्य मार्गदर्शन दे सकते हैं?

अन्य एजेंसियों को शिकायत दर्ज करना: यदि कोई व्यक्ति मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित किसी मामले की रिपोर्ट करना चाहता है, तो वह अपनी शिकायत नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में विशेष रूप से बनाए गए मानस पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सकता है, जो एनसीबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है या सीधे राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन नंबर 1933 पर कॉल कर सकता है। इसके अलावा, नशीली दवाओं की तस्करी या इसी तरह के किसी भी अपराध के बारे में जानकारी रखने वाला शिकायतकर्ता सीधे एनसीबी के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क कर सकता है, जिनकी उपस्थिति देश भर के 30 शहरों में है। एनसीबी के अधिकारियों के पास उस व्यक्ति की संपत्ति की जांच, तलाशी, जब्त करने की शक्ति है जिसके खिलाफ शिकायत की गई है और वे आरोपी को गिरफ्तार भी कर सकते हैं।

4. राज्यों में काम करने वाले केंद्र या राज्य सरकार के नियंत्रण में लोक सेवकों के खिलाफ अवैध नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों की शिकायत के लिए राज्यों में एनसीबी की स्थानीय शाखाओं से कैसे संपर्क किया जा सकता है, जब राज्य के अधिकार क्षेत्र में हुए अपराधों को दर्ज करने के लिए राज्यों की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है?

मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों में शामिल राज्यों में काम करने वाले केंद्र या राज्य सरकार के नियंत्रण में लोक सेवकों के खिलाफ एनसीबी द्वारा जांच के लिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

मानस – राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन पोर्टल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य पीड़ितों / नागरिकों को 24*7 मादक पदार्थों से संबंधित मुद्दों/शिकायतों की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करना है। यह पोर्टल केवल ड्रग्स संबंधित मामलों से संबंधित शिकायतों को संबोधित करता है जिसमें मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध बिक्री/खरीद/भंडारण/निर्माण तथा ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की अवैध खेती आदि संबंधित मामले शामिल हैं। प्रदान की गई जानकारी की NCB अधिकारियों द्वारा तुरंत समीक्षा की जाएगी। साथ ही सूचना देने वाले नागरिक की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

नोट: यदि आप कोई ऐसी घटना देखते हैं जिससे मानव स्वास्थ्य या सुरक्षा को तत्काल खतरा हो सकता है, तो आपको इसकी सूचना अपने स्थानीय पुलिस को देनी चाहिए, 112 डायल करना चाहिए या संबंधित कानून प्रवर्तन प्राधिकरण के साथ साझा करना चाहिए। नागरिकों की पहचान और उनके द्वारा दी गई जानकारी गोपनीय रहेगी। <https://ncbmanas.gov.in/>

आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल।

अग्निवीर भर्ती योजना

क्र सं	योजना का नाम	लाभ	पात्रता	भौतिक मानदंड	आवेदन प्रक्रिया
1	अग्निवीर (सामान्य ड्यूटी)	प्रति वर्ष वेतन रु प्रथम वर्ष रु 30000 द्वितीय वर्ष रु 33000	उम्र रु 17½– 21 Yrs 10वीं/मैट्रिक उत्तीर्ण। कुल मिलाकर 45% अंक और प्रत्येक विषय में 33% अंक प्राप्त होने चाहिए।	1600 मीटर दौड़ : अधिकतम समय 5.45 मिनट	आवेदक ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल (https://www-joinindianarmy.nic.in) पर
2.	अग्निवीर (क्लर्क / स्टोरकीपर तकनीकी)	तृतीय वर्ष रु 36500 चतुर्थ वर्ष रु 40000 चार साल की अग्निवीर सेवा के बाद बाहर निकलने पर उन्हें 10.4 लाख रुपये का एक बार सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा।	उम्र रु 17½– 21 Yrs 10+2 / इंटरमीडिएट परीक्षा किसी भी स्ट्रीम (आर्ट्स, वाणिज्य, विज्ञान) में कुल 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण और प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% अंक। कक्षा XII में अंग्रेजी और गणित/लेखा/बहीखाता में 50 % अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।	चिन अप : न्यूनतम– 6 (छह) 9 फीट डिच, ज़िग ज़ेग उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।	स्वयं/कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
3.	अग्निवीर ट्रेड्समेन 10वीं पास	अग्निवीर 48 लाख रुपये के बीमा कवर का हकदार होगा। वास्तविक ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर एक बार के लिए 44 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।	उम्र रु 17½– 21 Yrs कक्षा 10वीं साधारण उत्तीर्ण। कुल प्रतिशत में कोई शर्त नहीं है लेकिन प्रत्येक विषय में 33% अंक प्राप्त होने चाहिए।		
4.	अग्निवीर ट्रेड्समेन 8वींपास		उम्र रु 17½– 21 Yrs कक्षा 8वीं साधारण उत्तीर्ण। कुल प्रतिशत में कोई शर्त नहीं है लेकिन प्रत्येक		

			विषय में 33% अंक प्राप्त होने चाहिए।		
5.	अग्निवीर (तकनीकी)	उक्त लाभ के साथ ही, सैन्यसेवा के कारण विकलांग होने पर अग्निवीर को अधिकतम 44 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।	10+2 / इंटरमीडिएट परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ और प्रत्येक विषय में 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण। या एनएसक्यूएफ स्तर 4 या उससे ऊपर के साथ आवश्यक क्षेत्र में न्यूनतम एक वर्ष का एनआईओएस और आईटीआई पाठ्यक्रम शामिल करने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य एडन बीएड या सेंट्रल एडन बीएड से भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के साथ विज्ञान में 10+2 / इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण। या कुल मिलाकर 50% अंकों के साथ 10वीं कक्षा / मैट्रिक पास और अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में न्यूनतम 40% अंकों के साथ आईटीआई से 02 साल का तकनीकी प्रशिक्षण या दो/तीन साल का डिप्लोमा। 10वीं / मैट्रिक उत्तीर्ण। कुल मिलाकर 45% अंकों और प्रत्येक विषय में 33% अंकों के साथ उत्तीर्ण।	1600 मीटर दौड़ : अधिकतम समय 5.45 मिनट चिन अप : न्यूनतम – 6 (छह) 9 फीट डिच, ज़िग जेग उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।	
6	अग्निवीर जनरल ड्यूटी (महिला सैन्य पुलिस)	ऊपर उल्लिखित है।	उम्र रु 17½– 21 Yrs 10वीं / मैट्रिक उत्तीर्ण। कुल मिलाकर 45% अंकों और प्रत्येक विषय में 33% अंकों के साथ उत्तीर्ण।	1600 मीटर दौड़ : अधिकतम समय 8 मिनट 7.5 फीट लॉन्ग जम्प 3 फीट हाई जम्प उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।	ऊपर उल्लिखित है।

आभार

कतिपय देखा गया कि समस्त विभागों द्वारा योजनाओं का खूब प्रचार/प्रसार किया जाता है तथा मुख्यतः योजनाओं का लाभ क्या है, इसको बताया जाता है परंतु योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थी कैसे ले सकेगा? प्रक्रिया की जानकारी प्रायः नहीं दी जाती है जिस कारण, कई पात्र लाभार्थी वंचित रह जाते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए गत वर्ष में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के 55 विभागों की मुख्य योजनाओं/सेवाओं का संकलन करके एवं लाभ प्राप्त करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख सरल भाषा में करते हुए “मेरी योजना” पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक को राज्य के समस्त जनप्रतिनिधियों/विभागाध्यक्षों एवं पुस्तकालयों को उपलब्ध करवायी गयी तथा पुस्तक सॉफ्ट कॉपी राज्य के समस्त विभागों की वेबसाइट में उपलब्ध है। इसके उपरांत मा. राज्यपाल महोदय एवं मा. मुख्यमंत्रीजी द्वारा केन्द्र सरकार के उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा भी संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं/सेवाओं की जानकारी आमजनमानस तक पहुंचाये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में “मेरी योजना” पुस्तक का केन्द्र सरकार का प्रथम संस्करण तैयार किया गया।

“मेरी योजना” पुस्तक के केन्द्र सरकार के प्रथम संस्करण को तैयार करने से पूर्व समस्त केन्द्रीय संस्थानों के सक्षम अधिकारियों के साथ लगभग एक दर्जन बैठक/वीडियो कॉन्फरेंसिंग आयोजित की गयी तथा पुस्तक में विभाग द्वारा किस प्रकार की सूचनाएं लिखी जायेंगी, इस संबंध में अवगत कराया गया। फिर केन्द्र सरकार के संस्थानों द्वारा सूचना प्रेषित की गयी, जिसको हमारे विभागीय कार्मिकों/अधिकारियों द्वारा पढ़ा गया एवं उनमें जो त्रुटियां प्रतीत हो रही थी उनको समय-समय पर संशोधित करने हेतु पुनः केन्द्रीय संस्थानों को भेजा गया तथा साथ ही वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से भी समझाया गया। फिर अंत में सभी सूचनाएं सुव्यवस्थित करने के उपरांत अंतिम अनुमोदन पत्र/सहमति पत्र के साथ केन्द्र सरकार के संस्थानों/विभागों द्वारा कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को सूचना प्रेषित की गयी, जिसको अंतिम रूप से पुस्तक में प्रकाशित किया जा रहा है। अतः मेरा विश्वास है कि इस पुस्तक से जहां एक ओर आम जनमानस को केन्द्र सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों द्वारा संचालित विभिन्न सेवाओं/योजनाओं/कार्यों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो पायेगी वहीं इनका लाभ लेने में पुस्तक लाभकारी सिद्ध होगी एवं पाठकों, शोधार्थियों एवं नीति नियंताओं तथा विशेषकर युवाओं के भविष्य के लिए यह पुस्तक मार्गदर्शक का कार्य करेगी।

इस पुस्तक में केन्द्र सरकार के लगभग 80 प्रतिष्ठानों की जानकारी सरल हिन्दी भाषा में उल्लिखित की गयी है। पुस्तक तैयार करने में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की पूरी टीम यथा श्री एन. एस.डुंगरियाल—संयुक्त सचिव, श्री पूरनगिरि—उप सचिव, श्री जे.पी. मैखुरी—अनु सचिव, श्रीमती सरिता तोमर, श्रीमती वन्दना पाटनी, श्री ललित मोहन आर्य, श्री रावेन्द्र चौहान, डॉ. शैलेश कुमार पंत, श्री संजीव कुमार शर्मा, श्री धर्मेन्द्र पयाल—विशेषकार्याधिकारी, श्री जितेन्द्र पाण्डेय—निजी सचिव, श्री उमेश कुमार—अपर निजी सचिव तथा श्री नन्दराम—अनुभाग अधिकारी (पूर्व), श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल—अनुभाग अधिकारी, श्री नारायण सिंह राणा—समीक्षा अधिकारी, श्रीमती रंजना—समीक्षा अधिकारी, श्री रमेश कुमार—समीक्षा अधिकारी, श्री अजय सिंह भण्डारी—कम्प्यूटर सहायक, श्री मुकेश चन्द्र देवरानी—कनिष्ठ सहायक, श्रीमती कुसुम—पूर्व कनिष्ठ सहायक, श्री अमित वर्मा, श्री दिनेश कुमार एवं श्री प्रदीप पैन्यूली (सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान) के अपार सहयोग एवं अथक प्रयासों और कड़ी लगन के बिना पुस्तक पूर्ण होना असम्भव था। साथ ही केन्द्र सरकार के उपरोक्त प्रतिष्ठानों के प्रमुखों एवं उनके अधीनस्थ अधिकारीगणों तथा राज्य के समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव गणों के सहयोग हेतु आभार प्रकट करता हूँ।

अन्त में विशेष मार्गदर्शक के रूप में प्रेरणास्रोत रहे प्रदेश के मा. राज्यपाल ले. जनरल (से.नि.) श्री गुरमीत सिंह जी एवं यशस्वी मा. मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश की प्रशासनिक मुखिया के रूप में श्रीमती राधा रतूड़ी, मुख्य सचिव महोदय का “मेरी योजना” पुस्तक के “केन्द्र सरकार” प्रथम संस्करण को मूर्त रूप दिये जाने में भरपूर योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।


(दीपक कुमार)
सचिव

उत्तराखण्ड में स्थापित केन्द्रीय संस्थान/विश्वविद्यालय/विभाग/संगठनों की सूची, पूरा पता, वेबसाइट एवं ईमेल आईडी

क्रसं	उत्तराखण्ड में स्थापित केन्द्रीय संस्थान/विश्वविद्यालय/विभाग/संगठन का नाम	पूरा पता एवं दूरभाष नंबर	ईमेल आईडी
1	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर पौड़ी (HNBGU)	कुलपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर, 246174 पौड़ी गढ़वाल। फोन न0-0134 6252143 Website: https://www.hnbgu.ac.in/	registrar.hnbgu@gmail.com dswoffice15@gmail.com msnegi50@gmail.com
2	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, देहरादून (IGNOU)	वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र ननूरखेडा, तपोवन, रायपुर रोड, देहरादून 248008 फोन न0-2789205, 2789200 Website: https://www.ignou.ac.in	rcdehradun@ignou.ac.in
3	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, देहरादून (NIOS)	क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, देहरादून (NIOS), बी0एस0 एन0एल0 टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, निकट आई0एस0बी0टी0 टर्नर रोड, क्षेत्रीय केन्द्र देहरादून-248002 फोन न0-0135-2532592 Website: https://www.nios.ac.in/	rcdehradun@nios.ac.in
4	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, देहरादून (CBSE)	क्षेत्रीय अधिकारी, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 99 कौलागढ रोड उत्तराखण्ड 248001 Phone No. 0135-2757766 / 2757744 / 2753248 Website: https://www.cbse.gov.in/	roddn@cbse.gov.in roddn.cbse@nic.in
5	भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून (IIRS)	निदेशक, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, कालीदास रोड, देहरादून-248001, फोन न0 0135-2524399 Website: https://www.iirs.gov.in/	rpmd_office@iirs.gov.in director@iirs.gov.in
6	भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून (IIP)	प्रमुख, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून-248004, फोन न0 0135 2525725 Website: https://www.iip.res.in/	director@iip.res.in in.aranjan@iip.res.in
7	भारतीय प्रौद्योगिकी	कुलसचिव, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुडकी-247687 Website: https://www.iitr.ac.in/	registrar@iitr.ac.in

	संस्थान, रुड़की (IITR)		
8	केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की (CBRI)	निदेशक, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की, जनपद हरिद्वार 247667, फोन नं० 01332-272243 Website: https://cbri.res.in/	director@cbri.res.in nasrlj@cbri.res.in
9	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर, (IIM)	निदेशक, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कुण्डेश्वरी, काशीपुर, जनपद-ऊधमसिंह नगर, काशीपुर, उत्तराखण्ड 244713, फोन नं०-05947-262175 Website: https://www.iimkashipur.ac.in/	diroffice@iimkashipur.ac.in
10	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, आईटी पार्क देहरादून। (STPI)	अपर निदेशक, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, आईटी पार्क देहरादून-248001 फोन नं०-0135-24622928 Website: www.stpi.in	rakesh.singh@stpi.in maneesh.kumar@stpi.in
11	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ऋषिकेश) (AIIMS)	चिकित्सा अधीक्षक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ऋषिकेश) एम्स-249203 फोन नं०-0135-2462928 Website: https://aiimsrishikesh.edu.in/	ms@aiimsrishikesh.edu.in msoffice@aiimsrishikesh.edu.in
12	राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, देहरादून (NIESBUD)	निदेशक, एन०एस०टी०आई० कैम्पस, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड 248001, फोन नं० 0212 3865575 Website: https://niesbud.nic.in/	bssajwan@niesbud.gov.in directoreeniesbud@gmail.com directoree@niesbud.gov.in
13	केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (CIPET)	संयुक्त निदेशक एवं प्रमुख, केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान(सीपेट), कौशल एवं तकनीकी सहायता केन्द्र, हरिद्वार रोड़, डोईवाला, देहरादून-248140, फोन नं०- 0135-2696075 Website: https://www.cipet.gov.in/	dehradun@cipet.gov.in
14	नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी (NIM)	प्रधानाचार्य, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी पिन कोड 249193 फोन नं०-0135-2744578 Website: https://www.nimindia.net/	principal-nim@uk.gov.in
15	राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून (NIEPVD)	कार्यवाहक निदेशक, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड़, देहरादून- 248001 फोन नं०- 0135-2744578 Website: https://niepvd.nic.in/	directorniepvd@gmail.com directorniepvd@nivh.gov.in dirctorniepvd@gamil.com director-niepvd@nivh.gov.in
16	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, नैनीताल (IVRI)	निदेशक, मुक्तेश्वर कैम्पस, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, नैनीताल 263138 उत्तराखण्ड। Website:	jointdirectorivrim1@gmail.com jointdirectorivrim1@gmail.com jdmukt.ivri@icar.gov.in

		https://www.ivri.nic.in/campuses/Mukteswar/Default.aspx	
17	आर्यभट्ट प्रेषण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल (ARIES)	इंजीनियर-ई(कम्प्यूटर), आर्यभट्ट प्रेषण विज्ञान शोध संस्थान (ARIES), नैनीताल मनोरा पीक, नैनीताल, उत्तराखण्ड-263001 Website: https://www.aries.res.in/aries-0	directoraries@aries.res.in mohit@aries.res.in
18	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद-वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून (ICFRE-FRI)	उप निदेशक (ए), भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद-वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून (ICFRE-FRI) न्यू फॉरेस्ट, देहरादून-248006 फोन न0-0135-2758295, 2224856 Website: http://fridu.edu.in/	adg_mx@icfre.org enquires@fridu.edu.in
19	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून (WLII)	निदेशक, भारतीय वन्य जीव संस्थान, चन्द्रबदनी देहरादून 2646245 Website: https://wii.gov.in	wii@wii.gov.in dwii@wii.gov.in, vrt@wii.gov.in
20	विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा (VPKAS)	निदेशक, ICAR -विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, माल रोड़, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड, 263601, फोन न0- 05962241015 Website: https://vpkas.icar.gov.in/	Headcpd.vpkas@icar.gov.in director.vpkas@icar.gov.in
21	गोविन्द बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, कोसी अल्मोड़ा (NIHE)	प्रशासनिक अधिकारी, गोविन्द बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान (NIHE), कोसी, कटारमल, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड, फोन न0- 05962241015 Website: https://gbpihed.gov.in/index.php	psdir@gbpihed.nic.in
22	वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान, देहरादून (WIHG)	निदेशक/प्रमुख, वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान, 33, जनरल महादेव सिंह रोड़, देहरादून। 248001 Website: www.wihg.res.in	director@wihg.res.in rksehgale@wihg.res.in
23	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की (NIH)	कुलसचिव/निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की-247667 Website: https://nihroorkee.gov.in/	varun_water09@yahoo.co.in
24	निदेशालय कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च, भीमताल नैनीताल (DCFR)	निदेशक, अनुसंधान भवन, इण्डस्ट्रीयल एरिया, भीमताल, 263136 जनपद-नैनीताल, उत्तराखण्ड 263136, 91-5942-247280, 247279 Website: https://www.dcfres.in/	director.dcfres@icar.gov.in dcfrin@rediffmail.com dcfrin@gmail.com dcfrpme@gmail.com

25	सहकारी प्रबंध संस्थान—देहरादून (ICM)	निदेशक, सहकारी प्रबंध संस्थान, 6 पुरानी मसूरी रोड़, राजपुर, देहरादून—248009, 0135 273 4272 Website: https://icmdehradun.com/	icmddn017@gmail.com
26	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी देहरादून (LBSNA)	निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी देहरादून (LBSNA) फोन न०— 2632350, 2632720 Website: https://www.lbsnaa.gov.in/	trdc.lbsnaa@nic.in
27	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान, देहरादून। (IISWC)	निदेशक, केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान, 218 कौलागढ़ रोड़, देहरादून—248195, 0135 2758564 Website: http://www.cswcrtiweb.org/	charan_forest@rediffmail.com directorsoilcons@gmail.com, director.iiswc@icar.gov.in
28	वीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एण्ड एडवांस ट्रेनिंग, डोईवाला देहरादून। (BIAAT)	कमांडेंट, बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एण्ड एडवांस ट्रेनिंग, डोईवाला देहरादून। 0135—2695879	comdtbiaat@bsf.nic.in
29	राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय, देहरादून। (NCC)	कर्नल, अपर निदेशक, एन.सी.सी. निदेशालय, बंगला न० पी०—4, नागनाथ रोड़ घंघोड़ा कैण्ट, देहरादून—248141, फोन न०—0135 2976805	adguk-dte@nccindia.nic.in
30	भारत तिब्बत सीमा पुलिस मुख्यालय देहरादून (ITBP)	कमाण्डेन्ट (स्टॉफ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस, क्षेत्रीय मुख्यालय, पो० सीमाद्वार, जनपद देहरादून।	digddn@itbp.gov.in itcellddn@itbp.gov.in
31	भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून (IMA)	प्रमुख/कमाण्डेन्ट, भारतीय सैन्य अकादमी, चकराता रोड़, देहरादून। Website: https://joinindianarmy.nic.in/	
32	सशस्त्र सीमा बल, सीमान्त मुख्यालय, अल्मोड़ा। (SSB)	उपमहानिदेशक (प्रशासन), सशस्त्र सीमा बल, सीमान्त मुख्यालय, गनियाध्योली, रानीखेत, अल्मोड़ा	control-ftrkt-ssb@nic.in ig-ftrkt-ssb@nic.in
33	प्रादेशिक सेना एवं 127 प्रादेशिक सेना पर्यावरण बल, देहरादून।	ले० कर्नल/परियोजना अधिकारी, 127 प्रादेशिक सेना पर्यावरण बल, कुरुक्षेत्र मार्ग, देहरादून छावनी उत्तराखण्ड। Website: https://nams.nic.in/etf.php	gewetf@gmail.com

34	छावनी परिषद, गढ़ी कैंट, देहरादून।	अध्यक्ष/मुख्य अधिशासी अधिकारी, कैण्टोमेण्ट बोर्ड गढ़ी, देहरादून कैण्ट, उत्तराखण्ड 248003 Phone : 0135 - 2756814 Helpline No- 0135-2759860 Website: https://dehradun.cantt.gov.in/hi/	ceodehr-stats@nic.in
35	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लि०, देहरादून (ONGC)	ई०डी० प्रमुख कॉरपोरेट प्रशासन, ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लि०, ओ०एन०जी०सी० रोड, देहरादून Website: https://ongcindia.com/web/eng/dehradun	narayani_rs@ongc.co.in narayani_rs@ongc.co.in
36	टिहरी जल विकास निगम लि०, ऋषिकेश, देहरादून (THDC)	प्रबंध निदेशक, गंगा भवन, बाई रोड, टी०एच०डी०सी० कॉलोनी, ऋषिकेश 249201 Website: https://thdc.co.in/	prthdcil@thdc.co.in antripathy@thdc.co.in veersingh@thdc.co.in
37	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड एवं आयुध निर्माणी, रायपुर देहरादून।	वरिष्ठ प्रबंधक, इण्डिया ऑप्टेल लिमिटेड रायपुर देहरादून-248008, फोन न०-0135- 2780427 / मुख्य महाप्रबंधक आयुध निर्माणी रायपुर देहरादून-248008 Website: https://www.indiaoptel.in/	div.hr@indiaoptel.in sangeetameena@ord.gov.in ofdun@ord.gov.in
38	रक्षा इलेक्ट्रॉनिकी प्रयोगशाला (DEAL) एवं रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (DRDO), देहरादून।	निदेशक, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोग प्रयोगशाला (डील) रायपुर देहरादून-248001 फोन न० -0135-2787004 to 2787007 यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन रायपुर रोड, देहरादून 248008, फोन: 0135-2787004 से 2787007 Website: https://www.drdo.gov.in/	director.deal@gov.in director.irde@gov.in
39	उत्तर रेलवे, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद	सीनियर डिविजन कॉमर्शियल मैनेजर, उत्तर रेलवे मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद-244001 Website: https://nr.indianrailways.gov.in/	cmimmb2016@gmail.com srdcmmb@gamil.com drmmbnr@gmail.com
40	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, देहरादून। (RPO)	क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, एन०सी०आर० प्लाज़ा, 24ए, न्यू कैंटोनमेंट रोड, पुलिस स्टेशन, विजय कॉलोनी, हाथीबड़ कला, देहरादून। फोन न०-0135-2668668 Website: https://passportindia.gov.in/	rpo.dehradun@mea.gov.in rpo.dehradun@mea.gov.in
41	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	संयुक्त सचिव (प्रवासी जुड़ाव), विदेश मंत्रालय, 301 सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली, फोन नं. 011-24156441	us2.oia2@mea.gov.in jsdeoia@mea.gov.in

		Website: https://mea.gov.in/	so1oia2@mea.gov.in consultant2.oia2@mea.gov.in
42	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, देहरादून। (CGST)	आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, ई ब्लॉक नेहरू कालोनी, हरिद्वार रोड देहरादून। Website: www.gst.gov.in	commr-cexddun@nic.in tech.cgstddn@gov.in
43	आयकर विभाग, देहरादून।	आयुक्त, 13ए सुभाष रोड इरिगेशन कॉलोनी देहरादून। Website: https://www.incometax.gov.in/	dehradun.ccit@incometax.gov.in
44	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून (NHAI)	निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण म0न0 58/37, बलवीर रोड, देहरादून 248001 फोन न0 0135 2669752/62 Website: https://nhai.gov.in/	routtarakhand@nhai.org
45	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जॉलीग्रैंट देहरादून एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, पंतनगर। (AAI)	निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जॉलीग्रैंट, विमानपत्तन, देहरादून 248140 फोन न0 0135 2412052 Website: https://www.aai.aero/en/airports/dehradun	apd_vidn@AAI.AERO
46	भारत संचार निगम लि0, देहरादून (BSNL)	चीफ जनरल मैनेजर, टेलिफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, पटेल नगर, देहरादून 248001 फोन न0— 0135 2625050 Website: https://www.bsnl.co.in/	bsnlrecttukd@gmail.com
47	दूरसंचार विभाग, देहरादून एवं बेतार अनुश्रवण केन्द्र, देहरादून	कार्यालय— उप महानिदेशक (राज्य समन्वय), उत्तराखण्ड क्षेत्रीय इकाई, देहरादून, बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज, 197 राजपुर रोड देहरादून। Website: https://dot.gov.in/	dir-c.ddnupw-dgt-dot@gov.in adgc2.ddnupw-dgt-dot@gov.in wms-uk-dot@nic.in
48	केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कार्यालय कल्याण आयुक्त देहरादून।	कार्यालय कल्याण आयुक्त, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम कल्याण संगठन (उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश परिक्षेत्र) 83/5, गली सं0 10, राजेन्द्रनगर, कोलागढ़ रोड, देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)	wccddn@gmail.com
49	जनगणना निदेशालय, देहरादून	निदेशक, जनगणना कार्यालय निदेशालय मातावाला बाग, सहारनपुर रोड, देहरादून 248001, फोन न0— 0135 2520085, 27525889	dir-uk.rgi@censusindia.gov.in

		Website: https://censusindia.gov.in/	
50	खादी और ग्रामोद्योग आयोग, देहरादून (KVIC)	सहायक निदेशक— आई0आई0, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय जी0एम0एस0 रोड़, कांवली, देहरादून—248001 फोन न0 0135—2724709 Website: https://www.kviconline.gov.in/	sodehradun@gmail.com
51	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, देहरादून (NHB)	उप निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार , निरंजनपुर सब्जी मण्डी, देहरादून—248171 फोन न0— 0135— 2621922, 2522767 Website: https://www.nhb.gov.in/	uk.nhb@gov.in
52	केन्द्रीय रेशम बोर्ड प्रेमनगर, देहरादून। (CSB)	वैज्ञानिक—डी एवं प्रभारी, रेशमकीट बीज उत्पादन केंद्र, राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन, केन्द्रीय रेशम बोर्ड — वस्त्र मंत्रालय — भारत सरकार, मीठीबेरी, प्रेमनगर, देहरादून — 248 007, Website: https://www.texmin.nic.in/	sspcddn@gmail.com, ssspcddn.csb@gov.in
53	भारतीय खान ब्यूरो, देहरादून (IBM)	क्षेत्रीय खान नित्रयंक, 161, ओल्ड नेहरू कॉलोनी, धरमपुर, देहरादून 248001 Website: https://mines.gov.in/	ro.dehradun@ibm.gov.in
54	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड/जल शक्ति मंत्रालय, देहरादून। (CGWB)	क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, उत्तरांचल क्षेत्र, 419 ए कांवली रोड़, बल्लीवाला, देहरादून—248006, फोन न0—0135—2761562 Website: https://cgwb.gov.in/	rdur-cgwb@nic.in
55	केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून (CWC)	अधीक्षण अभियंता, 156 बसंत बिहार, फेज—1 देहरादून 248006 दूरभाष :- 0135 2761562 Website: https://cwc.gov.in/en	sehocdehradun-cwc@nic.in
56	विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय देहरादून।	सहायक निदेशक, कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प सेवा केन्द्र, 469/3, विजय पार्क एक्सटेंशन, देहरादून Website: https://indian.handicrafts.gov.in	cwtscddn20@gmail.com cwtscddn20@gmail.com dchandicraftalm@gmail.com
57	मौसम विज्ञान केन्द्र, देहरादून	प्रमुख, मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून मोहकमपुर, हरिद्वार रोड़, फोन नंबर- 7078675082 Website: https://mausam.imd.gov.in/dehradun/	mcdehradun@yahoo.co.in metcentre-dehradun@imd.gov.in
58	प्रसार भारती दूरदर्शन केन्द्र, देहरादून एवं आकाशवाणी केन्द्र	कार्यक्रम प्रमुख, प्रसार भारती, दूरदर्शन केन्द्र एवं आकाशवाणी केन्द्र हरिद्वार बाईपास रोड निकट रिस्पना पुल देहरादून Website: https://prasarbharati.gov.in/	hopddkddun@gmail.com airdoon15@gmail.com

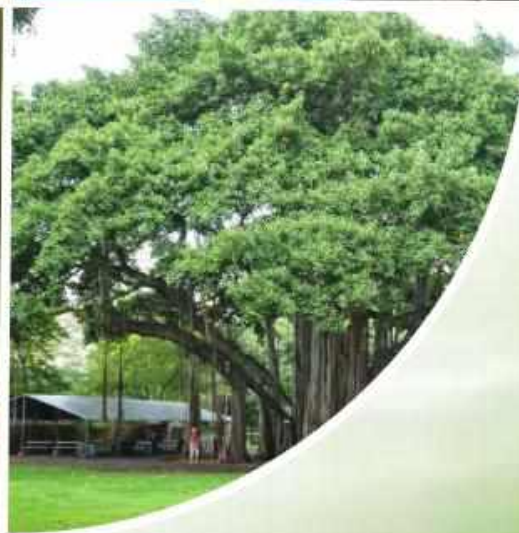
	देहरादून।		
59	भारतीय रिजर्व बैंक, वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, देहरादून (RBI)	सहायक प्रबंधक, वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून। Website: https://rbi.org.in/	fidddehradun@rbi.org.in manishpandey@rbi.org.in 8791202707
60	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, नई दिल्ली (SEBI)	प्रबंधक, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली, 8वां फ्लोर, फ्लैट बी टावर1, ईस्ट किडवई नगर, नई दिल्ली Website: https://www.sebi.gov.in/	simrank@sebi.gov.in bhartendragk@sebi.gov.in amitp@sebi.gov.in Mob.: 8587837489
61	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उत्तराखण्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून (NABARD)	सहायक महाप्रबंधक, कृषि क्षेत्र विकास विभाग, नाबार्ड, उत्तराखण्ड क्षेत्रीय कार्यालय, 42- आईटीपार्क, सहस्त्रधारा रोड देहरादून 248013 फोन नंबर- 0135 2609004 Website: https://www.nabard.org/	dehradun@nabard.org 8054488969
62	हाऊसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून (HUDCO)	क्षेत्रीय प्रमुख, आवास और शहरी विकास निगम, 74/1, राजपुर रोड, दूसरी मंजिल, जीएमवीएन बिल्डिंग, देहरादून 248001 फोन न0 0135-2740353, 2748405 Website: https://hudco.org.in/	dro@hudco.org
63	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, देहरादून (SIDBI)	उप-महाप्रबंधक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक(सिडबी) देहरादून-248001 फोन न0-0135-3508894 Website: https://www.sidbi.in/	vmakhloga@sidbi.in Ssinha@sidbi.in
64	चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय देहरादून। (CPMG)	चीफ पोस्टमास्टर, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय, पोस्टल डिपार्टमेंट उत्तराखण्ड सर्कल देहरादून। Website: https://www.indiapost.gov.in/	dpsdehradun248001@gmail.com dpsdehradun248001@gmail.com cp mg_utr@indiapost.gov.in
65	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, देहरादून (SLBC)	ए0जी0एम0, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, प्रशासनिक कार्यालय, न्यू कैण्ट रोड, देहरादून-248001, फोन न0- 01352742555,2716065,66,67 Website: http://www.slbcuttarakhand.com/	agmslbc.zodeh@sbi.co.in
66	भारतीय खाद्य निगम,	जनरल मैनेजर, भारतीय खाद्य निगम, पहली मंजिल यूसीएफ सदन,	agmsalesuk@fci.gov.in

	देहरादून (FCI)	प्रसार भारती भवन के पास, देहरादून, उत्तराखण्ड 248001 Website: https://fci.gov.in/	agmcontuk@fci.gov.in gmuk@fci.gov.in
67	भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ, मर्यादित (NCCF)	शाखा प्रबन्धक, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ, मर्यादित, 24 , राम विहार , बल्लूपुर, देहरादून, 248001, फोन न०—0135—2750074 Website: https://nccf-india.com/	nccfddn@rediffmail.com
68	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, ऊधमसिंह नगर (NAFED)	ब्रांच मैनेजर, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड), चावला थियेटर कम्पाउण्ड, काशीपुर रोड, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर—263153 Website: https://www.nafed-india.com/	nafrdp@nafed-india.com
69	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, देहरादून (GSI)	निदेशक, तकनीकी समन्वय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण राज्य इकाई उत्तराखण्ड देहरादून—248008 Website: https://www.gsi.gov.in/	dir.suuk.ddn@gsi.gov.in ddg.suuk@gsi.gov.in
70	भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून (SOI)	सर्वेयर, तकनीकी अनुभाग (एसजीओ), सर्वे ऑफ इण्डिया, हाथी बड़ कला देहरादून—248001, फोन न०—9760117435 Website: www.surveyofindia.gov.in	sgo.technical soi@gov.in vinaik.soi@gov.in
71	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, देहरादून (ASI)	अधीक्षण पुरातत्व रसायनज्ञ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 29, न्यू कैन्ट रोड, देहरादून — 248001, फोन 70—0135—2620318, 2723390 Website: https://asi.nic.in/	scienceddn-asi@gov.in
72	भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, देहरादून (BSI)	कार्यालय अध्यक्ष, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र, कौलागढ़ मार्ग देहरादून—248195, फोन न०— 0135—2755478, 2753433 Website: https://bsi.gov.in/	sksbsinc@rediffmail.com hoo-nrc@bsi.gov.in
73	भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग, देहरादून (ANSI)	सकार्यालय अध्यक्ष, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय केन्द्र, 192/1, कौलागढ़ रोड देहरादून। Website: https://ansi.gov.in/	honwrc@ansi.gov.in ravikkoshal@gmail.com honwrc@ansi.gov.in
74	भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (ज्यूलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया), देहरादून	प्रभारी अधिकारी, ज्यूलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र, कौलागढ़ रोड देहरादून फोन नंबर — 0135—2755279 Website: https://zsi.gov.in/	nrc@zsi.gov.in drgaurav.sharma@gov.in nrc@zsi.gov.in

	(ZSI)		
75	राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, देहरादून (NHO)	मुख्य जलसर्वेक्षक, राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, 107 ए राजपुर रोड, देहरादून। Website: www.hydrobharat.gov.in	incho-navy@nic.in
76	भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून FSI	महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कॉलागढ़ रोड, देहरादून-248195 फोन नं०- 0135-0135 – 2756139 Website: https://fsi.nic.in/	dgfsi@fsi.nic.in jdtfi@fsi.nic.in
77	प्रवर्तन निदेशालय, देहरादून (ED)	निदेशक, 5वां, क्रॉस रोड, दून एमआरआई के पास, रेस कोर्स, देहरादून 248001, उत्तराखंड फोन नं०- 0135 271 5572 Website: https://enforcementdirector.gov.in/	anjani@ediindia.org dddnszo-ed@gov.in
78	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, देहरादून (CBI)	शाखा प्रमुख, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, इंदिरा नगर कॉलोनी, आईटीबीपी रोड, इंदिरा नगर कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखंड 248006 फोन नं०- 0135 2761797 Website: www.cbi.gov.in	hobacddn@cbi.gov.in
79	भारतीय मानक ब्यूरो, शाखा देहरादून। (BIS)	निदेशक एवं प्रमुख, भारतीय मानक ब्यूरो, ब्लॉक डी, ग्राउंड फ्लोर, यूसीएफ सदन, दीप नगर रोड विष्णु बिहार, उत्तराखण्ड। Website: www.bis.gov.in	hdhbo@bis.gov.in
80	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB)	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी), प्रथम-तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, नयी दिल्ली 110001 https://pngrb.gov.in/	contact@pngrb.gov.in
81	नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)	देहरादून जोनल यूनिट 8/वी-राजेश्वर नगर, फेज-1, सहस्रधारा रोड, देहरादून-248001 टेली: 0135-2715572, फैक्स- 0135-2716672 https://ncbmanas.gov.in/	supdt-ncb-ddn@nic.in
82	आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस,	किचनर लाइन्स, लैंसडाउन, पौडी गढ़वाल उत्तराखण्ड। (https://www.joinindianarmy.nic.in)	bmsta@nic.in



मेरी योजना



**कार्यक्रम
क्रियान्वयन
विभाग**